:: मुद्रक ::
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0
वेबसाइट : dpsup.up.nic.in

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2016-17

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान
नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
website -http://updes.up.nic.in

पत्रिका संख्या–498

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2016-2017

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश

प्राक्कथन

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष **''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा''** प्रकाशित की जाती हैं। इसके अन्तर्गत प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाता है।

2. प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा वर्ष 2016–2017 को नये कलेवर में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों/संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रदेश में संचालित की जा रही योजनाओं की अधुनान्त स्थिति स्पष्ट करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा, पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, सेवा क्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रम शक्ति एवं सेवायोजन, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम तथा खनिज एवं विद्युत आदि का विस्तृत विश्लेषण अलग–अलग अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। महत्वपूर्ण आंकड़ों को इस प्रकाशन में तालिका/ग्राफ के माध्यम से भी दर्शाया गया है।

3. मैं इस संस्करण हेतु अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराकर इसे प्रकाशित करने में दिये गये सहयोग हेतु विभिन्न विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा अर्थ एवं संख्या प्रभाग के सम्बद्ध सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करता हूँ।

4. मुझे आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन नियोजकों, नीति निर्धारकों, योजना निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं एवं प्रशासकों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकाशन को और अधिक सार्थक बनाने हेतु सुझावों को विचारार्थ सहर्ष स्वीकार किया जायेगा।

लखनऊः
दिनांकः15 जनवरी, 2018

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रस्तावना

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा वार्षिक प्रकाशन " उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2016–17" का प्रस्तुत संस्करण नये कलेवर में प्रकाशित किया जा रहा है।

2. इस प्रकाशन में उत्तर प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गयी है।

इस अंक में 15 अध्यायों में मुख्यतः प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुधन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, समाज कल्याण, रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति तथा ग्राम्य विकास के कार्यक्रम आदि पर सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े एवं तथ्य सम्मिलित हैं।

3. मैं इस प्रकाशन को प्रकाशित करने में सम्बन्धित विभागों तथा संस्थाओं के अनवरत एवं उदार सहयोग के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, साथ ही इसके संकलन में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के सम्बद्ध सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करना चाहूँगा।

4. मुझे विश्वास है कि यह अंक योजनाकारों, नीति–निर्माताओं, अनुसन्धानकर्ताओं एवं शिक्षाविदों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकाशन के विषय–विस्तार एवं गुणात्मक सुधार हेतु उपयोगकर्ताओं के सुझावों का सहर्ष स्वागत किया जायेगा।

लखनऊ : 15 जनवरी, 2018

(अशोक कुमार पंवार)

निदेशक,

प्रकाशन से सम्बन्धित अधिकारी एवं सहायक

1—श्री अशोक कुमार पंवार	निदेशक
2—श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	अपर निदेशक

प्रावैधिक मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण

1—श्रीओ0पी0 सिंह	संयुक्त निदेशक
2—श्री संजय श्रीवास्तव	उप निदेशक
3—श्रीमती शालू गोयल	उप निदेशक
4—श्रीमती डुमनेश दीक्षा साहू	अर्थ एवं संख्याधिकारी

पाण्डुलिपि संरचना, समन्वय, टंकण एवं परिनिरीक्षण कार्य

1—श्रीमती रेखा शुक्ला	अपर सांख्यिकीय अधिकारी
2—कु0 आरती गुप्ता	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
3—श्रीमती आभा	कनिष्ठ सहायक

ग्राफ/चार्ट, नक्शा एवं कवर पृष्ठ के कार्य

1—श्री शिव शंकर यादव	चीफ आर्टिस्ट
2—श्रीमती कुसुम	ग्राफ आर्टिस्ट

उत्तर प्रदेश
का मानचित्र

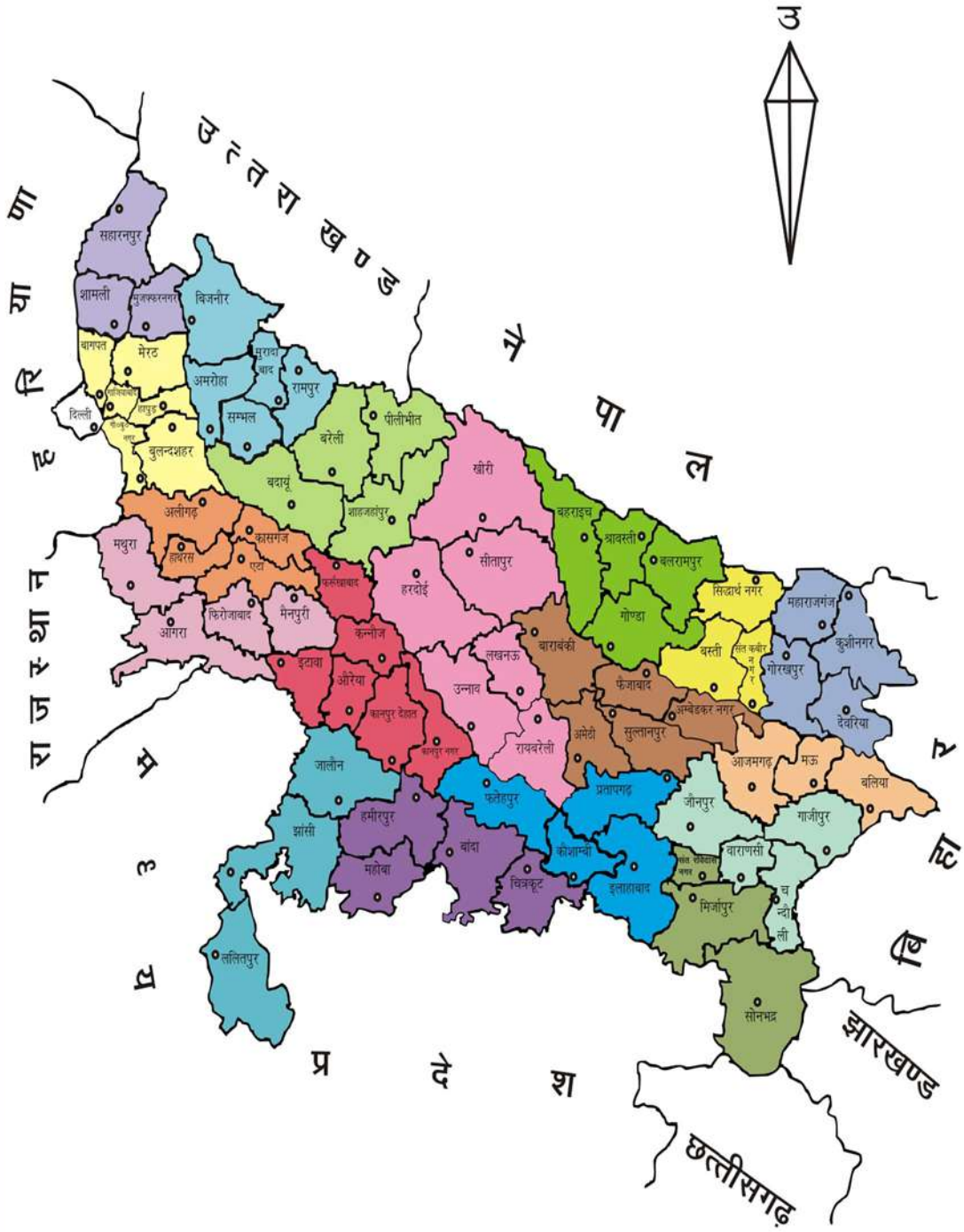

अनुमानित मानचित्र

विषय–सूची

	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य की अर्थव्यवस्था	1–10
2.	प्रदेश के विकास की चुनौतियां तथा रणनीति	11–16
3.	वित्त एवं बैंकिंग सेवायें	17–28
4.	कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा	29–51
5.	पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास	52–69
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	70–77
7.	ग्राम्य विकास के कार्यक्रम	78–85
8.	औद्योगिक प्रगति	86–102
9.	सेवा क्षेत्र	103–109
10	अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार	110–128
11.	शिक्षा	129–146
12.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	147–162
13.	समाज कल्याण	163–183
14.	श्रमशक्ति एवं सेवा योजन	184–199
15.	सतत विकास	200–203

अध्याय–1

राज्य की अर्थव्यवस्था

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य आय के वर्ष 2016–17 के जारी त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2016–17 में स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 7.2% रही है। वर्ष 2016–17 में स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः 10.4%, 4.0%, 7.5% रही है। प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के संदर्भ में वर्ष 2016–17 की प्रति व्यक्ति आय रू० 50203 आंकलित हुई है जो गत वर्ष से 8.5% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2016–17 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का खण्डवार वितरण इस प्रकार है–(क) प्राथमिक खण्ड–27.9% (ख) द्वितीयक खण्ड–23.2% तथा (ग) तृतीयक खण्ड–48.9%। प्रदेश के राज्य आय के वर्ष 2016–17 के जारी त्वरित अनुमानों का विस्तृत विवरण निम्नवत हैः–

सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थायी भावों पर)

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी वर्ष 2016–17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12 में रू० 681895 करोड़, वर्ष 2012–13 में रू० 716339 करोड़, वर्ष 2013–14 में रू० 754331 करोड़, वर्ष 2014–15 में रू० 780937 करोड़, वर्ष 2015–16 में रू० 836997 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 में रू० 898546 करोड़ रहा है जो वर्ष 2012–13 में 5.1%] वर्ष 2013–14 में 5.3%] वर्ष 2014–15 में 3.5%,वर्ष 2015–16 में 7.2% तथा वर्ष 2016–17 में 7.4%] की वृद्धि दर को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में क्रमशः 4.4%] 2.8% तथा 6.8%] वर्ष 2013–14 में क्रमशः (–)0.1%] 7.9% तथा 7.1%] वर्ष 2014–15 में क्रमशः (–)0.9%] (–)2.0% तथा 9.2% तथा वर्ष 2015–16 में क्रमशः 5.5%] 7.1% तथा 8.1% तथा वर्ष 2016–17 में 10.4%] 4.0% तथा 7.5% रही है।

खण्डवार विश्लेषण

प्राथमिक खण्ड

इसके अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक–पृथक आंकलित किये गये हैं जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक साथ आंकलित किये जाते थे। प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, राजस्व परिषद तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में क्रमशः 5.0%, (-)2.3%,](-)5.4%, 4.9% तथा 12.2% की वृद्धि हुई है।

पशुपालन उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग, रेशम निदेशालय तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये दर एवं अनुपात के आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में पशुपालन उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में क्रमशः 4.9%, 4.7%] 5.6%, 3.7% तथा 2.3% की वृद्धि हुई है।

वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अनुमान उत्तर प्रदेश के वन विभाग तथा वन निगम एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में क्रमशः ¼&½21.2%] ¼&½21.9%] 1.2%, 0.5% तथा 0-2% की वृद्धि हुई है।

मत्स्य उपखण्ड के अनुमान मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में मत्स्य उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में क्रमशः 4.7%] 3.3%] 6.4%, 2.1% तथा 22.4% की वृद्धि हुई है।

खनन तथा पत्थर निकालना उपखण्ड के अनुमान भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, आई०बी०एम०, नागपुर तथा के0 सां0 कार्या0, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में क्रमशः ¼&½20.6%] 10.1%]] 28.2%, 30.3% तथा 35.1% की वृद्धि हुई है।

माध्यमिक खण्ड

माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में क्रमशः 2.8%] 7.9%] ¼&½22.0%,
7.1% तथा 4.0% की वृद्धि हुई है।

विनिर्माण उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से अखिल भारतीय थोक भाव सूचकांक एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा एमसीए 21 डाटा बेस का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में क्रमशः 4.1%] 13.7%] ¼&½10.0%] 11.1% तथा
1.3% की वृद्धि हुई है।

विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से विद्युत विभाग, उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से उपलब्ध कराये गये आंकड़ों, स्थानीय निकायों के आय–व्ययक के खातों तथा प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं वितरण में संलग्न निगमों की बैलेन्स शीट का विश्लेषण कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में क्रमशः 5.8%] 13.0%] 6.0%, 2.8% तथा 12.0% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में निर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में क्रमशः 1.0%] 1.1%] 6.5%, 3.5% तथा 5.9% की वृद्धि हुई है।

तृतीयक खण्ड

अर्थ व्यवस्था के तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार, व्यापार", "वित्त तथा स्थावर संपदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड सम्मिलित हैं। तृतीयक खण्ड के अनुमान मुख्य रूप से केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों तथा राज्य की आय–व्ययक, स्थानीय निकायों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लेखा खातों

का विश्लेषण कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में क्रमशः 6.8%] 7.1%] 9.2%, 8.1% तथा 7.5% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2016–17 में सर्वाधिक वृद्धि 18.5 प्रतिशत संचार तथा प्रसारण सम्बन्धी सेवायें उपखण्ड में परिलक्षित हुई है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन(प्रचलित भावों पर)

बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12 में रू०681895 करोड़, वर्ष 2012–13 में रू० 777206 करोड़, वर्ष 2013–14 में रू० 885565 करोड़ तथा वर्ष 2014–15 में रू० 948993 करोड़, वर्ष 2015–16 में रू० 1035835 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 में रू० 1132560 करोड़ रहा है। प्राथमिक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में क्रमशः रू० 189787 करोड़, रू० 219964 करोड़, रू० 246724 करोड़, रू० 254845 करोड़, रू० 281771 करोड़ तथा रू० 315641 करोड़ रहा है। द्वितीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 में क्रमशः रू० 181781 करोड़, रू० 200719 करोड़, रू० 231544 करोड़, रू० 238000 करोड़, रू० 253867 करोड़ रू० 262306 करोड़ रहा है। तृतीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 में क्रमशः रू० 310326 करोड़, रू० 356522 करोड़, रू० 407297 करोड़, रू० 456148 करोड़ रू० 500196 करोड़ तथा रू० 554613 करोड़ अनुमानित रहा है।

सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष 2011–12 में प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रू० 724050 करोड़ था जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर स्थायी भावों (2011–12) पर रू० 966619 करोड़ तथा प्रचलित भावों पर रू० 1232566 करोड़ हो गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में स्थायी भावों पर क्रमशः 8.1 प्रतिशत तथा 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा प्रचलित भावों पर क्रमश 10.7 प्रतिशत तथा 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

वर्ष 2011–12 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद रू० 645132 करोड़ था जो वर्ष 2016–17 में स्थायी भावों पर बढ़कर रू० 845748 करोड़ तथा प्रचलित भावों पर बढ़कर रू० 1091946 करोड़ हो गया है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में स्थायी भावों पर क्रमशः 8.2 तथा 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा प्रचलित भावों पर क्रमशः 11.1 तथा 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।

तालिका–1.01
प्रदेश में सकल एवं निवल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	करोड़ रू०में					वृद्धि दर ¼प्रतिशत में½			
	2011–12	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर)	724050	940356	1011790	1119862	1232566	14.3	7.6	10.7	10.1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थायी भाव पर)	724050	802070	834432	901645	966619	5.8	4.0	8.1	7.2

निवल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर)	645132	833825	891798	990863	1091946	13.8	7.0	11.1	10.2
निवल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थायी भाव पर)	645132	707469	729686	789409	845748	5.0	3.1	8.2	7.1

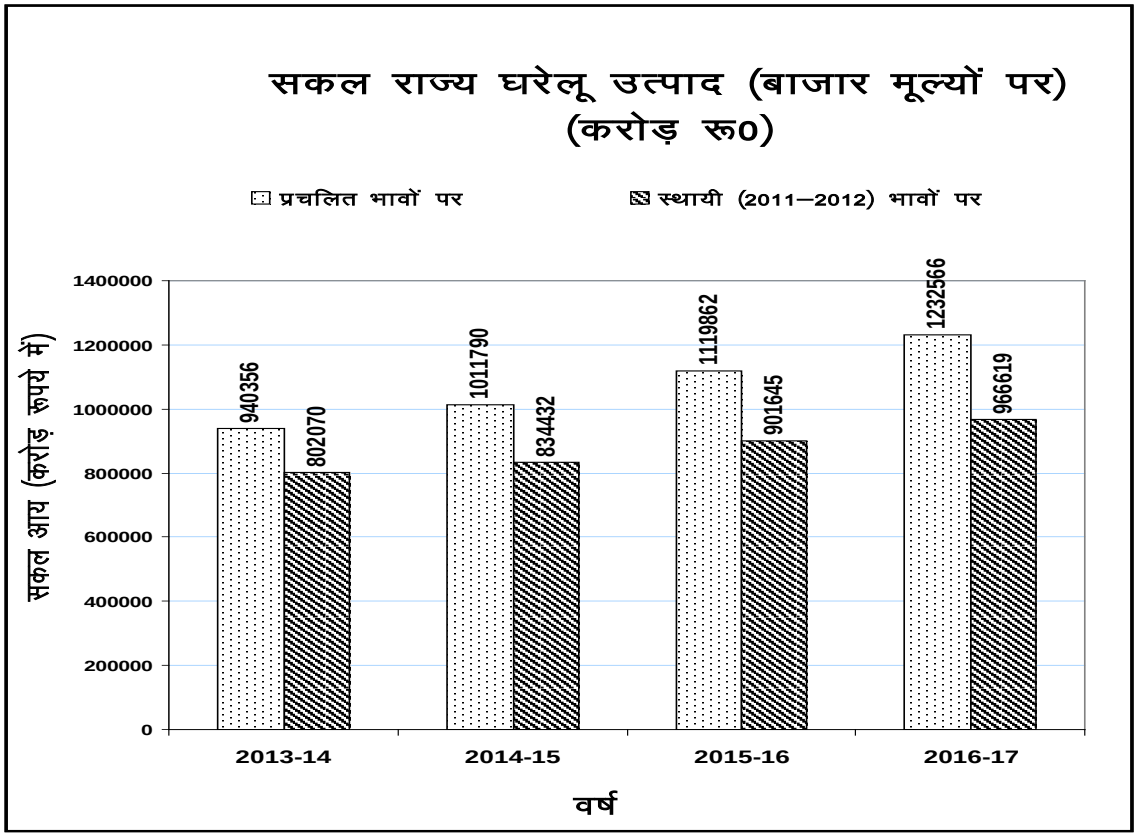

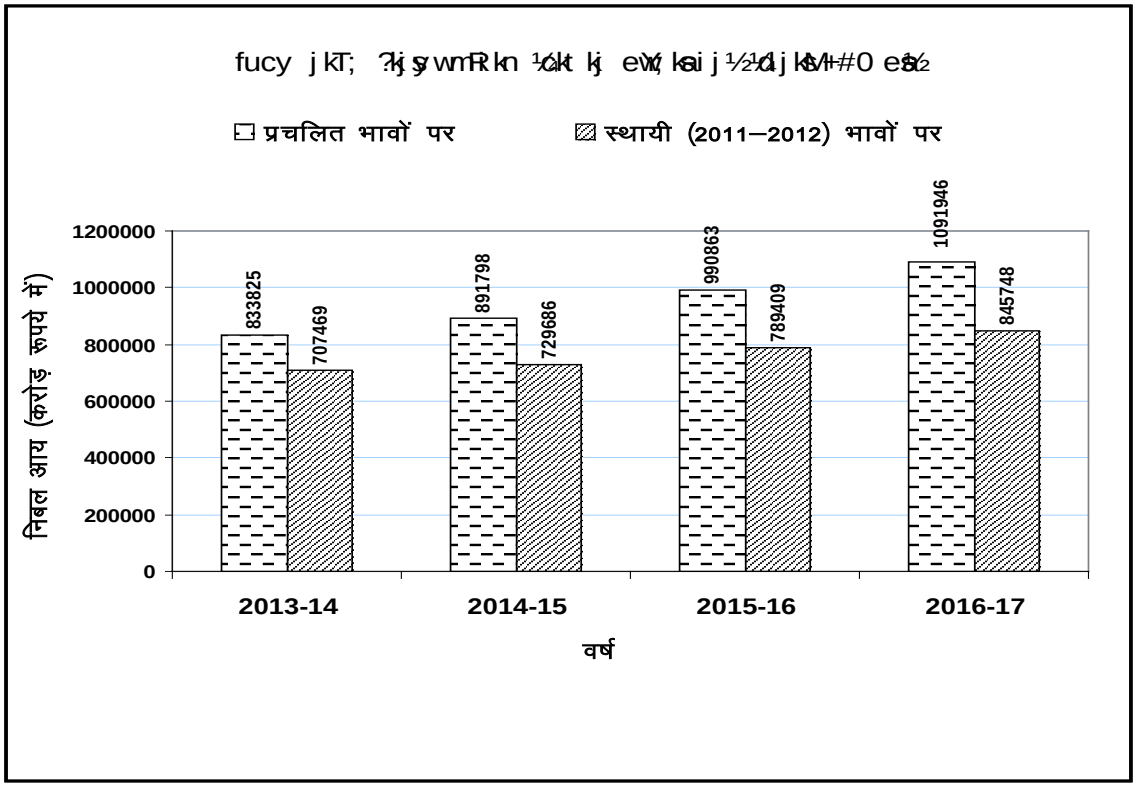

अर्थ–व्यवस्था की खण्डीय संरचना

राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न खण्डों के अंशदानों एवं निश्चित अवधि में हुए परिवर्तनों से यह बोध होता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2016–17 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्राथमिक खण्ड का स्थायी (2011–2012) भावों पर राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान जो वर्ष 2011–12 में 29.0 प्रतिशत था, जो घटकर वर्ष 2016–17 में 26.4 प्रतिशत रह गया है। इस अवधि में राज्य की अर्थ व्यवस्था के प्राथमिक खण्ड में कृषि (फसल) का योगदान 18.5 प्रतिशत से घटकर 15.8 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2016–17 में पशुपालन खण्ड का योगदान 6.8 प्रतिशत तथा वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना खण्ड का योगदान 1.6 प्रतिशत है। इस प्रकार प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल खण्ड का योगदान अभी भी सर्वाधिक है।

माध्यमिक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 25.9 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2016–17 में 24.0 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में विनिर्माण उपखण्ड का योगदान 11.0 प्रतिशत तथा निर्माण उपखण्ड का योगदान 12.2 प्रतिशत रहा है।

तृतीयक खण्ड काराज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 45.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 49.6 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में सर्वाधिक योगदान स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक उपखण्ड का 13.6 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2016–17 में व्यापार, होटल एवं जलपान ग्रह का योगदान 11.3 प्रतिशत तथा परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान 8.5 प्रतिशत आंकलित हुआ है। खण्डीय संरचना के इस परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2011–12 से राज्य की अर्थव्यवस्था कृषीय से अकृषीय की ओर निरन्तर अग्रसर होती जा रही है तथापि राज्य की सम्पूर्ण अर्थयवस्था में कृषि की प्रधानता है।

प्रतिव्यक्ति आय

वर्ष 2016–17 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रू०32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2016–17 में रू०50203 हो गयी है। वर्ष 2015–16 व वर्ष 2016–17 में प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 9.4 तथा 8. 5प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।प्रदेश की निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रू०32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2016–17 में रू०38884 हो गयी है। वर्ष 2015–16 व वर्ष 2016–17 मे प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 6.6 प्रतिशत तथा 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

तालिका–1.02

प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रति व्यक्ति आय

¼रू० मsa½

वर्ष	प्रचलित भावों पर	गत वर्ष में प्रतिशत वृद्धि	स्थायी भावों पर	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2011–12	32002	–	32002	–
2012–13	35812	11.9	32908	2.8
2013–14	40124	12.0	34044	3.5
2014–15	42267	5.3	34583	1.6
2015–16	46253	9.4	36850	6.6
2016–17	50203	8.5	38884	5.5

त्रैमासिक अनुमान–अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जारी राज्य आय के वर्ष 2016–17 के समस्त चारों तथा वर्ष 2017–18 के प्रथमत्रैमास के त्रैमासिक अनुमानों का विश्लेषण निम्नवत् हैः–

प्रथम त्रैमास के अनुमान (Q1)(अप्रैल से जून)

स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2016–17 के राज्य आय के प्रथम त्रैमासिक अनुमान में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2015–16 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है।

वर्ष 2017–18 में स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के प्रथम त्रैमास के अनुमान में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2016–17 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है। स्थिर(2011–12) भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन(जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2017–18 के प्रथम त्रैमास में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2016–17 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष क्रमशः 2.9 प्रतिशत, 2.1 प्रतिशत तथा 7.4 प्रतिशत रही है। इस प्रकार तृतीयक खण्ड में सर्वाधिक वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।

द्वितीय त्रैमास के अनुमान (Q2)(जुलाई से सितम्बर)

स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2016–17 में राज्य आय के द्वितीय त्रैमास के अनुमान में 6.5प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2015–16 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है।

तृतीय त्रैमास के अनुमान(Q3)(अक्टूबर से दिसम्बर)

स्थिर(2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2016–17 के तृतीय त्रैमास के अनुमान में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2015–16 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है।

चतुर्थ त्रैमास के अनुमान (Q4)(जनवरी से मार्च)

स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जी0एस0डी0पी0)में वर्ष 2016–2017 के चतुर्थ त्रैमास के अनुमान में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2015–16 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है।

इस प्रकार वर्ष 2016–17के जारी चारो त्रैमासिक अनुमानों में से राज्य आय के चतुर्थ त्रैमास में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है ।

प्रदेश के राज्य आय तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय अनुमानों का विश्लेषणः–

प्रदेश के वर्ष 2016–17 के त्वरित अनुमान तथा राष्ट्रीय आय के वर्ष 2016–17 के अनन्तिम अनुमान के अनुसार तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत् हैं–

तालिका–1.03
उत्तर प्रदेश तथा भारत के तुलनात्मक आंकड़े

वर्ष		उत्तर प्रदेश					भारत				
		2011–12	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2011–12	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
प्रतिशत वितरण	प्राथमिक खण्ड	27.8	27.9	26.9	27.2	27.9	21.7	21.4	20.8	19.8	19.6
	द्वितीयक खण्ड	26.7	26.1	25.1	24.5	23.2	29.3	27.9	27.4	27.2	26.6
	तृतीयक खण्ड	45.5	46.0	48.1	48.3	49.0	49.0	50.6	51.8	52.9	53.8
प्रतिशत वृद्धि	प्राथमिक	–	(–)10.1	(–)0.9	5.5	10.4	–	4.8	1.5	2.2	4.4
	द्वितीयक	–	7.9	(–)2.0	7.1	4.0	–	4.2	7.0	8.6	6.0

	तृतीयक	—	7.1	9.2	8.1	7.5	—	7.7	9.7	9.7	7.7
	कुल	—	5.8	4.0	8.1	7.2	—	6.4	7.5	8.0	7.1
प्रति व्यक्ति आय(रू०में)		32002	40124	42267	46253	50203	63462	79118	86454	94130	103219

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के वर्ष 2016–17 के अनन्तिमअनुमान के अनुसार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर वर्ष 2011–12 में प्राथमिक तथा द्वितीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 21.7 प्रतिशत व 29.3प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2016–17 में 19.6 प्रतिशत व 26.6 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत तृतीयक खण्ड का योगदान वर्ष 2011–12 में 49.0 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2016–17 में53.8 प्रतिशत हो गया है।वर्ष 2016–17 में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान 16.5 प्रतिशत विनिर्माण खण्ड का है।उक्त अवधि में प्रदेश में भी प्राथमिक खण्ड के योगदान में कमी आयी है जबकि तृतीयक खण्ड का योगदान 45.5 प्रतिशत से बढ़कर 49.0 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2016–17 में राज्य की अर्थ व्यवस्था में अभी भी कृषि खण्ड की प्रधानता है।

वर्ष 2016–17 में स्थायी (2011–12) भावों पर सकल घरेलू उत्पाद में अखिल भारतीय स्तर पर 7.1 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 की अवधि में प्रचलित भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रू०32002 से बढ़कर रू०50203 हो गयी जबकि अखिल भारतीय स्तर पर रू०63462 से बढ़कर रू०103219 हो गयी है। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय का लगभग 50 प्रतिशत रही है।

सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर) का प्रतिशत विवरण
(प्रतिशत)
उत्तर प्रदेश

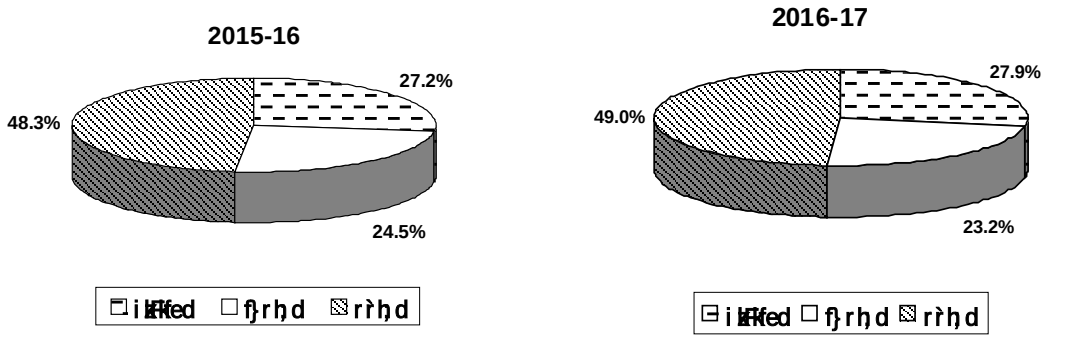

भारत

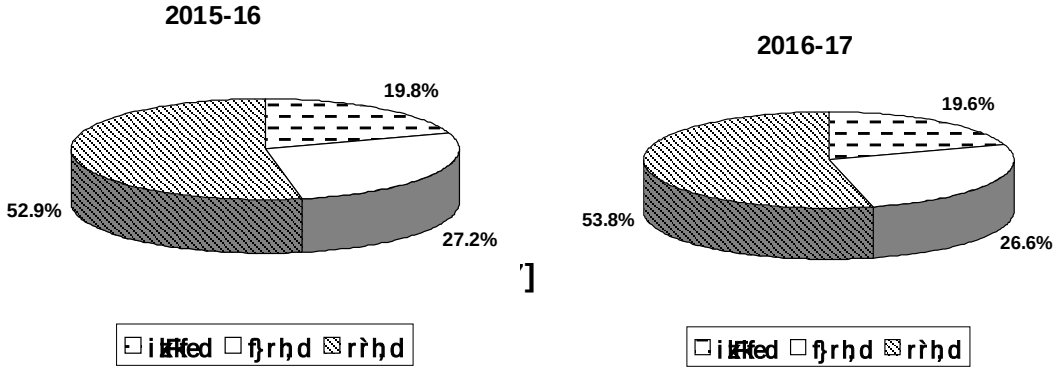

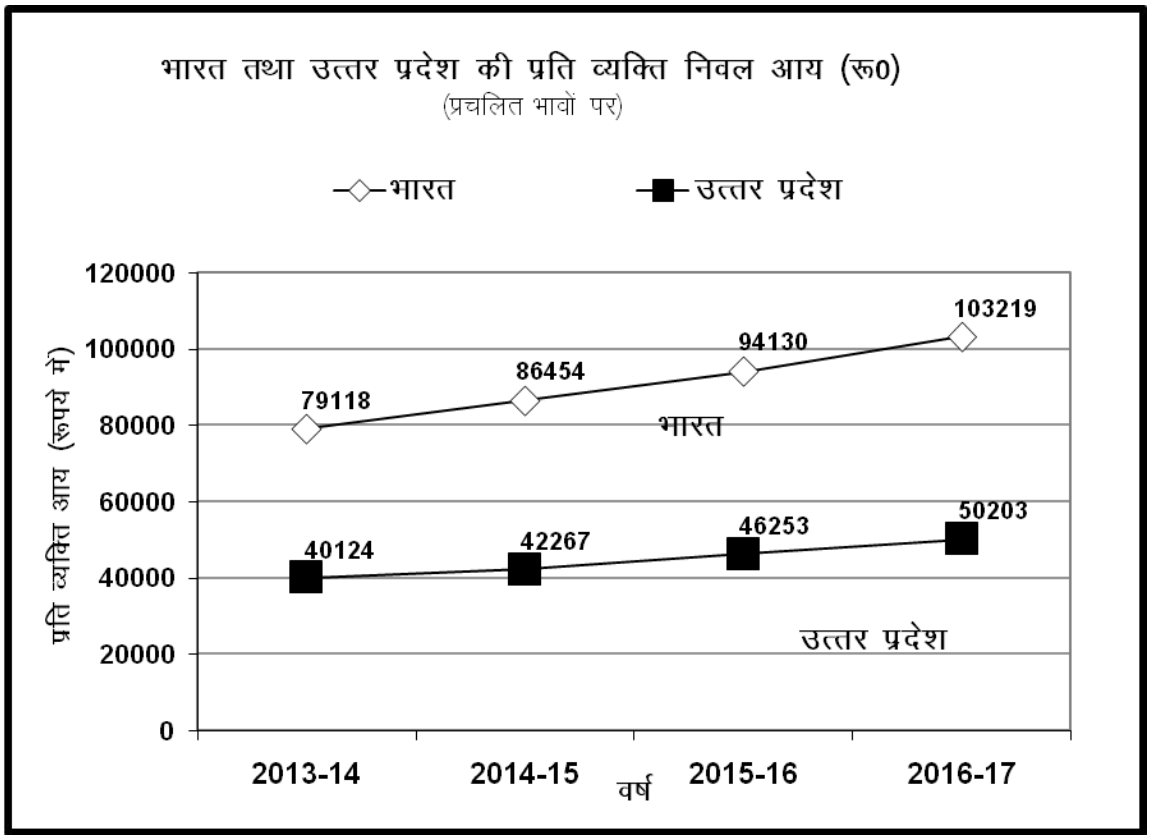

तालिका–1.04
निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की प्रति व्यक्ति आय

(प्रचलित भावों पर)

क्रम सं0	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011-12	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आन्ध प्रदेश	69000	82870	93699	108163	122376
2	अरूणाचल प्रदेश	73068	91809	110793	122466	NA
3	असम	41142	49734	52895	60526	NA
4	बिहार	21750	26948	28671	31454	35590
5	छत्तीसगढ़	55177	69839	78001	84767	91772
6	गोवा	259444	215776	289185	327059	NA
7	गुजरात	87481	113139	127017	141504	NA
8	हरियाणा	106085	138300	148485	162034	180174
9	हिमाचल प्रदेश	87721	114095	123532	134376	146073
10	जम्मू कश्मीर	53173	61108	61185	74653	NA
11	झारखण्ड	41254	50006	57301	59628	64823
12	कर्नाटक	90263	118829	129823	142906	157474
13	केरल	97912	123388	135537	147190	NA
14	मध्य प्रदेश	38550	51897	56182	62334	72599
15	महाराष्ट्र	99173	124724	132341	147399	NA
16	मणिपुर	39762	47852	53187	55603	NA
17	मेघालय	60013	65118	64638	70693	NA

क्रम सं0	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011-12	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	मिजोरम	57654	77581	103049	114524	NA
19	नागालैण्ड	53010	71510	78367	83621	NA
20	ओडिशा	47632	59468	64869	68293	75223
21	पंजाब	85577	103831	108897	119261	128821
22	राजस्थान	57391	69018	75201	82325	NA
23	सिक्किम	158667	194624	214148	233954	257182
24	तमिलनाडु	92984	116329	128385	137837	153263
25	तेलंगाना	91121	112162	124058	137955	155612
26	त्रिपुरा	47079	61570	71666	NA	NA
27	उत्तर प्रदेश	32002	40124	42267	46253	50203
28	उत्तराखण्ड	100305	126247	135881	146826	160795
29	पश्चिम बंगाल	NA	NA	NA	NA	NA
30	अन्डमान निकोबार	88183	106413	119312	124361	NA
31	चंडीगढ़	159114	205492	211313	229976	NA
32	दिल्ली	185044	229518	249004	273618	303073
33	पुडुचेरी	119649	148147	146921	157871	173687
अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय(NNI)		63462	79118	86454	94130	103219

अन्य राज्यों से तुलना

नये आधार वर्ष 2011–12 पर उपलब्ध अन्य राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना से स्पष्ट होता है कि प्रचलित भावों पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक प्रदेश का राष्ट्र में तीसरा स्थान है। केवल महाराष्ट्र व तमिलनाडु का सकल घरेलू उत्पाद उत्तर प्रदेश से अधिक है जबकि पश्चिम बंगाल के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।उपरोक्त अवधि मेंविभिन्न राज्यों की प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों की तुलना से स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों के सापेक्ष उ0प्र0 की प्रति व्यक्ति आय कम रही है। केवल बिहार की प्रति व्यक्ति आय उ0प्र0 से कम रही है।

तालिका–1.05
प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जी0एस0डी0पी0)

(करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011-12	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आन्ध प्रदेश	379402	464272	526468	609934	699307
2	अरूणाचल प्रदेश	11063	14581	17931	20294	NA
3	असम	143175	177745	195723	226276	NA
4	बिहार	247144	317101	342951	381501	438030
5	छत्तीसगढ़	158074	206690	234982	260776	290140
6	गोवा	42367	35921	47814	54275	NA
7	गुजरात	615606	807623	921773	1033791	NA
8	हरियाणा	297539	400662	437462	485184	547396
9	हिमाचल प्रदेश	72720	94764	103742	112852	125227
10	जम्मू कश्मीर	78256	95619	98333	119093	NA

क्रम संख्या	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	2011-12	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	झारखण्ड	150918	188567	218525	231294	253536
12	कर्नाटक	606010	816666	912647	1016910	1132690
13	केरल	364048	465041	512564	556616	NA
14	मध्य प्रदेश	315561	437737	481982	543975	640484
15	महाराष्ट्र	1275948	1646043	1773744	2001223	NA
16	मणिपुर	12915	16198	18129	19233	NA
17	मेघालय	19918	22938	23235	25767	NA
18	मिजोरम	7259	10293	13509	15339	NA
19	नागालैण्ड	12177	16612	18401	19816	NA
20	ओडिशा	227872	291709	321971	341887	378991
21	पंजाब	266628	332147	354908	391543	427870
22	राजस्थान	434366	548391	606465	672707	NA
23	सिक्किम	11165	13862	15407	16954	18852
24	तमिलनाडु	751486	969216	1072775	1161963	1298511
25	तेलंगाना	359434	451580	505664	567588	646265
26	त्रिपुरा	19208	25593	29667	NA	NA
27	उत्तर प्रदेश	724050	940356	1011790	1119862	1232566
28	उत्तराखण्ड	115328	149074	161439	176171	195192
29	पश्चिम बंगाल	NA	NA	NA	NA	NA
30	अन्डमान निकोबार	3979	5023	5478	5932	NA
31	चंडीगढ़	18768	25155	26541	29049	NA
32	दिल्ली	343767	443783	492424	551963	622385
33	पुडुचेरी	16818	21870	22574	24701	27586
भारत का सकल घरेलू उत्पाद		8736329	11233522	12445128	13682035	15183709

****

अध्याय–2

प्रदेश के विकास की चुनौतियाँ तथा रणनीति

केन्द्र सरकार की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी 'सबका साथ–सबका विकास' की तर्ज पर कार्य कर रही है।समाज के सभी वर्गों और राज्य के प्रत्येक नागरिक व क्षेत्र के विकास के लिएसरकारकृतसंकल्पहै।प्रदेश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत चुनौतियों को चिन्हित करते हुए विकास की रणनीति बनाया जाना अपेक्षित है। विकास में प्रदेश की समस्त जनता की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश वासियों को उत्कृष्ट एवं प्रभावी जन सेवाएं उपलब्ध कराना है।

इसके अन्तर्गत एक ओर जहाँ प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाये जाने के साथ–साथ भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके उसको सही ढंग से लागू किया जाना सम्मिलित है वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण हेतु रणनीति, निजी निवेश अर्जित करने का प्रयास, जनसामान्य के लिए विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, नगरीय सुविधाएं, श्रम एवं ग्राम विकास सेक्टरों के विशिष्ट कार्य बिन्दुओं, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा प्रशासन तंत्र को प्रभावी बनाये जाने के साथ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए तंत्र विकसित करने का प्रयास अपेक्षित हैं।

समग्र विकास हेतु विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत चिन्हितचुनौतियाँतथा प्रदेश विकास की रणनीति निम्नवत प्रस्तुत है :–

चुनौतियाँ

• कृषि तथा सम्वर्गीय क्षेत्र

1. कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी किया जाना।
2. किसानों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना।
3. किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।मृदा स्वास्थ्य में गिरावट को रोकना।
4. विभिन्न फसलों की प्रतिहेक्टेयरउत्पादकता में वृद्धि करना।
5. कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत को कम करना।
6. छोटी जोतों को लाभकारी बनाना।
7. कृषि पर निर्भरता कम करने हेतु रोजगार सृजन के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना।
8. कृषि उत्पादों विशेषकर औद्यानिक फसलों का समुचित विपणन तथा भण्डारण।
9. औद्यानिक फसलों के आच्छादन, उत्पादन आदि का आंकड़ा आधार खाता तैयार करना।
10. प्रदेश में वन क्षेत्र का विस्तार तथा वृक्षारोपण का आच्छादन बढ़ाना प्रमुख चुनौती है।
11. प्रदेश में वनों के अवैध कटान की रोकथाम चुनौती पूर्ण कार्य है।

• पशुपालन तथा सम्वर्गीय क्षेत्र

1. पशु आहार/पशु चारा का उत्पादन बढ़ाना।
2. कुक्कुट तथा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना।
3. अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन बढ़ाना।
4. सहकारी क्षेत्र की डेयरियों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करना।
5. दुग्ध उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

- **उद्योग**

1. निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करना।
2. औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।
3. निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
4. कुशल मानव संसाधन का विकास करना।
5. औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
6. हस्त शिल्प तथा दस्तकारी इकाईयों को जीवनक्षम बनाना।
7. सम्यक रूप से औद्योगिक वातावरण में सुधार।

- **सेवा क्षेत्र**

1. विभिन्न सेवाओं के मूल्य वर्धन का आंकलन।
2. सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक क्रिया–कलापों में सन्लिप्तइकाईयों का आंकड़ा आधार तैयार करना।
3. सेवा क्षेत्र में संलग्न श्रम शक्ति का कौशल विकास।

- **अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार तथा परिवहन**

1. प्रदेश में सड़क घनत्व को राष्ट्रीयस्तर तक लाना।
2. नये विद्युत उत्पादनइकाईयों के निर्माण की बाधाओं को दूर करना।
3. पारेषण लाईनों का विस्तार।
4. विद्युत आपूर्ति में सुधार।
5. लाईन हानियों में कमी लाना।
6. क्रियाशील विद्युत उत्पादन इकाईयों की क्षमता में वृद्धि।
7. वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना।
8. नगरीय यातायात को सुविधाजनक एवं सरल बनाना।

- **ग्राम्य विकास**

1. पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।
2. ग्रामीण समाज के समस्त वर्गों की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु जागरूकता उत्पन्न करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना संसाधनों का निर्माण।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना।
6. योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ लक्षित समूह/जन सामान्य को पहुँचाना।
7. योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना।

- **शिक्षा**

1. 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना।
2. विभिन्न वर्गों में साक्षरता अन्तराल को कम करना।
3. ड्रॉप आऊट दर को कम करना।
4. प्राथमिक शिक्षा की पहुँच में सुधार करना।
5. विद्यालय के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय भागीदारिता सुनिश्चित करना।
6. शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक,शैक्षिक तथा लैंगिक भेद को समाप्त करना।

- **माध्यमिक शिक्षा**

1. प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमता को दूर करना।
2. प्रत्येक विकास खण्ड में बालिकाओं हेतु कम से कम एक हाई स्कूल स्तर का विद्यालय खोला जाना।
3. समग्र शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि।

- **उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा**

1. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं विस्तार।
2. शिक्षा को रोजगार से जोड़ना।
3. ई–लर्निंग/स्मार्ट क्लासेस।
4. समग्र शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि।

- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार।
2. जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर तथा मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना।
3. सुरक्षित प्रसव।
4. प्रदेश में उच्च स्तरीयचिकित्सा संस्थानों की स्थापना।
5. चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना।
6. लिंगानुपात को बढ़ाना।
7. टीकाकरण का विस्तार।

- **सामाजिक कल्याण**

1. छात्र वृत्ति तथा पेंशन सम्बन्धी लाभार्थी परक़ योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना।
2. समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।

लोक निधि

1. सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों तथा लघु एवं सीमान्त किसानों को फसली ऋणमाफी योजना' आदि के कारणराज्य सरकार पर बढ़े वित्तीय व्यय–भारके फलस्वरूप प्राथमिकघाटा,राजस्व घाटाएवं राजकोषीय घाटाआदि वित्तीय संकेतकों को नियन्त्रण में रखना कठिन चुनौती है।
2. प्रदेश में निवेश हेतु बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाना।
3. प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करना।

विकास की रणनीति

- **कृषि तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. उत्तर प्रदेश को फूड पार्क राज्य के रूप में विकसित किया जाना।
2. फसली ऋण माफीयोजनान्तर्गत86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों के अधिकतम रू0 1 लाख तक के फसली ऋण माफ किये गये।
3. किसानों से शत–प्रतिशत गेहूं खरीद तथा गेहूं मूल्य के तत्काल भुगतान योजनान्तर्गतगेहूं खरीद लक्ष्य को 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन किया गया।
4. रू0 10 प्रति कुंतल अतिरिक्त भुगतान लोडिंग–अनलोडिंग के लिए 5,105 गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित।

5. गत वर्ष की कुल खरीद से लगभग 4.5 गुना अधिक 36.99 लाख मी टन गेहूं खरीद की गयी।
6. मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रू0 1,625 प्रति कुन्तल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया।
7. किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं, खाद्यान्न, दलहन, फल सब्जी, दूध, दही, गुड़, नमक आदि जी0एस0टी0 में कर मुक्त।
8. आलू नीति काप्रभावी कार्यान्वयन।
9. खाद्यान्न उत्पादन में प्रजाति प्रतिस्थापन दर में वृद्धि हेतु प्रभावी कार्यवाही।
10. कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता हेतु कृषि यन्त्रीकरण के लिए मैकेनाईजेशन मिशन तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार विशेषकर औद्यानिक फसलों हेतु नेशनल मिशन ऑन माइक्रोइरीगेशन का प्रभावी कार्यान्वयन।
11. सोलर फोटोबोल्टैइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना।
12. कृषकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब एवं नवीन मण्डियों की स्थापना, किसान बाज़ार का विकास किया जाना आदि।
13. गन्ने के बीज की उन्नत प्रजातियों का विकास।
14. भण्डार गृहों का निर्माण।
15. पारदर्शी किसान योजना का कार्यान्वयन।
16. कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।

- **<u>पशुपालन तथा सम्वर्गीय क्षेत्र</u>**

1. पशुधन विकास हेतु बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा क्लीनिक का संचालन।
2. कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाना।
3. गो तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।
4. अवैध पशु वधशालाओं पर रोक।
5. गुणवत्ता युक्त ब्रीड/बीज भण्डार केन्द्र विकसित किये जायें।
6. उत्तर प्रदेश ब्रीडिंग एक्ट, 2017 लागू करना।
7. वर्तमान में स्थापित पशुचिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण एवं अधिक से अधिक पशुचिकित्सालयों की स्थापना।
8. चारा एवं चरागाह विकास हेतुउत्तर प्रदेश चारा सुरक्षा नीति बनाया जाना।
9. सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना।
10. मत्स्य विकास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
11. पशु मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु पशुपालकों को पशु बीमा कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।

- **<u>उद्योग</u>**

1. प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने, उद्यमियों की जिज्ञासाओं व समस्याओं को विभिन्न सम्बन्धित विभागों से निराकरण कराने एवं स्वीकृतियॉ प्रदान कराने हेतु एकल मेज व्यवस्था का कार्यान्वयन।
2. जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण।
3. औद्योगिक इकाईयों हेतु भूमि आवंटन नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
4. उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति–2014 का प्रभावी कार्यान्वयन।
5. राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2015का प्रभावी कार्यान्वयन।

6. मेगा लेदर क्लस्टर योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
7. उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2016 के अर्न्तगत सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने एवं प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से **''मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना''**का संचालन।
8. कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु 39 असेवित तहसीलों में प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से एक–एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
9. एम0एस0एम0ई0 पोर्टल विकसित किया जाना।

- **<u>अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार तथा परिवहन –</u>**

1. प्रदेश की समस्त सड़कों को गड्ढा–मुक्त किया जाना।
2. 500 से अधिक आबादी के अंसतृप्त बसावटों को शत प्रतिशत सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना।
3. जिला मुख्यालयों को चार लेन की सड़कों से जोड़ना।
4. ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण की नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
5. अधूरे सेतुओं तथा रेल उपरिगामी सेतुओं एवं अधूरे उपरिगामी सेतुओं को पूर्ण किया जाना।
6. प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए हैलीकाप्टर सेवा शुरु करना।
7. प्रदेश के अन्य शहरों में एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाना।
8. लखनऊ में मेट्रो रेल का संचालन तथाइलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झॉसी नगरों में भी मेट्रो चलाने के लिए डी0पी0आर0 तैयार करने के निर्देश।
9. हर जिला मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय में 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
10. शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टेतथा ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे के अन्दर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना।
11. प्रदेश की तहसीलों में 33/11 के०वी० उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण करना।
12. 10,000 सोलर पम्प लगाने कीयोजना का शुभारंभ।
13. रूफटॉप सोलर पॉलिसी का प्रभावी कार्यान्वयन।
14. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए सब्सिडाइज्ड सोलर पैक की व्यवस्था किया जानाजिससे कुछ आवश्यक घरेलू उपकरण चल सकें।
15. ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था किया जाना।
16. जल संरक्षण के कार्यो को अभियान के रूप में चलाया जाए।
17. आगरा में ताजगंज क्षेत्र के विकास की परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
18. मैत्रेय परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
19. विश्व बैंक सहायतित प्रो–पुअर टुरिज़्म योजना का कार्यान्वयन।

- **<u>शिक्षा</u>**

1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जाना।
2. उच्च शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार।
3. उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए उन्हें रोजगारपरक बनाये जाना।
4. ई–लर्निंग को बढ़ावा दिया जाना।
5. समस्त प्राविधिक संस्थाओं में एकेडमिक मॉनिट्रिंग की एकीकृत व्यवस्था।
6. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 रू0 प्रतिमाह कर दिया गया है।

7. मेधावी छात्र–छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सम्मान।
8. 220 दिनों का शैक्षिक कैलेन्डर लागू करने का निर्णय।
9. कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु 39 असेवित तहसीलों में प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से एक–एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

- **<u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य</u>**

1. सस्ती दर पर उपलब्ध होने वाली जेनेरिक दवाओं की 3 हजार दुकानें खोलने की व्यवस्था की जा रही है।
2. जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित 150 एम्बुलेंस की'एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा' का शुभारंभ।
3. नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/नये जनपदों में जिला चिकित्सालयों का निर्माण।
4. निर्माणाधीन अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों को पूर्ण कर क्रियाशील करना।
5. ट्रामा सेन्टरों के भवनों का निर्माण एवं उन्हें क्रियाशील किया जाना।
6. जिला चिकित्सालयों में प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिटका निर्माण एवं उन्हें क्रियाशील किया जाना।
7. चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश अर्जित करने हेतु नीति निर्धारित करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार।
8. एम्स के तर्ज पर उच्च चिकित्सा अनुसन्धान संस्थानों तथा चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना।

- **<u>ग्राम्य विकास तथा सामाजिक कल्याण</u>**

1. छात्रवृत्ति पेंशन आदि सम्बन्धी समस्त योजनाओं का इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन एवं अुनश्रवण।
2. वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त पात्र पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है ताकि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
3. डॉ० राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
4. जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
5. प्रदेश को खुले में शौच मुक्त किया जाने हेतुहर घर में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6. एण्टी रोमियों स्क्वायड का गठन।

- **<u>लोक निधि</u>**

1. 'एक कर, एक देश, एक बाजार' की परिकल्पना को साकार करते हुए 01 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 प्रणाली का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्रान्तिकारी सूत्रपात।
2. प्रदेश के विकास हेतु वाह्य सहायतित परियोजनाओं में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त कर प्रभावी कार्यान्वयन।
3. प्रदेश में विकास हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व के रूप में अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जुटाया जाना।

****

अध्याय–10
अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार

अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत परिवहन, संचार,ऊर्जा तथा पेयजल विकास सम्बन्धी भौतिक सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इन सुविधाओं की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। अवस्थापना सुविधाओं पर किया जा रहा निवेश, कृषि, उद्योग तथा व्यापार के विकास हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। राज्य में परिवहन एवं संचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने की दृष्टि से प्रदेश में सड़क मार्गों, रेल मार्गों, वायु मार्गों, जल मार्गों एवं मेट्रो रेल के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है।

परिवहन

परिवहन एवं व्यापार सम्बंधी क्रिया–कलापों का विकास एवं विस्तार सड़कों के विकास पर भी निर्भर करता है। कृषि एवं औद्योगिक विकास में सड़क एवं संचार जैसी अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिये परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

सड़क

सड़क नेटवर्क अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यह देश भर में यात्री की आवाजाही और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टीविटी की भूमिका के वजह से महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भारत में यात्री और माल की आवाजाही तेज़ी से सड़क परिवहन क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित हुआ है।

प्रदेश के विकास के लिये अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्गों एवं सेतुओं की भी विशेष भूमिका है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारासंघृतमार्गों की कुल लम्बाई सम्बन्धी आंकड़ें तालिका–10.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.01

रोड नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

क.सं.	मार्ग का वर्गीकरण	31.3.14 तक	31.3.15 तक	31.3.16 तक	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	राष्ट्रीय मार्ग (कि0मी0)	7550	7572	7572	7633
2	राज्य मार्ग (कि0मी0)	7543	7597	7147	7202
3	प्रमुख जिला मार्ग (कि0मी0)	7338	7338	7637	7486
4	अन्य जिला मार्ग (कि0मी0)	42434	43512	46006	47576
5	ग्रामीण मार्ग (कि0मी0)	141593	149193	163035	169051
	योगः–	**206458**	**215212**	**231397**	**238948**

स्रोतः– लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.।

सड़क निर्माण को अवस्थापना घटक मानते हुए प्रदेश में विभिन्न सड़क निर्माण/मरम्मत सम्बन्धी योजनायें संचालित की जा रही हैं जिनका विवरण निम्नवत है–

1.जिला मुख्यालयों को चार लेन मार्गों से जोड़ना

प्रदेश को सुगम यातायात उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन चौड़े मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2012–13 में प्रारम्भ की गयी थी। प्रदेश के 30 जिला मुख्यालय 4 लेन/2 लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्ग से पूर्व से ही जुड़े हुए हैं तथा 10 जिला मुख्यालय भारत सरकार की स्वीकृत योजना (एनएचडीपी) के अन्तर्गत प्रस्तावित 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गो से जुड़ जायेंगे तथा 8 जिला मुख्यालय 2–लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं जो

2–लेन विद पेव्ड शोल्डर किए जाने हेतु भारत सरकार की स्वीकृत योजना (एनएचडीपी) एवं 02 जिला मुख्यालय (बहराइच एवं सिद्धार्थनगर) एन0एच0 के अन्तर्गत ई0पी0सी0 मोड पर प्रस्तावित 2 लेन (विद पेव्ड शोल्डर) राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जायेंगे।

शेष 25 जनपदों में से 03 जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्ग से जोड़े जाने का कार्य उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) के अन्तर्गत प्रस्तावित/निर्माणाधीन हैं। लो0नि0वि0 बजट द्वारा 14 जिला मुख्यालय वर्ष 2017 तक फोर लेन मार्ग से जोड़ेजा चुके है। शेष 8 जिला मुख्यालय (बलरामपुर, लखीमपुरखीरी, बिजनौर, हरदोई, गोण्डा, महराजगंज, कासगंज एवं मिर्जापुर) का कार्य प्रगति पर है।

एन0एच0ए0आई0 द्वारा वर्ष 2014–15 में जिला मुख्यालय रायबरेली, वर्ष 2015–16 में हमीरपुर, हाथरस, गौतमबुद्वनगर, अलीगढ़ व बुलन्दशहर को फोर लेन मार्ग से जोड़ा गया। वर्ष 2016–17 में लो0नि0वि0 द्वारा अन्य मार्ग से अब तक शामली एवं चित्रकूट को फोर लेन मार्ग से जोड़ा जा चुका है।

2.ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना

प्रदेश सरकार की सम्पर्क मार्गो से असंतृप्त समस्त बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़े जाने की प्राथमिकता है।

तालिका–10.02

2016–17 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्य एवं प्रगति

(धनराशि करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य/योजना का नाम	वर्ष 2016–17			वर्ष 2017–18		
		आवंटन	व्यय	उपलब्धि	आवंटन	लक्ष्य	प्रगति
1.	ग्रामीण मार्गों का नव निर्माण/पुनर्निर्माण	1657.74	1657.74	2693 कि0मी0	36.11	747 किमी0	124 किमी0
2.	ग्राम /बसावटों को जोड़ा जाना			1212 नं0		498 नं0	83 नं0
3.	विभिन्न श्रेणी के मार्गों काचौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	5422.77	5422.77	6738 कि0मी0	2157.37	2332 किमी0	112 किमी0
4.	जिला मुख्यालय को 4 लेन मार्ग से जोड़ा जाना	1376.57	1376.57	223 किमी0	71.21	50 किमी0	14 किमी0
5.	नदी सेतुओं का निर्माण कार्य	1520.99	1520.99	190 नं0	61.47	164 नं0	26 नं0
6.	रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण	628.90	628.90	17 नं0	16.00	33 नं	02 नं
7.	कोर नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	414.25	414.25	422 किमी0	52.50	105 किमी0	50 किमी0
8.	इन्डो नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना	114.72	114.72	58 किमी0	129.53	40 किमी0	5.35 किमी0

इन बसावटों को निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है–

(I) 250 से अधिक आबादी के राजस्व ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ना

250 से अधिक आबादी के समस्त बिना जुड़े राजस्व ग्रामों को एकल सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे समस्त बिना जुड़े ग्रामों को जोड़ने हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था नाबार्ड, हुडको से ऋण आदि से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

(II)डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना

राजस्व ग्रामों के चहुँमुखी विकास हेतु प्रदेश में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना वर्ष 2012 में लागू की गयी।इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में 1598 तथा उसके पश्चात अनुवर्ती 04 वर्षों में 2100 ग्राम प्रतिवर्ष अर्थात कुल 9998 राजस्व ग्रामों का चयन किया गया था। योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सम्पर्क मार्गो हेतु वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक आबादी की समस्त बसावटों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ा जाना लक्षित था।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 870.00 करोड़ बजट प्राविधान था। मार्च, 2017 तक योजनान्तर्गत 9771 चयनित ग्रामों व उनकी बसावटों को जोड़ा जा चुका है। वर्ष 2017–18 में चालू कार्यो हेतु रू0 98.33 करोड़ का बजट प्राविधान है।

(3)अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राईबल सब प्लान

अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत ऐसी बसावटों जिनकी आबादी 250 अथवा उससे अधिक है एवं जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा रहा है तथा एस0सी0पी0 के अन्तर्गत पूर्व से निर्मित परन्तु ध्वस्त हो चुके सम्पर्क मार्गों का भी पुर्ननिर्माण किया गया है। वर्ष 2016–17 में रू0 202.00 करोड़ की लागत से बसावटों के सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण किया गया है। वर्ष 2017–18 में चालू कार्यो हेतु रू0 18.33 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

तालिका–10.03
बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की वर्तमान स्थिति

मद	1000+	500-999	250-499	<250	योग
कुल बसावटों की संख्या	41170	49319	55301	69307	215097
पूर्व से जुड़ी हुई बसावटों की संख्या	28232	20440	15060	13401	77133
अनजुड़ी बसावटों की संख्या	12938	28879	40241	55906	137964
पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत जोड़ी गई बसावटों की संख्या	6815	4700	709	478	12702
अन्य योजनाओं अन्तर्गत जोड़ी गई बसावटों की संख्या	6123	24179	27112	30225	87639
अवशेष अनजुड़ी बसावटों की संख्या	0	0	12420	25203	37623

4.तहसील व ब्लाक मुख्यालय को दो लेन मार्ग से जोड़ना

तहसील व ब्लाक मुख्यालय को दो लेन मार्ग से जोड़ने की प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। ऐसी समस्त तहसीलों व ब्लाक मुख्यालयों को जोड़ने हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था नाबार्ड, हुडको से ऋण आदि से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

5.मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

समस्त एक लेन चौड़े राज्य मार्ग तथा महत्वपूर्ण मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्गों को यातायात की मॉग के अनुसार चरणबद्ध रूप से 02 लेन किये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त भारी यातायात के कारण क्षतिग्रस्त ऐसे प्रमुख/अन्य जिला मार्ग जो नवीनीकरण/विशेष मरम्मत योग्य नहीं हैं, उनका सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 में राज्य योजना के अन्तर्गत 2582 कि0मी0 राज्य मार्ग व 5162 कि0मी0 प्रमुख/अन्य जिला मार्ग, इस प्रकार कुल 7744 कि0मी0 मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाना लक्षित था जिसके सापेक्ष 6738 किमी0 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है।

6.कोर रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश में महत्वपूर्ण मार्गो का एक कोर रोड नेटवर्क के अन्तर्गत 16545 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 7530 किमी0 राज्य मार्ग, 5761 किमी0 प्रमुख जिला मार्ग तथा 3254 किमी0 अन्य जिला मार्ग सम्मिलित हैं। वर्ष 2016–17 में 422 किमी0 में कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2017–18 में 105 किमी0 का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष 50 किमी0 में कार्य किया जा चुका है।

7.पी0पी0पी0 माडल पर उपशा द्वारा मार्ग निर्माण

वर्ष 2004 में राज्यमार्ग एवं अन्य मार्गों के निर्माण व अनुरक्षण हेतु उपशा का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत उपशा द्वारा दिल्ली सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग, बरेली अल्मोडा मार्ग, वाराणसी शक्तिनगर मार्ग तथा मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग कराया जा रहा है।

8.सेतु व रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 60 मीटर से अधिक लम्बाई के दीर्घ सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा तथा 60 मीटर से कम लम्बाई के लघु सेतुओं का निर्माण लो0नि0वि0 द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 99 लघु सेतु, 91 दीर्घ सेतु तथा 17 रेल उपरिगामी सेतुओं को पहुॅच मार्ग सहित पूर्ण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 57 दीर्घ सेतु, 107 लघु सेतु व 33 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 16 दीर्घ सेतु, 10 लघु सेतु तथा 02 रेल उपरिगामी सेतु का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

9.इण्डो नेपाल बार्डर मार्ग

उत्तर प्रदेश में भारत–नेपाल सीमा पर मार्ग निर्माण की परियोजना का सैद्धान्तिक अनुमोदन गृह मंत्रालय, भारत सरकारद्वारा किया गया है। प्रस्तावित मार्ग उत्तर प्रदेश के सात जनपदों क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्वार्थनगर तथा महराजगंज से होकर गुजरता है।

इस परियोजना की मूल अनुमोदित लम्बाई 640.00 कि0मी0 तथा लागत रू0 1621.00 करोड़ है। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को कुल 28 डी0पी0आर0, लम्बाई 574.59 कि0मी0 एवं आंकलित लागत रू0 2805.56 करोड़ गठित कर प्रेषित की गयी। इसके विरूद्ध कुल 12 डी0पी0आर0 लम्बाई 257.01 कि0मी0 एवं लागत रू0 735.83 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा निर्गत कर दी गयी है, जिसमें भारत सरकार का अंश रू0 659.74 करोड़ एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाला अंश रू0 76.09 करोड़ है।

इसके अन्तर्गत कुल लंबाई 252 कि0मी0 में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मार्च, 2017 तक निर्माण कार्यो पर रू0 349.59 करोड़ का व्यय करते हुये 57.98 कि0मी0 लंबाई में कार्य किया जा चुका है।

परियोजना के अंतर्गत आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने हेतु जनपदवार कुल रू0 173.52 करोड़ के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। मार्च, 2017 तक रू0 101.02 करोड़ की धनराशि का व्यय करते हुये 91.25 कि0मी0 लम्बाई में 135.75 हेक्टेअर भूमि का क्रय किया जा चुका है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली द्वारा अनुमोदित इण्डो–नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के स्वीकृत कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2013–14 में दो चरणो में क्रमशः रू0 350.00 करोड़ एवं वर्ष 2016–17 में रू0 31.57 करोड़ अर्थात् कुल रू0 381.57 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में अवमुक्त की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 :

उ0प्र0 शासन द्वारा कुल लम्बाई 252 कि0मी0 में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्माण कार्यो हेतु रू0 83.33 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी है, जिसके सापेक्ष सितम्बर, 2017 तक रू0 8.93 करोड़ की धनराशि का व्यय करते हुये 5.35 कि0मी0 लंबाई में कार्य किया जा चुका है।

परियोजना के अंतर्गत आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने हेतु जनपदवार कुल रू0 173.52 करोड़ के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 46.21 करोड़ का आवंटन प्राप्त है, जिसमें सितम्बर, 2017 तक रू0 5.54 करोड़ का व्यय करते हुये 5.83 कि0मी0 लंबाई एवं 15.49 हेक्टेयर में भूमि क्रय किया जा चुका है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली द्वारा अनुमोदित इण्डो–नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के स्वीकृत कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 100.00 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में अवमुक्त की जा चुकी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उददे्श्य से उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी हैं। इन सेवाओं से सम्बंधित आंकड़े तालिका–10.04 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.04

उत्तर प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकडे+

मद	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17*	2015–16 की अपेक्षा 2016–17 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1–औसत परिचालितबसे (सं0)	9318	9128	9269	10526	13.56
2–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग (संख्या)	2403	2384	2357	2711	15.02
3–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की औसत लम्बाई (कि0मी0)	241	236	224	251	12.05

मद	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17*	2015–16 की अपेक्षा 2016–17 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
4–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई **(हजार कि.मी.)**	580	562	529	681	28.73
5–दैनिक कुल परिचालित दूरी **(हजार कि0 मी0)**	3220	3169	3238	3703	14.36
6–प्रतिदिन ले जाये गये यात्री **(लाख)**	14.67	14.90	15.19	15.47	1.84
7–दुर्घटनायें **(प्रति लाख कि0मी0)**	0.08	0.08	0.07	0.06	(–)14.29
8–कुल दुर्घटनायें **(संख्या)**	766	726	630	648	2.86

*****अनन्तिम

स्रोतः– उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

प्रदेश मेंजनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों के गाड़ियों से सम्बंधित आंकड़े तालिका 10.05 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.05

उत्तर प्रदेश में सड़क पर चल रही मोटर गाड़ियां

मद	मोटर गाड़ियों की संख्या (31 मार्च को)				2015–16 की अपेक्षा 2016–17 में प्रतिशत वृद्धि	गाड़ियों का प्रतिशत अंश	
	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17*		2015–16	2016–17
1	2	3	4	5	6	7	8
1–मोटर साईकिल	15395363	17398458	19258791	21127282	9.7	80.5	80.4
2–कार	1686747	2063230	2330459	2594197	11.3	9.7	9.9
3–बस	55127	51866	57939	75309	30.0	0.2	0.3
4–टैक्सी	312520	350855	380024	429245	13.0	1.6	1.6
5–ट्रक	401283	445675	494714	549526	11.1	2.1	2.1
6–ट्रैक्टर	1147190	1197985	1276927	1338243	4.8	5.3	5.1
7–अन्य	126252	127461	137512	151444	10.1	0.6	0.6
कुल	**19124482**	**21635530**	**23936366**	**26265246**	**9.7**	**100.0**	**100.0**

***अनन्तिम*

***स्रोतः*–*परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम।*

मेट्रो रेल

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना(एल0एम0आर0सी0)

प्रदेश की राजधानी में तीव्र, सुखद, सुरक्षित तथा मितव्ययी मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया। यह परियोजना राजधानी वासियों एवं आगन्तुकों को एक सुविधा जनक, सुरक्षित, विश्वसनीय तथा किफायती मल्टी मॉडल ट्रांस्पोर्ट सिस्टम प्रदान करेगी।

इस हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 2013 में हुआ है, जोकि भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विशेष प्रयोजन साधन उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरणवार निष्पादन के दायित्व के साथ स्थापित की गई है।

अवस्थिति

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण (फेज–1ए)– नार्थ–साउथ कॉरिडोर की लम्बाई 22.878 किमी. है जोकि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से लेकर मुंशी पुलिया तक है।

शहर के व्यस्त व्यवसायिक तथा आवासीय क्षेत्रों हेतु चिन्हित इसकॉरिडोर में भूमिगत मेट्रो की दूरी 3.440 किमी. है जो कि चारबाग से लेकर के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम तक होगा तथा शेष 19.438 किमी. मेट्रो भूमि से ऊपर एलिवेटेड के रूप में होगी।इसमें स्टेशनों की संख्या21 (17 एलिवेटेड, 4 भूमिगत)होगी।नार्थ–साउथ कॉरिडोरके प्राथमिकता सेक्शन (8.5 किमी) का व्यवसायिक संचालन 5सितम्बर, 2017से आरम्भ हो चुका है।

लागतएवंवित्तपोषण–

तालिका–10.06
लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना लागत

परियोजना लागत	
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	रू0 5590 करोड़
अनुमोदित समापन लागत	रू0 6928 करोड़
परियोजना की अनुमानित समापन लागत	रू0 6928 करोड़

तालिका–10.07
वित्त पोषण के अन्तर्गत विशेष प्रयोजन साधन मॉडल (केन्द्रीय करों के साथ)

विवरण	धनराशि (करोड़ में)	अंशदान (प्रतिशत में)
भारत सरकार की अंशपूंजी	1003	15.43
भारत सरकार– केन्द्रीय करों हेतु सबऑर्डिनेट ऋण	297	4.57
भारत सरकार द्वारा कुल अंशदान	**1300**	**20.00**
उ0प्र0 सरकार की अंशपूंजी	1003	15.43
उ0प्र0 सरकार– केन्द्रीय करों हेतु सबऑर्डिनेट ऋण	449	6.91
स्थानीय निकायों से अनुदान	245	3.77
द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋण	3502	53.89
योग	**6499**	**100.00**

विवरण	धनराशि (करोड़ में)	अंशदान (प्रतिशत में)
उ0प्र0 सरकार–भूमि हेतु सबऑर्डिनेट ऋण (सरकारी भूमि को छोड़कर)	381	
कुल योग	**6880**	
जोड़– ऋण प्रदायी संस्था द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर निर्माण के समय ब्याज के रूप में अतिरिक्त सहायता के माध्यम से पारित धनराशि	48	
कुल योग	**6928**	

केन्द्रतथा उ0प्र0 सरकार से प्राप्त होने वालीधनराशियों का विवरण

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	उ0प्र0 सरकार	भारत सरकार
2015–16	825	140.92
2016–17	814	1140.0
2017–18(आवन्टित धनराशि)	233	1692.0

1. वर्तमान अवस्थिति

- लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन एक विशेष प्रयोजन साधन के रूप में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के नियोजन, क्रियान्वयन तथा संचालन हेतु किया गया है। परियोजना का भौतिक निर्माण दिनांक 27.09.2014 में प्रारम्भ हुआ था। कार्य तीव्र प्रगति पर है।
- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु मेट्रो रेल परियोजनाओं के निर्माण, संचालन तथा संरक्षण हेतु निर्मित केन्द्रीय मेट्रो एक्ट में भारत सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विस्तार किया गया है।
- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के त्वरित संचालन हेतु डॉ. ई0 श्रीधरन, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त है।
- प्राथमिक चरण (ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग) 8.5 किमी. कावाणिज्यिक संचालन 5सितम्बर, 2017 सेआरम्भ हो चुका है।
- 52.87 एकड़ सरकारी भूमि मेट्रो रेल कोच के डिपो हेतु उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा डिपो का कार्य भी पूर्ण हो चुका है।
- परियोजना के प्रथम चरण फेज–1ए को पूर्ण करने का लक्ष्य वर्ष 2019 है।

अक्टूबर, 2017 को लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की अवस्थिति

(i) नार्थ–साउथ कॉरिडोर (एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया)की भौतिक प्रगति (22.878 किमी.) – 54.20 %

(ii) नार्थ–साउथ कॉरिडोर की वित्तीय प्रगति (22.878 किमी.) – 52.35 %

(iii) प्राथमिक चरण(ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग) की भौतिक प्रगति (8.5 किमी.) – 100 %

ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन

प्रभाव

नगरीय अधोसंचना को विकसित करने में यह परियोजना सहायक सिद्ध होगी। यह परियोजना पर्यावरण के दृष्टिगत सकारात्मक प्रभावी होगी जैसे कि यातायात अवरोध में कमी, कम समय में लम्बी दूरी की यात्रा, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण में कमी, ईंधन का कम उपभोग तथा सड़क दुर्घटना इत्यादि में कमी आएगी। लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर, वाराणसी, मेरठ तथा आगरा मे भी मेट्रो परियोजना प्रस्तावित है। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (एल0एम0आर0सी0) को ही इन शहरों में भी मेट्रो की डीपीआर तैयार करने हेतु समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।उक्त के अतिरिक्त झांसी तथा गोरखपुर में भी मेट्रों संचालित करने की योजना है।

विद्युत

राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।**12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017**) में इस मद हेतु 49839.95 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है, जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2013–14 में 6975.00 करोड़ रुपयेव्यय किये गये। वर्ष 2014–15,2015–16एवं 2016–17 में उक्त मद पर व्यय (आंतरिक संसाधनों एवं अन्य स्त्रोतोंसे व्यय सम्मिलित) क्रमशः7486.52, 10052.66एवं 15169.36 करोड़ रुपये रहा।

तालिका–10.08

उत्तरप्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2015–16	2016–17	
1	2	3	4	5
1	अधिष्ठापित क्षमता(मेगावाट)	6159.0	7159.0	16.2
2	उपभोग(मिलियन यूनिट)	68825.1	78307.7	13.8
3	कुल उत्पादन(मिलियन यूनिट)	28043.5	30172.5	7.6
4	उपभोक्ताओं की संख्या(हजार में)	17169.0	18013.5	4.9
5	राजस्व वसूली(करोड़ रु0)	31487.9	532886.8	4.4
6	विद्युत बकाया(करोड़ रु0)	25029.5	31274.5	25.0

स्रोत– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ।

mRrj izns'k esa fo|qr dk mRiknu ,oa miHkksx

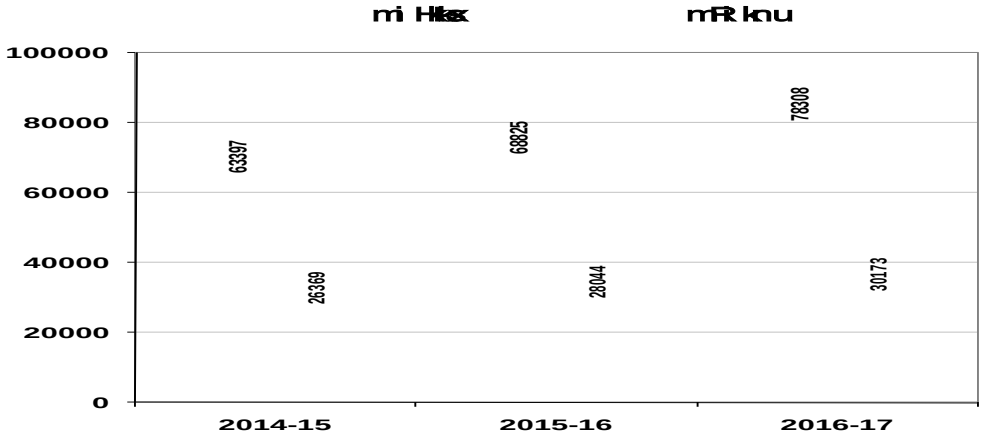

तालिका–10.09

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े–2015–16

क्र.सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन (कि.वा.घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि.वा.घंटा)
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	536	1230
2	बिहार	2	258
3	झारखण्ड	266	884
4	गुजरात	1509	2248
5	हरियाणा	878	1936
6	कर्नाटक	808	1242
7	केरल	196	704
8	मध्य प्रदेश	840	929
9	छत्तीसगढ़	1682	2022
10	महाराष्ट्र	1030	1318
11	ओडिशा	672	1564
12	पंजाब	1159	1919
13	राजस्थान	762	1164
14	तमिलनाडु	729	1688
15	पश्चिम बंगाल	375	660
16	उत्तर प्रदेश	226	524
17	उत्तराखण्ड	722	1431
18	हिमांचलप्रदेश	1567	1339
19	असम	59	322
20	गोवा	0	2738
भारत		**920**	**1075**

स्रोत– केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

विद्युतीकृत ग्राम–

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या वर्ष 2015–16 में 97589 है, जो कि उत्तर प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों का 99.8 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, सिक्किम,पश्चिम बंगालएवं गोवा ऐसे राज्य हैं जहाँ शत–प्रतिशत ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों (राजस्व) की संख्या वर्ष 2016–17 में 97921 है। 24X7 पावर फार आल के अन्तर्गत मार्च 2019 तक प्रदेश में सभी को 24 घण्टे बिजली दिये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं द्वारा अविद्युतीकृत ग्रमों को विद्युतीकृत किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के गांवों और अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है। प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों में से वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 87086 ही रही। वर्ष 2014–15 2015–16 एवं 2016–17 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या बढ़कर क्रमशः 87207, 87749एवं 97932 हो गयी।

अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण

प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों की दशा सुधारने के लिये उनमें विद्युतीकरण हेतु यथोचित प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के अन्त तक प्रत्येकवर्ष 99461 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2016–17 के अन्त तक उक्त संख्या 99462 रही।

नलकूल/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण

सिंचाई के सुनिश्चित साधनों के प्रसार हेतु प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक नलकूल/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्त तक उत्तर प्रदेश में ऊर्जीकृत नलकूपों/पम्पसटों की संख्या 11.08 लाख करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 अन्त तक ऊर्जीकृत नलकूपो/पम्पसेटों की संख्या बढ़कर क्रमशः 10.36, 10.57, 10.86 एवं 11.20लाख हो गयी है।

पारेषण लाइनों का विस्तार

प्रदेश में विद्युत उपभोग की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पारेषण लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्त तकपारेषण लाइनों का विस्तार 36845 सर्किट/कि.मी. तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उक्त लम्बाई वर्ष 2012–13 में 26058 सर्किट/कि0मी0 थी। वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में पारेषण लाईनों की लम्बाई क्रमशः 27627 सर्किट कि0मी0, 29105 सर्किट कि0मी0, 35381 सर्किट कि0मी0 एवं 38309 सर्किट कि0मी0 हो गयी।

उत्तरप्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं आपूर्ति मे सुधार हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण

1. प्रदेश में समुचित एवं सुचारु विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये पारेषण तंत्र के 765 के0वी0 के 1400 के0वी0 के 10220 के0वी0 के 28 एवं 132 के0वी0 के 102 उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य चल रहा है।

2. विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 329 नग नये 33/11 केवी उपकेन्द्रों, संबंधित 33 केवी लाईन तथा 4800 कि0मी0 11 केवी लाइनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से माह मार्च, 2017 तक 256 नग नये 33/11 के0वी उपकेन्द्रों एवं संबंधित लाईन का निर्माण किया जा चुका है।

3. jktho xkW/kh xzkeh.k fo|qrhdj.k ;kstuk ¼11 oha ;kstuk½

राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण (11वीं योजना) के अर्न्तगत प्रदेश के 22 जनपदों में 300 से अधिक आबादी वालें ग्रामों/मजरों की रू0 4621 करोड़ की लागत से 630 अविद्युतीकृत ग्राम व 32031 अविद्युतीकृत मजरों का सघन विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। माह मार्च, 2017 तक 25963 मजरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 432003 बी0पी0एल0 कनेक्शन निर्गत किये जा चुके है।

(ii) **राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12 वीं योजना)**

12 वीं योजना के अन्तर्गत 64 जनपदों के 100 से अधिक आबादी वालें 140651 मजरों के सघन विद्युतीकरण के कार्य हेतु रू 7282 करोड़ की योजना चल रही है। माह मार्च, 2017 तक 63102 मजरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 711787 बी0पी0एल0 कनेक्शन निर्गत किये जा चकें है।

4. नगरों/शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति देने, लाईन हानियों में कमी लाने उपभोक्ताओं की संतुष्टि तथा नगरों के सौन्दर्यीकरण हेतु 36 नगरों (रामपुर, ब्रह्मपुरी, कन्नौज, तिर्वा, सैफई, हमीरपुर, महोबा, मैनपुरी, ललितपुर, उरई, चित्रकूट, वृन्दावन, गोवर्धन, परिक्रमा मार्ग, चरखारी, शमशाबाद, अलीगढ़, सैफई टनल, फिरोजाबाद, कानपुर, महमूदाबाद, बहराइच, बदायूँ, सहसवॉ, बाराबंकी, फैजाबाद, एवं अयोध्या, लखनऊ–लेसा, लखनऊ–चौक, मऊ आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, इलाहाबाद, कुशीनगर, बस्ती एवं हरैया) में रू0 1826.97 करोड़ व्यय कर अण्डरग्राउन्ड केबिलंग का कार्य लक्षित है। इनमें से तिर्वा, सैफई, चित्रकूट एवं वृन्दावन इनचार स्थानों पर कार्य पूर्ण हो गया है।

5 (i)प्रदेश की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाना लक्षित है। इस के लिए कई बड़े विद्युत उत्पादन केन्द्रों (पावर हाउसों) की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 की कुल अधिष्ठापित क्षमता 7159 मेगावाट है एवं जिसमें वर्ष 2022 तक लगभग कुल 5000 मेगावाट की वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ii)3X660 मे0वा0 ललितपुर पावर प्रोजेक्ट की 1980 मेगावाट के उत्पादन क्षमता की इकाई की स्थापना की जा चुकी है एवं यहां की तीनों मशीनों से विद्युत उत्पादन हो रहा है।

(iii)3X660 मे0वा0 बारा पावर प्रोजेक्ट की 1980 मेगावाट के उत्पादन क्षमता की इकाई की स्थापना की जा चुकी है एवं यहां की तीनों मशीनों से विद्युत उत्पादन हो रहा है।

(iv)विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु 2525 मेगावाट के क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित हो चुके है जिससे 2101 मे0वा0 की विद्युत आपूर्ति हो रही है।

(v)**पॉवर फॉर आल** योजना के तहत अक्टूबर, 2018 से पूरे प्रदेश में 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य है। इसके लिए बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही, बिजली चोरी पर लगाम कसने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं।

(vi)उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए प्रेरित करने और बकाया वसूली के लिए एमनेस्टी योजना शुरू की गयी है। एमनेस्टी योजना के तहत, ग्रामीण और शहरी बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है। इसके अलावा, 10 हजार रूपये से अधिक के बिल को 4 किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गयी है।

(vii)इसी क्रम में **सर्वदा (स्पेशल एमनेस्टी फॉर रिस्पॉन्सिबल वॉलन्टरी डिक्लरेशन)** योजना की शुरूआत की गयी है। इसके तहत, कटिया से बिजली लेने, घरेलू कनेक्शन पर कॉमर्शियल

यूज करने और चोरी से अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को जुर्माने और कार्रवाई से बड़ी राहत दी गयी है। अवैध कनेक्शन 2 महीने के अन्दर नियमित करवा ऐसे उपभोक्ता मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को नियमानुसार बकाया ही चुकाना होगा।

वैकल्पिक ऊर्जा

प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ऊर्जा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के परम्परागत स्त्रोतों में निरंतर कमी होने एवं उनके अधिकाधिक उपयोग से बढ़ती पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतो के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष में वर्ष 1983 में प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (यू0पी0नेडा) का गठन किया गया।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिकरण द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एवं ऊर्जा सरंक्षण जैसे अनेको ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकी के विकास एवं प्रचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना(2012–2017) में रू0 1500 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत है जिसमें से वर्ष 2012–13 में रू0 33.82 करोड. 2013–14 में रू0 41. 35 करोड., 2014–15 में रू0 99.30 करोड. एवं 2015–16 में 452.67 करोड. रूपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों में व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु रू0 259.60 करोड. की धनराशि का प्राविधान है।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन(ग्रिड संयोजित)

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2013 प्रख्यापित की गयी है, यह नीति मार्च 2017 तक प्रभावी है। इस नीति के अन्तर्गत मार्च, 2017 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अधिस्थापना लक्षित है जिसके सापेक्ष प्रदेश में कुल 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना कीजा रही है।

वर्ष 2016–17 में कुल 60 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी। वर्ष 2017–18 में 30 सितम्बर, 2017 तकसौर ऊर्जा नीतिके अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा 100 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 द्वारा किये गयेमहत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

1. मिनी–ग्रिड सोलर पावर प्लान्ट परियोजना कार्यक्रम

विद्युत ऊर्जा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। विद्युत की पर्याप्त एवं विश्वसनीय उपलब्धता के बिना कोई भी क्रियाकलाप संभव नही हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र विद्युतीकरण से वंचित है तथा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड अत्यंत सीमित मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है जिसके समाधान हेतु मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लांट के माध्यम से स्थानीय एवं विकेन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध अक्षय ऊर्जा स्रोतो से विद्युत ऊर्जा उत्पादित कर उस क्षेत्र को विद्युतीकृत कर ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में मिनीग्रिड परियोजना की स्थापना के लिए निजी विकासकर्ताओं को प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रदेश में प्रथम बार उत्तर प्रदेश मिनी ग्रिड नीति–2016 18 फरवरी 2016 को प्रख्यापित की गयी।

वर्ष 2016–17 में 1 एवं वर्ष 2017–18 में 30 सितम्बर, 2017 तक2 मिनी ग्रिड सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

2. रूफटाप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्लाण्ट का क्रियान्वयन

प्रदेश सरकार द्वारा कैपटिव उपयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट नीति 2014 प्रख्यापित की गयी। इस नीति के अन्तर्गत मार्च, 2017 तक 20 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना लक्षित है जिसके सापेक्ष प्रदेश में विभिन्न निजी आवासों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्थानों व अन्य के भवनो के रूफटाप पर वर्ष 2016–17 में कुल 840किलोवाट क्षमता की ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की गयी।वर्ष 2017–18 में 30 सितम्बर, 2017 तकसरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों के भवनो के रूफटाप पर 600 किलोवाट क्षमता कीरूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की गयी।

3. सोलर स्ट्रीट लाइट योजना

सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था एक मूलभूत आवश्यकता है जिसकी पूर्ति हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्र एक उपयोगी संयंत्र है। इन संयंत्रों की स्थापना ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर करायी जाती है।

श्री जनेश्वर मिश्र ग्रामों में वर्ष 2016–17 में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 3974एवं वर्ष 2017–18 में 30 सितम्बर, 2017 तक 810 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करायी गयी।इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में लोहिया समग्र ग्रामों में 4784 सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया गया।ग्रामीण क्षेत्रों मेंसार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्थाहेतु सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट मोडके अन्तर्गतवर्ष 2016–17 में 7432 एवं वर्ष 2017–18 में 30 सितम्बर, 2017 तक 2744 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करायी गयी।

4. सोलर पावर पैक योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं होने के कारण वहां सायंकाल की गतिविधियां जिसमें विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा तथा आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आवश्यकता मुख्य रूप से प्रकाश, मनोरंजन तथा पंखे हेतु है जिसको सोलर पीवी संयंत्रों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत रूप से सुगमतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। वर्तमान में प्रदेश के गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा तथा आर्थिक गतिविधियां विद्युत के अभाव में प्रभावित न हों इसको दृष्टिगत रखते हुये उन्हे सब्सीडाइड सोलर पावर पैक सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2016–17 में श्री जनेश्वर मिश्र ग्रामों में 214एवं वर्ष 2017–18 में 30 सितम्बर, 2017 तक 6024 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया गया है।

5. सोलर पार्क

प्रदेश की प्रख्यापित सौर ऊर्जा नति में सोलर पार्क स्थापित किये जाने का भी प्राविधान है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में सोलर पार्क विकसित किये जा रहे हैं। प्रदेश में कुल 440 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्को की स्थापना जनपद जालौन में 265 मेगावाट, मिर्जापुर में 75 मेगावाट, इलाहाबाद में 50 मेगावाट एवं कानपुर देहात में 50 मेगावाट की जा रही है। सोलर पार्को में भूमि विकास के अतिरिक्त स्थापित सोलर पावर प्लाण्टों से उत्पादित विद्युत की निकासी संबंधित समस्त अवस्थापना व्यवस्था उपलब्ध होगी तथा सौर विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित सौर पावर को सोलर इनर्जी कारपोरेशन (एस0ई0सी0आई0) के माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा क्रय किया जायेगा।

6. प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आर.ओ.वाटर संयंत्र कार्यक्रम

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु अभिकरण द्वारा सोलर आर.ओ.वाटर संयंत्रों की परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक

विद्यालयों में 1.1 किलोवाट के सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराकर उससे पंखे, सबमर्सिबल पम्प तथा आर0ओ0 वाटर संयंत्र संचालित कराया जाता है।

वर्ष 2016–17 में प्रदेश के जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में 100 सोलर आर0ओ0 वाटर संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया गया।

7. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

प्रदेश सरकार द्वारा इनर्जी कन्जर्वेशन एक्ट–2001 के प्राविधान को प्रदेश में क्रियान्वित कराये जाने हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (यूपीनेडा) को स्टेट डेजिगनेटेडएजेन्सी(एसडीए) नामित किया गया है जिसके अन्तर्गत अभिकरण द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं। अभिकरण द्वारा ईट भट्ठों में ऊर्जा संरक्षण के उपाय, डिमान्ड साइड मैनेजमेंट, ऊर्जा संरक्षण हेतु स्टीम कुकिंग, इनर्जी एफीशिएन्सी टेक्नालाजी फार कोल्ड स्टोरेज जैसे विषयों पर कार्यशला आयोजित की गयी है।

प्रदेश में जनसामान्य के मानस पटल पर ऊर्जा संरक्षण की महत्ता को प्रभावी रूप से अंकित करने हेतु जागरूकता अभियान के रूप में वेबसाइट : **डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. यूपीएसएवीईएसएनर्जी.कॉम**प्रारम्भ की गयी जिसमें ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपाय दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त छात्र–छात्राओं में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु ब्यूरो आफ इनर्जी एफीशिन्सी (बी0बी0ई0) द्वारा अभिकरण के सहयोग से चित्रकला प्रतियोगिता करायी गयी। वर्ष 2016–17 में प्रदेश में 25 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने चित्रकलाप्रतियोगिता में भाग लिया। डोमिस्टिक इफीसियेन्ट लाइटिंग प्रोग्राम (डी0ई0एल0पी0) योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 1.40 करोड़ से अधिक डी0ई0एल0टी लाइट वितरित की गयी जिससे 421 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत हो रही है।

संचार

डाकघर

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्यधिक महत्व है, क्योकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्पबचत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011–12 में कुल डाकघरों की संख्या 17669 थी जिनमें 1925डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15744 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत् थे। वर्ष 2016–17 में इनकी संख्या बढ़कर 17670 हो गयी, जिनमें 1935 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15735 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध थे। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की स्थिति तालिका–10.10 में दर्शायी गयी है–

तालिका–10.10

उत्तर प्रदेश में डाकघरों की संख्या (31 मार्च को)

मद	2011–12	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1	2	3	4	5	6
डाकघरों की संख्या	17669	17680	17655	17662	17670
(क) नगरीय	1925	1933	1925	1933	1935
(ख) ग्रामीण	15744	15747	15730	15729	15735

दूरभाष

दैनिक जीवन में तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रिया–कलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्व है। वर्ष 2015–16 में उत्तर प्रदेश में कुल 654806 बेसिक टेलीफोन तथा 3103 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत् थे। वर्ष 2016–17 में बेसिक टेलीफोन कनेक्शन तथा टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या घटकर क्रमशः 619110एवं 3087 हो गयी। मोबाइल सेवा के वृहद् विस्तार के परिणामस्वरूप ही बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में कमी होना प्रतीत होता है। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में उत्तर प्रदेश में इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की संख्या क्रमशः 276766 तथा 12099 हजार थी जो वर्ष 2016–17 में क्रमशः 192569 एवं 15311 हजार हो गयी।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति तालिका–10.11 में दर्शायी गयी है–

तालिका–10.11

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइवर की संख्या	मोबाईल कनेकशन की संख्या (हजार)
1	2	3	4	5
2015–16	654806	3103	276766	12099
2016–17	619110	3087	192569	15311

स्रोत :–चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य महाप्रबन्धक दूर संचार, भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पूर्वी एवं पश्चिमी परिमण्डल।

प्रदेश में पर्यटन–विकास हेतु किये गए प्रयास

सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्यटन–आकर्षणों का वृहद स्तर पर प्रचार–प्रसार कराया जाता है। प्रचार–प्रसार हेतु राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्र–पत्रिकाओं में विज्ञापनों का प्रकाशन, पर्यटन–साहित्य व पोस्टरों का प्रकाशन, फिल्म–सी0डी0 का निर्माण व वितरण तथा स्थान–स्थान पर होर्डिंगों एव साइनेज की स्थापना व समय–समय पर प्रदर्शनियों, मेले/महोत्सवों के आयोजन एवं गणतन्त्र दिवस के अवसर पर विभागीय झांकी का प्रदर्शन करवाया जाता है।

प्रदेश में पर्यटन–विकास कीप्रबल संभवनाओं को देखते हुए मगहर समेत 94 पर्यटन स्थल स्वदेश दर्शन योजना के तहत संवारे जाएंगे। इस हेतु एक **हेरिटेज सर्किट और दो आध्यात्मिक (स्प्रिचुअल) सर्किट** के तहत इन पर्यटन स्थलों को संवारा जाएगा। हेरिटेज सर्किट में 7 पर्यटन स्थलों को संवारा जाएगा, जिनमें दो पश्चिमों उ0प्र0 के हैं। वहीं दो आध्यात्मिक सर्किट भी चमकाए जाएंगे। पहले सर्किट में 39 और दूसरे सर्किट में 48 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है।

हेरिटेज आर्क का प्रचार–प्रसार

इसके अन्तर्गत लखनऊ एयरपोर्ट पर होर्डिंग के माध्यम से, दिल्ली में स्थित बस क्यू शेल्टर्स के माध्यम से, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, दिल्ली, मुम्बई एयरपोर्ट पर बैकलिट डिस्प्ले तथा विडियों स्क्रीन के माध्यम से तथा सोशल मीडिया–फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब, वेबसाइट आदि के माध्यम से हेरिटेज आर्क को वृहद स्तर पर प्रचार–प्रसार कराया जा रहा है।

दिल्ली एवं मुम्बई एअरपोर्ट पर वीडियो वॉलस्क्रीन के माध्यम से आगरा, लखनऊ, वाराणसी, झाँसी, बुद्धिस्ट सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट आदि विभिन्न पर्यटन स्थलों का प्रचार–प्रसार। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन व्रैप तथा इनसाइड पैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पर्यटन के सर्किटों का प्रचार–प्रसार। मुम्बई के सी0एस0टी0 एवं चर्च गेट स्टेशन पर 360 डिग्री एल0ई0डी0 स्क्रीन के माध्यम से पर्यटन स्थलों का प्रचार–प्रसार तथा कोलकाता में मेट्रो ट्रेन पर विनायल डिस्प्ले के माध्यम से उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन का प्रचार–प्रसार। यू.पी. इवेंन्ट एवं विन्ध्य वाराणसी सर्किट के प्रचार–प्रसार हेतु प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से ट्रैवल एण्ड टूरिज्म से सम्बंधित पत्रिकाओं में विज्ञापन का प्रकाशन।

प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रचार–प्रसार हेतु आगरा, लखनऊ, वाराणसी, झाँसी एवं होम ऑफ द ताज टी0वी0सी0 फिल्मों का प्रसारण, हिन्दी–अंग्रेजी न्यूजचैनल, एण्टरटेंमेण्ट चैनल एवं ट्रैवल चैनल्स पर कराया जा रहा है।

ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत सरकार द्वारा कम्प्यूटर के प्रयोग पर विशेष रूप से बल प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम में पर्यटन कार्यालयों एवं पर्यटन आवास गृहों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों की सुविधा के लिएपर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ई–मेल एवं ऑन लाइन बुकिंग सुविधाएं भी सुलभ करायी गयी है। सरकार द्वारा ताजमहल, मान्यवर कांशीराम

पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, परिपथ, बौद्ध परिपथ उत्तर प्रदेश पर्यटन पर केन्द्रित वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2015–16 में पर्यटन विकास एजेण्डाके अन्तर्गत 4 परियोजनाएं सम्मिलित की गयी थी :–

1– ताज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना।
2– आगरा में ताजगंज का पर्यटन विकास।
3– प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट।
4– पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज कम डेवलपमेण्ट मैनेजमेन्ट तथा मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से संचालित एवं विकसित किया जाना।

टूरिज्म ब्रैन्डिग आफ् उ0प्र0, हेरिटेज होटल नीति तथा पर्यटन एवियेशन पालिसी कार्य पूर्ण हो गया है तथा थीम पार्क/म्यूजियम पार्क की स्थापना का कार्य यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को हस्तान्तरित किया गया।

वर्ष 2016–17 में विकास एजेण्डा :–

1. हेरिटेज आर्क योजना के अन्तर्गत विकास :–

- मुगल म्यूजियम की स्थापना
- ताज ओरिएन्टल सेन्टर की स्थापना
- ताजगंज परियोजना
- लखनऊ एवं सारनाथ (वाराणसी में ध्वनि एवं प्रकाश योजना)
- आगरा, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद एवं चित्रकूट इत्यादि स्थलों पर ऐतिहासिक स्मारकों पर आलोकीकरण।
- हेरिटेज आर्क के अन्तर्गत पब्लिसिटी, मार्केटिंग एवं डिजिटल ब्रांडिग के माध्यम से पर्यटन स्थलों का प्रचार–प्रसार एवं आनलाइन बुंकिग वेब सोशल मीडिया एवं एप इत्यादि के माध्यम से पर्यटन स्थलों का ब्राडिंग एवं प्रमोशन।

2.पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज कम डेवलपमेण्ट मैनेजमेन्ट तथा मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से संचालित एवं विकसित किया जाना।

3. पर्यटन विकास एवं पर्यटन उत्पादों के विपणन हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेला, महोत्सव एवं सेमिनार का आयोजन एवं भागीदारी।

4.आर्क योजना (ताजगंज का पर्यटन विकास)

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगरा–लखनऊ–वाराणसी तथा इनके समीपवर्ती पर्यटन स्थलों को हेरिटेज आर्क के रुप में विकसित किया जायेगा तथा अवस्थापना सुविधा विकास एवं पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियो पर विशेष बल दिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत आगरा में ताजगंज परियोजना का विवरण निम्नवत् हैः–

- ताजगंज परियोजना के अंतर्गत ताजमहल को जाने वाले पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी मार्गों/प्रवेश मार्गों तथा ताजगंज क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु एक विश्व स्तरीय महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, जिससे ताजमहल में आने वाले देशी–विदेशी पर्यटकों के अनुभव को बेहतर एवं यादगार बनाया जा सके।
- मुगल म्यूजियम का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें मुगल कालीन इतिहास का विवरण रखा जाएगा, ताकि देश–विदेश के पर्यटक इसका लाभ उठा सके।

- ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर का निर्माण कराया जा रहा है ताकि देशी–विदेशी पर्यटकों को एक छत के नीचे समस्त सूचना उपलब्ध करायी जा सके।
- सार्वजनिक–निजी सहभागिता के अन्तर्गत पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज कम डेवलपमेण्ट मैनेजमेन्ट तथा मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से संचालित विकास किया जारहाहै तथा तीन स्थानों पर रोप–वे की स्थापना की योजना सम्मिलित है।
-

5.प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्टप्रोजेक्ट

विश्व बैंक सहायतित प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 300 मिलियन यू0एस0 डालर की एक महत्वाकॉक्षी परियोजना है।

परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत विश्व बैंक द्वारा तथा 30 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के दो प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों आगरा–ब्रज कॉरीडोर तथा बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत पर्यटन विकास संबंधी गतिविधियों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन करने की योजना है।

पर्यटन निगम के द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में 7 अप्टूअर्स संचालित है तथा अन्य राज्यों में दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, अहमदाबाद तथा चंडीगढ़ में अप्टूअर्स कार्यालय स्थापित है।पर्यटकों को आरक्षण सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अप्टूअर्स एवं निगम की विभिन्न ईकाईयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया है। कम्प्यूटर नेटवर्किंग की सुविधा से पर्यटकों को आनलाईन आरक्षण की सुविधा एवं पर्यटन सम्बन्धी सूचना उपलब्ध करायी जा रही है।

बजट व्यवस्था

वार्षिक योजना वर्ष **2015–16** के अन्तर्गत रू0 24351.03 लाख बजट व्यवस्था करायी गयी जिसमें राजस्व मद में रू0 1796.00 लाख एवं पूंजीगत के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 18055.03 लाख, जिला योजना में रू0 500.00 लाख तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 4000.00 लाख सम्मिलित है।वर्ष **2015–16** में राजस्व मद के अन्तर्गत रू0 1777.49 लाख तथा पूंजीगत के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 17946.06 लाख, जिला योजना में रू0 499.29 लाख तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 1925.74 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी।स्पष्ट है कि राज्य, जिला तथा राजस्व मद में 99.37 प्रतिशत एवं केन्द्र योजना में 48.14 प्रतिशत अर्थात सम्पूर्ण बजट व्यवस्था के सापेक्ष 91 प्रतिशत की स्वीकृति निर्गत की गयी ।

वार्षिक योजना वर्ष **2016–17** के अन्तर्गत रू0 17500.00 लाख बजट व्यवस्था करायी गयी। प्रथम अनुपूरक में रू0 28200.00 लाख बजट आवंटित होने के उपरान्त कुल रू0 45700.00 लाख बजट व्यवस्था हुई, जिसमें राजस्व मद में रू0 3355.00 लाख एवं पूंजीगत के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 33345.00 लाख, जिला योजना में रू0 500.00 लाख तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 8500.00 लाख सम्मिलित है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष **2016–17** में माह सितम्बर, 2016 तक राजस्व मद के अन्तर्गत रू0 1600.00 लाख तथा पूंजीगत के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 10525.35 लाख, जिला योजना में रू0 499.11 लाख एवं केन्द्रीय योजना में रू0 951.45 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी अर्थात कुल बजट के सापेक्ष लगभग 30 प्रतिशत स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी है।

प्रगति

निम्न आंकड़ों से प्रदेश में पर्यटन विकास एवं रोजगार की झलक प्रतीत होती है।

- वर्ष 2015–16 में होटलों पर लगाये गये सुख–साधन कर के रूप में रू0 5026.05 लाख का राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2015–16 में पर्यटन उद्योग/होटल विस्तार निजी क्षेत्र में रू0 2001.42 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ।
- वर्ष 2015–16 में 19 मेले/उत्सव का आयोजन किया।
- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय माट्र्स/सेमिनारों में भाग लिया गया एवं आयोजन किया गया।
- देशी–विदेशी पर्यटकों को आवासीय सुविधा कराने हेतु पर्यटन निगम की 77 इकाईयॉ हैं।
- प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना के रूप में सुविधा उपलब्ध है।
- पर्यटकों को गाईड सुविधा उपलब्ध कराने हेतु टूरिस्ट गाईड की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।
- उत्तर प्रदेश कीसरकार द्वारा पर्यटन पुलिस बल का गठन किया गया है इसके अतिरिक्त कुशीनगर एवं श्रावस्ती में भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत टी0एफ0एस0ओ0 की सुविधा उपलब्ध है।
- सरकार द्वारा अतिथि–सत्कार एवं परिचयात्मक भ्रमण के अन्तर्गत ट्रेवेल ट्रेड से जुड़े लोगों जैसे–ट्रैवेल राइटर ट्रैवेल एजेण्ट, होटेलियर एवं विशिष्ट अतिथियों एवं पर्यटन विकास से सम्बन्धित अतिथियों को अतिथि–सत्कार की सुविधा प्रदान की जाती है।

****

अध्याय–11

शिक्षा

प्रदेश के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अपेक्षित है, जो छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों, सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सौहार्द, आपस में सामंजस्य तथा सहयोग के गुणों के साथ–साथ उनको प्रदेश में भविष्य में विशेषकर व्यवसाय के प्रति निश्चिन्त और आशावादी बनाये रख सके। अतएव राज्य की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को शिक्षण सुविधाएं प्रदान करे। उ0प्र0 सरकार इस दिशा में कृत संकल्प है।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ो के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 77.3 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 57.2 है जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 73.0 है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में (94.0प्रतिशत) रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (73.0) से भी अधिक है। अन्य राज्यों हिमांचल प्रदेश (82.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (82.3 प्रतिशत), तमिलनाडु (80.1 प्रतिशत) एवं उत्तराखण्ड (78.8 प्रतिशत) आदि की तुलना में उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (67. 7) कम है।

शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों के स्तर को प्राप्त करना भी प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। इसी प्रकार से महिला एवं पुरूष के साक्षरता प्रतिशत में भी 20.10 प्वॉइन्ट का अन्तराल है। प्रदेश के अन्दर भी विभिन्न जनपदों के मध्य साक्षरता की स्थिति एक समान नहीं है। जहां गौतमबुद्ध नगर की कुल साक्षरता 80.1 प्रतिशत है वहीं श्रावस्ती की मात्र 46.7 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की विशालता एवं अन्तर्जनपदीय विषमताओं को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना अपने आप में एक चुनौती है। कुछ प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े–2001 एवं 2011 व उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत के आँकडे तालिका–11.01 व तालिका–11.02 में दर्शाये गये हैं।

तालिका–11.01

कुछ प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े–2001 एवं 2011

क्रमांक	राज्य	2001			2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हिमांचल प्रदेश	76.5	85.3	67.4	82.8	89.5	75.9
2	पंजाब	69.7	75.2	63.4	75.8	80.4	70.7
3	उत्तराखण्ड	71.6	83.3	59.6	78.8	87.4	70.0
4	हरियाणा	67.9	78.5	55.7	75.6	84.1	65.9
5	राजस्थान	60.4	75.7	43.9	66.1	79.2	52.1
6	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2	67.7	77.3	57.2
7	बिहार	47.0	59.7	33.1	61.8	71.2	51.5
8	अरुणाचल प्रदेश	54.3	63.8	43.5	65.4	72.8	57.7
9	मेघालय	62.6	65.4	59.6	74.4	76.0	72.9

क्रमांक	राज्य	2001			2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8
10	असम	63.3	71.3	54.6	72.2	77.8	66.3
11	पश्चिम बंगाल	68.6	77.0	59.6	76.3	81.7	70.5
12	झारखण्ड	53.6	67.3	38.9	66.4	76.8	55.4
13	ओडिशा	63.1	75.3	50.5	72.9	81.6	64.0
14	छत्तीसगढ़	64.7	77.4	51.9	70.3	80.3	60.2
15	मध्य प्रदेश	63.7	76.1	50.3	69.3	78.7	59.2
16	गुजरात	69.1	79.7	57.8	78.0	85.8	69.7
17	महाराष्ट्र	76.9	86.0	67.0	82.3	88.4	75.9
18	आन्ध्र प्रदेश	60.5	70.3	50.4	67.0	74.9	59.1
19	कर्नाटक	66.6	76.1	56.9	75.4	82.5	68.1
20	केरल	90.9	94.2	87.7	94.0	96.1	92.1
21	तमिलनाडु	73.5	82.4	64.4	80.1	86.8	73.4
	भारत	**64.8**	**75.3**	**53.7**	**73.0**	**80.9**	**64.6**

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (69.3) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में (67.4) है। उ0प्र0 में साक्षरता प्रतिशत में सुधार हुआ है– जहां वर्ष 1991 में उ0प्र0 में साक्षरता 40.07 प्रतिशत थी वहीं 15.06 प्वॉइन्ट बढ़कर वर्ष 2001 में 56.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 67.7 प्रतिशत हो गई किन्तु अभी भी प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर की साक्षरता में 5.3 प्रतिशत प्वॉइन्ट का अन्तर है।

तालिका–11.02

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत

क्रम संख्या	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत 2001			साक्षरता प्रतिशत 2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूर्वी	54.3	68.6	39.1	67.4	78.1	56.2
2	पश्चिमी	57.4	68.8	44.0	67.5	76.5	57.2
3	केन्द्रीय	57.6	68.1	45.5	68.3	76.3	59.3
4	बुन्देलखण्ड	59.3	73.1	43.1	69.3	79.9	57.1
	उत्तर प्रदेश	**56.3**	**68.8**	**42.2**	**67.7**	**77.3**	**57.2**
	भारत	**64.8**	**75.3**	**53.7**	**73.0**	**80.9**	**64.6**

नोट– आर्थिक क्षेत्रवार आंकड़े जनपद स्तर पर दिये गये साक्षरता प्रतिशत के आंकड़ों पर आधारित हैं।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्ययः–

प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर सरकार द्वारा किये जा रहे राजस्व व्यय तालिका–11.03 में दर्शाये गये है–

तालिका–11.03

उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्यय

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	मद	2015–16 (वास्तविक अनुमान)	2016–17 (पुनरीक्षित अनुमान)	वर्ष 2017–18 (आय–व्ययक अनुमान)
1	2	3	4	5
1	प्राथमिक शिक्षा	3161674 (77.40%)	3544932 (79.72%)	3429206 (74.43%)
2	माध्यमिक शिक्षा	703460 (17.22%)	668319 (15.03%)	880159 (19.10%)
3	उच्च शिक्षा	173592 (4.25%)	179339 (4.03%)	232600 (5.05%)
4	अन्य	46034 (1.13%)	54401 (1.22%)	65556 (1.42%)
	योग	4084760 (100.00)	4446991 (100.00)	4607521 (100.00)

स्रोत– उत्तर प्रदेश आय–व्ययक की रुपरेखा 2017–2018

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर किये गये कुल व्यय का सर्वाधिक अंश प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2017–18 के अनुसार वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में सरकार का शिक्षा पर चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है–

तालिका–11.04

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2015-16	3921102 (21.3%)	239423 (2.6%)	4160525 (15.1%)
2016-17	3984837 (19.2%)	580732 (6.0%)	4565569 (15.0%)
2017-18	5660959 (20.4%)	309145 (3.6%)	5970104 (16.4%)

नोट–कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो प्रदेश के चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा पर वर्ष 2017–18 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 20.4 प्रतिशत तथा 3. 6 प्रतिशत रहा। वर्ष 2016–17 (पुनरीक्षित अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 19.2 प्रतिशत तथा 6.0 प्रतिशत रहा। वर्ष 2015–16 (वास्तविक अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 21.3 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत रहा। तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है। शिक्षा के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

mRrj izns'k esa fofHkUu izdkj dh f'k{kk ij O;;
¼yk[k :i;s esa½

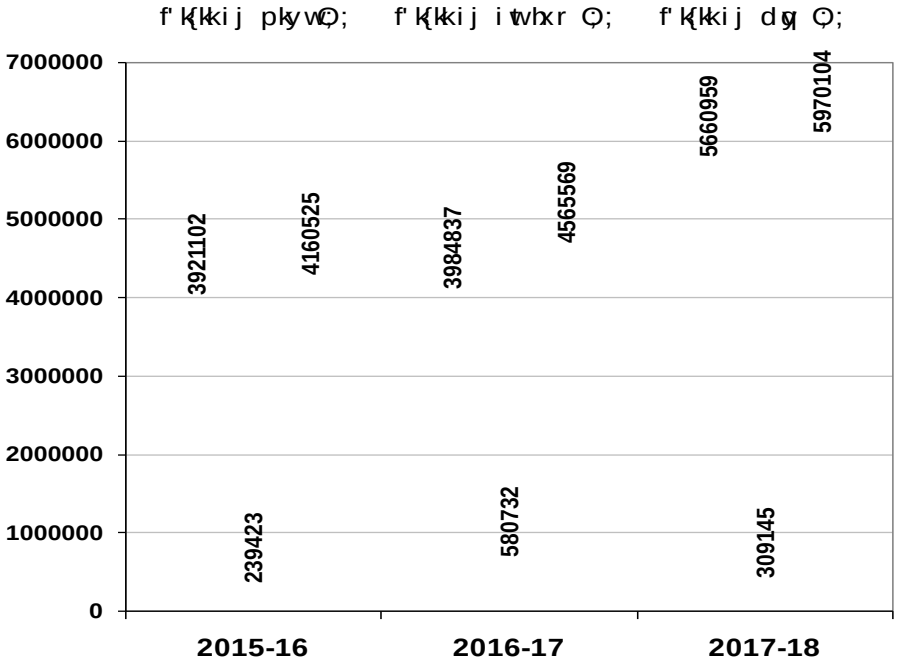

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में जू. बे. विद्यालयों की संख्या 168913 थी जो वर्ष 2016–17 में घटकर 167049 हो गयी। इसी प्रकार सी. बे. विद्यालयों की संख्या वर्ष 2015–16 में 76909 थी जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 77284 हो गयी। वर्ष 2015–16 में हा. से. विद्यालयों की संख्या 24647 थी जो वर्ष 2016–17 में 5.07 प्रतिशत बढ़कर 25896 हो गयी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में जू.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 422 हजार थी जो वर्ष 2016–17 में प्रतिशत 59.24 बढ़कर 672 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में सी. बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 260 हजार थी जो वर्ष 2016–17 में 24.23 बढ़कर प्रतिशत 323 हजार हो गयी। वर्ष 2015–16 में हा. से. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 286 हजार थी जो वर्ष 2016–17 में 3.5 प्रतिशत बढ़कर 296 हजार हो गयी।

प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या–

वर्ष 2016–17 में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे.वि. की संख्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 71 थी, जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में यह सबसे कम 54 थी और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे. विद्यालयों की संख्या 52 थी।

इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में प्रति लाख जनसंख्या पर सी.बे. विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 33 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम 19 पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 21 रही। वर्ष 2016–17 में प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्र में 12 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम 10 रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 12 थी।

वर्ष 2016–17 में जू.बे. विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (37) केन्द्रीय क्षेत्र में तथा सबसे कम (35) पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 36 रही। सी.बे विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या वर्ष 2016–17 में सर्वाधिक (34) पश्चिमी एवं केन्द्रीय क्षेत्र में तथा सबसे कम (27) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 33 रही। वर्ष 2016–17 में हा.से. विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (51) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (42) केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 47 रही।

तालिका–11.05

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या

(2016–17)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वी	54	21	12	36	33	51
बुन्देलखण्ड	71	33	10	32	27	46
पश्चिमी	46	19	12	35	34	44
केन्द्रीय	55	21	11	37	34	42
उत्तर प्रदेश	52	21	12	36	33	47

प्राथमिक शिक्षा

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके सुसंस्कृत एवं कुशल मानव संसाधन पर निर्भर हैं। सुसंस्कृत एवं कुशल नागरिकों के निर्माण एवं उनके उचित चौमुखी विकास एवं परिवर्द्धन हेतु बुनियादी शिक्षा अहम है।

तालिका–11.06

प्रदेश में संचालित समस्त विद्यालय (1 से 8) एवं उनमें नामांकन की स्थिति

वर्ष	कुल विद्यालय	कुल नामांकन
2010–11	201475	32019087
2011–12	221653	35404745
2012–13	239817	37098290
2013–14	240332	36726500
2014–15	243014	36838720
2015–16	246013	36425964
2016–17	237766	34707745

गत वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार परिलक्षित हुए हैं किन्तु जिस प्रकार उ0प्र0 में साक्षरता प्रतिशत में पर्याप्त अन्तरजनपदीय विषमतायें है। उसी प्रकार से शैक्षिक संकेतांकों में भी विभिन्न जनपदों में पर्याप्त अन्तराल है। उ0प्र0 जैसे क्षेत्रीय विशालता एवं अधिक जनसंख्या वाले तथा सीमित संसाधन वाले प्रदेश में सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना कड़ी चुनौती है।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1.सर्व शिक्षा अभियान

प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1–8) के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को एक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करने के लिये उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 से सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है।

व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा के स्थायी विकास के लिये प्रदेश, जनपद और उप जनपद स्तर पर प्रबन्धकीय और व्यवसायिक क्षमता का निर्माण करना, 6 से 14 आयु वर्ग (कक्षा 1 से 8) के सभी बालक एवं बालिकाओं को सार्थक व लाभदायक शिक्षा प्रदान करना, ड्रॉप आउट दर को कम करने के साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा की पहुंच में सुधार करना तथा विद्यालयों के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर गैप को समाप्त करना है।

भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 द्वारा 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। तत्क्रम में उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 27–7–2011 को राज्य नियमावली प्रख्यापित की गयी। उपरोक्त अधिनियम लागू हो जाने के पश्चात अब 6–14 वय वर्ग के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1–8 तक की गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की संवैधानिक प्रतिबद्धता हो गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0 15561.72 करोड़ के सापेक्ष रू0 14892.14 करोड़ व्यय किये गये।

2. शिक्षा की पहुंच में सुधार

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों को खोलने, उनके लिए भवनों का निर्माण करने तथा उनके भौतिक स्वरूप को सुदृढ करने के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 01 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 03 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित किया जाता है। यदि प्राथमिक विद्यालय के परिसर में भूमि उपलब्ध नहीं है तो नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय को अलग स्थापित किया जाता है। नगर क्षेत्रों में आवासीय कालोनियों के निकट स्कूलों की पहुँच के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मिश्रित स्कूल स्वीकृत किये गये थे। यह बहुमंजिलें स्कूल भवन कक्षा 1 से 8 तक के लिये है।

विगत 15 वर्षो में 26299 नवीन प्राथमिक, 29231 उच्च प्राथमिक एवं 104 नगरीय क्षेत्रों में विद्यालयों के भवन निर्माण हुआ ।

3.विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान के लिए प्रतिवर्ष परिवार सर्वेक्षण कराया जाता है। बच्चों को आयु संगत कक्षा में समायोजित करने हेतु वर्ष 2016–17 में 2903 विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों

के लक्ष्य के सापेक्ष 2229 केन्द्र संचालित किये गये जिससे कुल 9649 बच्चें लाभान्वित हुये। गत पांच वर्ष में आऊट आफ स्कूल बच्चों की संख्या में कमी आयी है। वर्ष 2010–11 में 194146, वर्ष 2011–12 में 109677, वर्ष 2012–13 में 64442, वर्ष 2013–14 में 78099, वर्ष 2014–15 में 40505,वर्ष 2015–16 में 28899 तथा वर्ष 2016–17 में 16789 आऊट आफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये।

4. ठहराव में सुधार

ठहराव में सुधार सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है जिसको सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कराये गये। ठहराव में सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 311624 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 22987 शौचालयों का निर्माण कराया गया।

5. विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु समेकित शिक्षा

वार्षिक परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से विद्यालयों में नामांकित विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों का चिन्हीकरण करके उन्हें समीप के विद्यालयों में नामांकित कराया जाता है। वर्ष 2016–17 में 2.72 लाख विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चें चिन्हित किये गये जिसमें से 2.40 लाख बच्चों को स्कूल में नामांकित कराया गया।

मेडिकल एसेसमेंट कैम्प–विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु विकासखण्ड स्तर पर 423 मेडिकल एसेसमेंट कैम्प आयोजित किये गये जिसमें 30198 बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण चिकित्सकों के दल द्वारा किया गया और 15754 विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए। इटीनरेंट/रिसोर्स टीचर्स– विद्यालयों में पंजीकृत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को स्पेशल सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपदों में संविदा के आधार पर कुल 2367 इटीनरेंट एवं 116 रिसोर्स टीचर्स कार्यरत हैं। इनमें से 1017 श्रवण बाधित, 660 दृष्टिगत तथा 874 बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में इटीनरेंट/रिसोर्स टीचर्स कार्यरत हैं।

फिजियोथेरेपिस्ट– जनपदों में दैहिकी चिकित्सकों द्वारा विद्यालयों के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों जिनको दैंहिक चिकित्सा की आवश्यकता है, को आवश्यकतानुसार दैहिकी चिकित्सा प्रदान की जाती हैं। प्रदेश में 52 फिजियोथेरेपिस्ट संविदा के आधार पर कार्यरत हैं।

वर्ष 2016–17 में 10 माह अवधि के कुल 119 आवासीय **एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प** संचालित किये गये जिसमें 2142 दृष्टिबाधित एवं 4419 श्रवणबाधित कुल 6516 बच्चों को नामांकित कराया गया। इन कैम्पों में बच्चों के आवासीय सुविधा सहित(भोजन, पठन–पाठन, ड्रेस एवं उपकरण) आदि की निःशुल्क व्यवस्था की गई।

6. स्कूल चलो अभियान

शैक्षणिक सत्र 2016–17 में प्रदेश में '' स्कूल चलो अभियान'' एवं ''उपस्थिति अभियान'' वर्ष में दो बार आयोजित किया गया । इसके तहत 6–14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में नामांकन करने हेतु समुदाय को जागरूक किया गया।

7. निःशुल्क यूनिफार्म

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली 2011के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायतित माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक/पूर्व

माध्यमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त मदरसों में कक्षा 1–8 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को रू0 400/– प्रति छात्र–छात्रा की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत दो सेट यूनिफार्म प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के बालकों को उक्त दो सेट यूनिफार्म की उपलब्धता करायी जाती है।

प्रदेश में संचालित बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत नान बी0पी0एल0 (गरीबी रेखा से ऊपर) छात्रों (बालकों) को जिन्हें सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क यूनीफार्म का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा था निःशुल्क यूनीफार्म उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम बार वित्तीय वर्ष 2012–13 में लागू की गई है। वर्ष 2016–17 में लगभग 161.44 लाख छात्र–छात्राओं को यूनीफार्म वितरित की गयी।

8. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बालिकाओं को तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा शेष बालकों के लिए राज्य सरकार के बजट से व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2016–17 में शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में ही कक्षा 1–8 तक सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैं–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण	लक्ष्य	उपलब्धि
छात्र/छात्रा प्राथमिक स्तर के	8935921	8478565
छात्र/छात्रा उच्च प्राथमिक स्तर	3823564	3688540
योग	12759485	12167105

9. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

बालिका शिक्षा के महत्व को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारम्भ वर्ष 2004–05 में किया गया। यह योजना शैक्षिणिक रूप से पिछड़े उन विकास खण्डों में संचालित है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (46.13 प्रतिशत) से कम तथा जैण्डर गैप राष्ट्रीय औसत (21.59 प्रतिशत) से अधिक है।

पुनरीक्षित गाइड लाइन दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के अनुसार ऐसे 79 विकास खण्ड जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से कम तथा ऐसे 52 नगर क्षेत्र/शहर जिनमें अल्पसंख्यक महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 53.67 प्रतिशत से कम है और जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना हेतु पात्र हैं।

इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय तथा बी0पी0एल0 परिवारों की 11–14 वय वर्ग की बालिकायें जो कभी स्कूल नहीं गयी हैं अथवा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किये बिना विद्यालय छोड़ दिया है ऐसी बालिकाओं हेतु आवासीय व्यवस्था सहित विद्यालय संचालित है। कुल संचालित 746 के0जी0बी0वी0 में से 734 मॉडल–। तथा 12 मॉडल–।। के हैं। वर्ष 2016–17 में इन विद्यालयों में कुल 73203 बालिकायें नामांकित की गयी, जिनमें से 30151 अनुसूचित जाति, 1004 अनुसूचित जनजाति, 24845 अन्य पिछड़ा वर्ग, 4475 बी0पी0एल0, 12728 अल्पसंख्यक की छात्राएं रहीं।

10. अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को असहायिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने की योजना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के द्वारा आस–पास के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2013–14 से लागू की गई है।

अलाभित समूह में राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अलाभित समूह की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा निःशक्त बच्चा एवं एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता–पिता अथवा अभिभावक का बच्चा एवं निराश्रित बेघर बच्चा रखा गया है। दुर्बल वर्ग में दुर्बल वर्ग की श्रेणी में जिसके माता–पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे, विकलांग/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं या जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रु0 1 लाख तक है, को रखा गया है।

शैक्षिक सत्र 2016–17 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में 311 असेवित वार्ड चिन्हित किये गये जिनमें रहने वाले पात्र बच्चे को आस–पास के गैर सहायतित विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया गया। उक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार 21598 बच्चों को प्रवेश दिलाया जा चुका है।

11. प्रदेश में अभिनव विद्यालय की स्थापना

शिक्षण पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के माध्यम से नवीन शिक्षण प्रणाली को स्थापित किया गया है। केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालयों तथा निजी क्षेत्र में स्थापित कतिपय विद्यालयों द्वारा जिस प्रकार से सुसज्जित परिसरों में आधुनिक शिक्षण प्रणालियों को आत्मसात् किया गया है उसी प्रकार राजकीय विद्यालयों में विद्यमान वर्तमान शिक्षण पद्धति में भी आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा नवीन पद्धति पर विद्यालयों की स्थापना हेतु सम्यक विचारोपरान्त प्रथम बार प्रदेश में अभिनव विद्यालय की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अभिनव विद्यालय में कक्षा–1 से 8 की शिक्षा प्रदान की जायेगी।

उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद लखनऊ के मड़ियांव में 1326.56 लाख एवं जनपद इटावा के सैफई में 1183.93 लाख की धनराशि अभिनव विद्यालय की स्थापना पर आंकलित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत रू0 690.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि स्वीकृत की गयी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजनान्तर्गत रू0 14.20 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

शैक्षिक सुधार की प्रास्थिति

शैक्षिक सुधार के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का संज्ञान गत पांच वर्षों के प्रदेश के मुख्य शैक्षिक संकेतांकों के अवलोकन से किया जा सकता है जो तालिका–11.07 में दर्शाये गये है–

तालिका–11.07

प्रदेश में शैक्षिक सुधार के मुख्य संकेतांक

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात (जी0ई0आर0) प्राथमिक	शुद्ध नामांकन अनुपात (एन0ई0आर0) प्राथमिक	सकल नामांकन अनुपात (जी0ई0आर0) उच्च प्राथमिक	शुद्ध नामांकन अनुपात (एन0ई0आर0) उच्च प्राथमिक	ड्राप आउट	ट्रांजिक्शन दर	रिटेन्शन दर
2010–11	105.02	94.02	59.6	47.1	11.1	64.9	71.68
2011–12	114.53	99.61	68.84	61.62	11.9	73.12	80.31
2012–13	115.78	99.67	68.68	59.94	10.62	63.62	87.31
2013–14	108.46	97.92	69.46	52.87	6.96	80.49	88.27
2014–15	108.79	98.35	76.50	67.23	6.0	80.96	88.22
2015–16	107.66	86.95	77.54	61.28	6.74	80.94	79.27
2016–17	94.12	91.62	87.48	80.07	9.48	79.76	76.29

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है, जो देश के समृद्ध भविष्य का निर्माण करती है। प्रदेश सरकार ने बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता के सम्वर्द्धन हेतु प्रासंगिक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक अभिनव प्रयास किये हैं, जिससे माध्यमिक शिक्षा उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके। माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा (आधारिक शिक्षा) एवं उच्च शिक्षा के बीच सेतु के रूप में कार्य करती है। यहाँ बालक बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों हेतु सुशिक्षित, चरित्रवान सुयोग्य मानव संसाधन के रूप में विकसित कर आगे बढ़ाने का कार्य

सम्पन्न किया जाता है। वर्तमान में 2109 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 19275 वित्तविहीन कुल 25896 माध्यमिक विद्यालय संचालित है।

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने एवं शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि कर सृजनात्मक विकास करने के उद्देश्य से अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। कुछ प्रमुख योजनायें निम्नवत् हैं–

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (वेतन एवं गैर वेतन)

भारत सरकार की सहायता से 14–18 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर गुणात्मक योग्य शिक्षा उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं की शिक्षा के विशेष उपाय किये जाने हेतु वर्ष 2009–10 से संचालित है। निर्धारित गाइड्लाइन के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रदेश में लागू किया जा रहा है। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हाईस्कूल के छात्र/छात्राओं के लिये 5 किमी0 की परिधि में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता विकास के साथ पूर्व से चयनित विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि के भुगतान, शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन तथा निर्माणधीन विद्यालयों के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 53320.00 लाख का बजट प्राविधान था। उक्त बजट के सापेक्ष रू0 49362.00 लाख व्यय हुआ।

2. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना (आई0सी0टी0)

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (**आई0सी0टी0**) योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश है। वर्ष 2009–10 से प्रदेश में 2500 राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बूट माडल के आधार पर संचालित की जा रही है। चयनित 2500 माध्यमिक विद्यालयों में योजना का कियान्वयन, संचालन एवं निस्पादन अनुबन्ध के अनुसार चयनित संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक चयनित विद्यालय में अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत 10–10 कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों जैसे फर्नीचर, जर्नेटर, इण्टरनेट एवं स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराते हुए एक कम्प्यूटर अनुदेशक को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। वर्ष 2016–17 में योजनार्न्तगत रू0 11000.00 लाख का बजट प्राविधान था इसके सापेक्ष रू0 4621.09 लाख व्यय किया गया है।

3. <u>बालिका विद्यालयों के छात्रावास भवन निर्माण</u>

बालिका छात्रावास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खण्ड़ों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण का प्रावधान है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में स्वीकृत 191 छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश रहता है। वर्ष 2016–17 में योजना हेतु रू0 21693.82 लाख के प्रावधान के सापेक्ष रू0 6854.30 लाख स्वीकृति जारी की गई।

4. <u>रिवाडज्ड केन्द्र पुरोनिधानित व्यवसायिक शिक्षा योजना (नवीन योजना):–</u>

यह योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसे 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में संचालित है। योजना को रिवाइज्ड करने हेतु एक प्रस्ताव शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इस योजना में 200 राजकीय विद्यालयों में योजना संचालित है। इस योजना हेतु 05 नवीन ट्रेड (रिटेल, आटोमोबाइल, सिक्योरिटी, आई0टी0, हेल्थ) का प्रस्ताव किया गया है। इन ट्रेडों का पाठ्यक्रम एवं इन ट्रेडों में आमंत्रित अतिथि विषय विशेषज्ञों की शैक्षिक योग्यता का निर्धारण माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जा चुका है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में रू0 3000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रू0 383. 28 लाख की स्वीकृति जारी हुई।

5. <u>असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या मा0 विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदानः–</u> वर्ष 1994–95 में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में बालिकाओं हेतु कम से कम एक हाईस्कूल स्तर का विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। 1998 के बाद इस योजना के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख की धनराशि (10–10 लाख की दो समान किस्तों में) अनावर्तक अनुदान के रूप में निजी प्रबन्ध तन्त्रों को निर्धारित मानक के पूर्ण होने के पश्चात् कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिये प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 तक 297 विद्यालयों को प्रथम एवं द्वितीय किश्त दी जा चुकी है एवं 79 विद्यालयों को प्रथम किश्त दी जा चुकी है। वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में योजनान्तर्गत रू0 50.00 लाख की व्यवस्था है। उक्त के अनुक्रम में शासन द्वारा अद्यतन 3 विद्यालयों हेतु धनराशि रू0 25.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं जो कि पूर्ण रूप से व्यय की जा चुकी है।

6. <u>एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या मा0 विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान</u>

वर्ष 2000–01 में आरम्भ इस योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड को रू0 20.00 लाख की दर से (दो समान किस्तों में निर्धारित मानक को पूर्ण करने पर) अनुदान स्वीकृत किये जाने की

व्यवस्था है। वर्ष 2016–17 तक 396 विद्यालयों को आच्छादित किया गया है। 256 विद्यालयों को प्रथम एवं द्वितीय किश्त दी जा चुकी है एवं 140 विद्यालयों को प्रथम किश्त दी चुकी है।

7. नये सैनिक स्कूलों की स्थापनाः– बच्चों में राष्ट्रीय भावना, शारीरिक विकास एवं दक्षता को बढ़ावा देते हुए उन्हे सैन्य सेवाओं हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से जनपद अमेठी, मैनपुरी एवं झांसी में सैनिक स्कूलों की स्थापना किया जाना है। इस हेतु रू0 15000.00 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया गया है जिसके सापेक्ष रू0 12601.86 लाख व्यय किये गये हैं।

8- विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना (आई0ई0डी0एस0एस0):–यह योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसे 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में संचालित है। योजना का मुख्य उद्देश्य विकंलाग बच्चों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समुचित वातावरण एवं सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1600.00 लाख का बजट प्रावधान किया है, जिसके सापेक्ष रू0 890.45 लाख की स्वीकृति जारी की गयी है।

उच्च शिक्षा

प्रदेश के नियोजित विकास में उच्च शिक्षा का विशेष योगदान है। सरकार उच्च शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु कटिबद्ध है। लोक कल्याण को वरीयता देते हुए शैक्षिक रूप से अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्र में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थाओं को आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण किया जा रहा है, साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं को व्यवसायपरक एवं कौशल विकास से परिपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाय, जिससे प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। इस समय विशेष सक्रियता के साथ सुयोग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति, भवन निर्माण/विस्तार, ई–पुस्तकालयों की स्थापना, महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सुसज्जित प्रयोगशाला, महाविद्यालय के कम्प्यूटरीकरण, पुस्तकालयों में मुफ्त वाई–फाई की व्यवस्था एवं वर्चुवल क्लास रूम की स्थापना की जा रही है।

प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर की शिक्षण संस्थाएं एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्नवत् है–

तालिका–11.08

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्र0सं0	संस्था	वर्ष		
		2014–15	2015–16	2016–17
1	**विश्वविद्यालयों की संख्या**	**36**	**38**	**45**
	(क) राज्य विश्वविद्यालय	13	14	16
	(ख) मुक्त विश्वविद्यालय	01	01	01
	(ग) डीम्ड विश्वविद्यालय	01	01	01
	(घ) निजी विश्वविद्यालय	21	22	27
2	**महाविद्यालयों की संख्या**	**4746**	**5158**	**5866**
	(क) राजकीय महाविद्यालय	138	138	158

क्र0सं0	संस्था	वर्ष		
		2014–15	2015–16	2016–17
	(ख) अशासकीय महाविद्यालय	331	331	331
	(ग) स्ववित्त पोषित महाविद्यालय	4277	4689	5377
3	महाविद्यालयों में छात्र संख्या (हजार में)	**4137**	**5188**	**5519**
	(क) छात्र	2405	2462	2726
	(ख) छात्राएं	1732	2726	2793

उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनाएं

1. **प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सेमिनार तथा सिम्पोजियम–** सेमिनार तथा सिम्पोजियम ज्ञान के संवर्धन एवं परिवर्धन हेतु वे मंच हैं जहाँ विभिन्न विषयों एवं विचारों के आदान–प्रदान से ज्ञान को नई दिशा एवं विचार प्राप्त होते हैं, इनके माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं संबंधित महाविद्यालयों में छात्र अकादमिक रूप से ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की नवीन धाराओं एवं विचारों से अवगत होते हैं तथा संस्था के प्राध्यापक एवं छात्र वैश्विक स्तर पर हो रहे नवीन शोधों से लाभान्वित होते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 2017–18 में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सेमिनार एवं सिम्पोजियम हेतु 30.00 लाख रूपये एवं प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में सेमिनार एवं सिम्पोजियम हेतु 25.00 लाख रूपये तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 20.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

2. **इन्टरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल एवं उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद में मानीटरिंग सेल की स्थापना–**उच्च शिक्षा के मानकों के निर्धारण एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर NAAC संस्था का गठन किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में आन्तरिक गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ गठित है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अपनी अकादमिक एवं आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन कर NAAC संस्था से उच्च ग्रेड प्राप्त कर सकें। इस हेतु उ0प्र0 उच्च शिक्षा परिषद में मानीटरिंग सेल की स्थापना इस उद्देश्य से की गयी है कि संस्था के समक्ष आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का निराकरण कर संस्था को NAAC द्वारा मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करना है। वर्ष 2017–18 में इस योजना हेतु 50.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

3. **लखनऊ विश्वविद्यालय में भाऊराव देवरस शोधपीठ एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों में पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना** –भावराऊ देवरस एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों एवं सोपानों का विस्तृत वैचारिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने हेतु वर्ष 2017–18 में भाऊराव देवरस शोधपीठ की स्थापना हेतु 200.00 लाख रूपये एवं विश्वविद्यालयों में पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना हेतु 900.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

4. **इण्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल–**भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत एवं संस्कृति से छात्र छात्राओं को युवा महोत्सवों द्वारा अवगत कराना तथा उनके भीतर छिपी हुई विभिन्न प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु **इण्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल** का आयोजन किया जाताहै। इस योजना हेतु 20.00 लाख का बजट प्राविधान वर्ष 2017–18 में किया गया है।

5. विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं को खेल के प्रति जागरूक करने एवं उनकी प्रतिभा को तराशने के लिए अन्तर्विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु वर्ष 2017–18 में 20.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

6. **इम्पलायमेन्ट ब्यूरो/गाइडेन्स सेल/प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना** कर छात्र छात्राओं को कैरियर के विभिन्न अवसरों के संबंध में जानकारी देने एवं अध्ययन के उपरान्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2017–18 में 40.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

7. **प्रदेश में निजी प्रबन्धतंत्रों/संस्थाओं द्वारा असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान–** प्रदेश के उन विकास खण्डों में जहाँ वर्तमान में कोई भी महाविद्यालय नहीं है उनमें उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा निजी प्रबन्धतंत्रों को अनुदान प्रदान कर महाविद्यालय खोलने को प्रोत्साहित किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2017–18 में 1000.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

8. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(रूशा)–**

मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 26 जनपदों में मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में नामांकन दर को बढ़ना एवं लिंग आधारित भेदभाव को कम करना तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को प्रदान करना है। इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60 एवं 40 है। इस हेतु वर्ष 2017–18 में 3899.53 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

समाज में बालिका शिक्षा एवं समाज के वंचित वर्ग को उच्च शिक्षा में लिंग आधारित भेदभाव को कम करने तथा समानता के साथ प्रवेश एवं विशेष प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु वर्ष 2017–18 में 224.80 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

फैकेल्टी इम्प्रूवमेन्ट– उच्च शिक्षा में शिक्षकों एवं शैक्षणिक प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता अभिवृद्धि हेतु एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, लखनऊ के माध्यम से शिक्षकों को लघु अवधि पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाने हेतु वर्ष 2017–18 में 300.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

9. **अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना–** इस योजना का उद्देश्य सभी छात्राओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। इस हेतु वर्ष 2017–18 में 2112.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

10. **समस्त कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में वाई–फाई सुविधा**– सूचना प्रोद्योगिकी के इस युग में समस्त छात्र छात्राओं को विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं वैश्विक संस्थाओं द्वारा किये जा रहे शोधों एवं नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों से अवगत कराने हेतु समस्त कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में वाई–फाई की सुविधा प्रदान की जा रही है जिससे छात्र छात्राएँ आधुनिक तकनीकी द्वारा लाभान्वित हो सकें। इस हेतु वर्ष 2017–18 में 5000.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

11. **विश्वविद्यालयों/संस्थानों को चांसलर एवार्ड–** राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शिक्षा शोध एवं प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने के लिए माननीय कुलाधिपति द्वारा चांसलर एवार्ड दिया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2017–18 में 16.90 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

12. **राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना–** इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना किया जाना है जिससे समाज के सभी वर्गों को समानता एवं उत्कृष्टता के साथ उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके तथा राज्य की लोक

कल्याणकारी अवधारणा को स्थापित किया जा सके। निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालयों के भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु वर्ष 2017–18 में 1500.00 लाख रूपये का बजट का प्राविधान किया गया है। **लखनऊ में अरबी–फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना** हेतु वर्ष 2017–18 में 700.00 लाख रूपये एवं **इलाहाबाद एव बलिया में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना** हेतु 2017–18 में 2000.00 **एंव** 500.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।**जनपद सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय की स्थापना** हेतु वर्ष 2017–18 में 2494.75 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

प्रावैधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्रविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा की विशेष प्रासंगिकता है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा उभरती हुई प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार किये जाने एवं उपलब्ध मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग किये जाने की प्रबल संस्तुति की गई है।अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, जेण्डर गैप को कम करने तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी संस्थाएं स्थापित किये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में प्रावैधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ राज्य के विभिन्न जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान (एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत केन्द्र के आर्थिक सहयोग से पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पालीटेक्निकों की स्थापना की जा रही है। ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए संस्थाओं में इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्टाफ, इक्विपमेन्ट एवं भवन) उपलब्ध कराये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

तालिका–11.09

उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओं की प्रगति

संस्थायें	2014–15	2015–16	2016–17
1	2	3	4
1– इंजीनियरिंग कालेज की संख्या	10	13	12
(अ) प्रवेश क्षमता	2660	2949	3518
(ब) वास्तविक प्रवेश	2404	2507	3021
2– डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की संख्या	118	120	145
(अ) प्रवेश क्षमता	37770	37170	37170
(ब) वास्तविक प्रवेश	27412	29672	34890

भौतिक उपलब्धियां

विभिन्न राज्यों के साथ अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक स्थिति में प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है जिसे निम्न तुलनात्मक विवरण में दर्शाया गया है :–

तालिका–11.10
अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक विवरण

क्र0सं0	राज्य का नाम	संस्थाओं की सं0 (राजकीय एवं सहायता प्राप्त)	स्थान/रैंक
1	कर्नाटक	147	प्रथम
2	उत्तर प्रदेश	145	द्वितीय
3	आन्ध्र प्रदेश	86	तृतीय
4	तमिलनाडु	85	चतुर्थ
5	महाराष्ट्र	77	पंचम
6	पंजाब	37	षष्टम

अन्तर्राज्यीय स्थिति
(राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक)

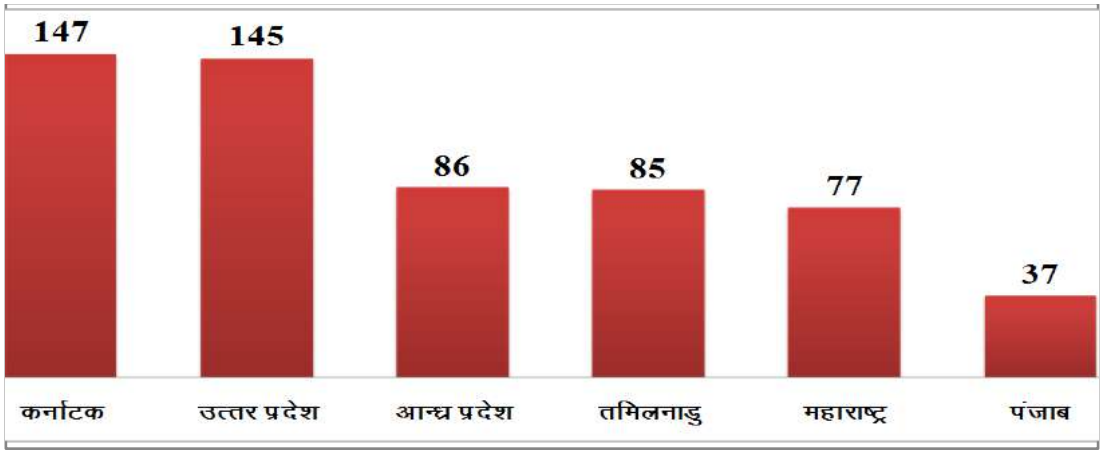

प्रदेश में केन्द्र पुरोनिधानित योजना **''सब–मिशन ऑन पालीटेक्निक अन्डर दि को–आर्डिनेटेड एक्सन फॉर स्किल डेवलपमेन्ट''** संचालित की जा रही है, जिसके निम्नलिखित घटक हैं :–

I– नवीन पालीटेक्निकों की स्थापना।

II–पालीटेक्निकों में महिला छात्रावासों की स्थापना।

III–राजकीय पालीटेक्निकों का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण।

IV–राजकीय पालीटेक्निकों में अवस्थापना विकास।

V–कम्युनिटी डेवलपमेन्ट थ्रू पालीटेक्निक (सी0डी0टी0पी0)।

एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ केन्द्र सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 22 पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 41 एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान के अन्तर्गत 19 नवीन पालीटेक्निक स्थापित किये गये हैं।

प्रदेश में डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं की संख्या में अभिवृद्धि हुई है। वर्तमान में जनपद मैनपुरी, कन्नौज एवं सोनभद्र में एक–एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की गई है, साथ ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं एच0बी0टी0आई0 को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत जनपद गोण्डा एवं जनपद बस्ती में एक–एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जा रही है। उच्च

स्तरीय आई0आई0आई0टी0 तकनीकी संस्थान की स्थापना लखनऊ के चकगंजरिया क्षेत्र में की जा रही है।

नीति आयोग से निर्दिष्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर प्राविधिक शिक्षा की प्रगति एवं विकास की कमियों को पूर्ण करने का प्रयास

बुन्देलखण्ड क्षेत्र को पिछड़ेपन की अवधारणा से उबारने के लिये प्रदेश सरकार का यह सतत् प्रयास है कि बुन्देलखण्ड के विभिन्न जनपदों में विकास की कमियों **(डेवलपमेन्ट डेफीसिट)** का आंकलन कर उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाये। इस संदर्भ में विकास की कमियों के आंकलन हेतु नीति आयोग के अन्तर्गत गठित मानव विकास रिपोर्ट के दृष्टिगत बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में प्राविधिक शिक्षा के समरस विकास **(होमोजीनियस डेवलपमेन्ट)** हेतु डिप्लोमा सेक्टर तथा डिग्री सेक्टर में निम्नवत् तकनीकी संस्थान स्थापित किये गये हैं–

डिग्री सेक्टर में स्थापित संस्थान

1–बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी

जनपद–झांसी में **एच0डी0आई0** की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक 0.592 है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का यह एक अति प्रतिष्ठित डिग्री स्तरीय संस्थान है जिसमें विभिन्न ब्रान्चों में बैचलर आफ टेक्नॉलाजी का शिक्षण–प्रशिक्षण होता है। यह इंजीनियरिंग कालेज डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के छात्रों के तकनीकी शिक्षा के विकास में इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है।

2–राजकीय इंजीनियिरिंग कालेज बाँदा

जनपद–बाँदा में **एच0डी0आई0** की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक 0.465 है। स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान के अन्तर्गत इस संस्थान की स्थापना की गई है। पठन–पाठन हेतु आधुनिक लैबों का निर्माण किया गया है जिसमें आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं तथा राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से लगातार साज–सज्जा, उपकरण एवं फर्नीचर की कमियों को दूर किया जा रहा है। यह इंजीनियरिंग कालेज भी डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध है।

इस इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के फलस्वरूप बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों के छात्रों हेतु स्नातक स्तर पर पर्याप्त सीटें उपलब्ध हो गई हैं।

3–डिप्लोमा सेक्टर में स्थापित संस्थान

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु डिप्लोमा स्तरीय संस्थान भी स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल 14 राजकीय पालीटेक्निक/महिला पालीटेक्निक संचालित हैं जो तकनीकी शिक्षा की अभिवृद्धि हेतु पर्याप्त है।

उपरोक्त संस्थायें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित हैं तथा इनमें संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों में ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा– स्टाफ, उपकरण एवं स्पेस रिक्वायरमेंट पूर्ण किये जाने की प्राथमिकता रखी गई है।

सरकार का यह सतत् प्रयास है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु नवीन तकनीकी संस्थाओं की स्थापना कर **एच0डी0आई0** की वृद्धि में अहम् भूमिका निभा सके। उल्लेखनीय है कि नेशनल ह्यूमन इंडेक्स (0.632) की तुलना में उत्तर प्रदेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.397 है। अतः प्रदेश के विकास सूचकांक को राष्ट्रीय औसत विकास सूचकांक की श्रेणी तक पहुँचाये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्षवार पालीटेक्निकों की संख्या

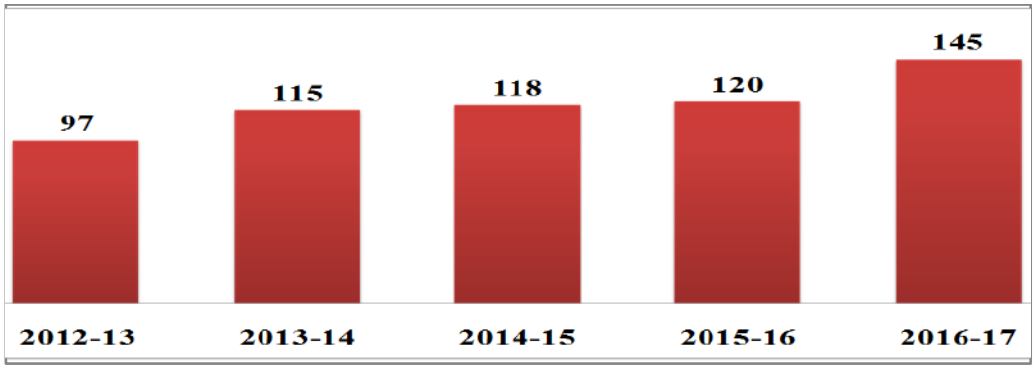

वर्ष–वार प्रवेश क्षमता

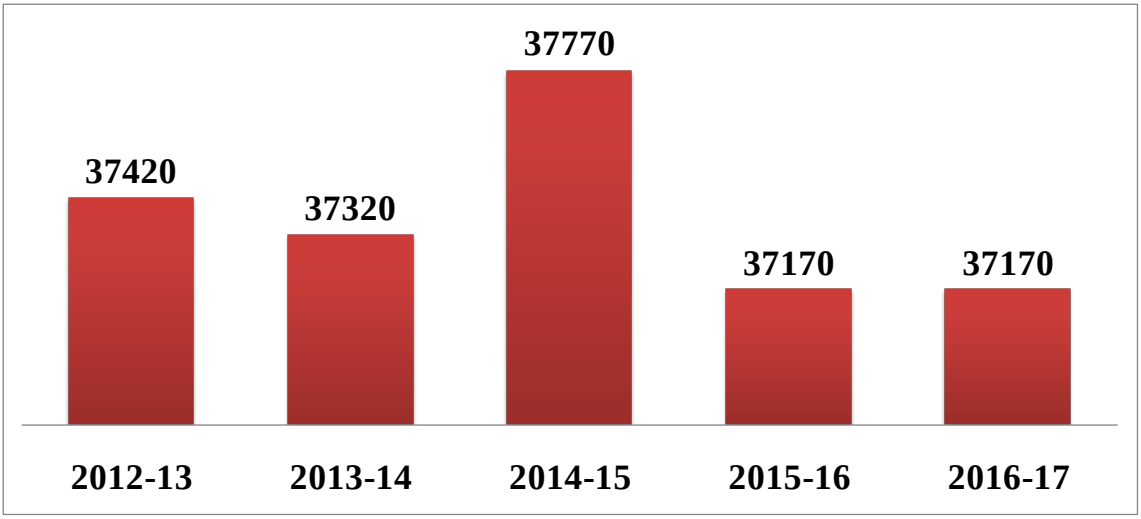

तालिका–11.11

डिप्लोमा सेक्टर में आय–व्ययक प्राविधान एवं व्यय की स्थिति

(रू0 लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय
2012-13	28295.80	23687.23	15481.54
2013-14	26828.46	22145.09	21502.62
2014-15	24253.83	19297.16	18225.97
2015-16	19503.26	15317.41	14862.22
2016-17	34043.75	33441.97	30485.76

****

अध्याय–12
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

लोक कल्याणकारी राज्यकी मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटर की दृष्टि में प्रदेश

प्रदेश सरकार के सतत प्रयास से स्वास्थ्य एवं जनांकिकीय संकेतकों में पर्याप्त सुधार आया है, परन्तु अभी भी उ०प्र० इन संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है, जैसा कि तालिका–12.01 से परिलक्षित हो रहा है।

तालिका–12.01
प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

मद	वर्ष			
	2015		2016	
	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत
जन्म दर	26.7	20.8	26.2	20.4
मृत्यु दर	7.2	6.5	6.9	6.4
शिशु मृत्यु दर	46	37	43	34

स्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन, महारजिस्ट्रार, भारत सरकार

प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मातृत्व मृत्यु दर से तात्पर्य प्रतिवर्ष एक लाख जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु दर से है। अद्यतन एस0आर0एस0 बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार प्रदेशएवं राष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 1997–98मेंक्रमशः 606 एवं398 थी जो घटते हुए वर्ष 2011–2013 में क्रमशः 285 तथा 167 हो गयी। स्पष्ट है कि प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

तालिका–12.02
प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

वर्ष	मातृत्व मृत्यु दर	
	उत्तर प्रदेश	भारत
1997–98	606	398
1999–01	593	327
2001–03	517	301
2004–06	440	254
2007–09	359	212
2010–12	292	178
2011–13	285	167

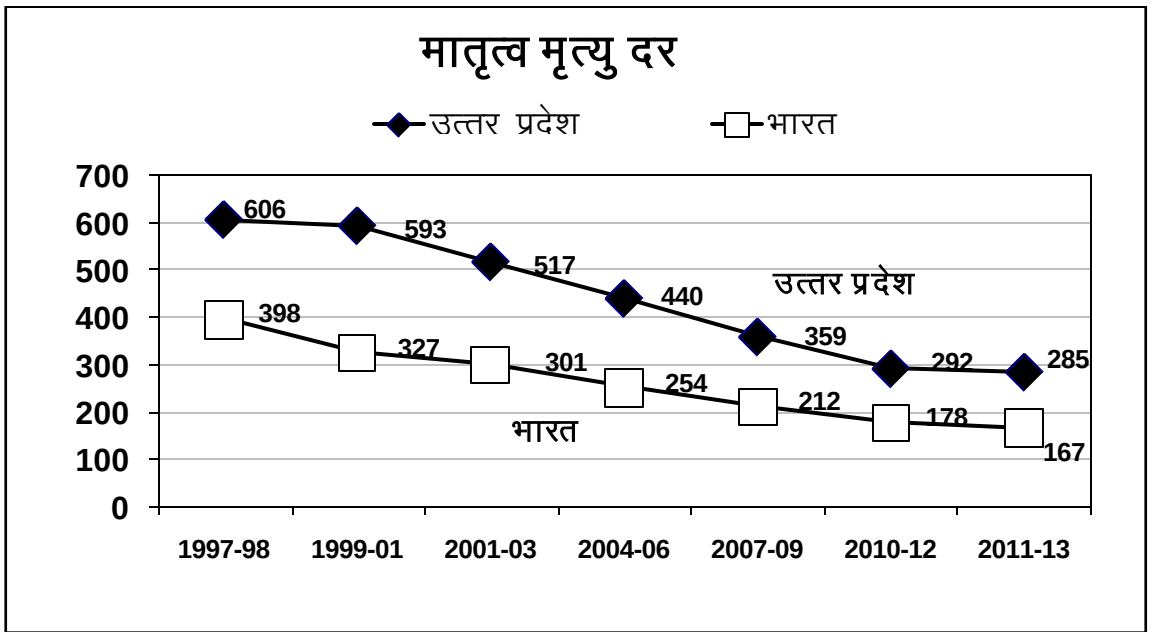

वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 3.19 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 2. 00केन्द्रीय क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 51.06बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सब से कम34.92पश्चिमी क्षेत्र में रही।प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्यासर्वाधिक 2.93 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 1.42 पश्चिमी क्षेत्र में रही।प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या संख्या सर्वाधिक 9.27 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सब से कम 4.18 पश्चिमी क्षेत्र में रहीजैसा कि तालिका गत आंकड़ों से स्पष्टहै–

तालिका–12.03

प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या

(2016–17)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/ यूनानी/ होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/ यूनानी/ होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या
1	2	3	4	5
पूर्वी	2.48	40.18	2.02	5.54
बुन्देलखण्ड	3.19	51.06	2.93	9.27
पश्चिमी	2.05	34.92	1.42	4.18
केन्द्रीय	2.00	46.56	1.88	5.89
उत्तर प्रदेश	2.27	39.87	1.82	5.27

प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं

प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें तालिका–12.04 में दर्शाए गए हैं–

तालिका–12.04

उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

क्र0 सं0	मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी		होम्योपैथिक	
		1.1.16	1.1.17	2015–16	2016–17	2015–16	2016–17
1	चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	5112	5117	2370	2370	1575	1575
2	शैय्याओं की संख्या	86399	86729	11077	11077	388	388
3	चिकित्सित रोगियों की संख्या (हजार में)	106241	117165	37994	30525	26116	25697

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उ0प्र0 के आय–व्ययककाआर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2017–18 के अनुसार वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं परचालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है।

तालिका–12.05

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2015-16	1359975 (7.4%)	87844 (1.0%)	1447819 (5.2%)
2016-17	1592945 (7.7%)	168807 (1.7%)	1761752 (5.8%)
2017-18	1947703 (7.0%)	111327 (1.3%)	2059030 (5.7%)

नोट–कोष्ठक में प्रतिशतदर्शाया गया है जो प्रदेश केचालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्ययके सापेक्षदिया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर वर्ष 2017–18 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालूव्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.0 प्रतिशत तथा 1.3 प्रतिशत रहा।वर्ष 2016–17 (पुनरीक्षित अनुमान) में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.7 प्रतिशत तथा 1.7 प्रतिशत रहा। वर्ष 2015–16(वास्तविक अनुमान) में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल चालूव्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.4 प्रतिशत तथा 1.0 प्रतिशत रहा।

स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है। स्वास्थ्य सेवाओं के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1.पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के आर्थिक सहयोग एवं मार्ग दर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है।

सम्पूर्ण प्रदेश को पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम से दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 तक आच्छादित किया जा चुका है। कार्यक्रम केअन्तर्गत सम्भावित रोगियों के पंजीकरण, जांच से लेकर उपचार तक की सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। राज्य में कार्यक्रम के सुचारु रुप से संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु जनपद आगरा, बरेली, लखनऊ एवं वाराणसी में क्षेत्रीय क्षय कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई (आर.टी.पी.एम.यू.)तथा स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगराकी स्थापना की गई है।राज्य में समस्त 75 जनपदों में 76 सी0बी0 नाट मशीन क्रियाशील है जिससे कि एम0डी0आर0 टी0बी0की जांच मात्र 2 घन्टे में उपलब्ध हो जाती है।प्रदेशमेंक्षय रोगियों के उपचार हेतु 993टी0बी0 यूनिट (टी0यू0), 2020बलगम परीक्षण केन्द्र (डी0एम0सी0) एवं 39856 डाट्स केन्द्र हैं।

राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला क्षय रोग अधिकारी (आर0एन0टी0सी0पी0) को विभिन्न मदों में आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु रू0 252 करोड़ की राज्य कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है जिसमें माह सितम्बर, 2017 तक 49 करोड़ व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु रू0 166 करोड़ की राज्य कार्ययोजना स्वीकृत की गयी थी जिसके सापेक्ष 129 करोड़ का व्यय किया गया था।

2. ट्रामा सेन्टर की स्थापना

दुर्घटना के उपरान्त घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 42 ट्रॉमा सेन्टर खोले जा रहे हैं। वर्तमान में 32 ट्रॉमा सेन्टर निर्मित हो चुके है। प्रदेश में वर्ष 2016–17 में सितम्बर, 2017 तक नवनिर्मितट्रामा सेन्टरोंकी स्थापना/उपकरणों हेतु रु49.16 करोड. की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

3. प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट–

शारिरिक विकृतियों को ठीक करने तथा गम्भीर रूप से जले एवं झुलसे हुए व्यक्तियों को त्वरित उपचार एवं चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु जिला चिकित्सालयों में प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट स्थापित किये जा रहे है। प्रदेश में कुल 28 प्लास्टिक बर्न यूनिट भवनों का निर्माण किया जा चुका है तथा 12 जिलो में इस कार्य हेतु भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

4.डायलिसिस सेन्टर

प्रदेश में गुर्दा रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अक्सर मरीजों को केवल डायलिसिस की ही आवश्यकता होती है, नाकि गुर्दाप्रत्यारोपण की। अतः इन मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मण्डल लेवल पर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक मण्डलीय चिकित्सालयों में पी.पी.पी. मोड पर डायलिसिस सेन्टर चलाने की कार्यवाही की जा रही है। इसमें सी.जी.एच.एस. मूल्य पर सुविधायें दी जायेंगी, जिससे जनमानस को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

एक डायलिसिस यूनिट प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है इस प्रकारप्रदेश में 18 डायलिसिस यूनिट कीस्थापना की जानी है।

5.ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार 30000 की आबादी पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित है। वर्तमान में 821 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3621 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील हैं।

6.जे०ई० अभियान

प्रदेश सरकार प्रदेश के पूर्वान्चल में विद्यमान ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग की समस्या को दूर करने के लिये अत्यधिक गम्भीर एवं प्रतिबद्ध है। रोगियों के तत्काल उपचार के लिये जनपदीय चिकित्सालयों के अतिरिक्त ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क जाँच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये **कुल 104 इन्सेफ्लाईटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर** (ई0टी0सी0) – जनपद गोरखपुर में 23, महराजगंज में 12, कुशीनगर में 14, देवरिया में 16, बस्ती में 16, सिद्धार्थनगर में 14 एवं सन्तकबीरनगर में 09 स्थापित एवं क्रियाशील हैं, जिनमें जनपद स्तर पर उपचार प्राप्त कर मृत्यु/जटिलता से बचने के लिये जनता को नियमित रुप से प्रेरित किया जा रहा है।

ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग के वर्ष 2016 में कुल रोगियों में 45.13 प्रतिशत रोगी बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में उपचार हेतु भर्ती हुए एवं जनपदीय चिकित्सालयों में 54.87 प्रतिशत रोगी उपचार हेतु आये, जबकि वर्ष 2017 में दिनांक 09.11.2017 तक कुल रोगियों में 43.59 प्रतिशत रोगी बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में उपचार हेतु भर्ती हुये एवं जनपदीय चिकित्सालयों में 56.41 प्रतिशत रोगी उपचार हेतु आये। इस प्रकार वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में जनपदीय चिकित्सालयों में उपचार सुविधा के सुदृढ़ीकरण (ब्लॉक स्तरीय ई0टी0सी0, जिला चिकित्सालयों में पीडियाट्रिक आई0सी0यू0) के फलस्वरुप बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में भर्ती होने वाले ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगियों की कुल संख्या में कमी आई है।

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर से डी0सी0एच0 डिप्लोमा कोर्स पूर्ण कर चुके 08 चिकित्सकों की तैनाती गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल में स्थापित एवं क्रियाशील 08 पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 तथा ब्लॉक स्तरीय इन्सेफ्लाईटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर (ई0टी0सी0) में की जानी है, जिससे ए0ई0एस0 रोगियों को अपने निवास के निकट ही उपचार व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके तथा पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 में भर्ती किये जाने वाले रोगियों को समुचित उपचार प्रदान किया जा सके।

वर्ष 2017 में दिनांक 09.11.2017 तक गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के चिकित्सालयों में स्थापित एवं क्रियाशील पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 में ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग के कुल 1316 रोगी भर्ती एवं उपचारित हुये।

समस्त ज्वर रोगियों को (झटके आने से पूर्व ही) मस्तिष्क ज्वर उपचार केन्द्र (इन्सेफ्लाईटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर–ई0टी0सी0 तक पहुँचाने के लिये 108 एवं 102 एम्बुलेन्स के प्रशिक्षित कर्मियों के सहयोग से निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 की घोषणा के अनुपालन में ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग से हुये मृतक के परिवार को रु0 50,000/– एवं विकलांग/विकलांग के परिवार को रु0 1,00,000/– की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 से रु0 5 करोड़ प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में आर्थिक सहायता के रुप में प्रदेश के जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग से हुये मृतक एवं विकलांग/विकलांग के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जनपदों को कुल रु0 3,28,00,000/– (रु0 तीन करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है जिससे ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग से हुये मृतक/विकलांगों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

जे0ई0 टीकाकरण को नियमित टीकाकरण में सम्मिलित करते हुये 09 माह एवं 16–24 माह की आयु पर जे0ई0 वैक्सीन की दो डोज़ प्रदेश के 38 जनपदों में दी जा रही है।

प्रदेश में वर्ष 2005 में इन्सेफ्लाईटिस रोगियों में जे0ई0 रोगियों की धनात्मकता 18.67 प्रतिशत थी जो वर्ष 2006 में प्रारम्भ किये गये जे0ई0 टीकाकरण एवं वर्तमान में प्रदेश के 36

जनपदों में संचालित नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के फलस्वरुप वर्ष 2017 में घट कर 14.36 प्रतिशत रह गई है।

7.पी0एम0आर0विभाग (विकलांग पुर्नवास केन्द्र)

ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग के विकलांग रोगियों के पुर्नवासन के लिये बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में फिजीकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन इकाई (पी0एम0आर0 यूनिट) वर्ष 2012 से क्रियाशील है।इस इकाई में मस्तिष्क ज्वर से विकलांग हुये मरीजो की देख रेख की जाती है, जिसमें मस्तिष्क ज्वर के विकलांग रोगियो को विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है तथा उनके पुर्नवास का कार्य किया जाता है।

इसहेतु पी0एम0आर0 विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिये रु0 पाँच करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

8.अध्ययन एवं शोध कार्य

ए0ई0एस0 रोग उत्पन्न करने वाले जे0ई0 एवं एण्ट्रोवायरस विषाणु के अतिरिक्त अन्य कारकों की पहचान के लिये विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संस्थाओं जैसे– सी0डी0सी0 अटलान्टा/इण्डिया की विशेषज्ञ डा0 पद्मिनी श्रीकन्थिया के नेतृत्व में एन0सी0डी0सी0, आई0सी0एम0आर0, एस0जी0पी0जी0 आई0, लखनऊ, के0जी0एम0यू0, लखनऊ, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा समन्वय स्थापित करते हुये अध्ययन एवं शोध कार्य में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

9.नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कन्ट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीसेस एंड स्ट्रोक(एन0पी0सी0डी0सी0एस0)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन शैली एवं व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा सामान्य गैर संचारी रोंगो पर नियंत्रण एवं रोकथाम करना, उनका विभिन्न स्तरों पर उपचारएवं निदान, गैर संचारी रोंगो की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करना, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे चिकित्सकों, परिचिकित्सकों एवं उपचारिकाओं को प्रशिक्षण देना, प्रशामक उपचार एवं पुनर्वास हेतु क्षमता का विकास करना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं का उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्लुकोस्ट्रिप एवं ग्लुकोमीटर के द्वारा मधुमेह एवं रक्तचाप की जांच, इन केन्द्रों से संदिग्ध मरीजों को उपचार एवं निदान हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजना, सी0एच0सी0पर मधुमेह, रक्तचाप, ह्रदय रोग, मस्तिष्क आघात एवं कर्क रोगों का उपचार, गम्भीर मरीजों को सी0एच0सी0 से जिला चिकित्सालय भेजना, जिला चिकित्सालय में वाह्य रोगी, अन्तःरोगी एवं गहन चिकित्सा रोगियों का चिकित्सा प्रबंधन, गम्भीर मरीजों को जिला चिकित्सालय से उच्च चिकित्सा केन्द्रों पर भेजना एवं कर्क रोग से गंभीर रूप से ग्रसित मरीजों को **''टर्शरी कैन्सर सेण्टर''**पर भेजना आदि कार्य किये जाते हैं।

वर्तमान में उक्त कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में चलाया जा रहा है, जिसके अर्न्तगत सितम्बर, 2017 तक 42 जिला एन0सी0डी0 सेल एवं 43 एन0सी0डी0 क्लीनिक एवं 116 सी0एच0सी0 एन0सी0डी0 क्लीनिक क्रियाशील हैं।

कार्यक्रम के अर्न्तगत भौतिक प्रगति :–

क0सं0	मद	वर्ष 2017–18
		अप्रैल, 2014 से अब तक की कुल उपलब्धि
1	एन0सी0डी0 क्लीनिक में आने वाले व्यक्तियों की संख्या	3781935
2	**नये चिन्हित रोगियों की संख्या**	
2.1	मधुमेह पीड़ित	562222
2.2	उच्च रक्त चाप रोगी	579409
2.3	सी0वी0डी0 रोगी	47677
2.4	अन्य कैंसर ग्रस्त रोगी	1563
3	**उपचार हेतु लाये गये नये रोगियों की संख्या**	
3.1	मधुमेह पीड़ित	409639
3.2	उच्च रक्त चाप रोगी	426667
3.3	सी0वी0डी0 रोगी	30548
4	**टर्शरी केयर केन्द्र भेजे गये मरीजों की संख्या**	
4.1	मधुमेह पीड़ित	8957
4.2	उच्च रक्त चाप रोगी	9030
4.3	सी0वी0डी0 रोगी	7667
4.4	कैंसर ग्रस्त रोगी	1136
5	**फिजियोथैरेपी के लिए आये रोगियों की संख्या**	418191

10.राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के 25.3 प्रतिशत युवा चबाने वाली तम्बाकू यथा–गुटखा, ज़र्दा, खैनी आदि का प्रयोग करते हैं जहॉ 2.3 प्रतिशत युवा सिगरेट एवं 12.4 प्रतिशत युवा बीड़ी का प्रयोग करते हैं। 60.7 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित होना चाहिए। 96.1 प्रतिशत धूम्रपान करने वाले सामान्यतः अपने घरों में भी धूम्रपान करते हैं। प्रदेश पर असंचारी रोगों के बढ़ने का कारण युवाओं में बढ़ रही नशाखोरी की लत है।

सामान्य जनता को तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–2008 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 21 राज्यों के 42 जनपदों में प्रारम्भ किया गया।

प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं जिला तम्बाकू प्रकोष्ठ क्रियाशील है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त उ0प्र0 को आच्छादित किया जाचुका है। कानपुर नगर प्रशासन द्वारा 31 मई, 2015 को कानपुर नगर को देश का सर्वप्रथम **तम्बाकू मुक्त जनपद** घोषित किया गया।प्रदेश में खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।दिनांक 31 जुलाई, 2017 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं विनोवा सेवा आश्रम के संयुक्त प्रयास से लखनऊ को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया गया।

11.102 नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक तथा एक चिकित्सा इकाई से दूसरे

चिकित्सा इकाई तक लाभार्थी को परिवहित करने में भी प्रयोग की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों मेंएम्बुलेंस पहुंचने का अधिकतम समय 30 मिनट तथाशहरी क्षेत्रों में 20 मिनट निर्धारित किया गया है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में पूरे 24 घंटे उपलब्ध है। योजना में कुल 1972 एम्बुलेंस संचालित होनी है। इस योजना से दिसम्बर, 2015 तक कुल 75.62 लाख लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में प्रतिमाह 5.50 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

12.108 एम्बुलेन्स सेवा

रोगियों को आकस्मिक परिस्थितियों में अविलम्ब निकटवर्ती चिकित्सा इकाई तक पहुंचायें जाने हेतु आकस्मिक चिकित्सकीय परिवहन सेवा प्रदान करने हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 988 एम्बुलेसों का संचालन पूर्णतया निःशुल्क टोल फ्री नम्बर ''108'' के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने से निःशुल्क टोल फ्री नम्बर ''108'' पर कॉल करने पर शहरी क्षेत्र में 20 मिनट में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में एम्बुलेंस को रोगी तक पहुँचायें जाने की व्यवस्था की जाती है तथा उक्त एम्बुलेंस के द्वारा रोगी को निकटवर्ती राजकीय चिकित्सा इकाई तक पहुँचाकर चिकित्सा सेवा सुलभ करायी जाती है। इस सेवा की उपयोगिता को देखते हुये माह दिसम्बर, 2014 से अर्न्तजनपदीय संदर्भन की सेवा भी उपलब्ध करायी जा रही है।

तालिका–12.06
108 ई0एम0टी0एस0 एम्बुलेन्स सेवा के अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	आकस्मिक सेवाएं	कुल लाभार्थियों की संख्या		
		वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 01 अप्रैल, 2017– 30 सितम्बर, 2017
1	प्रसूति सम्बंधी	908473	1034176	2221147
2	ट्रामा सम्बंधी	143230	156858	316104
3	एक्यूट एबडोमेन	149316	108340	256248
4	मूर्छित	61721	65661	137905
5	श्वाँस सम्बंधी	56297	53080	108623
6	हृदय रोगी	41463	37803	82050
7	ज्वर	112974	59670	185894
8	अन्य आकस्मिक रोगी	306235	268685	605281
	कुल लाभान्वित रोगी	1779709	1784273	3913252

13.परिवार नियोजन कार्यक्रम

परिवार नियोजन कार्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक कार्यक्रम है। प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1950 के दशक में प्रारम्भ किया गया था, जिसके अन्तर्गत नियोजन की स्थायी व अस्थायी विधियों की सेवायें निःशुल्क प्रदान की जाती है। स्थायी विधियों के अन्तर्गत महिला व पुरूष नसबन्दी की सेवायें प्रदान की जाती है एवं अस्थायी विधियों के अन्तर्गत लूप निवेशन, गर्भ निरोधक गोलियों व कण्डोम का वितरण सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क दिया जाता है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलो में गर्भ निरोधक सामग्री का वितरण "आशा कार्यकत्रियों" द्वारा लाभार्थियों के द्वार पर किया जाता

है।वर्ष 2015–16,वर्ष 2016–17एवं वर्ष 2017–18 मेंपरिवार नियोजन कार्यक्रम की उपलब्धियाँ निम्नवत हैः–

तालिका–12.07

क्र०सं०	विधि	2015–16	2016–17	2016–17 (नवम्बर–17तक)
1	वैसेक्टामी	5615	8219	2573
2	टयूबेक्टामी	219715	286107	73714
3	सकल नसबन्दी	225330	294326	76287
4	आइ०यू०डी०	1055365	1199797	447593
5	सी०सी०यूजर्स	649150	600439	463287
6	ओ०पी० यूजर्स	355572	345028	246322

(अ)नसबन्दी

परिवार नियोजन के अन्तर्गत नसबन्दी कराने वाले महिला लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि रू० 1400/– तथा पुरूष लाभार्थी की धनराशि रू 2000/– है। नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/जटिलता/असफल नसबन्दी के मामलों में लाभार्थी को भुगतान हेतु अप्रैल, 2013 से "परिवार नियोजन आईडिमिनिटी योजना" लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण (असफल नसबन्दी) के केसों में रू० 30,000/– तथा नसबन्दी उपरान्त जटिलता के केसों पर अधिकतम् रू० 25,000/– की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जाती है। नसबन्दी उपरान्त मृत्यु के केसों में मुआवजे की धनराशि मिलती है। ऐसे सेवाकेन्द्र जिन पर प्रतिमाह 200 से अधिक प्रसव हो रहे हैं, पर लाभार्थियों की काउन्सिलिंग कर उन्हें परिवार नियोजन विधियों को अपनाने हेतु प्रोत्सहित किये जाने के उद्देश्य से फैमिली वेलफेयर काउन्सलर" की तैनाती संविदा के आधार पर की गयी है।

(ब)आधुनिक गर्भनिरोधक तकनीकों/विधियों का प्रयोग

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016–17 में कुल 294.32 हजार व्यक्तियों ने नसबन्दी कराया जो वर्ष 2015–16 के 252.71 हजार की तुलना में 16.5 प्रतिशत अधिक था। इनमें वर्ष 2016–17 में नसबन्दीकराने वाले पुरुषों की संख्या 8.22 हजार थी जो गत वर्ष 3.10 हजार की तुलना में 165.2 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में महिला नसबन्दीकी संख्या 286.10 हजार थी जो गत वर्ष 249.61 हजार की तुलना में 14.6प्रतिशत अधिक था।

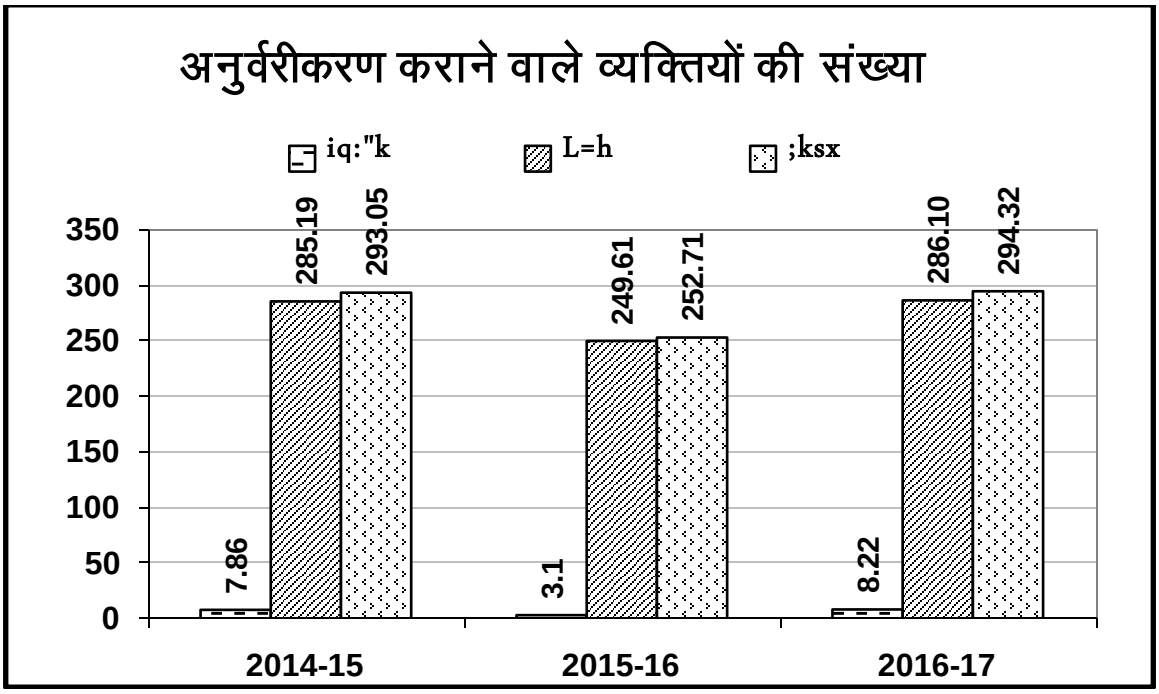

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में वर्ष 2015–16 में लूप निवेशन तथा कापर टी, ओरल पिल्स एवं सी.सी का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1431.88 हजार,362.96हजार तथा 807.85 हजार थी। वर्ष 2016–17 में लूप निवेशन तथा कापर टी, ओरल पिल्स एवं सी.सी का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1441.97हजार, 345.03 तथा 600.44हजार हो गयी।

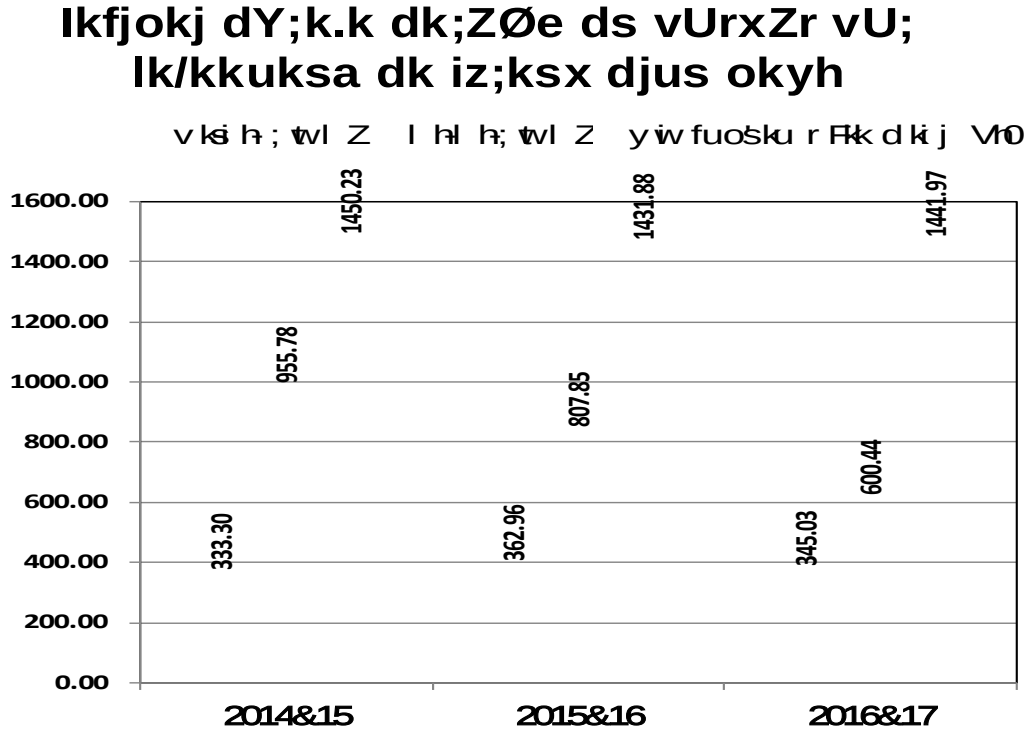

पूर्ण प्रतिरक्षण

महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को टिटनेस एवं बच्चों को काली खांसी, पोलियो इत्यादि के टीके लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 46.91 लाख टी0टी0, 43.92 लाख डी0टी0पी0, 45.05 लाख पोलियो, 49.94 लाख बी0सी0जी0 एवं 45.86 लाख मीजिल्स के टीके लगाए गये। वर्ष 2016–17 में टिटनेस, पोलियो, बी0सी0जी0 एवं मीजिल्स के टीकों की संख्या क्रमशः 45.77 लाख, 43.95 लाख, 49.57 लाख एवं 45.46लाख हो गयी। जैसा कि तालिका–12.08 से स्पष्ट है:–

तालिका–12.08

(लाख में)

क्र0 सं0	मद	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	टी0टी0 गर्भवती माता	64.14	47.27	64.85	46.91	66.13	45.77	66.86	33.55
2	डी0पी0टी0	55.22	46.19	56.01	43.92	–	–	–	–
3	पोलियो	55.22	45.29	56.01	45.05	57.11	43.95	57.86	27.04
4	बी0सी0जी0	55.22	48.36	56.01	49.94	57.11	49.57	57.86	49.57
5	मिजिल्स	55.22	45.31	56.01	45.86	57.11	45.46	57.86	26.22
6	हेप्टाइटिस बी	55.22	44.53	56.01	43.24	–	–	–	–
7	जे0ई0 (38 जनपद)	30.19	21.79	31.63	20.65	32.25	22.12	32.68	13.48

<u>नोट.</u>वर्ष 2016–17 में पेन्टावेलेन्ट वैक्सीन लगने के कारण डी0टी0पी0 एवं हेप्टाइटिस बीका टीकालगना बन्द होगयाहै।

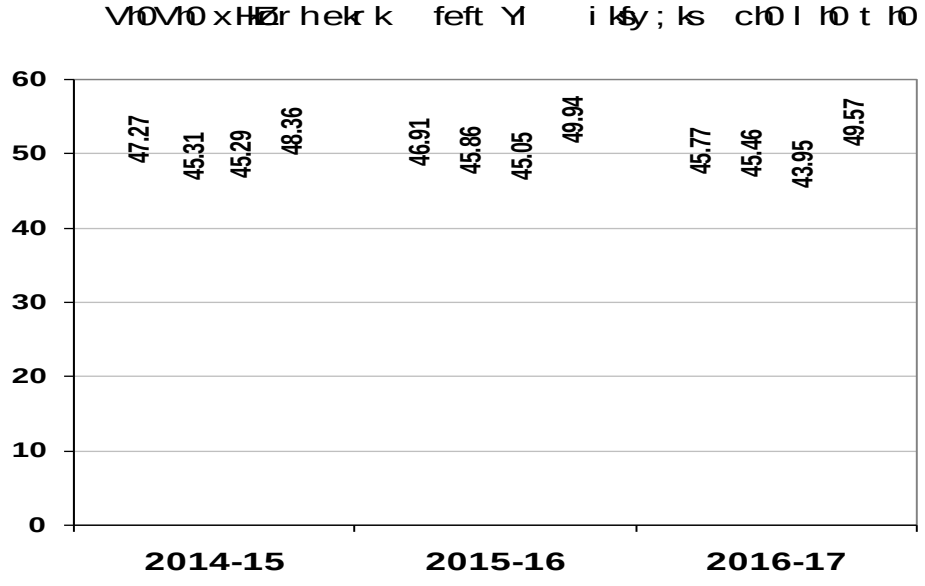

पोलियो कार्यक्रम

प्रदेश में 21 अप्रैल, 2010 के बाद से पोलियो का कोई केस प्रकाश में नहीं आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू०एच०ओ०) द्वारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन के 11 देशों में, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, को मार्च, 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है।

पोलियों विसंक्रमण रोकने हेतु प्रदेश में एन0आई0डी0 (नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) तथा एस0एन0आई0डी0 (सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) चक्र चलाये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जा रहा है। साथ ही पोलियों के विसंक्रमण के खतरे के दृष्टिगत आठ देशों–अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, केन्या, सीरिया, इथोपिया एवं कैमरून आने जाने वाले सभी उम्र एवं सभी वर्ग के यात्रियों को यदि उनके पास पिछले एक वर्ष के अन्दर वैधानिक प्रमाण पत्र न हो तो पोलियों वैक्सीन की एक खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जाता है।आगामी चरण 28 मार्च, 2018को प्रस्तावितहै।

बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह

बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष में दो बार माह जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन–'ए' की खुराक से आच्छादित किया जाता है। इसके अर्न्तगत जून, 2017 अभियान में कुल 21267991 बच्चों को विटाामिन ए की खुराक से आच्छादित किया गया।

जननी सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित प्रसव एवं संस्थागत प्रसव के लिये प्रोत्साहित करना है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाई जा सके। इसके अंतर्गत उपकेन्द्र/पी0एच0सी0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई/जिला अथवा राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओ को ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1400/–व शहरी क्षेत्र में रू0 1000/–एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रू0 500/–सहायता राशि के रूप में दिये जाते है।

आशा को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, आयरन फोलिक एसिड की गोली को उपलब्ध कराना, टी0टी0 टीकाकरण व चार प्रसव पूर्व जाँचे कराने के पश्चात् रू0 300/– व सुरक्षित प्रसव/संस्थागत प्रसव कराने के पश्चात् रू0 300/–दिये जाते है। इस प्रकार पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन व प्रसवोत्तर सभी सेवायें उपलब्ध करवाती है तो आशा कार्यकर्त्री को इस कार्य के लिये ग्रामीण क्षेत्र में कुल रू0 600/–दिये जाते हैं। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत प्रगति निम्नवत् हैः–

तालिका–12.09

(हजार में)

2014–15		2015–16		2016–17		2017–18 (नवम्बर–2017 तक)	
लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2669.40	**2330.62**	**2669.40**	**2401.48**	**2665.91**	**2481.99**	**2748.37**	**1638.63**

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदो में संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत गर्भावस्था में दी जाने वाली सेवायें, प्रसव के दौरान तथा प्रसवोपरान्त सेवाएं, महिला तथा उसके नवजात शिशु की देखभाल आदि समस्त सेवाओं का एकीकरण कर लिया गया है एवं यह सेवायें उस महिला के क्षेत्र की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री/आशा कार्यकर्त्री द्वारा अथवा उसकी सहायता से उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को **गारन्टीड कैशलेस प्रसवसेवा** प्रदान करना है जो निम्नवत हैः–

1. प्रसव के दौरान उपयोग में लाये जाने वाली समस्त औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।
2. सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) को चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है।
3. महिला से सामान्य अथवा सिजेरियन प्रसव हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी यूजर चार्ज नही लिया जा रहा है।
4. सभी जांचे जैसे ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
5. आवश्यकतानुसार ब्लड ट्रान्सफ्यूजन भी निःशुल्क किया जा रहा है।
6. इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व घर से चिकित्सा इकाई तक एवं प्रसवोपरान्त चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है।

   प्रसवों के उपरान्त माँ की 42 दिन तक और बच्चे की एकवर्ष तक पूरी देखभाल/टीकाकरण/ बीमार होने पर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, घर से चिकित्सा इकाई तक एवं चिकित्सा इकाई से घर तक पहुँचाने की निःशुल्क परिवहन सुविधा एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से दी जा रही है।

तालिका–12.10

प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को दी जा रही सुविधाएं

निःशुल्क सुविधाये	वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18 (नवम्बर–17तक)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
निःशुल्क भोजन	**1816840**	**1659841**	**1557000**	**1392441**	**1745042**	**1775347**	**1966240**	**676415**

निःशुल्क उपचार	**4700000**	**3490437**	**4800000**	**3182906**	**5000000**	**4300387**	**5000000**	**939869**
निःशुल्क जाँच	**4771704**	**3573525**	**4800000**	**3231837**	**5000000**	**4387210**	**5000000**	**1208126**

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 का क्रियान्वयन

वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में पिछले दशक 2001 की तुलना में वृद्धि हुई है जबकि बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) में गिरावट आयी है। पिछले 03 दशकों के प्रदेश के लिंग अनुपात एवं बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–12.11

प्रदेश में लिंग अनुपात एवं बाल लिंग अनुपात

क्र0सं0	वर्ष	उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात	उत्तर प्रदेश का बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र)
01	1991	876	927
02	2001	898	916
03	2011	912	902

कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में **''प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994''** पूर्व में ही प्रख्यापित किया जा चुका है, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू है।

अधिनियम के क्रियान्वयन की अनुश्रवण व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु एक पृथक वेबसाईट विकसित की गयी है, जिसका शुभारम्भ प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को किया गया।लिंगचयन/भ्रूण हत्या/अवैध सचांलित केन्दो के अवैधकार्य में संलिप्त व्यक्तियो/केन्द्रों/संस्थानों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु दिनांक 1 जुलाई 2017 से मुखबिर योजना प्रारम्भकीगयीहै।

वार्षिकस्वास्थ्य सर्वेक्षण के वर्ष 2011–12 व 2012–13 के आँकड़ों के अनुसार प्रदेशमेंजन्म केसमय लिंगानुपात, 0-4 आयु वर्गमेंलिंगानुपातवसमस्त आयु वर्गमें लिंगानुपात में वृद्धि परिलक्षित हो रही है, जैसाकि तालिका–12.12 से स्पष्ट हैः–

तालिका–12.12

वर्ष	जन्म के समय लिंगानुपात	लिंगानुपात (0–4 आयु वर्ग)	लिंगानुपात (समस्त आयु वर्ग)
2011-12	**908**	**914**	**944**
2012-13	**921**	**919**	**946**

मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम संचालित है। एनुअल हेल्थ सर्वे के बेस लाइन रिपोर्ट (2010–11) में उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 345 प्रति एक लाख जीवित जन्म था जो प्रथम अपडेशन 2011–12 में घटकर 300 प्रति एक लाख जीवित जन्म एवं द्वितीय अपडेशन 2012–13 की रिपोर्ट के अनुसार यह घटकर 258 प्रति एक लाख जीवित

जन्म हो गया है। किसी भी प्रदेश में मातृ मृत्यु में कमी लाने के लिये मातृ मृत्यु समीक्षा एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो कि मातृ मृत्यु के विभिन्न कारणों एवं कारकों पर प्रकाश डालता है एवं उनको दूर करने में सहायता करता है।

मातृ मृत्यु समीक्षा (एम0डी0आर) कार्यक्रम में प्रत्येक मातृ मृत्यु के कारणों की गहन छानवीन की जाती है जिससे यह पता चलता है कि मातृ मृत्यु के मेडिकल कारण क्या थे तथा सामाजिक कारण क्या थे। इस प्रकार इस समीक्षा से क्षेत्र विशेष तथा समुदाय विशेष में होने वाली मातृ मृत्यु के विषय में जानकारी प्राप्त कर उसी के अनुसार योजना बनाकर कार्य किया जाता है। मातृ मृत्यु से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें तालिका–12.14 में दर्शाए गए हैं–

तालिका–12.13

मातृ मृत्यु से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें

वर्षवार	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18 (नवम्बर–2017तक)
सम्भावित मृत्यु	17268	16906	14021	14620	14620
मातृ–मृत्यु	3274	3861	4372	4964	2449
मातृ–मृत्यु आडिट	2970	3494	3874	4518	2056
प्रतिशत	**18.96**	**22.84**	**31.18**	**33.95**	**15.64**

स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा

जनसामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016–17 में पेयजल सुविधायुक्त नगरों की संख्या 631 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 441 लाख थी। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में पेयजल सुविधा युक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 260110, आंशिक आच्छादित मजरों की संख्या शून्य तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 1698 लाख थी। प्रदेश में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जलोत्सारण सुविधा का होना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016–17 में जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 55 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 40 लाख थी।

तालिका–12.14

उत्तर प्रदेश में हैण्डपम्प इण्डिया मार्क–2 तथा नल द्वारा पेयजल एवं जलोत्सरण सुविधायुक्त नगर एवं मजरे

मद		2015-16	2016-17
1		2	3
1.	पेयजल सुविधायुक्त–		
	(1) नगरों की संख्या	630	631
	(2) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	436	441
	(3) पूर्ण आच्छादित मजरे	260110	260110

	(4) आंशिक आच्छादित मजरे	0	0
	(5) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	1670	1698
	(6)अनाच्छादित मजरों की संख्या	0	0
2.	जलोत्सारण सुविधायुक्त नगर–	55	55
	(2) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	40	40

स्रोतः– उत्तर प्रदेश, जल निगम।

****

अध्याय–13

समाज कल्याण

लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य का मूल उद्देश्य वर्तमान समाज के निर्बल वर्गों के चतुर्दिक विकास की योजनायें बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है ताकि समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के आर्थिक, सामाजिकतथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकतथा महिलाओं हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं यथा छात्रवृत्ति, छात्रावास,आश्रमपद्धति विद्यालय, पेंशन, शोषण के विरूद्ध सहायता एवं भरण पोषण सम्बन्धी योजना आदि का संचालन किया जा रहा है। ये योजनाएं समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण, महिला कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उ0प्र0 के आय–व्ययकका आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2017–18 के अनुसार वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में सरकार का सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणपरचालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है–

तालिका–13.01

उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2015-16	1741784 (9.4%)	92032 (1.0%)	1833816 (6.6%)
2016-17	2117793 (10.2%)	218691 (2.2%)	2336484 (7.7%)
2017-18	2183266 (7.9%)	100306 (1.2%)	2283572 (6.3%)

नोट– कोष्ठक में प्रतिशतदर्शाया गया है जो प्रदेश केचालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्ययके सापेक्षदिया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणपर वर्ष 2017–18 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.9 प्रतिशत तथा 1.2 प्रतिशत रहा। वर्ष 2016–17 (पुनरीक्षित अनुमान) में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणपर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 10.2 प्रतिशत तथा 2.2 प्रतिशत रहा। वर्ष 2015–16 (वास्तविक अनुमान) में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणपर कुल चालूव्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 9.4 प्रतिशत तथा 1.0 प्रतिशत रहा।तालिका से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणपर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है।

समाज कल्याण सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1.वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों को जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित हैअथवा जो बी0पी0एल0 श्रेणी के लाभार्थी हैं अर्थात जिसकी आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/– वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460/– वार्षिक से कम है, पात्रता की श्रेणी में आते हैं। ऐसे पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजना में 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पेंशनरों को राज्य सरकार अपने संसाधन से रू0 200/– मासिक पेंशन राज्यांश के रूप में तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह रू0 200/– प्रति लाभार्थी की दर से केन्द्रांश के रूप मे पेंशन दी जाती है। 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को रू0 500/– प्रति लाभार्थी प्रति माह की दर से भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में पेंशन दी जाती है। वर्ष 2016–17 में 154701.55 लाख रू० व्यय कर 37.86 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया।वित्तीय वर्ष 2017–18में31 अगस्त, 2017 तक इस योजनान्तर्गत रू0 72370.18 लाख की धनराशि व्यय कर 35.87 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

2.राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत् परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर रू० 30,000 की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा रू0 20,000 एवं राज्य सरकार द्वारा रू0 10,000/– की एक मुश्त अनुदान सहायता राशि के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से यह योजना कम्प्यूटरीकृत करते हुए ऑन लाईन कर दी गयी है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 26306.00 लाख रू० व्यय कर 87687 परिवारों को लाभान्वित किया गया।वित्तीय वर्ष 2017–18 में 31 अगस्त, 2017 तक रू0 7772.10 लाख व्यय कर 25907 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

3.राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से संचालित पेंशन योजना

पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साक्षरता को समन्वित करते हुए समाज के निर्बल एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक योजना के संचालन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। इस योजना में प्रदेश के 40 लाख परिवारों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य था, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 12 लाख लाभार्थी, अल्पसंख्यक वर्ग के 10 लाख लाभार्थी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के 18 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य था। पुनः वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत लक्ष्य बढ़ाकर 45 लाख एवं वर्ष 2016–17 हेतु बढ़ाकर 55 लाख कर दिया गया था। योजना में प्रति लाभार्थी को रू0 500/– की मासिक सहायता अनुमन्य करायी गयी। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं साक्षरता के कतिपय मानकों को पूरा करने के फलस्वरूप सहायता राशि में रू0 50/– की वार्षिक वृद्धि किये जाने का प्राविधान था।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष2015–16में रू० 242624.34 लाख की धनराशि व्यय कर 42.43 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17में इस योजनान्तर्गत रू0 325564.27 लाख की धनराशि व्यय कर 54.50 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

4.छात्रवृत्ति वितरण योजना

छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया है। दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजना में

पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 से छात्र द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑन लाइन भरने की अनिवार्य व्यवस्था लागू की गयी है।

पूर्वदशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग)

कक्षा 9 व 10 के अनुसूचितजाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली पर आधारित ई–पेमेन्ट के माध्यम से कोर बैंकिंग सिस्टम द्वारा सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में किया जाता है। अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 की कक्षाओं में अध्ययनरत रू0 2.00 लाख वार्षिक आय की सीमा तक के माता–पिता/अभिभावकों केआश्रितों को छात्रवृत्ति दी जाती है। तालिका–13.01 में विभिन्न वर्षों की प्रगति दियागया है।

तालिका–13.02

छात्रवृत्ति वितरण योजना की प्रगति

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (धनराशि रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1	पूर्वदशम् – अनु. जाति/जनजाति	2015–16	83364	1876.05
		2016–17	323179	6683.50
	पूर्वदशम् – सामान्य वर्ग	2015–16	15564	107.07
		2016–17	79978	1663.99
2	दशमोत्तर– अनु. जाति/जनजाति	2015–16	674105	116169.11
		2016–17	1159590	176080.16
	दशमोत्तर– सामान्य वर्ग	2015–16	428229	56483.28
		2016–17	589383	66629.74

5.पं0 दीनदयाल उपाध्यायराजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। शिक्षा के साथ–साथ निःशुल्क छात्रावास, भोजन, पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म, खेल–कूद आदि की व्यवस्था भी की जाती है। इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश की व्यवस्था है। बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक विद्यालय खोले गये हैं। वर्तमान में इन विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है। समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित 93 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 37 आश्रम पद्धति विद्यालयों की सम्बद्धता सी0बी0एस0ई0 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमशः 31563 एवं 31150 छात्रों को योजना का लाभ दिया गया।योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 16796.71 लाख के बजटप्राविधान के सापेक्ष 31 अगस्त, 2017 तक रू0 2568.49 लाख व्यय किया गया।

6.राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत एवं पेय जल की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।प्रदेश में 278 छात्रावास संचालित हैं। वर्ष 2016–17 में इस योजनानतर्गत 2135.59 लाख रू० व्यय कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 9450 छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी।योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 2873.67 लाख के बजटप्राविधान के सापेक्ष31 अगस्त, 2017 तक रू0 727.03 लाख व्यय किया गया।

7.अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पी0सी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को भारत सरकार की तद्विषयक नियमावली के अन्तर्गत न्यूनतम 40,000/– रूपये से लेकर 5,00,000/– रूपये तक की सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष2016–17 में 4617.20 लाख रू० व्यय कर 8215 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 4620.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 31 अगस्त, 2017 तक रू0 4429.27 लाख व्यय किया गया।

8.उत्तर प्रदेशमाता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं वृद्धाश्रमों का संचालन

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 के अधीन उ0प्र0 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली–2014 के अधीन भरण–पोषण के आदेश पर न्याय निर्णयन और विनिश्चयन करने के प्रयोजन से राज्य के प्रत्येक राजस्व जिलों की प्रत्येक तहसील में भरण–पोषण अधिकरण का गठन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कर दिया गया है।प्रत्येक तहसील में एक सुलह अधिकारी की तैनाती का प्राविधान किया गया है। तत्क्रम में 21 जनपदों में रू0 10000/– के मानदेय पर सुलह अधिकारी को तैनात कर दिया गया है।

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रमों की स्थापना पी0पी0पी0 माडल पर की गयी है, जिसमें निवासरत वृद्धों को निःशुल्क ढंग से भोजन, वस्त्र, औषाधि, मनोरंजन तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अनुरक्षण समिति तथा प्रदे'k स्तर पर मा0 मंत्री, समाज कल्याण की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुरक्षण समिति का गठन कर कार्यक्रम का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।योजनानतर्गत वर्ष 2016–17 में 2399.27 लाख रू० एवं2017–18 में 1270.45 लाख रू०व्यय किये गये।

योजनाओं के कार्यान्वयन में चुनौतियां एवं प्राथमिकतायें

समाज कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के परम्परागत संचालन में अनेक व्यवहारिक समस्यायें उत्पन्न हो रही थी। योजना संचालन में दलालों/बिचौलियों द्वारा अनधिकृत हस्तक्षेप करते हुए योजना का लाभ सही व्यक्ति को पहुॅचाने में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था।

- वृद्धावस्था पेंशन योजना में बहुधा यह शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि योजना संचालन में दलालों/बिचौलियों द्वारा अनधिकृत हस्तक्षेप करते हुए योजना का लाभ सही व्यक्ति को पहुँचाने में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था। इस समस्या के निराकरण हेतु योजना को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा सीधे बैंक खाते में किया जा रहा है।

- इसी प्रकार छात्रवृत्ति वितरण योजना को भी पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। छात्रवृत्ति से सम्बन्धित समस्त आवेदन पत्र ऑन लाईन ही स्वीकार किये जा रहे हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारियों के स्तर से सम्यक परीक्षणों उपरान्त ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान भी पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा सीधे छात्रों के बैंक खातों में किया जाता है।
- पारिवारिक लाभ योजना को भी वित्तीय वर्ष 2014–15 से कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है तथा माह जनवरी, 2016 से इस योजना में आवेदन पत्र ऑन लाइन स्वीकार किये जा रहे हैं।
- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जो अभी तक परामपरागत व्यवस्था के अनुसार संचालित थे उनमें मूलभूत परिवर्तन करते हुए उन्हें नवोदय पद्धति से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के संचालन हेतु एन0आई0सी0 के सहयोग से साफ्टवेयर विकसित कर उसे क्रियाशील **(एक्टिवेट)** किया जा चुका है। इस प्रयास से निश्चय ही आश्रम पद्धति विद्यालयों के माध्यम से दी जा रही शिक्षा के स्तर में अभूत पूर्व सुधार सम्भव हो सकेगा तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक स्तर को उच्चीकृत करने में यह प्रयास सहयोगी सिद्ध होगा।

समाज कल्याण हेतु संचालित प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण पारदर्शी तथा समयबद्ध रूप से संचालित किये जाने के कार्य को राज्य सरकार द्वारा एक चुनौती के रूप में लिया गया है तथा इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किये गये है। सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का प्रभाव वर्तमान में योजना संचालन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है।

योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं लक्ष्य पूर्ति हेतु किये गये उपाय

- वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त पात्र पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है ताकि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- छात्रवृत्ति वितरण योजना के अन्तर्गत नियमानुसार चयनित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। योजना में पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया है। वर्ष 2013–14 से छात्र द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑन लाइन भरने की अनिवार्य व्यवस्था लागू की जा चुकी है।
- प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु एकीकृत पेंशन पोर्टल**एसएसपीवाई–यूपी.जीओवी.इन**की स्थापना की गयी है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत/वार्ड में विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जा रहे लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध रहेगा।
- प्रदेश में प्रथम बार पी0एफ0एम0एस0 का कोषागार के साफ्टवेयर के साथ इन्ट्रीगेशन कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग एवं कोषागार के अधिकारियों को डिजीटल सिग्नेचर उपलब्ध कराये जा चुके हैं ताकि समस्त प्रकार की पेंशन के भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली का प्रयोग करते हुए पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके।
- जनसाधारण की छात्रवृत्ति/पेंशन से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग द्वारा 25 सीटों वाले कॉल सेन्टर/हेल्प लाइन की भी स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से प्रदेश के

छात्र–छात्राओं की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। टोल फ्री हेल्प लाइन का दूरभाष संख्या –1800419001 है।

- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को ऑन लाइन करने के उददेश्य से राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र इकाई द्वारा साफ्टवेयर का विकसित किया गया है, जिसका उददेश्य योजना को पूर्णरूपेण पारदर्शी बनाया जाना है। योजनान्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन फार्म भरे जाने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गयी है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की लगभग 52 प्रतिशत आबादी के दृष्टिगत उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु राज्य सरकार क्रियाशील है। वर्तमान में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्वदशम् एवं दशमोत्तरछात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रावास निर्माण के साथ–साथ बेरोजगार युवक–युवतियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण की योजनायें संचालित की जा रही हैं।उक्त के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार से अनुदान दिलाये जाने की योजनायें भी संचालित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम की चैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्यरत है, के द्वारा पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे/दोहरी गरीबी रेखा के परिवार को स्वतः रोजगार स्थापित करने के लिए एवम् उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

पिछड़े वर्ग के विकास हेतु संचालित योजनायें

1.पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

प्रदेश में पिछड़े वर्ग के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भाँति उन्हीं दरों एवम् शर्तों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसमें अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 के कक्षा 9 व 10 के 519596 छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि कुल रू० 107.33 करोड़ एवं कक्षा 10 व 12 के 13.64 लाख छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि कुल रू० 433.75 करोड़ पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में अन्तरित की गयी।

वर्ष 2017–18 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 6,31,287 छात्र/छात्राओं को कुल रू0 142.04 करोड़ एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के 16,74,077 छात्र/छात्राओं को कुल रू0 510.04 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित करने का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2.शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित करते हुए पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से 11,13,176 लाख छात्र एवं छात्राओं को रू० 551.28 करोड़ की धनराशि उनके बैंक खाते में सीधे अन्तरित की गयी।वर्ष 2017–18 में 12,00,000 छात्र/छात्राओं को कुल रू0 551.28 करोड़ की धनराशि से लाभन्वित करने का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3.छात्रावास निर्माण योजना

शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं के परिसर में छात्रावास का निर्माण कराया जाता है। भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन के अनुसार राजकीय शिक्षण संस्थानों में छात्रावास

हेतु बजट व्यवस्थाछात्राओं के लिये 90:10 केन्द्रांश और राज्यांश है, छात्रों हेतु 60:40 केन्द्रांश और राज्यांश है और एन०जी०ओ० द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास हेतु 45:45:10 केन्द्रांश/राज्यांश/एन०जी०ओ० अंश निर्धारित है।वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में भारत सरकार से छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है और न ही कोई बजट का आवंटन प्राप्त हुआ है।

4. शादी अनुदान योजना

पिछड़े वर्ग की निःसहाय, निर्धन तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु रू0 20000.00 की सहायता अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना में विधवा, विकलांग, दैवीय आपदा जनो एवं भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाती है। शादी अनुदान योजना में लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 70.774 आवेदको को रू0 141.55करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया गया। वर्ष 2017–18 में इस योजना हेतु बजट व्यवस्था को शून्य कर दिया गया है।

5.'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करने हेतु 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना भारत सरकार की डोयक सोसाइटी (नीलिट) से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित है। उक्त योजना हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम रू0 15000.00 प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से संस्था को किये जाने का प्राविधान है। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना के अन्तर्गत 7333 हजार प्रशिक्षार्थियों को रू0 11.0 करोड़ व्यय कर लाभन्वित किया गया। वर्ष 2017–18 में 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण में 5,333 प्रशिक्षार्थियों हेतु रू0 8.0 करोड़ एवं सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण में 8,570 प्रशिक्षार्थियों हेतु रू0 3.0 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गयी है।

दिव्यांग कल्याण

भारत की जनगणना वर्ष2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांग व्यक्तियों का विकलांगतावार वर्गीकरण निम्नवत हैः–

तालिका–13.03

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रेणीवार दिव्यांगों की संख्या

विवरण	ग्रामीण	शहरी	कुल योग
दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या	3166615	990899	4157514
दृष्टि विकलांगता	579182	184806	763988
वाक् विकलांगता	202152	64434	266586
श्रवण विकलांगता	753704	274131	1027835
अस्थि विकलांगता	543203	134510	677713

विवरण	ग्रामीण	शहरी	कुल योग
मानसिक मंदित	140097	41245	181342
मानसिक रूग्ण	57497	19106	76603
अन्य विकलांगता	720020	226416	946436
बहु विकलांगता	170760	46251	217011

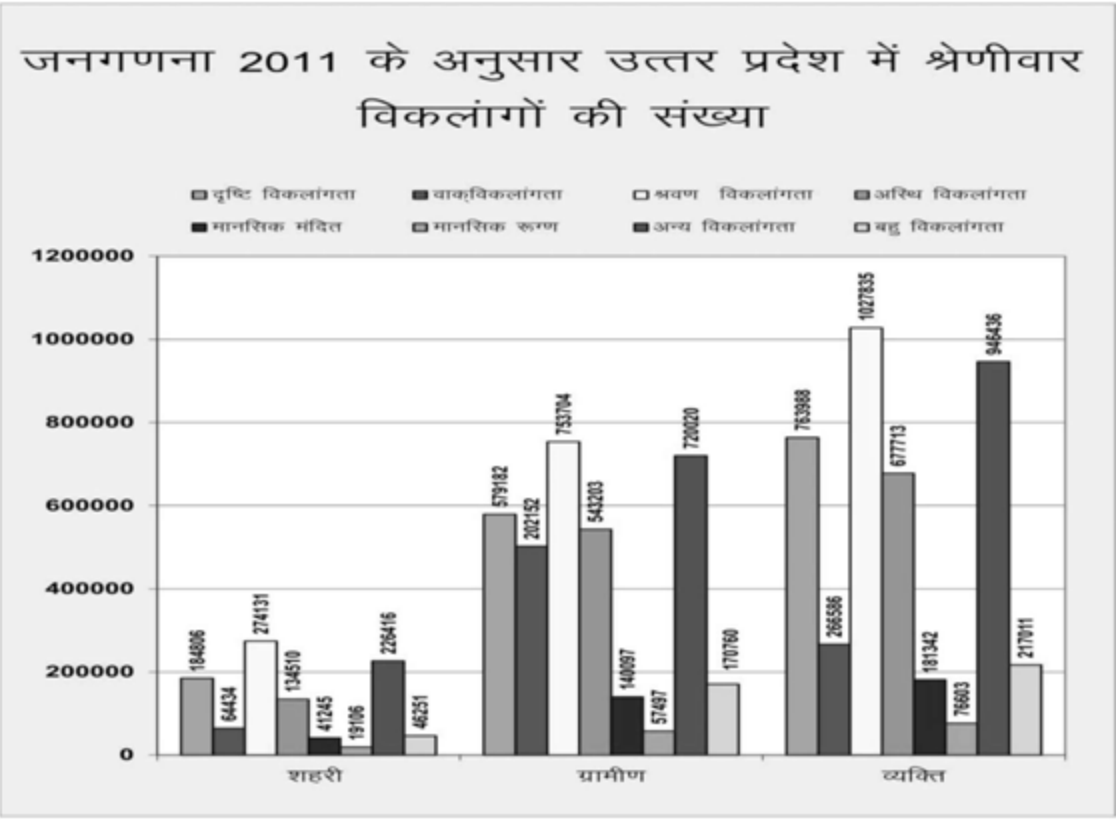

दिव्यांगों के कल्याण हेतु संचालित योजनायें

1. विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)

प्रदेश में दृष्टिबाधित,मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, जिनका जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, के भरण–पोषण हेतु दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत रू0 500/– प्रति माह की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिव्यांग जन हेतु कुल रू0 32153.26 लाख केबजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 31840.27 लाख का व्यय कर 883157 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में लाभार्थियों हेतु रू0 55902 लाखका बजट प्राविधान है जिसके सापेक्ष 13162.74 लाख का व्यय कर 877516 दिव्यांगजनों को पेंशन से लाभान्वित किया गया हैं।

2.कुष्ठावस्था पेंशन योजना

दिव्यांगजनहेतु संचालित दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगजनको भी पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी आयु वर्ग केदिव्यांगजन पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तथा बी०पी०एल० आय सीमा के अन्तर्गत आते हों एवं शासन द्वारा संचालित अन्य पेंशन प्राप्त न कर रहे हों, को प्रदेश के सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) मान्य होगा को रू० 2500/– प्रति माह लाभार्थी की दर से अनुदान अनुमन्य होगा।वर्ष 2016–17 में कुल 5174 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 1800.00 लाख का बजट प्राविधान है जिसके सापेक्ष 388.05 लाख का व्यय कर 5174 दिव्यांगजनों को कुष्ठावस्था पेंशन से लाभान्वित किया गया हैं।

3.कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु अनुदान योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम रू0 8000/– तक का अनुदान कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र हेतु दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 मेंकुलरू0 1490.00 लाख केबजट प्राविधान के सापेक्ष क्रमशः रू0 1413.15 लाख़ का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुलरू0 3240.00 लाखका बजट प्राविधान है जिसके सापेक्ष 117.94 लाख का व्यय कर 1901 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।

4.दुकाननिर्माण/संचालन योजना

इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग जन के पुनर्वासन हेतु रू0 20000/– की धनराशि दुकान निर्माण हेतु अथवा रू0 10000/–की धनराशि दुकान संचालन हेतु देने की व्यवस्था है। रू0 20000/– में से रू0 15000/– की धनराशि तथा रू0 10000/– में से रू0 7500/– की धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप में एवं क्रमशः रू0 5000/– एवं रू0 2500/– अनुदान के रूप में दी जाती है।योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुल 958लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान हेतु रू0 96.40 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 5.60 लाख का व्यय कर 56 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया हैं।

5. दिव्यांगविवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत न्यूनतम् 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग दम्पत्ति में से पति के दिव्यांग होने पर रू० 15,000/– तथा पत्नी के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/– अथवा दोनों के दिव्यांग होने पर रू० 35,000/– धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। दिव्यांगों से विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार उन दिव्यांग जन लाभार्थियों को पहले दिया जाता है, जिनका विवाह पहले हुआ हो तथा जो आयकरदाता न हों।इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में ऐसे कुल 1228 दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 264.00 लाख का प्राविधान है जिसके सापेक्ष 11.05 लाख का व्यय कर 67 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया हैं।

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को दिव्यांगजन की निःशुल्क बस यात्रा हेतु क्षतिपूर्ति :–

दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों से निम्नानुसार निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही हैः–

(क) न्यूनतम् 40%दिव्यांगता वाले सभी दिव्यांगजन को।

(ख) 80% या उससे अधिक अथवा बहुदिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगजन को एक सहवर्ती के साथ।

6. विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों हेतु विशेष विद्यालय

विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित बच्चों को आवासीय एवं अनावासीय शिक्षा प्रदान करनें के उद्देश्य से दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु, जनपद लखनऊ (दो विद्यालय), गोरखपुर (दो विद्यालय), सहारनपुर, बांदा, मेरठ में एक–एक विद्यालय, श्रवण बाधित छात्रों हेतु बरेली, गोरखपुर, लखनऊ,आगराएवं फर्रूखाबादमें, मानसिक मंदित छात्र/छात्राओं हेतु लखनऊ, इलाहाबाद में एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों हेतु लखनऊ तथाप्रतापगढ़ में एक–एक विशेष विद्यालय संचालित हैं। दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं को विशिष्ट शिक्षा पद्धति ब्रेललिपि एवं कम्प्यूटर के माध्यम से आधुनिकतम विधा में शिक्षण प्रदान किया जाता है। श्रवण बाधित छात्र/छात्राओं को संकेतिक भाषा के साथ–साथ आधुनिक तकनीकी/विशेष शिक्षा के अनुसार अध्ययन–अध्यापन का कार्य कराये जानें की व्यवस्था की गयी है।मानसिक मंदित छात्र/छात्राओं को एक्टिविटी आफ डेलीलिविंग में उत्तरोत्तर सुधार लानें एवं बौद्धिक क्षमता के विकास के उद्देश्य से विशेष शिक्षा प्रदान किये जानें की व्यवस्था की गयी है। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को आधुनिक शिक्षा का समावेश करते हुए शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।

7.बचपन डे केयरका संचालन

03 से 07 वर्ष केदिव्यांगबच्चों के प्री–स्कूल रेडीनेस हेतु जनपद–लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, में 60–60 बच्चों की क्षमता का तथा जनपद आगरा, बरेली, झांसी, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर में 30–30 बच्चों की क्षमता के बचपन डे केयर सेन्टर्स का संचालन किया जा रहा है। इन सेन्टर्स मेंदिव्यांग बच्चों को उनकीदिव्यांगता की चुनौतियों का सामना करने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण/शिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उनके निःशुल्क आवागमन, फिजियो–थिरैपी, साईको–काउन्सलिंग, स्पीच–थिरैपी आदि की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।जनपद अलीगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़, कानपुर नगर, फैजाबाद, गोण्डा तथा गोरखपुर में 10 नये बचपन डे केयर सेन्टर्स की स्थापना सरकार द्वारा की जा रही है।स्थापित बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू0 310.00 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 221.41 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 310.00 लाख का प्राविधान है।

डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ) की स्थापनाः–

प्रदेश के विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करनें हेतु उ०प्र० दिव्यांग उद्धार डा० शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ) की स्थापना वर्ष 2008 में की गयी है। विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पाठ्क्रमों में समेकित शिक्षा का प्राविधान है जिसमें सभी प्रकार के पाठ्क्रमों में दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयी हैं जिसमें से पुनः 50 प्रतिशत अर्थात 25 प्रतिशत सीटें केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। विश्वविद्यालय में कुल 09 संकाय के अर्न्तगत 29 विभागों के बनने का प्राविधान है जिसमें वर्तमान में 21 विभाग क्रियाशील हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय में स्नातक, परास्नातक कक्षाओं के साथ–साथ विशिष्ट बी०एड०, एम०बी०ए० एवं बी०ए० पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 मेंउत्कृष्ट संस्था के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में विश्वविद्यालय में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु रू0 2000.00 लाख तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वासन केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 974.84 लाख का प्राविधानकिया गया है।

8..कौशल विकास केन्द्र (दृष्टिबाधितों के लिये राजकीय कर्मशाला) लखनऊ, गोरखपुर तथा बाँदा–

बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दृष्टिबाधित व्यक्तियों/दिव्यांगों हेतुलखनऊ, गोरखपुर तथा बाँदा में, मूक बधिरों के लिये जनपद आगरा मेंएवं शाारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों/दिव्यांगों को वाराणसी/इलाहाबाद/उन्नाव में एक–एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला संचालित है। लखनऊ तथा गोरखपुर कर्मशाला में स्वीकृत आवासीय संवासी क्षमता 50–50 तथा अनावासीय संवासी क्षमता 50–50 है। बाँदा में आवासीय संवासी स्वीकृत क्षमता 50 तथा अनावासीय क्षमता 25 है। इन कर्मशालाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वर्क आर्डर के आधार पर कुर्सी बुनाई, सिलाई आदि का कार्य अन्य कार्यालयों में उपलबध कराया जाता है जिसके लिये उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके साथ ही डिजाइनर मोमबत्तियों, कम्प्यूटर आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।दिव्यांग कर्मशालाओं के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राविधानित धनराशि कुल रू0 215.73 लाख के सापेक्ष कुल रू0 167.77 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू 344.83 लाख का प्राविधान है।

9–बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र मुरादाबाद एवंगौतमबुद्धनगरः–

सभी श्रेणी के दिव्यांगजन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मुरादाबाद एवं गौतमबुद्धनगर जनपद में एक–एक बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की स्वीकृत क्षमता 50–50 (कुल 100 है) जिसमें सभी श्रेणी के दिव्यांग जन को बाजार की मांग के अनुरूप अल्प अवधि के विभिन्न व्यवसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रारम्भ करने योग्य बनाया जाता है।उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु कुल रू0 21.76 के बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 16.82 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू 21.76 लाख का प्राविधान है।

10.दक्ष दिव्यांगकर्मचारियों को पुरस्कार

प्रत्येक वर्ष "विश्व दिव्यांगता दिवस" 03 दिसम्बर के अवसर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगव्यक्तियों/कर्मचारियों/सेवायोजकों/सृजनात्मक कार्य/तकनीकी खोज/उत्कृष्ट रोल माडल/उत्कृष्ट प्लेसमेन्ट/बाधारहित वातावरण के निर्माण के लिए/उत्कृष्ट चैनेलाइजिंग ऐजेन्सी/उत्कृष्ट लोकल लेवल कमेटी/उत्कृष्ट शिक्षण तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। गत वर्ष 03 व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के साथ 23 व्यक्तियों के अतिरिक्त 07 संस्थाओं को भी दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया।वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 4.50 लाख के प्राविधान के सापेक्ष माह मार्च, 2017 तक रू0 4.23 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 13.00 लाख का प्राविधान है।

11.मनोविकास केन्द्र गोरखपुर

गोरखपुर मण्डल में जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के आरोग्य भवन में मनोविकास केन्द्र संचालित है। इस मनोविकास केन्द्र में जापानी इंसेफलाइटिस से ग्रसित दिव्यांगजन को आई0क्यू0 असेसमेन्ट, आक्यूपेशनलथिरेपी यूनिट, फिजियोथैरेपी यूनिट, आडियोलाजी यूनिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनिट, काउन्सिलिंग एवं सोशल एजूकेशनल यूनिट के माध्यम से पुनर्वास सेवायें एवं सुविधायें प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु कुल रू0 18.73 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 15.08 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 18.73 लाख का प्राविधान है।

12.दिव्यांगतानिवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के निर्धन एवं असहाय दिव्यांगव्यक्तियों की दिव्यांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा सहायता देने के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान नियमावली वर्ष 2004 में प्रख्यापित करायी गयी है जिसके अनुसार ऐसेदिव्यांग व्यक्ति जिनकी तथा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू० 60,000/– से अधिक न हो को शल्य चिकित्सा हेतु रू 10000/– तक का अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु कुलरू0 20.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 14.08 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 मेंइस हेतु कुल 620.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

13.मानसिक मंदित आश्रय गृह

प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित महिलाओं एवं पुरूषों हेतु तीन मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। ये केन्द्र मेरठ, गोरखपुर में पुरूषों हेतु एवं बरेली में महिला एवं पुरूष दोनोंको कौशल विकास प्रशिक्षण, एक्टिविटी आफ डेलीलिविंग (नैत्यिक कार्यों का सम्पादन) आदि के माध्यम से उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने हेतु संचालितहैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू0 375.48 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 60.00 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 500.00 लाख का बजटप्राविधान है।

14.उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास

उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधितएवं अन्यदिव्यांगछात्र/छात्राओं को इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करनें के उपरान्त उच्च शिक्षा प्राप्त करनें में हो रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ में 02 (बालक तथा बालिकाओं के लिए एक–एक), गोरखपुर में 02 (बालक तथा बालिकाओं के लिए एक–एक), इलाहाबाद में 01 (बालक हेतु), एवं मेरठ में 01 (बालको हेतु) कुल 06 छात्रावासों का निर्माण कराया गया है।सभी छात्रावास की स्वीकृत क्षमता 200–200 कमरों की है।विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए उक्त 16 विद्यालयों एवं उनके छात्रावासो के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू0 2024.73 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 1581.96 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू 2091.43 लाख का प्राविधान है।

15.दृष्टि बाधित अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र

राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून द्वाराएवं राजकीय दृष्टिबाधित इन्टर कालेज, मोहान रोड, लखनऊ,उत्तर प्रदेश के परिसर में संयुक्तरूप से अध्यापक प्रशिक्षणकेन्द्र का संचालन किया जा रहा है जहाँ दृष्टिबाधित छात्रों के शिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण के कोर्स संचालित किये जाते हैं।

16.अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीयदिव्यांगसशक्तीकरणसंस्थान वाराणसी का संचालन

मानसिक मंदित दिव्यांगजन को विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु जनपद वाराणसी में अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय संस्थान की स्थापना की गई है। इस संस्थान में विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान किये जाने के साथ ही स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। संस्थान में फिजियोथेरेपी आदि की भी सुविधा उपलब्ध है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू0 33.71 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 22.67 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 33.71 लाख का प्राविधान है।

17.डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्डहाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त योजना अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 20.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 19.99 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 20.00 लाख का प्राविधान है।

अल्पसंख्यक कल्याण

प्रदेश में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं पारसी समुदायों तथा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों की शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या की तुलना में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत् है :–

तालिका–13.04

कुल जनसंख्या में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत

क्र0सं0	समुदाय का नाम	कुल जनसंख्या की तुलना में समुदाय का प्रतिशत	
		भारत	उत्तर प्रदेश
1.	मुस्लिम	14.2	19.3
2.	ईसाई	2.3	0.2
3.	सिक्ख	1.7	0.3
4.	बौद्ध	0.7	0.1
5.	जैन	0.4	0.1
6.	अन्य	0.9	0.3
कुल अल्पसंख्यक		20.2	20.3

अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व निम्नवत् हैः–

तालिका–13.05

अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व

क्र0सं0	समुदाय	भारत	उत्तर प्रदेश
1	मुस्लिम	70.42	95.02
2	ईसाई	11.37	0.88
3	सिक्ख	8.52	1.59
4	बौद्ध	3.45	0.51
5	जैन	1.82	0.53
6	अन्य	4.42	1.47

अल्पसंख्यक कल्याणहेतु संचालित योजनायें

1.पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना

पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की योजना वर्ष 1995–96 से संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत समुदाय के ऐसे सभी छात्र, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.00 लाख है, योजना में आच्छादित हैं।अक्टूबर, 2012 से अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण बैंक खाते के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 147100छात्र/छात्राओं कोरू0 3080.06 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

2. दशमोत्तर छात्रवृत्ति

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना वित्तीय वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ की गयी है। अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है, योजनान्तर्गत अर्ह/पात्र माने जायेंगे तथा योजनान्तर्गत आय के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को दो वर्गो (नवीनीकृत एवं नये) के रूप में चिन्हीकरण के आधार पर नवीनीकृत छात्रों हेतु गतवर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा नये छात्रों हेतु गत वर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 60 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित मासिक दरों पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक/के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 455848 छात्र/छात्राओं को रू0 14064.71 लाख कीछात्रवृत्ति प्रदान की गई।योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में कुल रू0 14867.00 लाख की धनराशि का बजट उपलब्ध है।

3.दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र छात्र–छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के साथ–साथ शुल्क प्रतिपूर्ति योजना भी संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है,को लाभान्वित किया जाता है।

योजनान्तर्गत आय के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को दो वर्गो (नवीनीकृत एवं नये) के रूप में चिन्हीकरण के आधार पर नवीनीकृत छात्रों हेतु गतवर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा नये छात्रों हेतु गत वर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 60 प्रतिशत के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक छात्र/छात्रा की शिक्षा पर होने वाले वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम रू0 50,000/– वार्षिक (जो भी कम हो) को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।वित्तीय वर्ष 2016–17 में 291991छात्र/छात्राओं को रू0 14999.78 लाख की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि से लाभान्वित किया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में कुल रू0 15000.00 लाख की धनराशि का बजट उपलब्ध है।

4.अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/निराश्रित अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना

इस योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की दो पुत्रियों के विवाह के लिए रू0 10,000/– प्रत्येक के आधार पर आगामी 06 माह के अन्दर प्रस्तावित अथवा गत् 06 माह के अन्दर सम्पन्न विवाह आयोजन हेतु रू0 10,000/– की सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 41225 आवेदकों को लाभान्वित किया गया।

5.प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0)

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ मदरसों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशलन ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0) प्रारम्भ की गयी है, जिसके प्रथम चरण में 140 मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना कर मदरसा प्रबन्ध–तन्त्र को परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ बालक/बालिकाओं को उनकी अभिरूचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत सम्बन्धित ट्रेडों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष निर्धारित की गयी है, जिसको पूरा करने पर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक/बालिकाओं की परीक्षा लेकर उन्हें प्रमाण–पत्र भी प्रदान किये जाते हैं। इस योजना की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये अनुदेशकों आदि के चयन के लिये जिलाधिकारी के स्तर पर चयन समिति बनायी गयी है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों को भी रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार/तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक/युवतियों को रोजगार भी मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 2117.31 लाख की प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अब तक रू0 1251.00 लाख का व्यय हो चुका है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में कुल रू0 2117.31 लाख की धनराशि का बजट उपलब्ध है।

6.अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना

शैक्षणिक हब के अन्तर्गत माडल इण्टर कालेज कक्षा–1 से 12 तक की स्थापना उन जनपदों में की जानी है, जहॉ अल्पसंख्यकों की आबादी अधिकतम है। प्रथम चरण में ऐसे 20 जनपदों को चिन्हित करके उनमें दो माडल इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना है, जिसमें एक माडल इण्टर कालेज बालिकाओं के लिए होगा। यहाँ शिक्षा के साथ–साथ कौशल सुधार से संबंधित शिक्षा, कोचिंग एवं रोजगार के अवसर मुहैया कराने से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप भी संचालित किये जायेंगें। शासकीय इण्टर कालेज में से एक–एक माडल इण्टर कालेज पश्चिमान्चल, मध्यान्चल एवं पूर्वान्चल क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में किया जायेगा जिनमें छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद लखीमपुर खीरी में दो, बरेली, शामली में एक, सिद्धार्थनगर, अमरोहा, मुरादाबाद में एक, रामपुर, बिजनौर में दो एवं बलरामपुर में दो माडल इण्टर कालेज स्थापित करने हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 8500.00 लाख का बजट प्राविधान है। वर्ष 2016–17 मे 09 जनपदों में 13 माडल इण्टर कालेजों की स्थापना हेतु रू0 रू0 1963.00 लाख कीधनराशि निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार अब तक योजनान्तर्गत 25 माडल इण्टर कालेजों हेतु कुल रू0 3775.00 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा चुकी है।

7.हज हाउस का निर्माण

प्रदेश के हज यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में **मौलाना अली मियॉ मेमोरियल हज हाउस** का निर्माण कराया गया है। यहॉ से वर्ष 2006 से हज यात्राएं सम्पन्न हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा पश्चिमी उ0प्र0 के हज यात्रियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद में **आला हजरत हज हाउस का** निर्माण भी पूर्ण हो रहा है। अभी पश्चिमी उ0प्र0 के हज यात्री दिल्ली राज्य हज समिति द्वारा निर्धारित स्थान से हज यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। गाजियाबाद में **आला हजरत हज हाउस के** निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2013–14 में रू0 2780.01 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 300.00 लाख का प्राविधान कराया गया था तथा

वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत जनपद वाराणसी हज हाउस के निर्माण के लिए रू0 1000.00 लाख का प्राविधान कराया गया है।

केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएँ

1. मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंन्ट प्लान

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 48 जनपदों के 144 विकास खण्डों तथा 18 नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों के चहुँमुखी विकास एवं उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाये जाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में अल्पसंख्यकों की मूलभूत समस्याओं एवं आवश्यकताओं के निराकरण एवं क्रिटिकल गैप्स को दूर किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों में सकारात्मक प्रयास किये गये।

क. जनपद स्तर पर धार्मिक आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक अन्तर को दूर करने सम्बन्धी कार्य

1. साक्षरता दर
2. महिला साक्षरता दर
3. कार्य में सहभागिता दर
4. महिला कार्य में सहभागिता दर

ख. 12वी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गयी है।

1–शैक्षणिक सुविधाओं का विकास।
2–स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना।
3–पेयजल आपूर्ति ।
4–रोजगार एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था।

योजानन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू0 48840.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान किया गया है।

2.भारत सरकार द्वारा संचालित अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना

योजनन्र्तगत धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा स्नातक शिक्षक को रू0 6,000/ प्रतिमाह तथा परास्नातक/ बी0एड0 शिक्षकों को रू0 12,000/प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रू0 50,000/, विज्ञान एवं गणित किट हेतु रू0 15,000/, आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु रू0 1.00 लाख प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। यह योजना शतप्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित है।

वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश के मानदेय के रूप में रू0 33636.90 लाख के सापेक्ष रू0 16976.06 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि (राज्यांश) योजना के लिए रू0 5768.88 लाख आवंटित की जा चुकी है।कुल प्राविधानित धनराशि रू0 39405.78 लाख के सापेक्ष वर्तमान में अब तक रू0 22744.94 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में कुल रू0 39405.78 लाख की धनराशि का बजट उपलब्ध है।

3. भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजना

वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रदेश स्तर पर लागूयह योजना शत्प्रतिशत केन्द पुरोनिधानित है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत पात्र छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रू0 2.50 लाख है, जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के 80 व्यवसायिक एवं तकनीकी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हों तथा गत् परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अर्ह माने जायेंगे।

इस योजना के अर्न्तगत छात्रावासीय छात्रों को रू0 10000/– एवं गैर आवासीय छात्रों हेतु रू0 5000/– वार्षिक डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैक खातों में दिये जाने की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में प्रशासनिक व्यय के रूप में रू0 293.32 लाख बजट का प्राविधान है।

महिला कल्याण

महिला कल्याण हेतु संचालित योजनायें

(1) पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान

योजना के अन्तर्गत ऐसी निराश्रित महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो व जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46080/– एवं शहरी क्षेत्र में रु0 56460/– वार्षिक है, जिनके बच्चे नाबालिग अथवा बालिग होने के बावजूद भरण पोषण के लिए असमर्थ हैं, को रु0 500 /– प्रतिमाह का अनुदान दिया जाता है।

(2) पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान

योजना के अन्तर्गत पति की मृत्यु के उपरान्त अनुदान प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रु0 10,000/– सहायता/ अनुदान दिया जाता है।वित्तीय वर्ष 2014–15 के द्वितीय छमाही से योजना पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था के माध्यम से लागूहै।वित्तीय वर्ष 2016–17 मेंरू0 70.0 लाख केप्राविधानके सापेक्ष 700लाभार्थियों हेतु धनराशिनिर्गत की गयी।

(3)पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार

35 वर्षसे कम आयु की पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने हेतु उनसे विवाह करने पर उस दम्पति को पुरस्कृत करने की योजना संचालित है। दम्पति आयकर दाता न हो। ऐसी दम्पति को विवाह के लिए रु0 11,000 का पुरस्कार दिया जाता है।

(4) दहेज से पीड़ित महिलाओं की आर्थिक एवं कानूनी सहायता

योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं जिनके द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, को रु0 125/– प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है।वित्तीय वर्ष 2016–17 मेंरू0 9.0 लाख के प्राविधानके सापेक्ष 600लाभार्थियों हेतु धनराशि निर्गत की गयी।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली दहेज से उत्पीड़ित महिलाओं जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, को विधिक वाद की पैरवी हेतु रू0 2500/– की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। कानूनी सहायता हेतुवित्तीय वर्ष 2016–17 मेंरू0 8.0 लाख के प्राविधानकेसापेक्ष 320लाभार्थियों हेतु धनराशि निर्गत की गयी।

(5) महिला हेल्पलाइन

महिलाओं को हिंसा से संरक्षण, चिकित्सा सुविधा, विधिक सहायता, आश्रय प्रदान करना तथा पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं के पुर्नवासन संबंधी योजना से लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्कीम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बुमेन हेल्पलाइन 181 की स्थापना की गयी है।

(6) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना वर्तमान में 17 जनपदों यथा इलाहाबाद, आगरा, बागपत, बरेली, बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हाथरस, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत कुल रू0 617.7172 लाख की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हुयी थी जिसके सापेक्ष उक्त योजना के संचालन हेतु महिला समाख्या को कुल रू0 316.53464 धनराशि अवमुक्त की गयी है। वर्तमान में यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से संचालित की जा रही है।

(7) .उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष

महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए संवेदनशील बनाना, नारी जीवन का अस्तित्व एवं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना तथा सभी क्षेत्रों, विशेष रुप से आर्थिक स्वावलंबन में महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष" की स्थापना वर्ष 2015 में की गयी है।यह कोष जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं के लिए तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सकीय राहत सुनिश्चित करेगा। इस कोष का उपयोग ऐसी पीडिताओं के भरण–पोषण, शिक्षा और स्वास्थ, पुर्नरुद्धार के साथ–साथ यदि परिस्थितिवश ऐसा अपेक्षित हो, ऐसी पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण–पोषण एवं शिक्षा के लिये भी किया जाएगा।

ऐसी महिलाओं/बालिकाओं को सहायता उपलब्ध कराना जो हिंसा की प्रत्यक्ष शिकार नहीं हैं किन्तु जिन्हें दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण चिकित्सकीय एवं शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। इस कोष में जन सामान्य के योगदानों को या तो योगदानकर्ता की इच्छानुसार किसी विशिष्ट जिले में किसी विशिष्ट गतिविधि के प्रति या कोष में सामान्य योगदान के रुप में उपयोग किया जा सकता है। कोष के तहत दिनांक 27.03.2017 तक कुल 1257 महिलाओं/बालिकाओं/को आर्थिक/चिकित्सीय/शैक्षिक सहायता उपलबब्ध करायी गयी है।कोषहेतुवित्तीय वर्ष 2016–17 मेंरू0 100.0करोड़ काप्राविधानकियागया।

(8)समेकित बाल संरक्षण समिति(आई0सी0पी0एस0)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन सम्पूर्ण प्रदेश में किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों एवं विधि निरूद्ध कार्यों में लिप्त बच्चों के देखभाल, सरंक्षण, नैतिक विकास, प्रशिक्षण एवं आवश्यकतानुसार पुनर्वासन हेतु राज्य स्तर से लेकर जनपद स्तर पर संरचनाओं को स्थापित किया जा चुका है। अनाश्रित एवं उपरोक्त उल्लिखित श्रेणी के बच्चों को संस्थागत सेवायें प्रदान करने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा बालगृहों, शिशु गृहों, दत्तक ग्रहण अभिकरणों, विशेष गृहों, संप्रेक्षण गृहों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में बालगृहों एवं उनमें आच्छादित संवासियों के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिए एक्सपोजर एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(9) .उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र

प्रदेश के 11 जनपदों में हिंसा से ग्रस्त, असहाय एवं आपातकालीन स्थितियों का सामना कर रही महिलाओं उनके बच्चों एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे समन्वित सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन जनपदों यथा लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, आगरा, वाणारसी,, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, गाजियाबाद एवं इलाहाबाद में स्थित इन केन्द्रों में उल्लिखित श्रेणी की महिलाओं, उनके बच्चों एवं जरूरतमंद बालिकाओं को आकस्मिक चिकित्सीय सेवाएं, कानूनी सहायता,अल्पकालिक आश्रय, रोजगार प्रशिक्षण, पुलिस एफ0आई0आर0 में सहयोग, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परामर्श बैकों से समन्वय कर उनका सर्वागीण सशक्तिकरण आदि कार्य किया जाता है। इसके साथ ही आकस्मिक परिस्थतियों में आपत्तियों का सामना कर रही महिलाओं एवं बालिकाओं को सेवाएं प्रदान करने हेतु 181महिला हेल्पलाइन को भी इन केन्द्रों के साथ जोड़कर संचालित किया जा रहा है।

बाल विकास

बाल विकास हेतु संचालित योजनायें

1.समेकित बाल विकास सेवा (आई0सी0डी0एस0) योजना

06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों के समन्वित विकास के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में कुल 897 परियोजनाओं के अन्तर्गत 188259 ऑगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से यह योजना संचालित है। योजना में 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को साप्ताहिक रूप से टेक–होम–राशन के रूप में अनुपूरक पोषाहार दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चों को प्रातःकाल नाश्ता और दोपहर में पका–पकाया भोजन (हॉट कुक्ड फूड) दिया जाता है। केन्द्र पर बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा भी प्रदान की जाती है। अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 343010.12 लाख रू० की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 332966.18 लाख रू० व्यय किये गये।

2.आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण

योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु स्वयं के ऑगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु रू. 20000.00 लाख प्राविधानित कराये गये थे जिसके सापेक्ष रू. 18315.41 लाख व्यय कर 9269 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है।

3. शबरी संकल्प अभियान योजना

प्रदेश में कुपोषण को समाप्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना ''शबरी संकल्प अभियान'' योजना तैयार कराई जा रही है। यह योजना पूर्णतया राज्य पोषित होगी जो गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों हेतु प्रथम महत्वपूर्ण 1000 दिवसों में उनके स्वास्थ्य की देखभाल के दृष्टिगत बनाई जा रही है। शबरी संकल्प पोषण योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं तथा 0–6 माह के अतिकुपोषित बच्चों की धात्री माताओं एवं 05 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार हेतु अतिरिक्त पोषाहार हेतु सहायता दी जायेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 26200.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

4.आई0एस0एस0एन0आई0पी0

समन्वित बाल विकास सेवा योजना के मौजूदा ढांचे को विभिन्न स्तरों पर और अधिक प्रभावी बनाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से यहपरियोजना उत्तर प्रदेश के 41 जनपदों में क्रियान्वित हैं। भारत सरकार द्वारा योजना का पुनगर्ठन करते हुए संवितरण से जुडे सूचकों को सम्मिलित किया गया है जिसके तहत् भारत सरकार तथा विश्व बैक के मध्य 29.09.2015 को नया अनुबन्ध हुआ है। इस योजना का प्रथम चरण 30 दिसम्बर, 2017 को समाप्त होगया। योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता क्रमशः 88:12 की होगी। योजना का प्रमुख उद्देश्य 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का विकास तथा पोषकता की गुणवत्ता में सुधार लाना है। पुनर्गठित योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 5140.28 लाख का आय–व्ययक प्रावधान है।

5. प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु कुपोषण मुक्त गांव बनाने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन–

अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु मातृ–शिशु मृत्यु दर व मात्–बाल कुपोषण में कमी लाते हुये ''कुपोषण–मुक्त गांव'' बनाने का निर्णय लिया गया हैं। इस प्रयास के अन्तर्गत पोषण विशिष्ट (गभार्वस्था के दौरान देखभाल, स्तनपान, एनीमिया आदि) तथा पोषण संवेदनशील (स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका) हस्तक्षेपों को समाहित किया जायेगा ताकि मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समग्र सुधार परिलक्षित हो सके।

6.गर्भवती महिलाओं के लिए फीडिंग कार्यक्रम

उद्देश्य

- गर्भवती महिलाओं की स्पॉट फीडिंग कराकर, कैलोरी/प्रोटीन के गैप की भरपाई।
- गर्भवती महिलाओं को ऑयरन की 100 गोलियां खिलाना।
- नियमित परामर्श सत्रों के माध्यम से संस्थागत प्रसव/स्तनपान को बढ़ावा देना।
- गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार पर नवजात शिशु को कुपोषण से मुक्त रखना।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अतिकुपोषित बच्चों की माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श।

फीडिंग कार्यक्रम का मीनू

- रू0 19 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से व्यवस्था।
- भोजन के साथ प्रत्येक दिन एक मौसमी फल।
- सप्ताह में तीन दिन भोजन के साथ दही।
- भोजन के साथ आयरन की लाल गोली का सेवन।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श।

06 माह से 06 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के लिए फीड़िंग कार्यक्रम

उद्देश्य

1. कैलोरी–प्रोटीन एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट के गैप की भरपाई।
2. ग्रोथ चार्ट के माध्यम से कार्यक्रम के फलस्वरूप आये सुधार की नियमित ट्रैकिंग।
3. परिवार एवं समुदाय आधारित परामर्श सत्रों का आयोजन।
4. वी0एच0एन0डी0 के दिन लक्षित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण कराना।

फीडिंग कार्यक्रम का मीनू

1. रू0 14 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से व्यवस्था।
2. भोजन के साथ प्रत्येक दिन एक मौसमी फल।
3. अति कुपोषित बच्चों को प्रत्येक माह 500 ग्राम देशी घी।
4. 03–06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को घर पर ग्रहण करने हेतु बिस्किट पैकेट/मुरमुरा चना।

****

अध्याय–14
श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

श्रम शक्ति का अभिप्राय 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या 1114 लाख थी जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का अंश 55.8 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.15 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें 190.58 लाख कृषक, 199.39 लाख कृषि श्रमिक, 38.99 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 229. 19 लाख अन्य कार्यों में लगे कर्मकर थे। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या क्रमशः 446.35 लाख तथा 211.79 लाख थी। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों में 29.0 प्रतिशत कृषक के रूप में, 30.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में, 5.9 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग धन्धों में तथा 34.8 प्रतिशत अन्य कार्यों में कर्मकर लगे हैं। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या से सम्बंधित आंकड़े तालिका–14.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–14.01
उत्तर प्रदेश में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकर

(लाख में)

मद	कुल मुख्य कर्मकर	सीमान्त कर्मकर	कुल कर्मकर
1	2	3	4
ग्रामीण	335.38	184.13	519.51
नगरीय	110.97	27.67	138.64
उत्तर प्रदेश	446.35	211.80	658.15

प्रदेश की श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इस हेतु सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्ति हेतु सम्प्रेषित करना, व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार बाजार में उपलब्ध प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना, रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय, 16 जनपदों में विकलांगो हेतु विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, 13 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, 03 नगर सेवायोजन कार्यलय तथा मुख्यालय स्तर पर 01 व्यवसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय स्थापित है। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े तालिका 14.02 में दिये जा रहे हैं–

तालिका–14.02

उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आंकड़े

क्रम संख्या	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2015	2016	
1	2	3	4	5
1.	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	757637	619704	(–)18.2
2.	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	1631	963	41.0
3.	अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	30098	9459	68.6
4.	सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	43025	68521	(–)59.3
5.	स्वतः रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	827	325	(–)60.7
6.	वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	3403	3178	(–)6.6

स्वतः रोजगार/नियोजन कार्यक्रम

वैतनिक रोजगार के सीमित अवसरों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अनेक योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा भी इस क्षेत्र में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वतः रोजगार के उपयुक्त व्यवसाय तथा स्वतः नियोजन के प्रोन्नयन के लिये बनायी गयी विभिन्न योजनाओं की भली–भांति जानकारी कराकर उन्हें स्वतः रोजगार के क्षेत्र में अपना रोजगार आरम्भ करने के लिये उत्प्रेरित किया जाता है। वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेरोजगार अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र, वित्तीय संस्थाओं को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भी अग्रसारित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015 में 827 तथा वर्ष 2016 में 325 अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजित कराया गया। स्वतः नियोजन कायक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण तालिका–14.03 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–14.03

उत्तर प्रदेश में स्वतः नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2015	2016	
1	2	3	4	5
1.	स्वतः नियोजन हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	2694	1481	(–)45.0
2.	स्वतः नियोजन हेतु प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण	1487	710	(–)52.3
3.	स्वतः नियोजन कराये गये व्यक्तियों की संख्या	827	325	(–)60.7
4.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित सामूहिक वार्ताएं	3138	1360	(–)56.7
5.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित गोष्ठियों/बैठकों की संख्या	648	267	(–)58.8

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों से सम्बन्धित आंकड़ा तालिका 14.04 में दर्शाया गया है–

तालिका–14.04

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्षेत्र	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
	मार्च, 2015	मार्च, 2016	
1	2	3	4
1.केन्द्र सरकार	726	722	(–)0.55
2.राज्य सरकार	8383	8379	0.00
3.अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	5563	5571	0.14
4.अर्द्ध सरकार (राज्य)	1603	1602	(–)0.06
5.स्थानीय निकाय	1325	1326	0.08
योग	**17600**	**17600**	**0.00**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2015 से मार्च, 2016 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या अपरिवर्तित रही। प्रदेश में मार्च, 2015 के अन्त में 17600 अधिष्ठान सेवायोजक पंजिका पर उपलब्ध थे, जो मार्च, 2016 में भी यथावत 17600 ही रहे। आलोच्य वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र में अर्द्ध सरकार (केन्द्र) के अधिष्ठानों की संख्या में सर्वाधिक 0.14 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

रोजगार सुलभ कराने में निजी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के सेवायोजकों से संबंधित आंकड़े तालिका 14.05 में दिये जा रहे हैः–

तालिका–14.05

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्रमांक	अधिष्ठान वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2015	मार्च, 2016	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	5417	5478	1.13
2	नान एक्ट अधिष्ठान	3421	3435	0.40
	योग	**8838**	**8913**	**0.85**

तालिका संख्या 14.08 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2015 से मार्च, 2016 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 0.8 प्रतिशत की कमी आई है। सर्वाधिक कमी (–)3.38 प्रतिशत केन्द्र सरकार के क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में हुई है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या तालिका–14.06 में दी जा रही हैः–

तालिका–14.06

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2015	मार्च, 2016	
1	2	3	4	5
1.	केन्द्र सरकार	318644	307875	(–)3.38
2.	राज्य सरकार	701319	701507	0.03
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	162710	160258	(–)1.51
4.	अर्द्धसरकार (राज्य)	332148	333142	0.30
5.	स्थानीय निकाय	109958	108687	(–)1.16
योग		1624779	1611469	(–)0.82

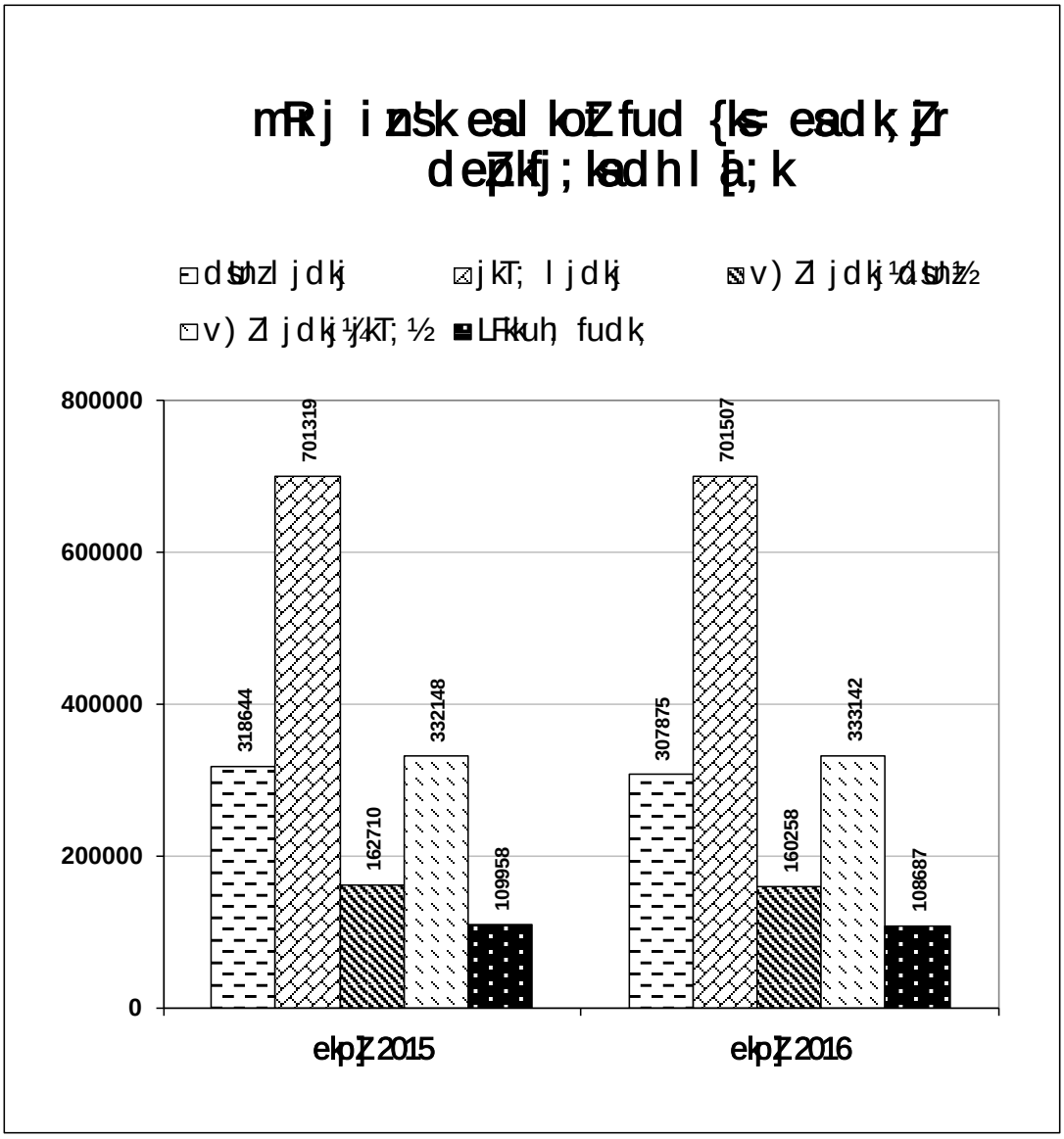

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च, 2016 में गत वर्ष की अपेक्षा 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। निजी क्षेत्र में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े तालिका 14.07 में दिये गये है–

तालिका–14.07

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2015	मार्च, 2016	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	588215	618807	5.2
2	नानएक्ट अधिष्ठान	48470	49363	1.8
योग		636685	668170	4.9

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में मार्च, 2015 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 0.8 प्रतिशत की कमी हुई है। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका 14.08 में दिया गया है–

तालिका–14.08

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2015	मार्च, 2016	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	39016	38645	(–)0.95
"बी"	खान एवं उत्खनन	4625	4622	(–)0.06
"सी"	उत्पादन	96967	93298	(–)3.78
"डी"	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	47218	46545	(–)1.43
"ई"	जल आपूर्ति	22015	21800	(–)0.98
"एफ"	निर्माण	128384	128915	0.41
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	15961	15204	(–) 4.74
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	243003	233184	(–)4.04
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	351	397	13.11
"जे"	सूचना एवं संचार	22888	22892	0.02
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	102936	102981	(–)0.04
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	0	0	0.00
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	20506	20244	(–)1.28
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	357	476	33.33

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2015	मार्च, 2016	
1	2	3	4	5
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	541183	540869	(–)0.06
"पी"	शिक्षा	230910	234648	1.62
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	102753	101320	(–)1.39
"आर"	कला,मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	2155	2151	(–)0.19
"एस"	अन्य सेवा कार्य	3551	3278	(–)7.69
"टी"	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	0	0	0.00
"यू"	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	0	0	0.00
योग		**1624779**	**1611469**	(–)**0.82**

तालिका–14.08 से स्पष्ट है कि कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य, खान एवं उत्खनन, उत्पादन, विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति, जल आपूर्ति, थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत, परिवहन एवं भण्डारण, व्यवसायिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें, वित्तीय एवं बीमा, क्रियायें, मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा, अन्य सेवा कार्य एवं कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के शेष वर्गो में मार्च, 2016 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि सर्वाधिक 33.33 प्रतिशत प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें वर्ग में हुई।

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार निजी क्षेत्र में मार्च, 2016 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 4.94 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका–14.09 में दिया गया है–

तालिका–14.09
उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2015	मार्च, 2016	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	667	615	(–)7.80
"बी"	खान एवं उत्खनन	62	62	0
"सी"	उत्पादन	315750	333049	5.48
"डी"	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	5383	5729	6.43
"ई"	जल आपूर्ति	0	0	0
"एफ"	निर्माण	364	430	18.13

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2015	मार्च, 2016	
1	2	3	4	5
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	11911	11896	(–)0.13
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	3178	2983	(–)6.14
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	9059	9219	1.77
"जे"	सूचना एवं संचार	10551	11281	6.92
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	7479	8676	16.00
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	25976	24826	(–)4.43
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	379	379	0.0
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	29479	42522	44.25
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	0	0	0
"पी"	शिक्षा	204328	203740	(–)0.29
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	10018	10685	6.66
"आर"	कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	781	747	(–)4.35
"एस"	अन्य सेवा कार्य	1322	1331	0.68
"टी"	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	0	0	0
"यू"	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	0	0	0
योग		**636687**	**668170**	**4.94**

तालिका 14.09 को देखने से स्पष्ट होता है कि कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य, परिवहन एवं भण्डारण, थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत, रियल स्टेट क्रियायें, कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें तथा शिक्षा वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्गो में मार्च, 2016 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और सर्वाधिक वृद्धि प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें वर्ग में 44.25 प्रतिशत हुई।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या मार्च, 2016 में गत वर्ष की अपेक्षा 0.7 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 7.4 प्रतिशत अधिक रही जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर देखने से इनमें उक्त अवधि में गत वर्ष की अपेक्षा 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। गत वर्ष की अपेक्षा निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या से तुलनात्मक रुप से अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई। इन्हें तालिका 14.10 से देखा जा सकता है:–

तालिका–14.10

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत् महिला कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2015	मार्च, 2016	
1	2	3	4	5
1	सार्वजनिक क्षेत्र	204959	206424	0.7
2	निजी क्षेत्र	92846	99734	7.4
योग		297805	306158	2.8

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा सेवायोजन हेतु संचालित कार्यक्रम

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा प्रदेश के बेरोजगार अभ्यार्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं–

1.रोजगार मेलों का आयोजन–

निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। रोजगार मेलों के आयोजन हेतु सेवायोजन वेब पोर्टल : **सेवायोजन.यूपी.एनआईसी.इन** पर आनलाइन व्यवस्था विकसित की गयी है।

2.कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम :

रोजगार बाजार में रोजगार के अवसरों तथा उपलब्ध जनशक्ति में असंतुलन को दृष्टि में रखते हुए सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

सेवायोजन विभाग द्वारा नवाचार के अर्न्तगत **ई–काउन्सिलिंग** कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में रायबरेली जनपद में फिरोजगांधी इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नीकल इंस्टीट्यूट में 02 दिसम्बर, 2016 को ''सिविल सेवा में कॅरियर विषय'' पर **ई– काउन्सिलिंग** की गयी तथा 08 सितम्बर, 2017 को झुनझुनवाला बिजनेस स्कूल जनपद फैजाबाद में ''रक्षा सेवा में कॅरियर विषय'' पर **ई–काउन्सिलिंग** कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

तालिका–14.11

कॅरियर काउन्सिलिंग एवं रोजगार मेला की प्रगति रिपोर्ट

वर्ष	रोजगार मेला		कॅरियर काउन्सिलिंग	
	मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5
2016–17	630	55438	2706	401481
2017–18 सितम्बर 2017 तक	287	24168	1081	108066

3.माडल कैरियर सेन्टर (केन्द्र पुरोनिधानित योजना)–:

महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंर्तगत शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में प्रदेश में माडल कैरियर सेन्टर की स्थापना की जानी है। माडल कैरियर सेन्टर का कार्य क्षेत्र पूरे प्रदेश के अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों के अध्ययन कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संबंधित है। इस सेन्टर द्वारा वर्तमान परिवेश में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए उभरते व्यवसायों की जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ उनकी सेवायोजकता में वृद्धि किए जाने की भी व्यवस्था है। वर्तमान में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, लखनऊ, जिला सेवायोजन कार्यालय, गाजियाबाद में माडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, मेरठ, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, मुरादाबाद एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में माडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं ।

4.शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र–

प्रदेश के 52 जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों द्वारा समाज के निर्बल वर्गों यथा अनुसूचित जाति–जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को मार्ग दर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी सेवायोजकता में अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है। इन शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में सामान्य ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा, सचिवीय पद्धति, हिन्दी टंकण, आशुलिपि हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

तालिका–14.12

शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट

वर्ष	सेवायोजित	स्वतः नियोजित	कुल
1	2	3	4
2016	84	78	162

5.सेवायोजन पोर्टल–

बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु वेबपोर्टल **सेवायोजन.यूपी.एनआईसी.इन** का विकास कराया गया है। इस वेबपोर्टल में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने का प्राविधान किया गया है। इससे बेरोजगार अभ्यर्थियों को जहां रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध होंगे वहीं सेवायोजकों को भी योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे।

सेवायोजन पोर्टल **सेवायोजन.यूपी.एनआईसी.इन** के प्रचार–प्रसार, विकास एवं अन्य सहयोग हेतु 08 जून, 2017 को श्रम एवं सेवायोजन विभाग तथा एन0एच0आर0डी0एन0 **(नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेन्ट नेटवर्क)** के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। एन0एच0आर0डी0एन0 राष्ट्रीय स्तर पर कम्पनियों के प्रतिनिधियों का समूह है, जिसमें लगभग 12500 सदस्य सम्मिलित हैं। एन0एच0आर0डी0एन0 जिसमें लगभग 12500 सदस्य सम्मिलित हैं, अपने सदस्यों के मध्य सेवायोजन पोर्टल का व्यापक प्रचार–प्रसार करने में सहयोग प्रदान करेगा तथा अधिक से अधिक सदस्यों को पोर्टल से भर्ती करने हेतु प्रेरित करेगा। इसी क्रम में 29.08.2017 को साइंटिफिक

कन्वेशन सेंटर, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में एन0एच0आर0डी0एन0 **(नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेन्ट नेटवर्क)** के सहयोग से इम्प्लायमेन्ट समिट का आयोजन किया गया। उक्त समिट में एन0एच0आर0डी0एन0 से संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों, उद्यमियों एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करानें संबधी विषय पर परिचर्चा की गयी।

सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में संविदा एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियों को सेवायोजन वेबपोर्टल **सेवायोजन.यूपी.एनआईसी.इन** के माध्यम से अधिसूचित किये जाने की व्यवस्था 21 जून, 2017 से शुरु की गयी है।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली योजनायें

1. शिशु हितलाभ योजना

उद्देश्य–

इस बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराया जाना।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत कर्मकर (महिला एवं पुरूष) लाभ अधिकतम दो बच्चों तक देय होगा।

हितलाभ–

वर्ष में एक बार एक मुश्त (लड़का होने पर 10,000 लड़की पर 12,000 प्रति शिशु की दर से) दो वर्ष की आयु तक ही देय है।

2. मातृत्व हितलाभ योजना

उद्देश्य–

बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी महिला कर्मकारों को प्रसव के उपरान्त पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराया जाना।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत महिला श्रमिक या पुरूष कर्मकार की पत्नी
- लाभ अधिकतम दो प्रसवों तक ही देय होगा।

हितलाभ–

- रू0 12,000/– दो किश्तों में पंजीकृत महिला कर्मकार को और रू0 6,000/– दो किश्तों में
- पुरूष कर्मकार की पत्नी को प्रथम किश्त–प्रसव के उपरान्त एवं द्वितीय किश्त बी0सी0जी0 टीकारण पूर्ण होने पर।

3. बालिका मदद योजना

उद्देश्य–

बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों की पुत्रियों की आर्थिक मदद कर आत्म निर्भर बनाना।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत महिला/पुरूष निर्माण श्रमिक जो न्यूनतम 01 वर्ष से सदस्य हो ताकि अंशदान जमा किया हो।
- परिवार में जन्मी पहली बालिका को लाभ मिलेगा, दूसरी को तभी मिलेगाा जब दोनों सन्तानें बालिका हों। यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रसव में एक से अधिक बालिकाएं जन्मती है तो सभी को लाभ अनुमन्य होगा।
- कानूनी रूप से गोद ली हुई बालिका को प्रथम बालिका मानते हुए लाभ अनुमन्य होगा।

- बालिका के जन्म का पंजीकरण जन्म–मृत्यु पंजिका पर होना अनिवार्य है।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यादि पुत्री का निधन हो जाता हे तो सावधि जमा की रकम बोर्ड को वापस हो जायेगी।
- भारत/उ0प्र0 सरकार द्वार चलाई जा रही किसी अन्य योजना में लाभ न लिया हो।

हितलाभ–

- रू0 20,000 एकमुश्त बतौर सावधि जमा, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही परिपक्व होगा।
- भुगतान अविवाहित रहने पर ही देय है।
- परिवार के निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र पर बालिका के जन्म से 01 वर्ष के अन्दर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

4. अक्षमता पेंशन योजना

उद्देश्य–

बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों के दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर लाभार्थी व उसके परिवार के भरण–पोषण हेतु नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत श्रमिक जो दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से (50 प्रतिशत व अधिक) अक्षम हों।

प्रतिबन्ध–

- लाभार्थी कर्मचारी राज्य बीमा येाजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र न हो
- पूर्ण स्थायी अक्षमता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के स्वयं अक्षम होने की स्थिति में ही देय होगा।

हितलाभ– रू0 1000/– बतौर पेंशन लाभार्थी के अक्षम हो जाने पर जीवन काल तक देय होगा।

- बीमारी से तात्पर्य लकवा, कुष्ठ रोग कैंसर, तपेदिक एवं अन्य गम्भीर बीमारी जिससे श्रमिक अक्षम हो गया हो।

5. मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना

उद्देश्य–

पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना हो जाने पर तत्कालिक सहायता हेतु लाभार्थी श्रमिक व उसके आश्रितों को तत्कालिक अनुग्रह राशि प्रदान किया जाना।

पात्रता–

सभी पंजीकृत लाभार्थी कर्मकार या उनके आश्रितों (पति, अविवाहित पुत्रियां, अवयस्क पुत्रों तथा निर्भर माता–पिता) को देय होगा।

(क) कार्यस्थल पर कार्य के दौरान या इतर मृत्यु पर

(ख) महिला कर्मकार की प्रसव के दौरान मृत्यु पर।

हितलाभ–

- रू0 5,00,000/– एकमुश्त कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को देय होगा।
- रू0 3,00,000/– कर्मकार की स्थायी पूर्ण अपंगता पर रू0 2,00,000/– स्थायी आंशिक विकलांगता पर बतौर अनुग्रह धनराशि देय होगा।

6. पुत्री विवाह अनुदान योजना

उद्देश्य–

बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक (महिला एवं पुरूष)।
- श्रमिक का न्युनतम 03 वर्ष तक नियमित सदस्य होना अनिवार्य है तथा नियमित अंशदान जमा हो।

हितलाभ–

रू0 40,000/– निर्माण श्रमिक की सभी पुत्रियों को प्रति पुत्री की दर से अनुमन्य होगा।

7. अंत्येष्टि सहायता योजना–

उद्देश्य– बोर्ड के निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसकी अंत्येष्टि एवं अंतिम संस्कार को सुगमतापूर्वक सम्पन्न किए जाने हेतु तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।

पात्रता–

- पंजीकृत मृतक निर्माण श्रमिक के आश्रित।
- यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी।

हितलाभ–

- रू0 15000/– अंतिम संस्कार व्यय के रूप में।
- रू0 1 लाख एकमुश्त तात्कालिक सहायता राशि के रूप में आश्रितों को दी जायेगी।

8. कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना

उद्देश्य– निर्माण श्रमिकों को उनमें कौशल संबंधी दक्षता विकास एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से आवश्यक प्रशिक्षण सुलभ कराया जाना है। ऐसे प्रशिक्षण में हुए व्यय तथा मजदूरी के नुकसान की प्रतिपूर्ति करना है।

पात्रता–पंजीकृत श्रमिक अथवा पत्नी एवं आश्रित अविवाहित पुत्री व 21 वर्ष से कम आयु वाले पुत्रों को ही मिल सकेगा परन्तु यदि किसी लाभार्थी का पुत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय 21 वर्ष से कम आयु का है और प्रशिक्षण के उपरान्त उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इस योजना का लाभ उसे भी अनुमन्य होगा। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण का कार्य व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कौशल विकास मिशन के तहत कराया जाएगा।

हितलाभ–

- प्रशिक्षण की दशा में संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क, पाठ्य पुस्तकें एवं प्रशिक्षण से संबंधित अन्य लेखन सामग्री के व्यय की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी।
- श्रमिक के स्वयं प्रशिक्षण में भाग लेने पर प्रशिक्षण अवधि की अनुमन्य मजदूरी भी मिलेगी जबकि आश्रित पुत्र/पुत्रियों को अनुमन्य नहीं होगी।

9. आवास सहायता योजना

उद्देश्य–

अधिकांशतः निर्माण श्रमिक गरीब होते हैं, परन्तु बी0पी0एल0 सूची में उनका नाम न होने से आवास लाभ नहीं मिलता, वस्तुतः वे पात्र होते हैं। अतः योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है।

पात्रता–

- गत वित्तीय वर्ष में सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे। लाभार्थी नियमित अंशदान जमा करता हो।
- परिवार एक ईकाई के रूप में लिया जाएगा।
- लाभार्थी के पास स्वयं का अथवा परिवार का पक्का आवास न हो।
- केन्द्र/प्रदेश सरकार की अन्य योजना में आवास हेतु सहायता का लाभ पाने वाले श्रमिक इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- उन श्रमिकों को लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध हो।
- कार्य स्थान/ निवास एक ही जिले में होने पर वरीयता प्रदान की जाएगी।
- श्रमिकों को इस योजना का लाभ सम्पूर्ण जीवन में केवल एक बार ही मिलेगा।
- पति/पत्नी दोंनो पंजीकृत हैं तो लाभ में पत्नी को वरीयता दी जाएगी।

हितलाभ–

- रू0 1,00,000/– की धनराशि 02 किश्तों में।
- मरम्मत हेतु रू0 15000/– की धनराशि मिलेगी।
- एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नहीं दिया जाएगा।

10. पेंशन योजना

उद्देश्य–

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, जिनकी आयु 60 वर्ष हो गई है और जिनका वार्षिक अंशदान अद्यतन जमा हों, को एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। अतः लाभार्थी की नियमित आय में हो रही क्षति की प्रतिपूर्ति करने तथा उसकी आजीविका के सुगम संचालन की दृष्टि से इस योजना की संकल्पना की गयी है।

पात्रता–

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकर अधिनियम–1996 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना।
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय् न्यूनतम पॉच वर्ष तक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत एवं अद्यतन अंशदान दिया जाना।
- किसी अन्य बोर्ड या पेंशन योजना का सदस्य न होना एवं आयु पूर्ण करते समय उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करना।

हितलाभ–

प्रत्येक पात्र निर्माण–श्रमिक को प्रतिमाह की दर से रू0 500/– की धनराशि उसके जीवित रहने तक उसे स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रथमतः उसकी पत्नी/पति को या द्वितीयः उसके आश्रित, माता/पिता को यदि वह किसी पेंशन योजना के अंतर्गत यह धनराशि पेंशन के रूप में देय होगी। पेंशन की धनराशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक–खाते के माध्यम से किया जाएगा। एक वर्ष के पश्चात् ऐसे निर्माण श्रमिक को या उसकी मृत्यु के पश्चात उसके आश्रित को पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने जीवित होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. सौर ऊर्जा सहायता योजना

उद्देश्य– पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों एवं उनके परिवार की ऊर्जा/प्रकाश संबंधी आवश्यकता पूर्ण करना है जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी एवं आश्रित बच्चों को अध्ययन में सहायता मिलेगी।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक लाभार्थी होंगे।
- किसी अन्य योजना में सोलर लाइट/लालटेन का लाभ न प्राप्त किया हो। परिवार को एक इकाई माना जाएगा (स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित माता पिता, 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री)।

हितलाभ–

- सोलर लाइट/ लालटेन (एल0ई0डी0/सी0एफ0एल0) मिलेगी एवं रख–रखाव/सर्विस चार्ज के लिए नेडा उ0प्र0 से सम्पर्क करना होगा।
- किसी भी धनराशि का भुगतान नहीं होगा।
- सम्पूर्ण जीवन में केवल एक बार लाभार्थी को लाभ मिलेगा, यदि दोनों पति/पत्नी पंजीकृत हो तो भी।

12. साईकिल सहायता योजना

उद्देश्य– निर्माण कामगारों को कार्य हेतु अपने आवास से काफी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें उन्हें पैदल चलना पड़ता है और अपनी सीमित आय में से धनराशि खर्च करनी पड़ती है। कामगारों को कार्यस्थल पर पहुंचने में सुविधा ईधन/व्यय में बचत हो। इसका मूल उद्देश्य कामगारों को साईकिल की सुविधा उपलब्ध कराना है।

पात्रता–

- श्रमिक के रूप में कम से कम 06 माह से पंजीकृत हो।
- केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना में साईकिल की सुविधा प्राप्त करने वाला पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

हितलाभ–

- बोर्ड द्वारा साईकिल क्रय हेतु रू0 3000/– की धनराशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। बाकी धनराशि लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं दी जाएगी।
- भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर श्रमिक स्वयं उसका सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय से करवायेगा तथा ऐसा न करने पर उससे वसूली की कार्यवाही अपनाई जाएगी एवं उसकी सदस्यता समाप्त करने पर विचार किया जाएगा।

13. गम्भीर बीमारी सहायता योजना

उद्देश्य–

पंजीकृत कर्मकार की स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य को गम्भीर बीमारी की स्थिति में सरकारी चिकित्सालय में कराये गए इलाज के उपरान्त किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है।

पात्रता–

सभी निर्माण श्रमिक (गत वित्तीय वर्ष से पंजीकृत) स्वयं एवं पारिवारिक सदस्य पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत हृदय आपरेशन, गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट, लीवर ट्रान्सप्लान्ट, मस्तिक आपरेशन, रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन, पैर के घुटने बदलना, कैंसर इलाज, एड्स बीमारी आदि ही लाभान्वित होंगी।

हितलाभ–

- लाभार्थी स्वयं या पारिवारिक सदस्य की गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी सरकारी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज पर व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।
- लाभार्थी गम्भीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार (सी0जी0एच0एस0 व ई0एस0आई0) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को दी जायेगी।

14. मेधावी छात्र योजना

उद्देश्य–

इस योजना का मूल उद्देश्य उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी श्रमिकों के मेधावी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है।

पात्रता–

इस योजना के लिए यह सभी कर्मकार प्राप्त होंगे सन्निर्माण अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं तथा उनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 05 से 08 तक 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों तथा कक्षा 09 से 12 तक 60 प्रतिशत हो।

हितलाभ–

- कक्षा 5 से 7 तक जिनका प्राप्तांक 70 प्रतिशत है उन्हें रू0 4,000/–(पुत्र को) तथा रू0 4,500/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
- कक्षा–8 जिनका प्राप्तांक 70 प्रतिशत है उन्हें रू0 5,000/–(पुत्र को) तथा रू0 5,500/–(पुत्री को) दो किश्तों में एवं कक्षा 9 एवं 10 जिनका प्राप्तांक 60 प्रतिशत है उन्हें रू 5,000/–(पुत्र को) तथा रू0 5,500/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
- कक्षा 11 से 12 तक जिनका प्राप्तांक 60 प्रतिशत है उन्हें रू0 8,000/–(पुत्र को) तथा रू0 10,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में बतौर हित लाभ देय है।
- बी0ए0/बी0कॉम/बी0एस0सी0, एम0ए0/एम0कॉम0/एम0एस0सी0, एल0एल0बी0, पालिटेक्निक डिप्लोमा, इन्जीनियरिंग/ चिकित्सा डिग्री हेतु प्राप्तांक 60 प्रतिशत हो तब देय हितलाभ रू0 10,000/–से 22,000 में उपरोक्त शिक्षा के लिए निर्धारित है।

15. मध्यान्ह भोजन सहायता योजना

उद्देश्य–

निर्माण श्रमिक अपने कार्य की तलाश में दूर–दराज के राज्यों तथा जनपदों से आते हैं तथा उनके पास न तो रहने का स्थान होता है और न ही भोजन बनाने की कोई उचित व्यवस्था जिसके अभाव में उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है तथा उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अतः ऐसे श्रमिको को उनके कार्यस्थल के आसपास एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराये जाने से उनके स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा।

पात्रता–

इस योजना में भवन सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार नियेाजन सेवा शर्त) अधिनियम, 1996 की धारा–12 के अंतर्गत पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।

हितलाभ–

पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों को निर्धारित मूल्य रू0 10/– अथवा समय समय पर संशोधित मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। भोजन के मूल्य का भुगतान श्रमिक द्वारा सीधे नकद के रूप में किया जाएगा। श्रमिक द्वारा भुगतान किये गये उक्त रू0 10/– के अतिरिक्त अवशेष लागत की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा सब्सिडी के रूप में संस्था को की जायेगी।

16. आवासीय विद्यालय योजना

उद्देश्य–

प्रायः निर्माण–श्रमिकों के बच्चे अपने माता–पिता के साथ कार्य स्थल पर ही रहते है। माता–पिता की गरीबी तथा साधनहीनता के कारण ऐसे बच्चे किसी विद्यालय में प्रवेश ही नहीं ले पाते हैं अथवा प्रवेश लेने के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते है। निर्माण–श्रमिकों के ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता अनुभव करते हुए आवासीय विद्यालय योजना प्रस्तावित की गयी है। योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण–श्रमिकों के 06 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है।

पात्रता–

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (विनियमन एवं सेवाशर्तें) अधिनियम 1996 की धारा 12 के अन्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत सभी निर्माण–श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियां, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

हितलाभ–

पंजीकृत सभी निर्माण– श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियाँ, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, आवासीय विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते है।

****

अध्याय–15

सतत विकास

संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने 25 सितंबर, 2015 को आयोजित ''सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट'' में सतत विकास के लक्ष्य 'एजेंडा फॉर 2030' को स्वीकार किया। इसको एसडीजी एजेंडा 2015–2030 भी कहा जाता है। वर्ष 2030 तक गरीबी, असमानता व अन्याय के खिलाफसंघर्षऔरजलवायुपरिवर्तन की चुनौतियोंसेनिपटने के लिए 17 सततविकास लक्ष्यों **(सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स–एसडी)** तथा 169 सहायक लक्ष्योंकोनिर्धारितकरतेहुए पृथ्वीपर शांति, समृद्धि औरजनभागीदारीपरजोरदियागयाहै।

सततविकास लक्ष्योंकाउद्देश्य सबकेलिए समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शंतिपूर्ण, समृद्ध औररहने योग्य विश्वकानिर्माणकरनाऔरविकास के तीनोंपहलुओंसामाजिकसमावेश, आर्थिकविकासऔरपर्यावरणसंरक्षणकोव्यापक रूपसेसमाविष्टकरनाहै।

सततविकास एवंभारत

भारत ने अधिकारिकतौरपरसततविकासलक्ष्योंका यह एजेंडा एक जनवरी, 2016 सेअगले 15 वर्षों(2030) तक के लिए अपनायाहै।

केन्द्रसरकार द्वाराकार्यान्वितकिए जारहेअनेककार्यक्रमसततविकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिनमेंमेकइनइंडिया, स्वच्छभारतअभियान, बेटीबचाओ–बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीणपेयजलकार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीणऔर शहरीदोनों, प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना, डिजिटलइंडिया, दीनदयालउपाध्याय ग्रामज्योति योजनाऔरस्किलइंडियाशामिलहैं।इसकेअलावाअधिकबजटआवंटनोंद्वाराबुनियादीसुविधाओं के विकासऔरगरीबीसमाप्तकरनेसेजुड़ेकार्यक्रमोंको बढ़ावादियाजारहाहै।अभीदेशमेंसेवा क्षेत्र के मुकाबलेमैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र काफीपीछेहै।अतः इस क्षेत्र मेंक्रांतिलाने के लिए मेकइनइंडिया की पहल की गईहैताकिभारतकोडिजाइन एवंमैन्युफैक्चरिंगकाकेंद्रबनायाजासके।इसकेअलावाउद्योग धंधोको बढ़ावादेनेऔररोजगार के नए अवसरपैदाकरने के लिए स्किलइंडिया, स्टार्ट–अप–इंडियाऔरडिजिटलइंडियाजैसीसरकारीरणनीतियांअपनाईजारहीहैं।

येविकास लक्ष्य इसप्रकारहैं–

1. **इण्डपावर्ट्री इन ऑल इटस फॉरम्स एवरीव्हेयर।**
   गरीबी उन्मूलन।
2. **इण्डहंगर, एचीव फूड सिक्योरिटी एण्ड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एण्ड प्रोमोट सस्टैनेवल एग्रीकल्चर।**
   भुखमरीकी समाप्ति।
3. **इनस्योर हेल्थी लाइव्स एण्ड प्रोमोट वेल–विंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस।**
   बेहतरस्वास्थ्य।
4. **इन्स्योर इन्क्लूसिव एण्ड इक्वीटेबल क्वालिटी एजूकेशन एण्ड प्रोमोट लाइफ–लांग लर्निंगऑपरचुनिटीज फॉर ऑल।**
   गुणवत्तापूर्णशिक्षा।
5. **एचिविंग जेण्डर इक्वालिटी एण्ड एम्पावर ऑल वुमेन एण्ड गर्ल्स।**
   लैंगिकसमानता।

6. **इन्श्योरएवेलेविलिटी एण्ड सस्टनेवल मैनेजमेन्ट ऑफ वाटर एण्ड सैनिटेशनन फॉर ऑल।**
   शुद्ध जल की उपलब्धता एवंस्वच्छता।
7. **इन्श्योर एक्सेस टू एफोर्डवल,रिलाइवल, सस्टनेवल एण्ड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल।**
   सस्तीस्वच्छऊर्जा।
8. **प्रोमोट सस्टेन्ड, इन्क्ल्यूसिव एण्ड सस्टनेवल इकोनोमिक ग्रोथ, फुल एण्ड प्रोडक्टिव इम्प्लायमेन्ट एण्ड डिसेन्ट वर्क फॉर ऑल।**
   उचितरोजगार एवंआर्थिक विकास।
9. **बिल्डरि–साइलेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोमोट इन्क्ल्यूसिव एण्ड सस्टनेवल इन्डस्ट्रीएलाइजेशन एण्ड फॉस्टर इनोवेशन।**
   औद्योगीकरण, नई पद्धतियों की खोज एवंअवस्थापनाविकास।
10. **रिड्यूस्ड इन्एक्वलीटिज।**
    असमानताओंमेंकमी।
11. **मेक सिटीज एण्ड ह्यूमैन सैटलमेन्ट्स इन्क्ल्यूसिव, सेफ, रिसाइलेन्ट एण्ड सस्टनेवल।**
    टिकाऊ शहरऔरमानवबस्तियोंकानिर्माण।
12. **इन्स्योर सस्टनेवल कन्जम्पशन एण्ड प्रोडक्शन पैटर्न्स।**
    उत्तरदायित्वपूर्णउपभोग एवंउत्पादन।
13. **टेक अरजेन्ट एक्शन टू कॉमबैट क्लाइमेट चेन्ज एण्ड इट्स इम्पैक्ट्स।**
    जलवायुपरिवर्तनऔरउसकेप्रभावोंसेनिपटने के लिए त्वरितउपाय।
14. **कन्सर्व एण्ड सस्टनेवल यूज दि ओसियन्स, सीज एण्ड मैरिन रिसोर्स फॉर सस्टनेवल डेवलवमेन्ट।**
    सततविकास के लिए महासागरों, समुद्रऔरसमुद्रीसंसाधनोंकासंरक्षणऔरउपयोग।
15. **प्रोटेक्ट,रिस्टोरएण्ड प्रोमोट सस्टनेवल यूज ऑफ टैरिस्ट्रियल इको–सिस्टम्स, सस्टनेवली मैनेज फॉरेस्ट्स, कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, हॉल्ट एण्ड रिवर्स लैण्ड डिग्रेडेशन एण्ड हॉल्ट बायोडायवर्सिटी लॉस।**
    भूमि, वन, जैवविविधतातथासम्पूर्णपारिस्थितिकीतंत्र कासंरक्षण एवंसम्वर्धन।
16. **प्रोमोटपीसफुलएण्ड इन्क्ल्यूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टनेवल डेवलपमेन्ट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एण्ड बिल्ड इफेक्टिव, एकाउन्टेवल एण्ड इन्क्ल्यूसिव इंस्ट्टियूशंस ऍट ऑल लेवल्स।**
    शांतिपूर्ण,न्यायपूर्णऔरसशक्तसंस्थाओंकीस्थापना।
17. **स्ट्रेथेन दि मीन्स ऑफ इम्पलीमेन्टेशन एण्ड रिवाईटलाइज दि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टनेवल डेवलपमेन्ट।**
    स्ततविकास के लिए वैश्विकभागीदारी।

उ0प्र0 एवंसततविकास लक्ष्य–2030

सततविकास के माध्यम सेवर्तमानपीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथभावीपीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्तिभीसुनिश्चितकियाजानासम्भवहोगा।सततविकास के अन्तर्गतसंसाधनों केसीमितउपयोगऔरउसकेसंरक्षणपरविशेष
ध्यानदियागयाहैजिससेआनेवालीपीढ़ियांभीलाभान्वितहोसकें।इनलक्ष्यों
कीप्रतिपूर्तिमेंपर्यावरणसंरक्षणपरविशेषबलदियागयाहै।

इनसतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्तिहेतु 169 सहायक लक्ष्य एवंइनके मूल्यांकनहेतु232 इंडीकेटरसांख्यिकीय एवंकार्यक्रमक्रियान्वयनमंत्रालय, भारतसरकार (एम0ओ0एस0पी0आई) द्वाराप्रस्तावितहै।प्रदेशमेंइन 17 सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्तिहेतुतीनस्तरोंपर योजनाओंकाक्रियान्वयनकियाजानाहैः–

1. वर्ष 2015–18 तकअल्पकालीन एक्शनप्लान
2. वर्ष 2018–22 तक मध्यकालीन एक्शनप्लान
3. वर्ष 2022–30 तकदीर्घकालीन एक्शनप्लान

तत्क्रममेंप्रदेशमेंअल्पकालीन एक्शनप्लानतैयारकियाजाचुकाहै।सतत् विकास लक्ष्योंके लिएप्रदेशमेंनामितनोडलविभागोंकाविवरणनिम्नवत् हैः–

लक्ष्य	नामित नोडल विभाग
1. गरीबी उन्मूलन।	ग्रामीण विकास
2. भुखमरी की समाप्ति।।	कृषि
3. बेहतर स्वास्थ्य।	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
4. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा।	माध्यमिक शिक्षा
5. लैंगिक समानता।	महिला कल्याण
6. शुद्ध जल की उपलब्धता एवं स्वच्छता।	सिंचाई
7. सस्ती स्वच्छ ऊर्जा।	ऊर्जा
8. उचित रोजगार एवं आर्थिक विकास।	एम0एस0एम0ई0
9. औद्योगीकरण, नई पद्धतियों की खोज एवं अवस्थापना विकास।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
10. समानताओं में कमी।	समाज कल्याण
11. टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।	शहरी विकास

लक्ष्य	नामित नोडल विभाग
12. उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग एवं उत्पादन।	पर्यावरण
13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए त्वरित उपाय।	पर्यावरण
14. सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।	पर्यावरण
15. भूमि, वन, जैव विविधता तथा सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण एवं सम्वर्धन।	वन
16. सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण न्यायपूर्ण और सशक्त संस्थाओं की स्थापना।	गृह
17. सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी।	वित्त

****

अध्याय–3

वित्त एवं बैंकिंग सेवायें

लोक निधि

उत्तर प्रदेश राज्य देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है जहॉ देश की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। प्रदेश की विकासशील अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संसाधनों की सृजन क्षमता भी सीमित है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के विकासात्मक गतिविधियों हेतु सीमित संसाधनों के दृष्टिगत प्रदेश का विकास किया जाना एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 2017 में प्रदेश में गठित नयी सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सबसे अधिक महत्ता प्रदान की गयी है। जहॉ एक तरफ राज्य सरकार द्वारा संसाधनों में वृद्धि के अथक प्रयास किये जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के विकास हेतु अनेकों योजनायें संचालित की जा रही हैं।

1.राजस्व प्राप्ति

राज्य के संसाधन मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से संक्रमण के आधार पर प्राप्त होते हैं। राज्य के राजस्व आय के प्रमुख स्रोत हैं– कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से संक्रमण। संक्रमण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से अनुदान। वर्ष 2016–17 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को रू0 2,69,406.86 करोड़ की कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से रू0 1,17,793.41 करोड़ तथा केन्द्र से करों के विभाज्य अंश में तथा केन्द्रीय अनुदानों के रूप में रू0 1,51,613.45 करोड़ प्राप्त हुआ। राज्य के गत पांच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को तालिका–3.01 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.01: राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति से आय के स्रोत का प्रतिशत

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		कुल राजस्व प्राप्तियां
	राज्य कर तथा शुल्क	राज्य करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों esa va'k	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	
1	2	3	4	5	6
2012–13	58098.36	12969.98	57497.85	17337.79	145903.98
2013–14	66582.11	16449.81	62776.66	22405.17	168213.75
2014–15	74172.98	19934.80	66622.35	32691.48	193421.61
2015–16	81106.29	23134.66	90973.66	31861.33	227075.94
2016–17 (पु0अ0)	90218.70	27574.71	102649.91	48963.54	269406.86

नोटः वर्ष 2014–15 से केन्द्रीय योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सीधे विभागों को उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान को राज्य सरकार के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है जिस कारण अप्रत्याशित वृद्धि केन्द्रीय अनुदान में परिलक्षित हो रही है।

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2016–17 में 43.7 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 44 प्रतिशत अंश राज्य अपने संसाधनों से ही एकत्रित करता है। संसाधनों में वृद्धि के लिये राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों को बाक्स–1 में दर्शाया गया है।

बाक्स–1

वाणिज्यिक कर विभाग

- सीमेन्ट पर 4 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर देयता निर्धारित की गयी।
- हाई डेन्सिटी पालीथिलीन (एच.डी0पी.ई) एवं पालीप्रोपिलीन (पी.पी.) अनलैमिनेटेड थैलों पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का निर्धारण किया गया।
- हाई डेन्सिटी पालीथिलीन (एच.डी.पी.ई) एवं पालीप्रोपिलीन (पी.पी.) अनलैमिनेटेड फैब्रिक्स पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का निर्धारण किया गया।
- वैट अधिनियम के अनुसूची–1 में उल्लिखित वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं की आनलाइन खरीद या आर्डर पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर की देयता निर्धारित की गयी।

परिवहन विभाग

- निगम की बसों में विज्ञापन, बसों में पार्सल/कोरियर सेवा तथा यात्री प्लाजा से संसाधन के नये स्रोत सृजित किये गये।

निबन्धन विभाग

- सहकारी आवास समिति द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित विलेखों पर प्रदत्त निबन्धन शुल्क में छूट समाप्त की गई।
- जनपदों के द्विवार्षिक मूल्यांकन के स्थान पर वार्षिक मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण दिनांक 01–08–2014 से प्रभावी किया गया जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी सर्किल रेट का पुनरीक्षण किया गया।

आबकारी विभाग

- देशी शराब की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस, एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेंस फीस, प्रतिफल फीस आदि में वृद्धि की गयी।
- विदेशी शराब एव बीयर की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस, बेसिक लाइसेंस फीस, प्रतिफल फीस, लेबिल अनुमोदन फीस आदि में वृद्धि की गयी।
- सभी श्रेणियों के बार अनुज्ञापनों एवं माडल शाप्स की लाइसेंस फीस में वृद्धि।

मनोरंजन कर विभाग

- बन्द सिनेमाओं को पुनः संचालित कराने हेतु योजना दिनांक 16–12–2016 से लागू की गयी जिसमें बिना किसी निवेश के पुनः खोलने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने के लिये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सिनेमा में संग्रहीत मनोरंजन कर का 30 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी।
- घाटे में चल रहे सिनेमाओं को रिमाडल कर व्यवसायिक गतिविधियों से युक्त एकल/मल्टीप्लेक्स छविगृह बनाने पर प्रोत्साहन दिये जाने के लिये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सिनेमा में संग्रहीत मनोरंजर कर का 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी।
- नये एकल निर्माण हेतु छविगृह में अनुदान स्वीकृति के दिनांक से प्रथम वर्ष 100 प्रतिशत, द्वितीय व तृतीय वर्ष 75 प्रतिशत व चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी।
- प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताओं यथा अन्तर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच, एक दिवसीय, टी–20 मैच पर मनोरंजन कर अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में मुख्य भागीदारी वाणिज्यिक कर विभाग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) की है। वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित अनुमान में मूल्य संवर्द्धित कर का अंश लगभग 57 प्रतिशत है। राज्य उत्पाद शुल्क तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क अन्य दो महत्वपूर्ण घटक है जिनका अंश क्रमशः 19 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत है। राज्य का कर राजस्व मुख्यतः इन्हीं तीन मदों से प्राप्त होने वाले कर पर निर्भर रहता है जो कुल स्वयं की कर राजस्व प्राप्ति का 91 प्रतिशत है।

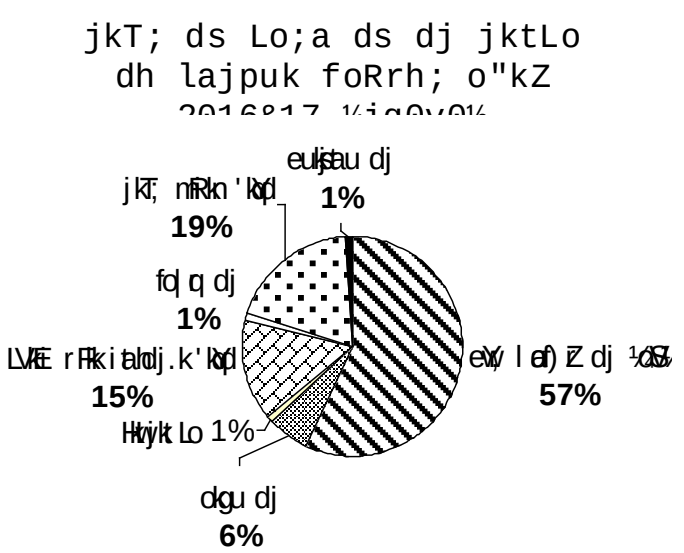

2.राजस्व व्यय

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं– राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 की अवधि में राजस्व प्राप्ति तथा सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले राजस्व व्यय को तालिका–3.02 में दिया गया है:–

तालिका 3.02: राजस्व व्यय के मुख्य घटक

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	समाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को अनुदान
1	2	3	4	5	6
2012–13	140723.64	59906.73	53300.32	21337.35	6179.24
2013–14	158146.87	61983.49	60756.28	25710.72	9696.38
2014–15	171027.33	64305.73	60905.78	34885.24	10930.58
2015–16	212735.95	72227.92	82486.46	47881.28	10140.29
2016–17 (पु०अ०)	244900.90	91028.76	95442.60	47742.02	10687.52

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला राजस्व व्यय विकासेत्तर व्यय की श्रेणी में आता है। ग्राफ को देखने से यह पूर्णतया स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष 2012–13 में राजस्व व्यय का विकासात्मक कार्यों में किया जाने वाला व्यय 53.0 प्रतिशत था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 61.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है यद्यपि वर्ष 2016–17 में इसके घटकर 58.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय को इस

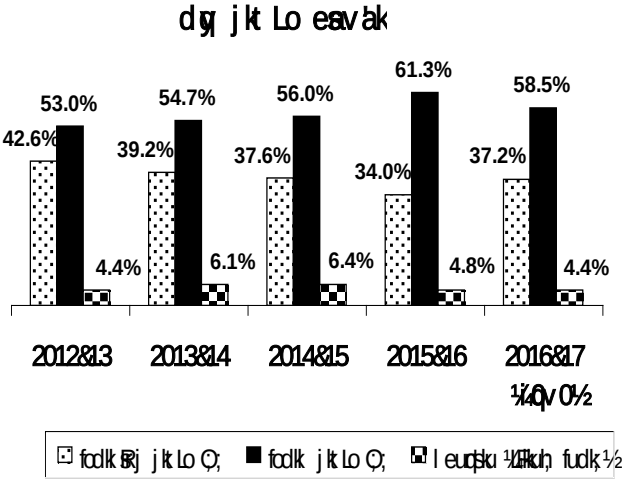

प्रकार समायोजित किया जाना चाहिये कि इसका अधिकांश उपयोग विकास कार्यों में किया जा सके।

3 वेतन, पेंशन ब्याज

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण तालिका–3.03 में दिया गया है।

तालिका–3.03: वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	वेतन	पेंशन	ब्याज	वेतन+पेंशन+ब्याज
1	2	3	4	5
2012-13	52,231.57	17,920.61	16,920.59	87,072.77
2013-14	54,363.41	19,521.21	17,412.44	91,297.06
2014-15	61,557.74	22,304.61	18,864.44	1,02,726.72
2015-16	73,795.79	24,149.57	21,447.87	1,19,393.23
2016-17(पु०अ०)	82,590.91	28,358.64	27,379.10	1,38,328.65

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर होने वाले कुल व्यय का राज्य के स्वयं के राजस्व एवं कुल राजस्व के साथ प्रतिशत ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले वचनबद्ध व्यय के राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय से प्रतिशत के रूप में विगत 5 वर्षों में सुधार हुआ है।

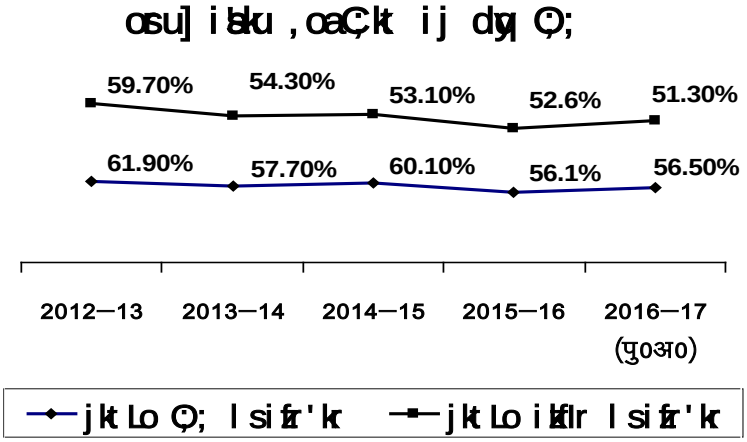

वर्ष 2012–13 में जहॉ वचनबद्ध व्यय, राजस्व व्यय का 61.9 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2015–16 में यह घट कर 56.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है यद्यपि वर्ष 2016–17 में इसके आंशिक रूप से बढ़कर 56.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसी प्रकार राजस्व प्राप्ति से भी इसके प्रतिशत अंश में भी कमी आयी है जो वर्ष 2016–17 में 51.3 प्रतिशत तक आने का अनुमान है। यह दर्शाता है कि राज्य के राजस्व की वृद्धि दर वचनबद्ध व्यय की तुलना में काफी अधिक रही है जिस कारण प्रतिशतता गिर रही है।

4 पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है तथा प्रदेश का विकास पूंजीगत परिव्यय पर भी निर्भर होता है। पूंजीगत परिव्यय का यद्यपि कोई मानक निर्धारित नहीं किया जाता है अपितु यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में जितना अधिक होगा, उतना राज्य के लिये बेहतर माना जाता है। ग्राफ को देखने से स्पष्ट है कि वर्ष 2012–13 में पूंजीगत परिव्यय में स.रा.घ.उ.

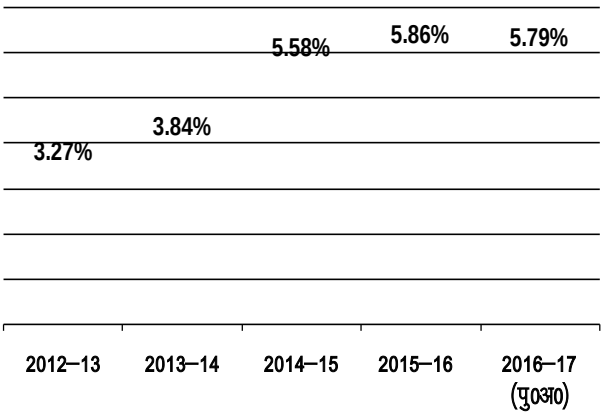

के प्रतिशत के रूप में 3.27 प्रतिशत के स्तर पर था जो वर्ष 2016–17 में 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

5 ऋण का उपयोग

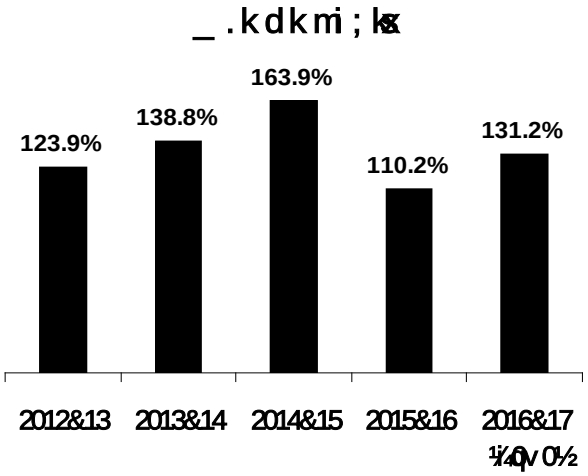

परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय माध्यमों से ऋण लिया जाता है तथा वित्तीय अनुशासन के अभाव में लिया जाने वाला ऋण अनियन्त्रित हो कर पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा सकता है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिये ऋण लेना बुरा नहीं है बशर्ते उस ऋण का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये किया जाय। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2002–03 में लिये गये ऋण का मात्र 46 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय में उपयोग हुआ था जिसका अर्थ है कि ऋण के आधे से अधिक अंश का उपयोग पूंजीगत कार्यों में नहीं किया जा रहा था जो एक अव्यस्थित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है यघपि आगे के वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि में यह 100 प्रतिशत के स्तर से ऊपर ही रहा है जिसका आशय है कि न सिर्फ शतप्रतिशत ऋण का उपयोग विकास कार्यों के लिये किया गया बल्कि राजस्व बचत का उपयोग भी पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है।

6 वित्तीय संकेतक

वर्ष 1998–99 में प्रदेश के विकास की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सभी संकेतक अत्यन्त विषम स्थिति को प्रदर्शित कर रहे थे परन्तु समय के साथ इन सभी संकेतको में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 1987–88 के पश्चात् लगातार 19 वर्ष तक राजस्व घाटा देखने के बाद वर्ष 2006–07 में पुनः राजस्व अधिशेष की प्राप्ति से स्थिति बदल चुकी है तथा वित्तीय राजकोषीय घाटा में भी इन वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य के वित्तीय संकेतकों को तालिका–3.04 से समझा जा सकता हैः–

तालिका 3.04: राजकोषीय स्थिति के प्रमुख संकेतक

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राजस्व अधिशेष	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा
2012-13	5,180.34	19,238.39	2,317.80
2013-14	10,066.88	23,679.54	6,267.10
2014-15	22,394.28	32,513.17	13,648.72
2015-16	14,339.99	58475.01 *(28872.41)*	37027.14
2016-17 (पु०अ०)	24,505.96	55020.70 *(40219.41)*	27641.60

कोष्ठक में दिये गये राजकोषीय घाटा में उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना के लिये वर्ष 2015–16 में रू0 29602.60 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 में रू0 14801.29 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जिसे केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ.आर.बी.एम. एक्ट में संगत वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।

7. राजस्व घाटा/अधिशेष

वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व अधिशेष की स्थिति को इसके बाद के वर्षों में भी लगातार बनाये रखा गया है तथा साथ ही लगातार यह प्रयास भी किया जाता रहा है कि राजस्व बचत के कुल आकार में भी वृद्धि की जाय।

8. राजकोषीय घाटा

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने के सबसे महत्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का स.रा.घ.उ. से प्रतिशत होता है जिसमें उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हो रहा है। वर्ष 2012–13 में यह 2.64 प्रतिशत के स्तर पर था जो वर्ष 2015–16 में भी लगभग समान स्तर अर्थात 2.63 प्रतिशत के स्तर पर रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 की अवधि हेतु 13वें वित्त आयोग द्वारा 3.0 प्रतिशत की सीमा भी निर्धारित की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा आयोग की संस्तुति के अनुसार उक्त वर्षों में राजकोषीय घाटा को निर्धारित 3 प्रतिशत के स्तर से नीचे ही बनाये रखे जाने का प्रयास किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनः 3 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गयी परन्तु दो शर्तों यथा ऋण/स.रा.घ.उ. के 25 प्रतिशत से कम होने तथा ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत से कम होने पर आगामी वर्ष में क्रमशः 0.25–0.25 प्रतिशत की लोचनीयता प्रदान की गयी अर्थात शर्त पूर्ण करने की स्थिति में राज्य अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा की सीमा तक जा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इसके 3.22 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यहॉ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015–16 में राज्य की ब्याज अदायगी सम्बन्धी शर्त पूर्ण होने के कारण राज्य को वित्तीय वर्ष 2016–17 में 3.25 प्रतिशत की सीमा अनुमन्य है। यहॉ यह भी समीचीन है कि राजकोषीय घाटा के आंकड़ों में केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उज्जवल डिस्काम एश्योरेन्स योजना 'उदय' के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना के भार को शामिल न करते हुये राजकोषीय घाटा का आगणन किया गया है।

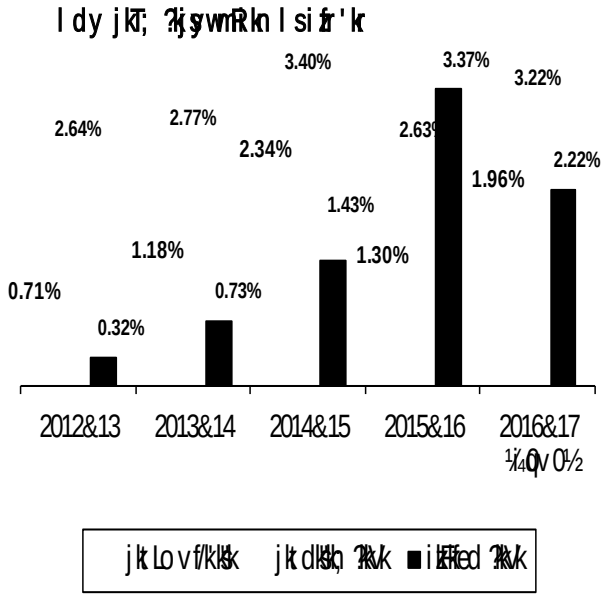

9 प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे की राशि में से ब्याज अदायगियों का कुल व्यय भार घटाने से जो राशि निकलती है वह प्राथमिक घाटा दर्शाती है। राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2016–17 में उदय योजना के प्रभाव को सम्मिलित करने पर यह लगभग 2.22 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है।

10 राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेकों कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत विकासात्मक एवं पूंजीगत निवेश जैसे कार्यों हेतु ऋण लिया जाना पूर्णतया उचित है। स्पष्ट है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास हेतु ऋण लिया जाना अपरिहार्य है बशर्ते कि ऋण का उचित प्रबन्धन किया जाय जिसके अभाव में पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है तथा राज्य ऋण जाल जैसे भंवर में फंस सकते है।

तालिका 3.05: राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियां	अन्य*	कुल ऋणग्रस्तता
2012-13	84,103.42	56,351.56	41,935.55	42,733.06	2,25,123.59
2013-14	89,157.44	59,119.36	44,297.81	49,111.26	2,41,685.87
2014-15	1,02,666.91	65,444.26	45,480.38	53,229.14	2,66,820.69
2015-16	1,27,967.87	69,782.94	47,014.66	79,170.19	3,23,935.66
2016-17 (पु०अ०)	1,65,334.29	65,251.36	51,048.91	93,140.01	3,74,774.57

**अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, पॉवर बाण्ड्स, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।*

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेक स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता को तालिका–3.05 से समझा जा सकता है जिसके अनुसार वर्ष 2015–16 तक कुल ऋणग्रस्तता रू0 3,23,935.66 करोड़ तक पहुंच गयी है तथा वर्ष 2016–17 के अन्त तक इसके रू0 3,74,774.57 करोड़ तक होने का अनुमान है।

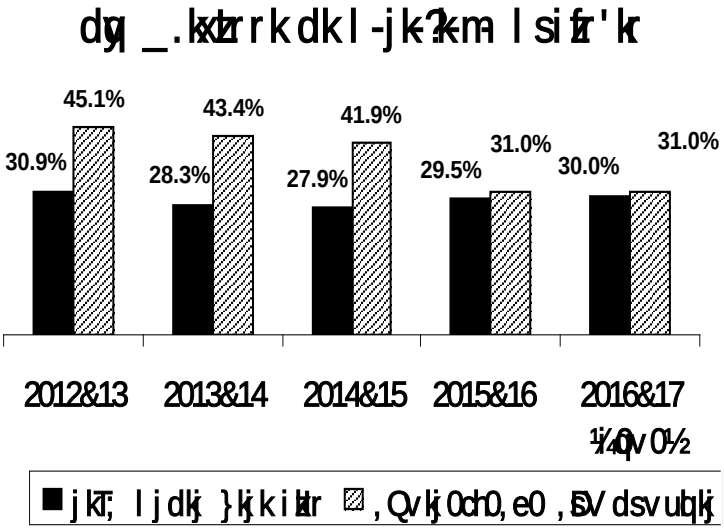

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की कुल ऋणग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है परन्तु किसी भी राज्य की ऋणग्रस्तता का आंकलन उसकी कुल ऋणग्रस्तता से नहीं अपितु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में किये जाने पर ही राज्य की सही स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा राज्य एवं संघ के लिये ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये निर्धारित अनुपात की संस्तुति की जाती रही है तथा यदि राज्य अथवा संघ अपने निर्धारित प्रतिशत अनुपात की सीमा के अन्दर हैं तो राज्य की ऋण स्थिति उचित मानी जाती है। 13वें वित्त आयोगों द्वारा वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिये भी राज्य का ऋण प्रतिशत निर्धारित किया गया था तथा ग्राफ को देखने से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य का अनुपात, 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुपात से प्रत्येक वर्ष काफी कम रहा है जो. इस तथ्य का द्योतक है कि राज्य की ऋण स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है। वर्ष 2015–16 से 14वें वित्त आयोग

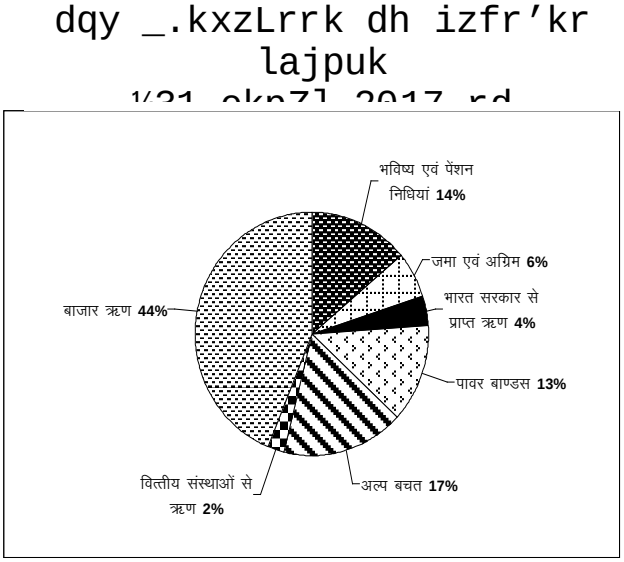

की संस्तुतियों लागू हो गयी हैं तथा राज्य की ऋण स्थिति 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ही है।

11 ऋण के स्रोत

राज्य की ऋण की संरचना में सर्वाधिक अंश बाजार ऋण का है। वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल ऋणग्रस्तता का लगभग 44 प्रतिशत अंश बाजार ऋण से ही प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात् अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से लिया गया ऋण लगभग 17 प्रतिशत है। यद्यपि 14वें वित्त आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में एन.एस.एस.एफ. से राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की प्रक्रिया समाप्त हो गयी है। भविष्य एवं पेंशन निधियॉ भी राज्य के ऋण में समुचित योगदान करती हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 से 12वें वित्त आयोग की अवधि लागू होने पर आयोग द्वारा बाजार ऋण को अधिक महत्ता देते हुये केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋण को हतोत्साहित किया गया जिसके उपरान्त यह लगातार घटते हुये अब मात्र 4 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। विदित है कि ग्राफ में दृष्टव्य राज्यों को प्राप्त होने वाले ऋण की अदायगी की अवधि एवं ब्याज दर, ऋण की शर्तों के अनुसार अलग–अलग होते हैं।

12 ऋण सीमा एवं ऋण सेवा

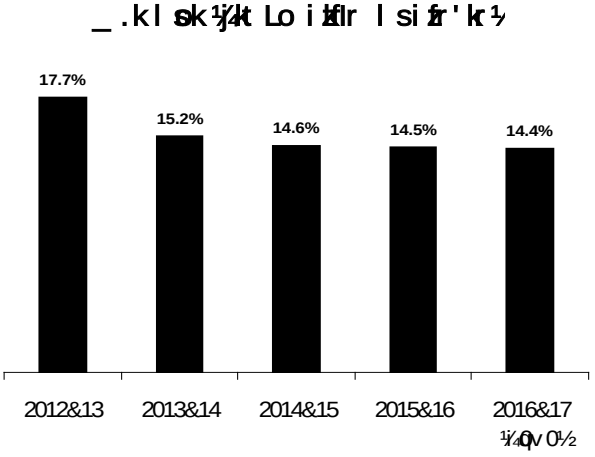

13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की ऋण सीमा अवार्ड अवधि 2010–15 हेतु निर्धारित की गयी थी जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्यों की मौद्रिक रूप में ऋण सीमा निर्धारित की जाती है तथा राज्यों का यह दायित्व है कि इस ऋण सीमा के अन्दर ही ऋण लिया जाये। 14वें वित्त आयोग द्वारा भी यही 3 प्रतिशत ऋण सीमा लागू की गयी है यद्यपि राज्य 0.25–0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त लोचनीयता प्रदान की गयी है यदि उनका ऋण–जीएसडीपी अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम है अथवा ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्ति 10 प्रतिशत से कम है। यह लोचनीयता अलग–अलग अथवा एक साथ राज्यों को प्राप्त हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विगत कई वर्षों से निर्धारित सीमा के अधीन ही प्रत्येक वर्ष ऋण लिया जा रहा है।

राज्य सरकार की ऋण सेवा जिसके ऋणों का प्रतिसंदाय एवं ब्याज अदायगी घटक हैं, में विगत वर्षों में लगातार कमी हुयी है। एक दशक पूर्व ऋण सेवा का राजस्व प्राप्ति से अनुपात लगभग 27 प्रतिशत था जो वर्ष 2012–13 तक घटते हुये 17.7 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। इसके उपरान्त भी ऋण सेवा में लगातार कमी जारी रही है तथा वर्ष 2015–16 में यह 14.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है एवं वर्ष 2016–17 में इसके लगभग इसी स्तर पर 14.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यहॉ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के आंकड़ों में अर्थोपाय अग्रिम की धनराशि सम्मिलित नहीं की गयी है।

13 राज्य सरकार के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां एवं निराकरण

प्रदेश में वर्ष 2017 के प्रारम्भ में विधान सभा चुनाव के उपरान्त नयी सरकार का गठन किया गया। किसी भी राज्य के लिये वित्तीय अनुशासन उसकी प्राथमिकता है। विगत वर्षों में 'उदय योजना' के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना तथा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों से वेतन/पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप लगभग 70 हजार करोड़ से अधिक का अतिरिक्त व्यय–भार राज्य सरकार पर आया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों को वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु फसली ऋणों में एक लाख तक ऋण मुक्ति

प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है जिससे राज्य सरकार पर लगभग रू0 36 हजार करोड़ का भार आयेगा। ऐसी कठिन परिस्थिति में एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के निर्धारित अनुपात के साथ–साथ अन्य वित्तीय संकेतकों को नियन्त्रण में रखना कठिन चुनौती है।

प्रदेश में निवेश के बिना विकास मात्र एक परिकल्पना बन कर रह जायेगा ऐसी स्थिति में प्रदेश में निवेश हेतु बेहतर माहौल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। इससे प्रदेश में रोजगार सृजन के व्यापक एवं वृहद स्तर पर अवसर सृजित होंगे।

प्रदेश के सीमित संसाधनों के बावजूद ऊर्जा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। ऐसा देखा गया है कि अनेकों योजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रांश की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाती है। विभागों को केन्द्रांश की शत प्रतिशत प्राप्ति के अथक प्रयास करने होंगे।

प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं की स्थिति

1–प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क

प्रदेश में मार्च, 2017 तक कुल 18258 बैंक शाखायें कार्यरत हैं जिनके माध्यम से बैंकिंग सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश में मार्च, 2017 तक कुल कार्यरत बैंक शाखाओं का विवरण निम्नवत् है :–

तालिका 3.06

क्र0सं0	बैंक का प्रकार	बैंक शाखाओं की संख्या
1	सावर्जनिक बैंक	11132
2	निजी बैंक	1210
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4241
4	सहकारी बैंक	1675
	कुल	**18258**

2–बैंक शाखा प्रसार कार्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 25000 गांवों में बैंक शाखायें खोले जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी पूर्ति हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा प्रदेश के 25000 ग्रामीण केन्द्रों का चयन करते हुए एक रोडमैप प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जा रहा है। **राज्य के** ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।

3–बैंकों की वार्षिक जमा

प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों सहित) में मार्च, 2017 तक रू0 875456.86 करोड़ की धनराशि जमा है।

4–वार्षिक ऋण योजना

कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में ऋण वितरण करने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए प्रति वर्ष वार्षिक ऋण योजना तैयार करायी जाती है। वर्ष 2016–17 के दौरान वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रू0 168397.66 करोड़ के ऋण वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च, 2017 तक रू0 137451.78 करोड़ (82 प्रतिशत) का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया है।

वर्ष 2017–18 हेतु वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत रू0 200958.23 करोड़ का लक्ष्य प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की शत्–प्रतिशत पूर्ति हेतु बैंकों से सघन अनुसरण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

5–ऋण प्रवाह की स्थिति

प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों सहित) द्वारा मार्च, 2017 तक रू0 404540 करोड़ के ऋण बकाया थे। प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अवधि तक रू0 258985 करोड़ (64%) के ऋण बकाया थे जो वितरित कुल अग्रिम के साथ निर्धारित मानक 40 प्रतिशत से अधिक है।

6–प्रदेश में कम आय वर्ग के लिए सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं के वितरण हेतु कार्यान्वित योजनायें –

(क) प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अगले चरण के अन्तर्गत केन्द्रीय बजट भाषण 2015 में बीमा एवं पेंशन सेक्टर से संबंधित घोषणाएं की गयी 3 योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी0एम0जे0जी0बी0वाई0), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी0एम0एस0बी0वाई0) एवं अटल पेंशन योजना (ए0पी0वाई0) का शुभारम्भ मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 मई, 2015 को किया गया। इन योजनाओं के लागू करने का मुख्य उद्देश्य है कि एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कायम की जा सके व इसके अन्तर्गत विशेषकर अल्प सुविधा प्राप्त व निर्धन वर्ग को जोड़ा जा सके।

(ख) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी0एम0एस0बी0वाई0) के अन्तर्गत समस्त बचत बैंक खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है, को वार्षिक प्रीमियम रू0 12 में रू0 2.00 लाख के दुर्घटना बीमा का कवरेज उपलब्ध होगा जो विकलांगता की स्थिति में भी उपलब्ध होगा। योजनान्तर्गत 31 मई, 2017 तक 1.21 करोड़ लोगों को पंजीकृत किया गया है।

(ग) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी0एम0जे0जे0बी0वाई0) के अन्तर्गत बैंक के बचत खाता धारकों जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में हैं, को रू0 2.00 लाख का जीवन बीमा वार्षिक प्रीमियम रू0 330/– पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 31 मई, 2017 तक 31.94 लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है।

(घ) अटल पेंशन योजना (ए0पी0वाई0) वृद्धावस्था में आय का स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु यह योजना लागू की गयी है ताकि न्यूनतम 20 वर्ष का भुगतान करने पर 60 वर्ष की आयु से उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। योजनान्तर्गत 13 मई, 2017 तक 6.94 लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है।

7–उ0प्र0 वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम–2016

प्रदेश में कार्यरत ऐसे वित्तीय अधिष्ठान जो जनता से अव्यवहारिक और अव्यवहार्य वापसी का वचन देकर धन प्राप्त कर रहे हैं एवं परिपक्वता पर जमा को वापस करने या ब्याज को भुगतान करने या ऐसे जमा के सापेक्ष कोई विशिष्ट सेवा देने में जान–बूझकर विफल हुए हैं। ऐसे जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा "**fn mRrj izns'k izksVsD'ku vkWQ bUVjsLV vkWQ fMikftVlZ bu Qkbusf U'k;y LVScfylesUV~l ,sDV] 2016**" पारित किया जा चुका है एवं उक्त एक्ट के क्रियान्वयन हेतु "**fn mRrj izns'k izksVsD'ku vkWQ bUVjsLV vkWQ fMikftVlZ bu Qkbusf U'k;y LVScfylesUV~l :y] 2016**" प्रख्यापित किया जा चुका है। इस अधिनियम के फलस्वरूप प्रदेश के जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जा सकेगी और इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगायी जा सकेगी।

8.कृषि क्षेत्र में की गयी पहल

8.1–फसल ऋण मोचन योजना

- प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों का फसली ऋण मोचन किये जाने संबंधी शासनादेश दिनांक 24 एवं 30 जून, 2017 की व्यवस्था के अनुसार ''फसल ऋण मोचन योजना'' क्रियान्वित की जा रही है।
- प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के दिनांक 31 मार्च, 2016 तक लिए गये फसली ऋणों (एन0पी0ए0 ऋणों को छोड़कर) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में उनके द्वारा किये गये प्रति भुगतान को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष ऋण की धनराशि रू0 1,00,000/– की सीमा तक माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले किसान जिनकी भूमि उ0प्र0 में स्थित हो एवं उनके द्वारा उ0प्र0 में स्थित किसी भी बैंक शाखा से लिया गया हो। ऋण प्रदाता संस्थायें, जिनकी उ0प्र0 में शाखायें हैं :– अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक (अर्बन को–आपरेटिव बैंक को छोड़कर)।
- किसान के स्वामित्व की विभिन्न भूमि का कुल क्षेत्रफल लघु किसान हेतु 2 हेक्टेयर व सीमान्त किसान हेतु 1 हेक्टेयर से अधिक नहीं हो।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु एन0आई0सी0 द्वारा वेब पोर्टल (**,pVhVhih%@@;wihfdlkudtZjkgr-;wih,lMhlh-thvksoh-bu**) बनाया गया है।
- मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 की उपस्थिति में दिनांक 28 जून, 2017 को विशेष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु ''फसल ऋण मोचन योजना'' की पुस्तिका का विमोचन किया गया।
- मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 09 जुलाई, 2017 को समस्त जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों के साथ की गयी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा ऋण मोचन पोर्टल का शुभारम्भ किया गया।
- दिनांक **30 सितम्बर, 2017** तक योजनान्तर्गत **2286068 कृषकों को ऋण मोचन** की राशि प्रदान की गयी।

8.2–मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2016 से प्रदेश में लागू की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा समस्त कृषकों (राजस्व अभिलेखों/खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार) तथा किसी भी व्यवसाय/कार्य में लगे प्रदेश के ऐसे निवासी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू0 75,000/– से कम है तथा योजना की अवधि में आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य है को सामाजिक सुरक्षा का आवरण देने हेतु दिनांक 14 सितम्बर, 2016 से ''मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना'' लागू की गयी है। योजनान्तर्गत परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक को व्यक्तिगत दुर्घटना लाभ के अतिरिक्त उन्हें तथा उनके परिवार के समस्त सदस्यों को दुर्घटना के उपरान्त कैशलेस चिकित्सा का लाभ (सभी सरकारी एवं एम्पैनल्ड निजी चिकित्सालयों में) भी मिलेगा जिसके लिए बीमित व्यक्तियों को बीमा प्रीमियम भुगतान नही करना होगा। आच्छादित परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक (बीमा धारक) को दुर्घटना होने पर मृत्यु/स्थायी विकलांगता की दशा में अधिकतम रू0 5.00 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं मुखिया/रोटी अर्जक एवं परिवार के सदस्य की दुर्घटना के उपरान्त रू0 25,000/– तक प्राथमिक चिकित्सा सहित कुल रू0 2.50 लाख तक चिकित्सा लाभ तथा आवश्यकतानुसार रू0 1. 00 लाख तक के कृत्रिम अंग प्राप्त कर सकेगें। मुखिया/रोटी अर्जक की प्रदेश की सीमा के बाहर दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांग होने की दशा में भी लाभ मिलेगा। समस्त सरकारी चिकित्सालय, सरकारी मेडिकल कालेज तथा 30 बेड से अधिक के निजी चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज की

सुविधा होगी। दुर्घटना होने पर फौरी तौर पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय में रू0 25000 तक का प्राथमिक इलाज कराने की भी सुविधा होगी, चाहे वह चिकित्सालय योजना में पंजीकृत न हो।

योजना में पात्रता के लिए मुखिया/रोटी अर्जक का तात्पर्य 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य ऐसे स्त्री या पुरूष से है, जो खातेदार/सहखातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज है। ऐसे मुखिया/रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य है तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय रू0 75000 से कम है, वे भी योजना में पात्र हैं। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व/बीमा) से सम्पर्क किया जा सकता है। उक्त योजना 04 बीमा कम्पनियों–ओरियण्टल इंश्योरेन्स कं0 लि0, नेशनल इंश्योरेन्स कं0लि0, यूनाईटेड इंश्योरेन्स कं0लि0, न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कं0लि0 के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत दिनांक 13 सितम्बर, 2017 तक 11901 व्यक्तियों को बीमा सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है।

8.3–किसान क्रेडिट कार्ड वितरण

किसानों को समय से कृषि कार्यों हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1999–2000 से उक्त योजना का संचालन बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के शेष पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा बैंकों के सहयोग से विशेष प्रयास किये गये। फलस्वरूप वर्ष 2016–17 में प्रदेश में 35 लाख किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य के सापेक्ष कुल 34 लाख (97%) किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रदेश में कुल 4701906 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका समय से शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु बैंकों से अनुश्रवण किया जा रहा है।

8.4–फसली ऋण योजना

बैंकों की सेवाओं को जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से विभाग के प्रयासों से पहली बार प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में दस–दस करोड़ के ऋण वितरण लक्ष्य के आधार पर मेगा क्रेडिट कैम्पों का आयोजन बैंकों के माध्यम से कराया गया। फलस्वरूप प्रदेश में फसली ऋण वितरण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। खरीफ 2016–17 में बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य रू0 37285 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक रू0 30051 करोड़ का फसली ऋण वितरित किया गया जोकि निर्धारित लक्ष्य का लगभग 80.6 प्रतिशत है। कृषि विभाग से प्राप्त सूचनानुसार माह मार्च, 2017 तक रबी, 2016–17 में बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य रू0 55927.56 करोड़ के सापेक्ष रू0 45019.94 करोड़ का फसली ऋण वितरित किया गया जोकि निर्धारित लक्ष्य का लगभग 80 प्रतिशत है।

****

अध्याय–4

कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा

कृषि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भण्डार के रूप में सम्पन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता को आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गुणवत्तायुक्त सुधार लाने के लिए कृषि नीति के अन्तर्गत प्रदेश शासन द्वारा सप्तक्रान्ति– प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबन्धन, विपणन, मशीनीकरण एवं शोध तथा कृषि विविधीकरण पर विशेष बल दिये जाने का संकल्प लिया गया।

अर्थ एंव संख्या प्रभाग द्वारा जारी राज्य आय के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2016–17 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 1232566 करोड़ रू० में कुल कृषीय फसलों का अंश 198844 करोड़ रू० था। वर्ष 2016–17 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र का योगदान 26.5 प्रतिशत रहा जिसमें कृषीय फसलों का योगदान 17.6 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2015–16 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2016–17 में 8.9 प्रतिशत हो गयी है। इसी प्रकार फसलों की वृद्धि दर जो कि वर्ष 2015–16 में 4.9 प्रतिशत थी वर्ष 2016–17 में 12.2 प्रतिशत हो गयी।

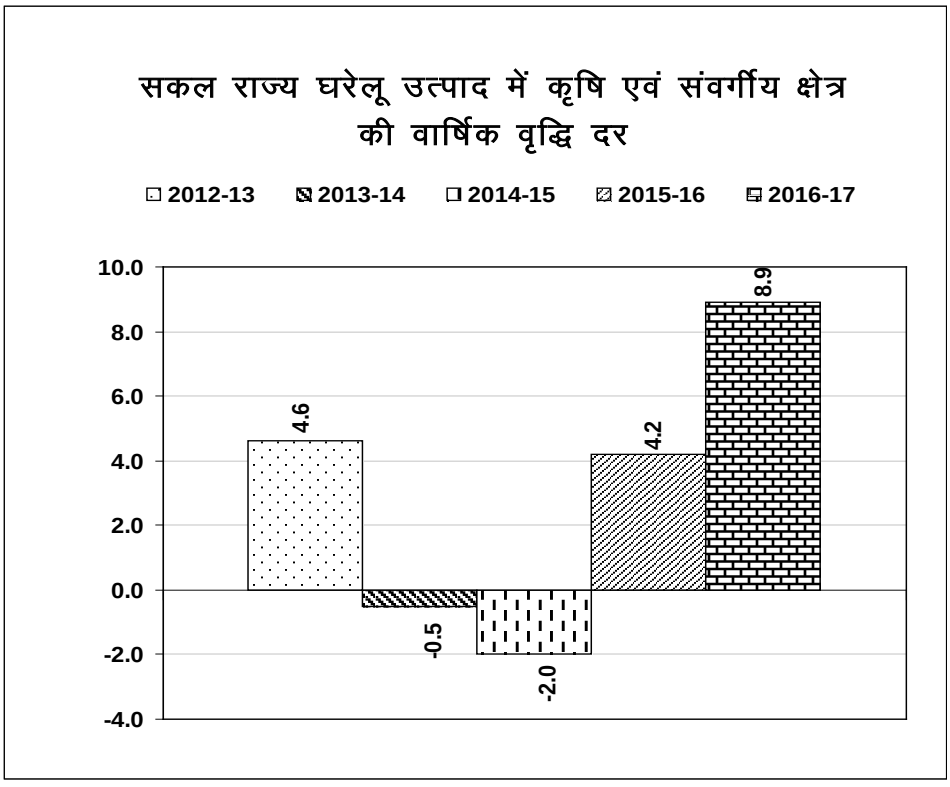

कृषि में कार्यरत कर्मकरों की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिसमें 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का

प्रतिशत अंश 59.3 था। वर्ष 2001 एवं 2011 की भारतीय जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण तालिका–4.01 में दर्शाया गया है:–

तालिका–4.01

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या तथा उनका प्रतिशत वितरण

मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या		कर्मकरों का प्रतिशत	
		2001	2011	2001	2011
1	2	3	4	5	6
1– कृषक	लाख	221.68	190.58	41.1	29.0
2– कृषि श्रमिक	,,	134.01	199.39	24.8	30.3
3– पारिवारिक उद्योग	,,	30.31	38.99	5.6	5.9
4– अन्य	,,	153.84	229.19	28.5	34.8
योग		539.84	658.15	100.0	100.0

तालिका में दो जनगणना वर्षों के आंकड़ों की तुलना से स्पष्ट है कि कृषकों की संख्या घट रही है तथा कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है।

वर्ष 2011–12 के भू–उपयोग सांख्यिकी के अनुसार प्रदेश का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 166.23 लाख हेक्टेयर (68.8 प्रतिशत) क्षेत्र शुद्ध बुआई का क्षेत्र है और 154.77 फसल सघनता के साथ सकल बुआई क्षेत्र 257.28 लाख हेक्टेयर है।

प्रदेश में वर्ष 2013–14 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165.46 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 2014–15 में 0.31 प्रतिशत बढ़कर 165.98 लाख हेक्टेयर हो गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में भूमि उपयोग के आंकड़े तालिका–4.02 में दर्शाये गये हैं:–

तालिका–4.02

उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग के आंकड़े

(हजार हेक्टेयर में)

मद	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1	2	3	4	5
1.कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	24170	24170	24170	24170
2. वन	1656	1658	1658	1659
3.ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	457	479	464	462
4. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	2893	2893	3027	3046
5. कृष्य बेकार भूमि	420	423	410	405
6. स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि	66	66	65	65
7.अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि	350	350	325	305
8. वर्तमान परती	1173	1201	1135	1122
9. अन्य परती	533	537	539	509
10. वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	**16623**	**16564**	**16546**	**16598**
11. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	9105	9257	9350	9549
12.कुल बोया गया क्षेत्रफल	**25728**	**25821**	**25896**	**26147**

जोतों का आकार

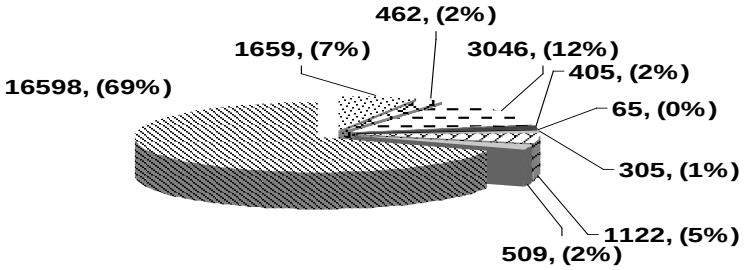

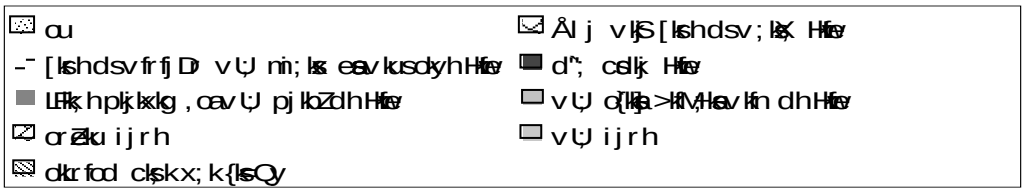

कृषि गणना 2005–06 के आंकड़ों से विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 78.0 था जोकि वर्ष 2010–11 में बढ़कर 79.5 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि प्रदेश में जोतों का औसत आकार घटता जा रहा है। वर्ष 2010–11 की कृषि गणना के आधार पर प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या 233.25 लाख है जिसमें से 215.68 लाख (92.5 प्रतिशत) कृषक लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं उनके पास प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्रफल का 64.8 प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल है अर्थात् प्रदेश के कृषि विकास का भविष्य प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है किन्तु इन कृषकों की जोतों का आकार छोटा है अतः गहन खेती को बढ़ावा देकर कृषि को लाभप्रद बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2005–06 एवं 2010–11 में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल तालिका–4.03 में दर्शाया गया है:–

तालिका–4.03

उत्तर प्रदेश में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल

आकार वर्ग (हेक्टे0में)	2005–06		2010–11	
	क्रियात्मक जोतों की सं0 (हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0 में)	क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0में)
1	2	3	4	5
1.0से कम	17507.1 (78.0)	6971.6 (38.9)	18532.3 (79.5)	7170.8 (40.7)
1.0–2.0	3103.1 (13.8)	4340.9 (24.2)	3035.3 (13.0)	4243.3 (24.1)
2.0–4.0	1391.6 (6.2)	3795.6 (21.2)	1334.3 (5.7)	3628.9 (20.6)
4.0–10.0	427.9 (1.9)	2374.2 (13.3)	398.3 (1.7)	2198.8 (12.5)
10.0 और अधिक	27.9 (0.1)	423.6 (2.4)	25.3 (0.1)	379.8 (2.1)
योग	**22457.6 (100.0)**	**17905.9 (100.0)**	**23325.5 (100.0)**	**17621.6 (100.0)**

स्रोतः राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

नोटः–कोष्ठक में दी गयी सूचनायें प्रतिशत वितरण से सम्बंधित है।

प्रदेश की कृषि क्षमता की तुलना अखिल भारतीय आंकड़ों से करने पर निम्न स्थिति उभरती है–

तालिका–4.04

प्रदेश की कृषि क्षमता की तुलनात्मक समीक्षा

क्र0 सं0	विवरण	इकाई	भारत	उ0प्र0	योगदान (प्रतिशत में)
1	प्रतिवेदित क्षेत्रफल (2003–04)	लाख हे0 में	3287.3	241.71	7.4
2	कुल कृषित क्षेत्रफल (2003–04)	,,	1896.6	258.96	13.6
3	शुद्ध कृषित क्षेत्रफल (2003–04)	,,	1407.1	165.46	11.8
4	फसल सघनता (2003–04)	प्रतिशत में	134.79	156.51	–
5	कुल सिंचित क्षेत्रफल (2003–04)	लाख हे0 में	780.00	204.03	26.2
6	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (2003–04)	,,	571.00	140.27	24.6

प्रदेश में कृषक परिवार तथा उनके अधीन जोतों का क्षेत्रफल की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् है :–

तालिका–4.05

प्रदेश में कृषक परिवार तथा उनके अधीन जोतों का क्षेत्रफल

क्र0 सं0	वर्गीकरण	कृषक परिवार (लाख)	क्षेत्रफल (लाख हे0 में)	क्षेत्रफल प्रति परिवार (हे0)
01	सीमान्त कृषक	185.32	71.71	0.39
क–	सीमान्त कृषक(0.5 हे0 से कम)	135.70	36.99	
ख–	सीमान्त कृषक(0.5 हे0–0.1 हे0 से कम)	49.62	34.72	
02	लघु कृषक (01 हे0 से 02 हे0 तक)	30.35	42.43	0.27
	लघु एवं सीमान्त कृषक (02 हे0 तक)	215.68	114.13	
03	अन्य कृषक (02 हे0 व उससे अधिक)	17.58	62.08	3.53
	कुल योग	**233.25**	**176.22**	**0.76**

गत सत्रह वर्षो (2000–01 से 2016–17 तक) में फसलों के अन्तर्गत आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति निम्नवत् रही है–

तालिका–4.06

प्रदेश में फसलों के अन्तर्गत आच्छादन,उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति

फसल	आच्छादन (लाख हे0 में)					
	2000–01	अधिकतम		न्यूनतम		2016–17
		वर्ष	आच्छादन	वर्ष	आच्छादन	
चावल	59.04	2014–15	61.09	2002–03	52.09	59.66
गेहूँ	92.39	2014–15	100.47	2002–03	91.64	98.85
धान्य	176.16	2014–15	181.74	2002–03	165.23	179.52
दलहन	26.92	2004–05	28.17	2015–16	18.81	25.09
खाद्यान्न	203.08	2016–17	204.61	2002–03	191.66	204.61
तिलहन	8.92	2015–16	12.91	2003–04	7.70	11.00

फसल	उत्पादन (लाख मी0टन में)			
	2000–01	अधिकतम	न्यूनतम	2016–17

		वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन	
चावल	116.72	2013–14	146.32	2002–03	95.87	143.96
गेहूँ	251.68	2016–17	349.71	2014–15	203.65	349.71
धान्य	405.76	2016–17	533.52	2014–15	360.97	533.52
दलहन	21.61	2003–04	24.48	2015–16	11.12	23.94
खाद्यान्न	427.37	2016–17	557.46	2014–15	382.79	557.46
तिलहन	7.10	2010–11	13.91	2000–01	7.10	12.40

फसल	उत्पादकता (कु0/हे0)					
	2000–01	अधिकतम		न्यूनतम		2016–17
			वर्ष	उत्पादकता	वर्ष	उत्पादकता
धान	19.77	2012–13	24.53	2004–05	18.11	24.13
गेहूँ	27.24	2016–17	35.38	2014–15	20.27	35.38
धान्य	23.03	2016–17	29.72	2014–15	20.77	29.72
दलहन	8.03	2012–13	9.97	2014–15	5.25	9.54
खाद्यान्न	21.04	2016–17	27.25	2014–15	19.05	27.25
तिलहन	8.25	2016–17	9.35	2014–15	5.83	9.35

तालिका 4.06 से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का कुल आच्छादन वर्ष 2000–2001 में 176.16 लाख हे0 था जो वर्ष 2016–17 में बढ़ कर 179.52 लाख हे0 हो गया। दलहनी फसलों का आच्छादन वर्ष 2000–2001 के 26.92 लाख हे0 से घटकर वर्ष 2016–17 में 25.09 लाख हे0 हो गया जबकि तिलहन के अन्तर्गत आच्छादन 8.92 से बढ़कर 11.00 लाख हे0 हो गया।

इन फसलों के उत्पादन की स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का उत्पादन वर्ष 2000–01 के 405.76 लाख मी0 टन से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 533.52 लाख मी0 टन हो गया। दलहन के औसत उत्पादन में वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2000–01 के 21.61 लाख मी0 टन से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 23.94 लाख मी0 टन हो गया। तिलहन के अन्तर्गत उत्पादन विगत सत्रह वर्षो में बढ़ा है। उत्पादकता की दृष्टि से धान्य फसलों, दलहन एवं तिलहन की प्रति हे0 उत्पादकता मे ंविगत सत्रह वर्षो में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। इस स्थिति को प्रमुख फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की रेखीय वृद्धि दर से भी समझा जा सकता है।

2000–01 से 2016–17 के बीच प्रमुख फसलों के आच्छादन,उत्पादन एवं उत्पादकता की रेखीय वृद्धि दर निम्नवत् रही है–

तालिका–4.07

प्रमुख फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की रेखीय वृद्धि दर

फसल	रेखीय वृद्धि दर (%)		
	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
धान	0.128	1.933	0.283
गेहूँ	0.466	3.790	0.260
धान्य फसलें	0.359	6.121	0.299
दलहन	-0.335	-0.407	-0.064
खाद्यान्न	0.023	5.714	0.281
तिलहन	0.263	0.077	–0.046

वर्ष 2015–16 में प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में प्रदेश की अन्य प्रदेशों के साथ तुलनात्मक स्थिति

तालिका–4.08

उत्पादन (लाख मी0 टन में)

फसल	उत्तर प्रदेश	भारत	योगदान प्रतिशत	श्रेणी	प्रथम तीन स्थान पर आवण्टित राज्य
चावल	124.34	1043.20	11.92	प्रथम	1.पश्चिम बंगाल 2.उत्तर प्रदेश 3.आन्ध्र प्रदेश
गेहूँ	268.74	935.00	28.74	प्रथम	1..उत्तर प्रदेश 2..मध्य प्रदेश 3. पंजाब
दलहन	11.12	164.70	6.75	छठवां	1.मध्य प्रदेश 2. राजस्थान 3. महाराष्ट्र
खाद्यान्न	439.47	2522.20	17.42	प्रथम	1.उत्तर प्रदेश 2..मध्य प्रदेश 3. पंजाब
तिलहन	8.47	253.00	3.35	आठवां	1.मध्य प्रदेश 2. राजस्थान 3. गुजरात

तालिका–4.09

उत्पादकता (कु0 / हे0)

फसल	उत्तर प्रदेश	भारत	श्रेणी	प्रथम तीन स्थान पर आवण्टित राज्य
चावल	21.30	24.04	10वॉ	1. पंजाब 2. तमिलनाडु 3. आन्ध्र प्रदेश
गेहूँ	27.78	30.93	6ठॉ	1. पंजाब 2. हरियाणा 3. राजस्थान
दलहन	5.91	6.52	8वॉ	1. झारखण्ड 2. गुजरात 3. मध्य प्रदेश
खाद्यान्न	22.71	20.56	6ठॉ	1. पंजाब 2. हरियाणा 3. तमिलनाडु
तिलहन	6.56	9.68	11वॉ	1.तमिलनाडु 2. हरियाणा 3. गुजरात

तालिका 4.08 एवं 4.09 से स्पष्ट है कि प्रदेश का गेहूँ तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है किन्तु उत्पादकता की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों से पीछे है।

वर्ष 2016–17 में उत्पादन, खपत व अधिशेष निम्नवत् रहा –

तालिका–4.10

उत्पादन, खपत व अधिशेष की स्थिति

फसल	उत्पादन (लाख मी0टन)	खपत (लाख मी0टन)	अधिक/कमी (लाख मी0टन)	आवश्यक (ग्राम/व्यक्ति/दिन)	उपलब्धता (ग्राम/व्यक्ति/दिन)
चावल	144.70	105.71	38.99	123.13	184.27
गेहूँ	349.71	255.48	94.23	297.59	445.34
धान्य	533.52	389.75	143.77	454.00	679.41
दाल	23.94	61.35	-37.41	85.00	30.49
खाद्यान्न	557.46	452.63	104.83	539.00	709.90
तिलहन	12.40	38.99	-32.16	19.18	5.34

तालिका 4.10 से स्पष्ट है कि प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है किन्तु दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता आवश्यकता से क्रमशः 64.1 प्रतिशत एवं 72.2 प्रतिशत कम है।

वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 में प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता निम्नवत् रही –

तालिका–4.11

प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता

(इकाई–आच्छादन–लाख हे0, उत्पादन– लाख मी0 टन एवं उत्पादकता– कु0/हे0)

क्र0सं0	फसल	2015–16			2016–17		
		आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
01	चावल	58.37	124.34	21.30	59.66	143.96	24.13
02	गेहूँ	96.45	268.74	27.86	98.85	349.71	35.38
03	धान्य फसलें	174.73	428.35	24.51	179.52	533.52	29.72
04	दलहन	18.81	11.12	5.91	25.09	23.94	9.54
05	खाद्यान्न फसलें	193.54	439.47	22.71	204.61	557.46	27.25
06	तिलहन	12.91	10.14	6.56	11.00	12.40	9.36

तालिका–4.12

गत वर्ष (2015–16) के सापेक्ष वर्तमान वर्ष (2016–17) में वृद्धि/कमी प्रतिशत में

क्र0सं0	फसल	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
01	धान	+2.21	+15.78	+13.29
02	गेहूँ	+2.49	+30.13	+26.99
03	धान्य फसलें	+2.74	+24.55	+21.26
04	दलहन	+33.39	+105.29	+61.42
05	खाद्यान्न फसलें	+5.72	+26.85	+19.99
06	तिलहन	-14.79	+22.29	+42.68

वर्षा की स्थिति

➢ मौसम की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता का प्रभाव सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में पड़ता है। इससे फसलों का आच्छादन एवं उत्पादकता सबसे अधिक प्रभावित होती है और उत्पादन अपेक्षानुसार नही होता है। धान्य, दलहनी एवं तिलहनी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में लक्ष्य के अनुरूप न प्राप्त होने का कारण मुख्यतया इन वर्षो में प्राकृतिक आपदायें खरीफ में सूखा, रबी में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि तथा शीतलहर रही है।

रबी– 2015–16

वर्ष 2014–15 व 2015–16 में मानसून अवधि में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण रबी 2015–16 में भूमि में आवश्यक नमी की कमी रही, साथ ही जाड़े की वर्षा भी नगण्य रही। यद्यपि प्रदेश का 84 प्रतिशत शुद्ध कृषित क्षेत्रफल सिंचित है जिसके कारण रबी की फसलों की बुवाई लगभग लक्ष्य के अनुरूप की जा सकी किन्तु उनकी उत्पादकता एवं उत्पादन लक्ष्य के अनुरूप नहीं रहा।

रबी 2015–16 में वर्षा की स्थिति निम्नवत् रही :–

तालिका–4.13

प्रदेश में वर्षा की स्थिति

मौसम	माह	सामान्य वर्षा (मिमी0 में)	वास्तविक वर्षा (मिमी0 में)	सामान्य से प्रतिशत
मानसून अवधि के बाद	अक्टूबर	35.8	9.2	25.7
	नवम्बर	4.9	1.1	22.4
जाड़े की वर्षा	दिसम्बर	6.8	4.0	58.8
	जनवरी	17.6	3.7	21.0
	फरवरी	19.9	1.4	7.0

वर्ष 2016–17 में वर्षा की स्थिति सामान्य रही, परिणामतः खाद्यान्न के उत्पादन में रिकार्ड वार्षिक वृद्धि 26.8 % दर्ज की गयी। इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 557.46 लाख मी0टन रहा जो गत वर्ष से 117.99 लाख मी0 टन अधिक है।

तालिका–4.14

खरीफ – 2017 (मानसून अवधि, जून, 2017 – सितम्बर, 2017 तक)

(वर्षा – मिमी0 में)

माह	सामान्य वर्षा	वास्तविक वर्षा	सामान्य से प्रतिशत
जून, 2017	95.6	61.2	64.5
जुलाई, 2017	280.9	252.4	89.9
अगस्त, 2017	275.6	161.4	58.6
सितम्बर, 2017	178.3	110.5	62.0
जून से सितम्बर, 2017	829.8	585.6	70.6

खरीफ 2017 में कृषि की स्थिति :–

खरीफ 2017 में मानसून अवधि में वर्षा सामान्य रही। मानसून अवधि में सामान्य वर्षा का 83.4 प्रतिशत वर्षा हुई। फसलों का आच्छादन लक्ष्य के अनुरूप रहा। फसलों की स्थिति अच्छी है। उत्पादन एवं उत्पादकता गत वर्ष के सापेक्ष अच्छी रहने की सम्भावना है। खरीफ 2017 का आच्छादन लक्ष्य एवं पूर्ति की स्थिति निम्नवत् है :–

तालिका–4.15
खरीफ 2017 में कृषि की स्थिति

फसल	लक्ष्य	पूर्ति (*)	आच्छादन – लाख हे0 में पूर्ति %
धान	59.66	59.28	99.4
ज्वार	1.83	1.70	92.9
बाजरा	9.07	9.63	106.2
मक्का	7.27	6.65	91.5
उर्द	5.94	4.19	70.5
अरहर	3.38	3.04	119.5
तिल	2.75	2.91	105.8
मूँगफली	0.95	0.97	102.1

***अनन्तिम**

उर्वरक

कृषि उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवश्यकता के साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में 42.72 लाख मी0 टन रासायनिक उर्वरकों का उपभोग किया गया जो वर्ष 2015–16 में 42.30 लाख मी0 टन रह गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों की खपत का विवरण तालिका–4.16 में दर्शाया गया है:–

तालिका–4.16
उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की खपत

(हजार मी0 टन में)

मद	नाइट्रोजन(एन0)	फास्फेट(पी0)	पोटाश(के0)	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2011–12	3067	1024	167	4258
2012–13	3352	1166	133	4651
2013–14	2972	765	105	3842
2014–15	3169	915	187	4272
2015–16	2930	1098	202	4230
2016–17*	3347	1141	247	4735

***अनन्तिम**

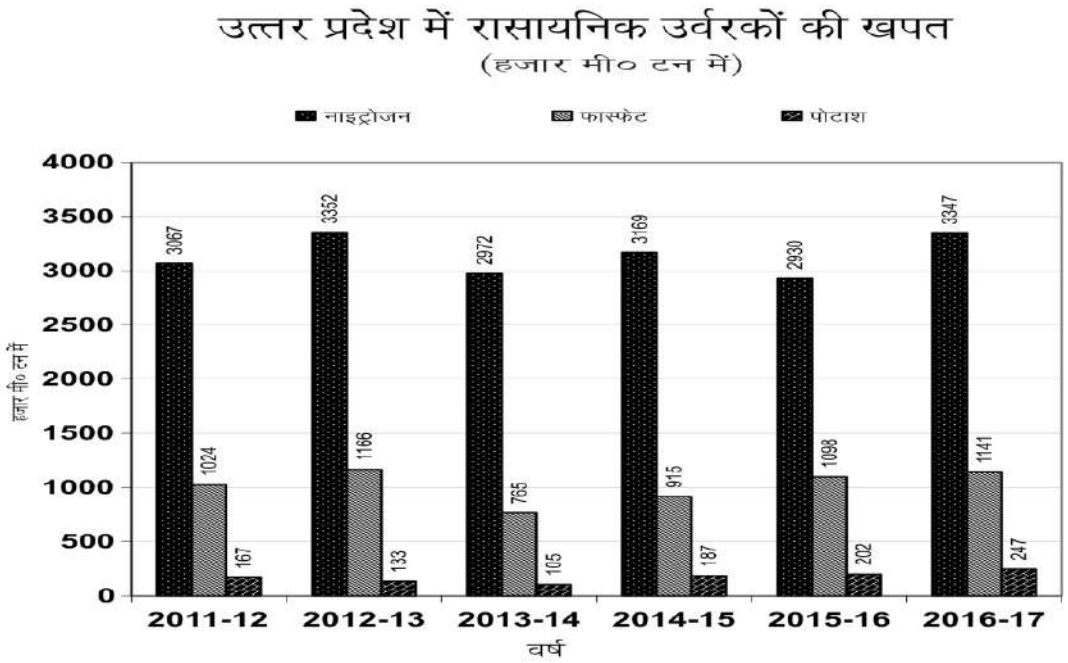

बीज वितरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उन्नतिशील बीजों के उत्पादन के साथ–साथ इनका ससमय वितरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में 6310.0 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 4812.80 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया वहीं वर्ष 2016–17 में 5553.00 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 5093.59 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया। वर्ष 2017–18 में 5563.60 हजार कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है।

प्रदेश में कृषि विकास हेतु संचालित योजना एवं उनकी प्रगति

प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भण्डार के रूप में सम्पन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गुणवत्तायुक्त सुधार लाने के लिए कृषि नीति के अन्तर्गत प्रदेश शासन द्वारा सप्तक्रान्ति– प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबन्धन, विपणन, मशीनीकरण एवं शोध तथा कृषि विविधीकरण पर विशेष बल दिये जाने का संकल्प लिया गया।

प्रदेश में कृषि के विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना, नेशनल मिशन ऑन आयलसीड एवं नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी, नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स, सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही है।

गत वर्ष में किये गये प्रमुख कार्यो का संक्षिप्त विवरण–

- वर्ष 2016–17 में कुल 50.94 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया है जिसमें खरीफ 2016 में 10.41 लाख कुन्तल एवं रबी में 40.53 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया।
- वर्ष 2016–17 में कुल 89.50 लाख मी0टन उर्वरकों के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष खरीफ 2016 में 24.79 लाख मी0टन एवं रबी 2016–17 में 42.06 लाख मी0 टन उर्वरक का वितरण किया

गया है। वर्ष 2017–18 में उर्वरक वितरण का 88.82 लाख मी0 टन का लक्ष्य रखा गया है। वॉछित उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए नत्रजन के साथ–साथ फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर विशेष बल दिया गया इससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है।

- वर्ष 2016–17 में कुल 93212.60 करोड़ रु0 फसली ऋण वितरण का लक्ष्य है जिसमें खरीफ में रु0 30051.07 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया गया एवं रबी के अन्तर्गत रु0 45019.94 करोड़ एवं कुल रु0 75071.01 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया गया, जो लक्ष्य का 80.54 प्रतिशत है। वर्ष 2017–18 में कुल रु0 104027.19 करोड़ का फसली ऋण वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- वर्ष 2016–17 में 35 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2015 तक 35.06 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। वर्ष 2017–18 में कुल 47.02 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित हैं।

- कृषि के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधानों से यह संज्ञान में आया कि प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट दर्ज की गयी है। इस समस्या के स्थायी निदान के उपाय स्वरूप जनपद/तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करके इसके माध्यम से कृषकों के खेतों की मिट्टी की जाँच करने के उपरान्त संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति प्रदान किये जाने की निरन्तर व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। वर्ष 2015–16 से नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन0एम0एस0ए0) के अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत माह मार्च, 2017 तक कुल 65.90 मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2017–18 में 24.82 लाख मृदा नमूनें चयनित क्षेत्रों से ग्रिड के आधार पर संग्रहण कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि विकास की योजनायें तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन क्षमता एवं उसके वास्तविक उपज के अन्तर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजनान्तर्गत पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, गन्ना, डास्प, रेशम, कृषि शोध इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रदेश की आवश्यकतानुसार संचालित किया जा रहा है।
- **पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति** के विस्तार की उप योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से पोषित) वर्ष 2010–11 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन एवं जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग, सामुदायिक भण्डारण योजना तथा खेती की लागत को कम करने हेतु उन्नत कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाना है। चयनित जनपदों में फसलों की उत्पादकता में उत्साहवर्द्धक वृद्धि के ऑकड़ें प्राप्त हो रहे हैं।
- **नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एण्ड ऑयलपाम–**पूर्व में संचालित आइसोपाम योजना का पुनर्गठन कर वर्ष 2014–15 से नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एण्ड ऑयलपाम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के संचालन का मुख्य उद्देश्य तिलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा प्रदेश को खाद्यान्न तेलों में आत्मनिर्भर बनाने का सतत् प्रयास करना है।
- **नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन–**प्रदेश में गेहूं, चावल एवं दलहन के उत्पादन की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** वित्तीय वर्ष 2007–08 से चलायी जा रही है। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 से जूट, कपास एवं गन्ना जैसी व्यवसायिक फसलों को भी सम्मिलित किया गया है।

- **नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी–** कृषि प्रसार हेतु वर्ष 2013–14 तक आत्मा मॉडल का क्रियान्वयन किया जा रहा था। वर्ष 2014–15 से आत्मा योजना को नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नालॉजी में संविलीन कर दिया गया है। नवीन मिशन के अन्तर्गत चार सब मिशन यथा– सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल एवं स्ट्रेन्थनिंग एण्ड मार्डनाइजेशन आफ पेस्ट मैनेजमेन्ट एप्रोच संचालित किए जा रहे हैं। **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** एवं नेशनल **ई–गवर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर** भी इस मिशन से संचालित किये जा रहे हैं।
- **नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर–** नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न मुख्य घटक है :–

अ– रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (आर0ए0डी0)

ब– मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एस0एच0एम0)

1–स्वायल हेल्थ

2–स्वायल हेल्थ कार्ड

स– परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वी0वाई0)

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–**भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2016–17 से प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना खरीफ एवं रबी की अधिसूचित फसलों को देवीय आपदा के विरूद्ध बीमा प्रदान करने, कृषि में नयी तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना, फसली ऋण के प्रभाव को बनाये रखने एवं आपदा वर्षों में कृषकों की आय को स्थिर रखने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

  योजनान्तर्गत ऋणी कृषक अनिवार्य एवं गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर सम्मिलित हैं। बीमित धनराशि फसल के प्रति हे0 उत्पादन लागत के बराबर होती हैं। योजना वास्तविक प्रीमियम दर पर संचालित हैं परन्तु कृषकों को खरीफ में सभी फसलों के लिए अधिकतम 2 प्रतिशत एवं रबी में सभी फसलों के लिए अधिकतम 1.5 प्रतिशत धनराशि प्रीमियम के रूप में देय हैं। शेष धनराशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में देय हैं। योजनान्तर्गत जोखिम सामूहिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर कवर किया जाता हैं।

- **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना**–प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसलों के नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों में चयनित औद्याानिक फसलों–केला एवं मिर्च फसल को अधिसूचित करते हुए योजना संचालित की जा रही है।

  वर्ष 2016–17 में फसल बीमा योजना की प्रगति निम्नवत् है–

तालिका–4.17

वर्ष 2016–17 में फसल बीमा योजना की प्रगति

फसल बीमा योजना	बीमित कृषक (लाख में)	लाभान्वित कृषक (लाख में)	बीमित धनराशि (करोड़ रु0 में)
खरीफ	34.29	9.20	12735.36
रबी	29.11	1.73	11144.45
योग	63.4	10.93	23879.81

- **इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स–**भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप पूर्व में संचालित इम्प्रूवमेन्ट आफ एग्रीकल्चर स्टेटिसटिक्स

स्कीम के अन्तर्गत टी0आर0एस0 एवं आई0सी0एस0 योजना का संचालन किया जा रहा था। उक्त दोनों योजनाओं को इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स में संविलीन कर संचालित की जा रही हैं।

- **प्रमाणित बीजों पर अनुदान सम्बन्धी योजना**—इस योजना के माध्यम से कृषकों को खरीफ एवं रबी फसलों की गुणवत्ता युक्त बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वहन किया जाता है।
- **संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना**—देश एवं प्रदेश की खाद्य सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाये रखने, अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन को प्राप्त करने के साथ–साथ प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषकों के आय में वृद्धि को लक्षित करते हुए प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से अधिक उपज देने वाली हाईब्रिड बीजों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करा रही है।
- **सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना**—वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने, पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ–साथ पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- **कृषि प्रशिक्षित उद्यमी स्वावलम्बन (एग्री जंक्शन) योजना**—कृषि स्नातकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए किसानों को उनके फसल उत्पादों एवं कृषि निवेशों के लिए कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधाएं ''वन स्टाप शॉप'' के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से दृष्टिगोचर दुष्प्रभावों को कम करने हेतु **विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण की योजना** चलायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत बायो एजेन्ट्स, बायो पेस्टीसाइड्स एवं एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन जैसी तकनीकों के प्रयोग से कीट/रोग नियंत्रण किये जाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- **कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के अन्तर्गत पारदर्शी किसान सेवा योजना/डी0बी0टी0 योजना**—किसान पारदर्शी योजना के अन्तर्गत कृषि निवेश प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकृत कृषकों को ही विभाग द्वारा अनुदान एवं अन्य सुविधा देय हैं। डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे अनुदान की धनराशि नकद स्थानान्तरित करने के पश्चात लाभ प्राप्त करने वाले कृषक के खाते में तीन दिन के अन्दर धनराशि कोषागार/बैंक से अन्तरित किया जा रहा है।
- भूमि संरक्षण मद के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं संचालित की जा रही हैं जो मुख्यतः इस प्रकार हैं :–
- भविष्य की चुनौतियों एवं घटते जल स्रोत को दृष्टिगत रखते हुए भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित **आर0आई0डी0एफ0 योजना** संचालित की जा रही है।
- प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु मृदा स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण योजना, मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम के वितरण की योजना एवं जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- **भूमि एवं जल संरक्षण में** आर0ए0डी0 योजना, भूमि सेना योजना तथा नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 61146 हे0 समस्याग्रस्त भूमि का उपचार किया गया तथा वर्ष 2017–18 में आर0ए0डी0 एवं आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत 33071 हे0 भूमि सुधार का लक्ष्य प्रस्तावित हैं।
- विगत वर्षों से प्रदेश की खाद्यान्न उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इसे गतिशील बनाये रखने के लिए कृषि उत्पादन की नवीन तकनीक को ससमय कृषकों तक पहुँचाना, सामयिक

कृषि संसाधन व्यवस्था हेतु मण्डल, जनपद, विकासखण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर खरीफ एवं रबी मौसमों के प्रारम्भ में गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। गोष्ठियों में कृषि विश्व–विद्यालय एवं अन्य संस्थाओं के वैज्ञानिक तथा प्रदेश स्तर के अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लेकर कृषकों के हितोपयोगी बनाया जाता है।

- कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की सम–सामयिक समस्याओं के निदान एवं अद्यतन पद्धति एवं तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु **कृषि एवं पशुपालन मासिक पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है तथा इसे कृषकों के मध्य रू0 24 मात्र के वार्षिक मूल्य पर सदस्य कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।
- कृषि की सम–सामयिक समस्याओं के निदान एवं तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु **मासिक बुलेटिन''कृषि चिन्तन''** का प्रकाशन किया जा रहा है। इस बुलेटिन को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों, विभागीय कर्मचारियों, प्रगतिशील कृषकों एवं जन–प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
- कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के कृषकों को दी जारी रही अनुमन्य सुविधाओं की पुस्तिका एवं पम्पलेट मुद्रित कराकर कृषकों में निःशुल्क वितरित किया गया है जिसमें विभागीय अधिकारियों के मोबाइल नं0 भी उपलब्ध कराये गये हैं ताकि कृषक विभाग की किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए सीधे सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर सकें।
- कृषि विभाग की बेबसाइट **''एग्रीकल्चर.यूपी.एनआईसी.इन''** के नाम से संचालित है जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन विभाग की वित्तीय प्रगति, विभाग का सिटीजन चार्टर, जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय सेवायें, विभागीय सर्कुलर एवं अन्य सूचनाओं के साथ ही साथ कृषकों के ज्ञान के लिए विभिन्न विषयों पर प्रश्नोत्तरी की सुविधा उपलब्ध है जिससे कृषक इस वेबसाइट पर जाकर कृषि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं कृषि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तरी को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 का लक्ष्य एवं कार्यक्रम

वर्ष 2017–18 में 575.63 लाख मी0 टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत खरीफ में 192.10 लाख मी0 टन एवं रबी में 383.53 लाख मी0 टन का लक्ष्य निर्धारित है साथ ही 12.94 लाख मी0 टन तिलहन (शुद्ध) उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

वर्ष 2017–18 के लक्ष्य एवं वर्ष 2016–17 के अनुमानित उत्पादन का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका–4.18
प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन

(लाख मी0टन)

क्र0सं0	फसल का नाम	2016–17 उत्पादन	2017–18 लक्ष्य
1	चावल	144.70	152.04
2	ज्वार	1.83	1.92
3	बाजरा	17.36	18.25
4	मक्का	14.91	15.61
5	खरीफ दालें	4.05	4.22
6	अन्य	0.06	0.06
कुल खरीफ खाद्यान्न		**182.91**	**192.10**
7	गेहूँ	349.71	352.00
8	जौ	4.60	4.93
9	रबी मक्का	0.35	0.73

क्र0सं0	फसल का नाम	2016–17 उत्पादन	2017–18 लक्ष्य
10	चना	6.26	8.00
11	मटर	5.29	6.90
12	अरहर	3.63	3.80
13	मसूर	4.71	7.17
कुल रबी खाद्यान्न		**374.55**	**383.53**
कुल खाद्यान्न		**557.46**	**575.63**
1	कुल तिलहन (शुद्ध)	**10.29**	**12.94**

*आँकड़े परिवर्तनीय हैं।

** जायद के उत्पादन भी शामिल हैं।

नई प्रस्तावित योजनायें :–

❖लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान–

प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक लिए गये फसली ऋण के सापेक्ष दिनांक 31.03.2017 तक की अवशेष राशि में से रू0 एक लाख तक की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जिसके लिए कुल रू0 36000 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 36000 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

❖अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी–क्रिटिकल विकास खण्डों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण की योजना–

अतिदोहित / क्रिटिकल सेमी–क्रिटिकल विकास खण्डो में जल की समस्या के आलोक में उपलब्ध जल का समुचित उपयोग करते हुए सिंचाई की लागत को कम करने तथा कम जल से अधिक क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराते हुए फसलों के उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 10.416 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

❖राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट युनिट की स्थापना –

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों को वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के प्रति जागरूक करने के लिए, वर्मी कम्पोस्ट युनिट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 15.263 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

❖पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना –

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपद एवं विन्ध्य क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चन्दोली जनपद को छोड़कर शेष 65 जनपदों में समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आवण्टित भूमि का उपचार कराने तथा आजिविका उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू010 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

तालिका–4.19

12वीं पंचवर्षीय योजना के वर्षो में कृषि विभाग का आय व्यय अनुमान एवं व्यय विवरण

(रु0 करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राविधान			कृषि विभाग का व्यय			व्यय प्रतिशत		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
2012–13	1666.37	1237.78	2904.15	992.03	1090.01	2082.04	59.5	88.06	71.69
2013–14	1838.84	1299.76	3138.60	965.15	1157.67	2122.82	52.5	89.07	67.64
2014–15	2142.24	1347.10	3489.34	1522.78	1254.22	2474.00	57.08	93.11	70.90
2015–16	2321.63	1365.35	3686.98	1464.26	1104.75	2569.01	63.07	80.91	69.68
2016–17	2579.15	1439.68	4018.83	1511.08	1206.36	2723.44	58.82	83.79	67.77
2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक)	–	–	40296.89	–	–	–	22411.59	–	55.62

नोट–चालू वित्तीय वर्ष से सरकार द्वारा बजट में आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

कृषि उत्पाद का विपणन

कृषि के विकास के लिए यह आवश्यक है कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य, व्यापारियों को उनकी सेवाओं का उचित प्रतिफल एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध करायी जायें। इसी उद्देश्य से वर्ष 1964 में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम पारित किया गया। कृषि उपज मण्डियों के कार्य संचालन हेतु सम्पूर्ण प्रदेश को मण्डी क्षेत्रों में बॉटा गया है। प्रत्येक मण्डी क्षेत्र हेतु एक मण्डी समिति का गठन किया गया है। मण्डी समितियों द्वारा मण्डियों के विनियमन के साथ–साथ किसानों एवं व्यापारियों हेतु सुख–सुविधा युक्त नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश में **218** नवीन मण्डी स्थलों, **94** उपमण्डी स्थलों के साथ ही 87 किसान सेवा केन्द्र, 238 गोदाम, 1643 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब एवं 04 किसान बाजार निर्मित हैं।

कृषि उत्पाद के विपणन हेतु संचालित योजनायें–

कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब (ए0एम0एच0) का निर्माण, किसान बाजार का निर्माण, मण्डी स्थलों का निर्माण, इलेक्टानिक वे–ब्रिज की स्थापना, भण्डारण सुविधा का विकास आदि योजनायें संचालित की जा रही हैं।
कृषि उत्पाद केविपणन सम्बन्धी कुछ प्रमुख योजनायेंनिम्नवत् हैः–

1. मण्डी स्थलों का निर्माण –

मण्डी समितियों की पहली प्राथमिकता एवं आवश्यकता सुख–सुविधायुक्त आधुनिक मण्डी स्थलों के निर्माण की है, जिससे कृषि जिन्सों को एक परिसर में लाकर उनका क्रय–विक्रय करवाया जा सके। नवनिर्मित मण्डी परिसर में लाईसेन्सियों को दुकानें एवं नीलामी चबूतरे उपलब्ध कराये जाते हैं। आवश्यकतानुसार खाद्यान्न, फल एवं सब्जी, मत्स्य, पुष्प एवं दूध के क्रय–विक्रय हेतु अलग–अलग मण्डी स्थल निर्मित कराये गए हैं तथा कराये जा रहे हैं।

वर्तमान में प्रदेश में 218 नवीन मण्डी स्थल एवं 94 उपमण्डी स्थलों के साथ ही 87 किसान सेवा केन्द्र, 99 किसान विश्राम गृह, 40 अतिथि गृह, 238 गोदाम, 1643 ए0एम0एच0, 04 किसान बाजार एवं 351 सार्वजनिक शौचालय निर्मित हैं। वर्तमान समय में 01 मुख्य मण्डी एवं 02 उप मण्डियाँ निर्माणाधीन हैं। बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत 06 विशिष्ट मण्डी स्थल एवं 132 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया।

मण्डी स्थलों में किसानों व व्यापारियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में ''क'' विशिष्ट (21) एवं क श्रेणी (45), कुल 66 मण्डी समिति स्थलों में रू0 360.00 करोड़

की बजट धनराशि में से आन्तरिक विकास कार्य की योजना बनाकर 31 मार्च, 2018 तक कार्य पूर्ण कराये जायेंगे।

2.इलेक्ट्रानिक वे–ब्रिज की स्थापना –

मण्डी स्थलों में त्रुटिरहित तौल व्यवस्था उपलब्ध कराना मण्डियों की स्थापना के मूल उद्देश्यों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस हेतु 165 मण्डी/उप मण्डी स्थलों में कुल 249 इलेक्ट्रानिक वे–ब्रिजेज की स्थापना करायी गयी है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड पैकेज योजना के अन्तर्गत 133 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों में 112 इलेक्ट्रिानिक वे–ब्रिजेज की स्थापना करायी गयी तथा 07 विशिष्ट मण्डी स्थलों में से 06 स्थलों में 11 इलेक्ट्रानिक वे–ब्रिजेज की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। कृषि उत्पादन का सही वजन होने के कारण कृषक भाई को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है जिससे वे उत्साहित हैं। समर्थन मूल्य योजना के खरीद केन्द्रों पर भी इलेक्ट्रानिक तौल मशीन किसानों को सही तौल के उद्देश्य से उपलब्ध करायी गयी है।

3.भण्डारण सुविधा का विकास–

मण्डी अधिनियम के उद्देश्यों के अन्तर्गत पीक सीजन में आवक की अधिकता के कारण भाव में कमी एवं डिस्ट्रेस सेल को रोकने, कृषक/उत्पादक को उसकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत बुन्देलखण्ड में निर्मित होने वाले 07 विशिष्ट मण्डी स्थलों में कुल 1,23,600 मी0टन क्षमता के तथा ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों **(रिन)** में स्थान की उपलब्धता के अनुरूप 500 मी0टन के 133 गोदाम (76500 मी0 टन) बनाए जा रहे हैं।

4. मण्डी आवक–किसान उपहार योजना–

अक्सर छोटे किसान अपनी उपज सीधे मण्डी में न लाकर ग्राम व्यापारियों के हाथ सस्ते दामों पर बेच देते हैं जो तौल में गड़बड़ी करके तथा अन्य तरीको से किसान को उचित मूल्य नहीं देते हैं। किसानों को स्वयं अपनी उपज सीधे मण्डी में लाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मण्डी आवक किसान उपहार योजना लागू की गयी है, जिसमें मुख्य रूप से कुकर, साईकिल, पावर ट्रिलर एवं ट्रैक्टर उपहार लकी ड्रा के माध्यम से दिये जाते हैं।

मण्डी परिसर में उचित तौल, अवैध कटौतियों से मुक्ति, प्रतिस्पर्धात्मक भाव किसान को प्राप्त होता है तथा मण्डी में आकर किसान अपनी उपज व्यापारी को बेचकर प्रपत्र–6 प्राप्त करता है। प्रपत्र–6 में लिखे हुए मूल्य के प्रत्येक रू0 5000.00 पर एक कूपन मण्डी समिति कार्यालय से प्राप्त होता है। कूपन निःशुल्क मिलता है परन्तु किसान को अपनी किसान बही दिखानी होती है। कूपन का आधा पन्ना कार्यालय में रहता है, जिसके आधार पर मासिक, त्रैमासिक और छमाही बम्पर ड्रा मण्डलायुक्त द्वारा निकाला जाता है।

5. गड्ढा मुक्तिकरण योजना का क्रियान्वयन –

प्रदेश के कृषकों को अपनी उपज मण्डी में ले जाने के लिए अपेक्षित सुगम सम्पर्क मार्गो के लिए गड्ढा मुक्तिकरण योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में आवंटित धनराशि रू0 500.00 करोड़ के अन्तर्गत अगस्त, 2017 तक रू0 423.82 करोड़ की लागत से कुल 3701.20 किमी0 सम्पर्क मार्गो को गड्ढामुक्त किये जाने की कार्यवाही तथा प्रथम चरण में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि से रू0 71.37 करोड़ की लागत से 668.41 किमी0 सम्पर्क मार्गो को गड्ढामुक्त किये जाने की कार्यवाही प्रगति में हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण में मण्डी परिषद द्वारा अवशेष 3414.86 किमी0 सड़कों को रू0 386.82 करोड़ की लागत से दिनांक 15.10.2017 से प्रारम्भ कर दिनांक 31.03.2018 तक गड्ढामुक्त कर दिया जायेगा।

6. गेहूँ एवं आलू उत्पादकों के लिए –

वर्ष 2017–18 में गेहूँ कृषकों को छनाई उतराई के मद में पूर्व से दिये जा रहे रू0 3.00 प्रति कुन्तल के स्थान पर रू0 10.00 प्रति कुन्तल की सहायता प्रदान की जा रही है तथा धान खरीद योजना में भी सहायता राशि उपरोक्तानुसार प्राविधानित की जा रही है।

आलू उत्पादकों के लिए परिवहन भाड़ा अनुदान को दोगुना करते हुए रू0 50.00 प्रति कुन्तल की दर से अथवा परिवहन भाड़े का 25 प्रतिशत जो भी कम हो, की दर से दिये जाने की योजना को लागू किया गया। ऐसे आलू पर मण्डी शुल्क में भी छूट प्रदान की गयी है।

7.राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नैम) –

कृषकों को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की 100 मण्डियों (इनमें से 34 मण्डियों को शासन की 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत जोड़ा गया है) को ई–नैम पोर्टल से लिंक किया गया है तथा **''ई–नैम''** योजना में उ0प्र0 से देशभर में सर्वाधिक 24 लाख किसान तथा 28 हजार व्यापारी पंजीकृत हो चुकें हैं।

एक देश एक बाजार की संकल्पना को पुष्ट करने के लिए पूरे राज्य के लिए मान्य यूनीफाईड लाईसेन्स की फीस को रू0 1,00,000.00 से घटाकर रू0 10,000.00 मात्र करने का प्रस्ताव मा0 संचालक मण्डल द्वारा पारित कर दिया गया है।

100 ई–नैम मण्डियों के अतिरिक्त अवशेष 118 परिसर युक्त मण्डियों को ई–मण्डी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया।

8.ड्राफ्ट ए0पी0एल0एम0 एक्ट–2017–

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित **एग्रीकल्चरल पोड्यूस एण्ड लाइवस्टॉक मार्केटिंग प्रोमोशन एण्ड फेसिलिटेशन ऐक्ट, 2017** अधिनियम को लागू करने के लिए मण्डी परिषद द्वारा प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित संशोधन सहित ड्राफ्ट अधिनियम का आलेख तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए वर्तमान कार्यरत मण्डी समितियों के साथ–साथ प्राइवेट मण्डियों को सुविधा उपलब्ध होगी तथा उपभोक्ताओं को भी सीधे विक्रय की सुविधा होगी।

9.मण्डी परिषद/मण्डी समितियों का आटोमेशन –

आटोमेशन की इस प्रक्रिया में प्रबन्धन को सुगम, तीव्र एवं नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से मण्डी परिषद के विभिन्न कार्यालयों, यथा–प्रशासनिक कार्यालय, निर्माण खण्ड आदि के साथ ही मण्डी समितियों के कार्यालयों को, आफिस आटोमेशन सिस्टम के द्वारा विभागीय नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से एकीकृत सूचना प्रणाली विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। इस प्रणाली के पूर्णतः विकसित हो जाने पर सूचनाओं के आदान–प्रदान में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा।

10.100 दिवसीय कार्य की प्रगति –

- ई–नैम में 34 मण्डियों को जोड़ा गया।
- चयनित पॉच मण्डी समितियों (लखनऊ, गोरखपुर, झॉसी, लखीमपुर एवं वाराणसी) में गेट व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं कृषकों को छोटी इलेक्ट्रानिक वेइंग मशीन उपलब्ध करायी गयी।
- 38 बड़ी मण्डियों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु वाटर प्यूरीफायर की स्थापना करायी गयी।
- कृषक एवं व्यापारियों की सुविधा हेतु हेल्प लाईन नं0–18001804555 को कृषकों की सुविधा के लिए हेल्प लाईन नं0–155241 में बदला गया।

प्रदेश के सम्मुख कृषि सम्बंधी चुनौतियां

1. प्रदेश की जनसंख्या की खाद्य पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा बदलते मौसम में विभिन्न फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना।
2. विश्व व्यापार समझौते के परिप्रेक्ष्य में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादन लागत को कम करना।
3. प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को रोकने हेतु सरंक्षण के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करना।
4. पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने हेतु स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाये रखना।
5. लघु एवं सीमान्त कृषकों के अर्थिक हितों के दृष्टिगत छोटी जोतों को लाभदायी बनाना।
6. कृषि में निजी यंत्रों को बढावा देने हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता द्वारा निवेश को प्रोत्साहन ।
7. कृषि पर निर्भरता कम करने हेतु रोजगार सृजन के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढावा देना।

प्राथमिकतायें–

कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने एवं चुनौतियों का प्रभावी ढ़ंग से सामना करने के लिए निम्न प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी हैं:–

1. अच्छे इनपुट का प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य तथा ऊसर एवं अकृष्य भूमि विकास द्वारा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना।
2. गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
3. बेहतर फसल प्रबन्धन, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि निवेश के प्रयोग तथा नवीन तकनीकों को अपनाकर कृषि लागत को कम करना।
4. मूल्यवर्धन द्वारा कृषि उत्पादों के लाभ में वृद्धि करना।
5. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना।
6. निजी क्षेत्र की सहभागिता को सुनिश्चित करना।
7. ग्रामीण स्तर पर आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्रोत्साहित करना।
8. कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर भूमिहीन कृषि मजदूरों को आत्म–निर्भर बनाना तथा कृषि पर निर्भरता को कम करना।

वन एवं वन्य जीव संरक्षण

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वन दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का प्राकृतिक वास है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 21,505 वर्ग कि0मी0 है जो कि कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग कि0मी0 के सापेक्ष मात्र 8.93 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 केमानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 241.70 लाख हेक्टेयर था, जिसमें वनों का क्षेत्रफल 16.59 लाख हेक्टेयर था। वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.9 प्रतिशत है जबकि भारत में यह लगभग 23 प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2016–17 (त्वरित अनुमान के अनुसार) में वनों का अंश रु0 14052.05 करोड़ है, जो कि सकल राज्य आय का 1.2 प्रतिशत है। वर्ष 2016–17 में वन क्षेत्र की विकास दर 0.2 प्रतिशत है।

जैव विविधता

जैव विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के दृष्टिकोण से जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन किया गया है। इस हेतु ग्राम

पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्ध समिति का गठन कर जैवविविधता रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार जैवविविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए सतत् प्रयासरत है।

प्रदेश की विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना एवं जलवायु में पाये जाने वाले वन्य जीवों एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रदेश में स्थापित 1 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव विहारों तथा 3 प्राणि उद्यानों का प्रबन्धन भी किया जा रहा है एवं 1 प्राणि उद्यान की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद **गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान** का निर्माण किया जा रहा है।

गौरैया व अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन सामान्य को वनों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(क) वानिकी एवं वन सम्बर्द्धन योजनाएं

प्रदेश में कार्यान्वित हो रही वृक्षारोपण की मुख्य योजनाओं का विवरण निम्न हैः–

1.सामाजिक वानिकी

प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाष्ठ, ईंधन एवं चारा पत्ती तथा लघु वन उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की भूमि यथा अवनत वन क्षेत्र सामुदायिक भूमि, नहर, रेल तथा सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है।

2.हरित पट्टी विकास योजना

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु क्रियान्वित की जा रही है। पर्यावरण सुधार से समस्त प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं स्वस्थ पर्यावरण का लाभ प्राप्त होगा।

वर्ष 2016–17 में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत 34697 हेक्टेयर, हरित पटटी विकास योजना के अन्तर्गत 1098 हेक्टेयर, भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराये जाने का अनुमान है।

3–टोटल फारेस्ट कवर योजना

यह योजना जनपद मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बदायूँ, रामपुर, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद, आजमगढ़, ललितपुर तथा चित्रकूट को पूर्ण रूप से हरा–भरा किये जाने हेतु कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2016–17 में इस योजना में रू0 50.80 करोड़ व्यय कर 4268 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराये जाने का अनुमान है। वर्ष 2017–18 में रू0 20.80 करोड़ व्यय कर 2633 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराये जाने का लक्ष्य है।

4–वनावरण सम्बर्द्धन परियोजना

अवनत वन एवं खुले वन क्षेत्रों में वनावरण संवर्द्धन के उद्देश्य से प्रदेश के 18 जनपदों में नाबार्ड के वित्त पोषण से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2016–17 में इस योजना में रू0 2000.0 लाख व्यय कर 2586 हेक्टेयर में पौध रोपण किया गया है।

5–राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम–

भारत सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देश के अनुसार जन सहयोग से वनों की सुरक्षा एवं सम्बर्द्धन के कार्य हेतु प्रदेश के प्रत्येक वन प्रभाग में वन विकास अभिकरण(एफ0डी0ए0) का गठन किया गया है। यह योजना वर्ष 2000–01 से कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत जन मानस को वनों की सुरक्षा एवं संवर्द्धन के कार्य से जोड़ने हेतु प्रदेश के प्रत्येक प्रभाग में भारत सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देश के अनुसार जनपद स्तर पर गठित वन विकास अभिकरण (एफ0डी0ए0) के द्वारा अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर जनसहभागिता के माध्यम से वानिकी कार्य सम्पादित किया जाता रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में रू0 347.40 लाख एवं वर्ष 2016–17 में रू0 576.04

लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 244.40 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

(ख) वन्य जीव परिरक्षण योजनाएं

1.प्रोजेक्ट टाइगर–

केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1987 में आच्छादित किया गया। कालान्तर में किशनपुर वन्यजीव विहार, कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार, आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी संयुक्त रूप से ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजनान्तर्गत लाया गया।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 1078.69 लाख एवं वर्ष 2016–17 में रू0 1552.10 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 750.40 लाख आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

2.इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स–

यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से प्रदेश के समस्त पक्षी विहारों एवं वन्यजीव विहारों के विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में वर्ष 2015–16 में रू0 435.06 लाख एवं वर्ष 2016–17 में रू0 473.09 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 184.00 लाख आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

3.प्रोजेक्ट एलीफैन्ट–

यह योजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकारएवं राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से ''उत्तर प्रदेश एलीफैन्ट रिजर्व'' हेतु चलाई जा रही है। योजनान्तर्गत हाथी के प्राकृतवास की सुरक्षा व संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों, मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों के अल्पीकरण, स्थानीय समुदायों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करना आदि कार्यो के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में रू0 16.46 लाख एवं वर्ष 2016–17 में रू0 32.63 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 40.10 लाख आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

4.मयूर संरक्षण केन्द्र एवं जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास

वृन्दावन जनपद मथुरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए एक मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 59.54 लाख व्यय किया गया है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में रू0 3073.86 लाख एवं वर्ष 2016–17 में रू0 12837.40 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 342.12 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

5.ईको पर्यटन का विकास–

इस योजना के माध्यम से प्रदेश में ईको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। यह योजना प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है जहां प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा हो, वन एवं वन्य जीवों की बहुतायत हो और पर्यटकों के लिए क्षेत्र आकर्षक हो।

इस योजना में वर्ष 2015–16 में रू0 830.41 लाख तथा वर्ष 2016–17 में रू0 204.13 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 10.29 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

6.गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना–

इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान का निर्माण किया जा रहा है।

इस येाजना में वर्ष 2015–16 में रू0 500.00 लाख तथा वर्ष 2016–17 में रू0 1823.11 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 5000.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

7.बर्ड फेस्टिवल का आयोजन–

पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने एवं विद्यार्थियों को इन जीवों के वास स्थल, क्रियाकलाप तथा विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में प्रतिवर्ष माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2016–17 में रू0 50.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 100.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

8.नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ एवं कानपुर प्राणी उद्यान में तितली पार्क का निर्माण –

तितलियों का पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। यह फूलों के परागण एवं बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तितलियों की संख्या कम होती जा रही है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ एवं कानपुर प्राणी उद्यान में इस तितली पार्क के माध्यम से जन–मानस में तितलियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जायेगी। इस योजना में लखनऊ प्राणि उद्यान में वर्ष 2016–17 में रू0 100.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 24.76 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

इस योजना हेतु कानपुर प्राणि उद्यान में वर्ष 2016–17 में रू0 30.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 40.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

वर्ष 2017–18 में जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्वार तथा वन देवी में विश्राम ग्रह का निर्माण किया जायेगा। इस योजना हेतु वर्ष 2017–18 में रू0 100.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016–17 में 249 हजार घनमीटर इमारती लकड़ी, 5 हजार घन मी0 चट्टा जलाने की लकड़ी, 35 हजार कौड़ी बांस, 180 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता तथा 2 हजार कुन्तल भाभड़ घास का उत्पादन हुआ। इमारती लकड़ियों में साल, सागौन, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस आदि प्रमुख है। विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौणवनोपज का विवरण तालिका–4.20 में दर्शाया गया है–

तालिका–4.20
उत्तरप्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	2004–05	2011–12	2014–15	2015–16	2016–17#
1	2	3	4	5	6
1–**इमारती लकड़ी (हजार घन मी0)**	143	193	228	212	249
(क) साल	27	27	32	15	18
(ख) सागौन	6	8	8	5	6
(ग) शीशम	30	12	14	12	15
(घ) खैर	3	3	3	2	3
(च) असना	2	–	1	1	2

मद	2004–05	2011–12	2014–15	2015–16	2016–17#
1	2	3	4	5	6
(छ) यूकेलिप्टस	48	111	112	125	145
(ज) विविध	27	32	58	52	60
2–**जलाने की लकड़ी (हजार घनमी0 चट्टा)**	18	3	4	1	5
3–**बांस (हजार कौड़ी)**	25	40	25	29	35
4–**तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)**	482	175	186	161	180
5–**भाभड़ घास (हजार कुन्तल)**	14	2	1	0	2

#अनुमानित

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 की अपेक्षा वर्ष 2016–17 में सभी इमारती लकड़ियों का उत्पादन बढ़ा है। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में गत वर्ष 2015–16 की अपेक्षा बांस तथा तेंदू पत्ता का उत्पादन भी बढ़ा है।

प्रदेश में वनीकरण सम्बंधी चुनौतियां –

1. प्रदेश में नगरीकरण के तीव्र विकास के साथ वन क्षेत्र का विस्तार तथा वृक्षारोपण का आच्छादन बढ़ाना इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौती है।

2. अवैध कटान–

प्रदेश में वनों के अवैध कटान की रोकथाम चुनौती पूर्ण कार्य है। अधिक जनसंख्या एवं अल्प प्राकृतिक संसाधन (वन) होने के कारण वनों पर जैविक दबाव अधिक रहता है। आरक्षित/संरक्षित वनों के अवैध कटान पर नियंत्रण करने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927, उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 व वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2016–17 में माह मार्च, 2017 तक सम्पूर्ण प्रदेश में 2542 अवैध कटान के मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें 6030 वृक्ष अवैध रूप से काटे गये जिनका कुल अनुमानित मूल्य लगभग रू0 217.49 लाख आंकलित है। प्रदेश में वर्ष 2016 में वनों में आग लगने की 77 घटनायें हुई जिसमें 101.70 हे0 वन क्षेत्र तथा 101.70 हे0 पौधरोपण क्षेत्र प्रभावित हुआ।

****

अध्याय–5
पशुधन,मत्स्य एवं दुग्ध विकास

पशु सम्पदाकी दृष्टि से उत्तर प्रदेशएक समृद्ध राज्य है। देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत पशु सम्पदा उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचल में निवास करती है जिसके जीवकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। वर्ष 2016–17 के त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2016–17 में स्थायी भावों पर पशुपालन खण्ड की वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत रही है जबकि वर्ष 2015–16 मे यह 3.7 प्रतिशत थी। वर्ष 2011–12 में प्रचलित भावों पर राज्य के निवल मूल्य वर्धन में पशुधन क्षेत्र का योगदान 7.1 प्रतिशत था जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गया। आर्थिक क्रिया कलापों के अनुसार निवल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा क्षेत्र के योगदान को तालिका–5.01 में दर्शाया गया है।

तालिका–5.01
निवल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र के खण्डवार प्रतिशत वितरण के आंकड़े

(प्रचलित भावों पर)						
क्रम सं०	मद	वर्ष				
		2011–12	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1	फसलें	18.5	18.6	16.5	16.8	17.5
2	पशुधन	7.1	7.4	8.4	8.6	8.2
3	वानिकी और लट्ठा बनाना	2.0	1.7	1.7	1.4	1.4
4	मत्स्यन और जलीय कृषि	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
(स्थायी भावों पर)						
1	फसलें	18.5	17.0	15.4	15.1	15.8
2	पशुधन	7.1	7.2	7.4	7.1	6.8
3	वानिकी और लट्ठा बनाना	2.0	1.8	1.8	1.7	1.6
4	मत्स्यन और जलीय कृषि	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5

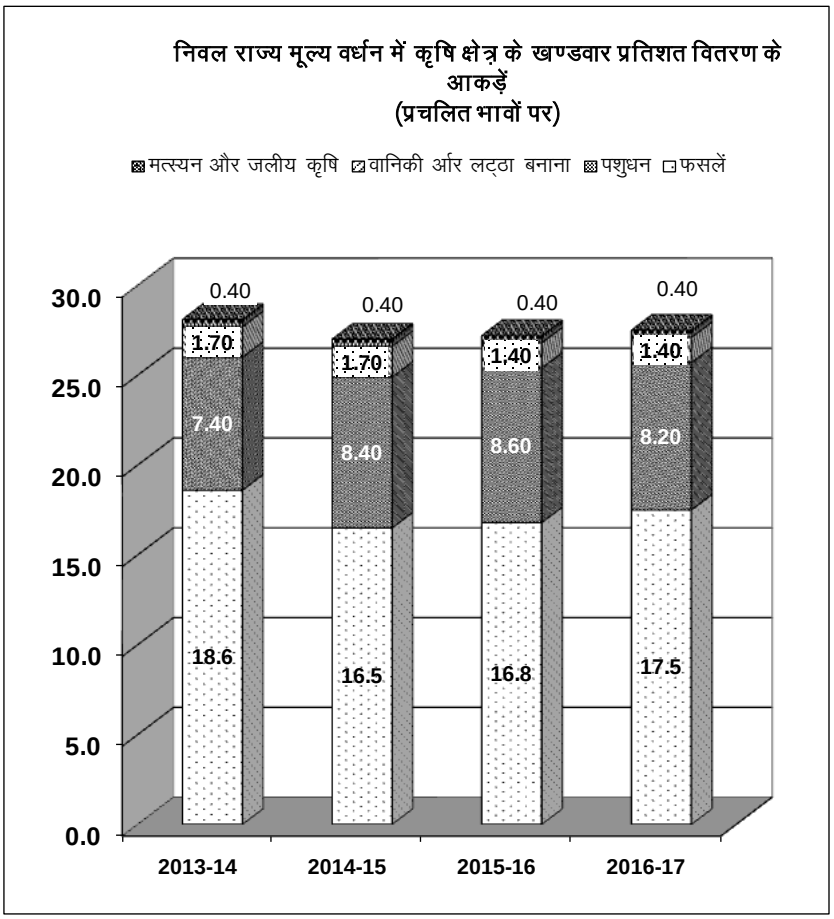

पशुधन

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 की पशुगणनानुसार कुल पशुओं की संख्या 687.16 लाख थी। इसमें गायों की संख्या 90.69 लाख तथा भैसों की संख्या 154.32 लाख थी, जो कुल पशुधन का क्रमशः 13.2प्रतिशत व 22.5प्रतिशत है। कुल गायों एवं भैसों की संख्या में दूध देने वाली गायों एवं भैसों की संख्या क्रमशः 64.9 प्रतिशत तथा 68.3 प्रतिशत रही। 2007 एवं 2012 की पशुगणनानुसार उत्तर प्रदेश में पशुधन तालिका–5.02 में दर्शाया गया है:–

तालिका–5.02
उत्तरप्रदेश में पशुधन संख्या

(हजार में)

मद	2007	2012	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	**2**	**3**	**4**
1–**कुल गोजातीय**	**19097**	**19557**	2.41
(क)गाय*	**6558**	**9069**	38.29
(1) दूध दे रही	4546	5883	29.41
(2) दूध न दे रही	1404	2372	68.95
2–**कुल महिष जातीय**	**26440**	**30625**	15.83
(ख)भैंस*	**12869**	**15432**	19.92
(1) दूध दे रही	9186	10538	14.72
(2) दूध न दे रही	2575	3412	32.50

मद	2007	2012	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	**2**	**3**	**4**
3– भेड़	1400	1354	(–)3.29
4– बकरी	14829	15586	5.10
5– सूकर	1987	1334	(–)32.86
6– अन्य पशुधन	212	260	22.64
कुल पशुधन	**63966**	**68716**	7.43
कुल कुक्कुट	**17880**	**18668**	4.41

*blesa nq/kk:] ,d ckj u C;k;h rFkk vU; eknk,a lfEefyr gSaA

प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवायें

वर्तमान में प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार हेतु 2202 पशुचिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केन्द्र, 268 द श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशु चिकित्सालय, 05 पालीक्लीनिक, 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला, 10 मण्डलीय प्रयोगशाला, 5043 कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र,03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पाद केन्द्र एवं 01 पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान मुख्य रूप से पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन केन्द्रों द्वारा विभिन्न वर्षों में कराये गये कार्यों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है–

तालिका–5.03
उ0प्र0 में पशुपालन सेवाओं की प्रगति

(**लाख में**)

कार्यक्रम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
कृत्रिम गर्भाधान	62.77	71.34	77.87	83.95	128.49
टीकाकरण	717.40	712.05	965.83	1115.91	1595.52
चिकित्सा	292.39	319.12	329.60	343.30	354.73
बधियाकरण	12.63	13.89	14.40	15.27	16.09

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 में 83.95 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया जो वर्ष 2016–17 में 53.06प्रतिशत बढ़कर 128.49 लाख हो गया। वर्ष 2015–16 में 1115.91 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया जो 42.98प्रतिशत बढ़कर 1595.52लाख हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 के 343.30 लाख के सापेक्ष वर्ष 2016–17 में चिकित्सित पशुओं की संख्या 3.3प्रतिशत बढ़कर 354.73 लाख हो गयी है।

पशुधन उत्पाद एवं उत्पादकता

प्रदेश में वर्ष 2012–13 में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 308 ग्राम थी, जो वर्तमान में बढ़कर 312 ग्राम प्रतिदिन हो गयी है। उ0प्र0 माँस उत्पादन में देश का अग्रणी प्रदेश है जिसके द्वारा लगभग देश का 60 प्रतिशत माँस का निर्यात किया जाता है।विभिन्न वर्षों मे पशु उत्पादों की प्रगति तालिका5.04 मे दी जा रही है।वर्ष 2016–17 में दूध, अण्डा एवं ऊन का उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 3624.6लाख कुन्तल, 18765.79 लाख एवं 2623.3हजारकिग्रा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके सापेक्ष दूध, अण्डे एवं ऊन की पूर्ति क्रमशः 2759.2 लाख कुन्तल, 22889.4 लाख एवं 1286 हजारकिग्रा प्राप्त हुआ है। उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें कार्यान्वित की जा रही है जिनका विवरण आगे दिया गया है।

तालिका–5.04

तुलनात्मक उत्पादकता स्थिति

उत्पाद	उत्पादकता स्थिति		
	2014–15	2015–16	2016–17
दूध (लाख कुन्तल)	2519.7 (4.1)	2638.7 (4.7)	2759.2 (4.6)
अण्डा (लाख)	20774.50 (14.6)	21928.5 (5.6)	22889.4 (4.4)
ऊन (हजार किग्रा)	1494.0 (1.5)	1264.0 (-15.4)	1286.1 (1.7)
मॉस (लाख किग्रा)	13971.84 (10.8)	14178.8 (1.5)	13461.1 (-5.1)

नोट–कोष्ठक में वृद्धि–दरदर्शाया गया हैं।

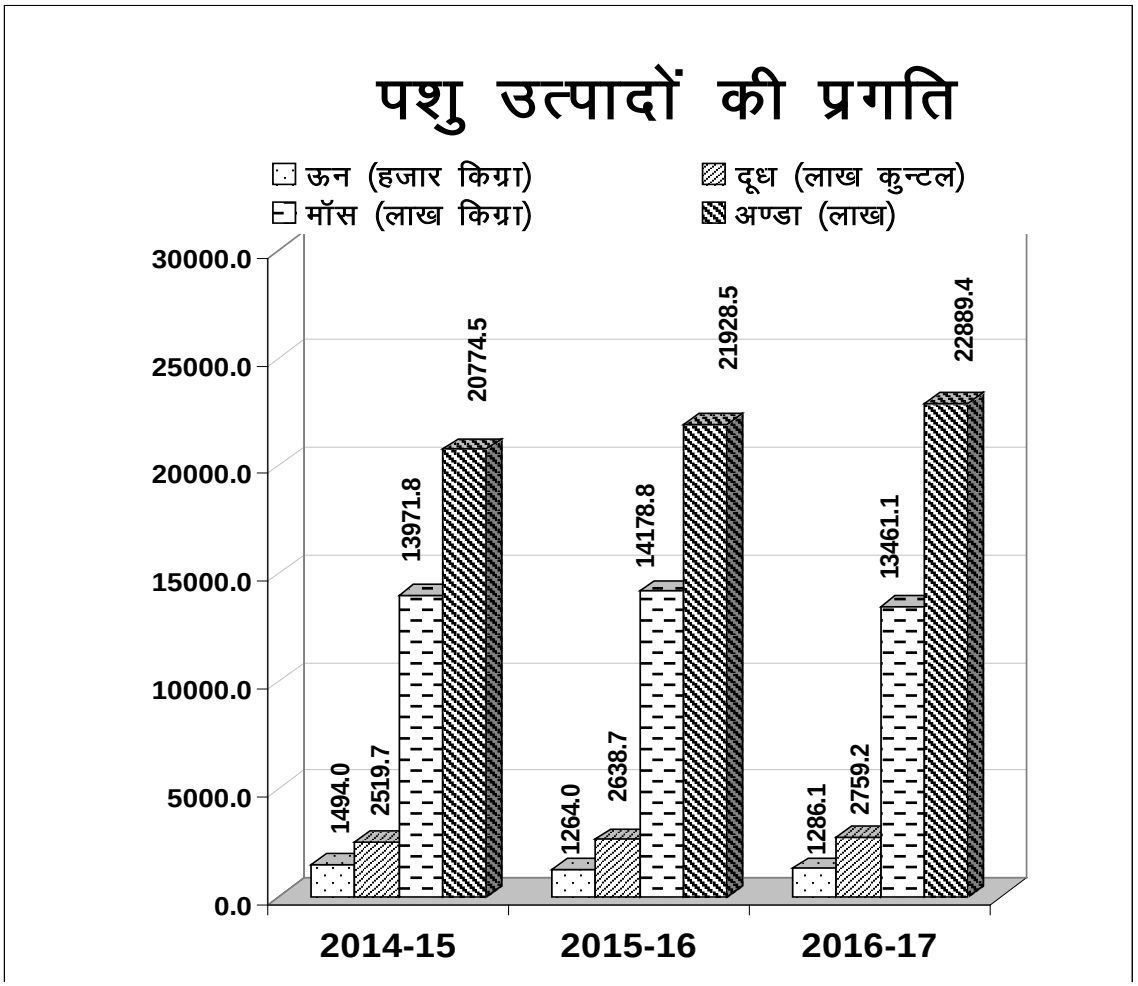

तालिका–5.05

पशुपालनहेतु राज्य सरकार द्वारा आयोजनागत योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था

(रू0 लाख में)

वर्ष	बजट	स्वीकृति	व्यय
2013–14	17006.560	13957.063	13733.011
2014–15	21990.86	17728.42	16425.75
2015–16	28592.790	23892.705	22012.997
2016–17	62958.66	45075.61	43889.45
2017–18 (18–10–17 तक)	149878.71	121883.79	50560.43

पशुपालन सम्बन्धीप्रमुख योजनाएं

1. उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 का क्रियान्वयन

प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कामर्शियल लेयर पालन तथा ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 लागू की गयी है, जिसमें उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करने तथा इनवेस्टर फ्रेन्डली वातावरण सृजित करने हेतु नीतिगत व्यवस्था की गयी है।

उक्त दोनो योजनाओं से प्रदेश में कुक्कुट विकास कार्यक्रम सुदृढ़ होगा तथा भारी संख्या में स्वरोजगार उपलब्ध हो सकेगा। उक्त के अतिरिक्त योजना से भारी मात्रा में प्रदेश के बाहर निजी क्षेत्र में जा रहा राजस्व का प्रवाह भी रूकेगा।

2.पारिश्रमिक आधारित वृहद टीकाकरण योजना

विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में सभी पशुओं का शत–प्रतिशत टीकाकरण पशु स्वामी के द्वार पर मूर्त रूप में करने की योजना है। प्रदेश में उपलब्ध पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाव हेतु शत–प्रतिशत टीकाकरण का कार्य 3126 पशुधनप्रसार अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है।

पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में यथा ले–मैन इन्सीमिनेटर/पैरावेट/पशुमित्र को प्राथमिक पशु उपचार, कृत्रिम गर्भाधान एवं टीकाकरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है किन्तु उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त न होने के कारण समयबद्ध प्रतिभागिता करने में असमर्थ होते हैं।

अतः इस योजना द्वारा शत–प्रतिशत टीकाकरण अभियान के समय इन कर्मियों को रू 2/– प्रति टीकाकरण की दर से पारिश्रमिक प्रदान किया जाये तो उक्त अभियान समयबद्ध रूप में संचालित हो सकेगा।

3. सचल पशु चिकित्सा क्लीनिक का संचालन

प्रदेश के सीमित आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में 15000 बड़े पशुओं के आधार पर एक पशुचिकित्सालय स्थापित किये जा रहे हैं। चिकित्सालयों पर पदस्थ पशुचिकित्सा अधिकारियों को मोबिलिटी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान एवं अशक्त अवस्था के पशुधन की किसी बीमारी में त्वरित आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रायः कठिनाई होती है।

बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) अन्तर्गत पशुपालकों को निम्नसुविधायें उपलब्ध कराया जाना लक्षित हैः–

- पशुधन विकास हेतु बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के द्वार पर चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, टीकारण, बाँझपन निवारण आदि सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

- साथ ही ऐसे पशुओं को भी पशुचिकित्सा सुलभ कराना जिन्हें पशुचिकित्सालय तक लाने में कठिनाई हो।
- किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम।
- पशुओं में शत–प्रतिशत टीकाकरण, मेडिकोलीगल केसेज, कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष फालोअप, सीरम सैम्पुल एकत्र करने की कार्यवाही निष्पादित करना।
- प्रदेश में 6000 पशुचिकित्सा शिविर आयोजित करना।

इस हेतु सरकार द्वारा प्रदेश के 612 विकास खण्डों में बहुद्देशीय पशुचिकित्सा एवं पशुपालन सेवाओं हेतु वाहन संचालित किये जा रहे है। इन वाहनों द्वारा उन्नत पशुपालन एवं पशुचिकित्सा सेवाएं गाँवों में शिविर लगाकर दी जा रही है। अभी ''ऑन कॉल'' ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। प्रत्येक पशुचिकित्सालय स्तर पर बहुद्देशीय पशुचिकित्सा एवं पशुपालन सेवाएं उपलब्ध कराये जाने से पशुपालकों को आन काल सेवाएं आकस्मिकता में उनके द्वार पर उपलब्ध हो सकेगी। इन वाहनों के संचालन से कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की स्मार्ट टैगिंग एवं टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। प्रदेश के 774 विकास खण्डों मेंस्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री से युक्त एक एक मोबाइल वैन/वाहन के प्रस्ताव के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें हेतुकुल रू0 40 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

4.पेस्टडिस् पेटि्टस रूमिनेन्ट्स कण्ट्रोल प्रोग्राम–

भूमिहीन कृषक/पशुपालकों द्वारा जीवकोपार्जन/लघु व्यवसाय हेतु बकरियों एवं भेड़ों का पालन किया जाता है। इन पशुओं में प्रायः विषाणु जनित पी0पी0आर0 बीमारी की महामारी के रूप में होने की प्रबल सम्भावना होती है जिसके कारण90–95 प्रतिशत पशु प्रभावित होते हैं जिसके सापेक्ष 75 प्रतिशत पशुओं की मृत्यु होने की प्रबल सम्भावना होती है। ऐसी परिस्थिति में वर्णित बीमारी के प्रकोप से पशुपालकों को आर्थिक रूप से नुकसान होता है। इन पशुओं में विषाणु जनित पी0पी0आर0 बीमारी की रोकथाम हेतु पी0पी0आर0सी0पी0 कार्यक्रम चलाया जाना अपरिहार्य है।

प्रदेश के लक्षित पशुओं (भेड एवं बकरियों) में उक्त रोग के कारण होने वाली उच्च मृत्युदर का संज्ञान लेते हुए उन्हें रोग मुक्त रखने के उद्देश्य से भारत सरकार के वित्त पोषण से वर्ष 2017–18 में उक्त योजना 60 प्रतिशत के0पो0 के रूप में चलाई जारही है।प्रदेश सरकार द्वारा इसयोजना में रू0 3 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

5. पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना–

पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु इस केन्द्र की स्थापना लखनऊ में 28 अगस्त, 2012 को की गयी। किसानों से जो शिकायते प्राप्त हुई उन्हें 3 श्रेणियों ए,बी,सी, में वर्गीकृत कर क्रमशः 24 घंटे, 72 घंटे, 1 सप्ताह में निस्तारित किया जाता है। पशुपालक पशुधन से सम्बन्धित नई तकनीकी सूचनाएं भी इस केन्द्र से जान सकता है। इसके लिए पशुपालन विभाग ने टोल फ्री नं0–1800–1805–141, फोन नं0–0522– 2741991 एवं फैक्स नं0– 0522–2740832 की व्यवस्था की है। वर्ष 2017–18 में अक्टूबर, 2017 तक जनपद स्तर से 5372 शिकायतें प्राप्त हुई और 4671 शिकायतों अर्थात 86.95 प्रतिशत का निस्तारण किया गया।

2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु रणनीति

प्रदेश सरकार की वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है। इस हेतु सरकार द्वारा पशुओं की उन्नत प्रजनन क्षमता को बढ़ाना, समय से कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराना, चारा एवं चरागाह विकास, कुक्कुट पालन को बढ़ावा एवं पशुधन बीमा आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

1. उन्नत प्रजनन आच्छादन को बढ़ावा देना

1.1 कृत्रिम गर्भाधन आच्छादन में वृद्धि

प्रदेश में उच्च प्रजनन क्षमता के वीर्य स्ट्राज के प्रयोग से प्राप्त संतति की दुग्ध उत्पादन क्षमता में प्रति ब्यांत औसतन 1000 ली0 की अतिरिक्त वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश में वर्तमान में 13करोड़कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य है। वर्ष 2022 तक 18 करोड़प्रजनन योग्य पशुओं को कृ0ग0 से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। देसी गायों का साहीवाल, थारपारकर, हरियाना, गंगातीरी प्रजातियों से शत प्रतिशत उन्नत प्रजनन आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा।

1.2 गोवंशीय पशुओं में सार्टेड सीमेन का उपयोग

वर्तमान में यह योजना पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद लखीमपुर खीरी, बाराबंकी एवं इटावा में संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को संसाधन से युक्त किये जाने हेतु कन्टेनर्स, ए0आई0 किट, ईयर टैग, एप्लीकेटर एवं सेक्स्ड सीमेन व तरल नत्रजन आदि सामग्रियों का वितरण किया जा चुका है। क्रासब्रीड गोवंशीय पशुओं में सेक्स्ड सीमन के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 7.5 लाख पशुओं को आच्छादित किया जायेगा। सामान्य वीर्य स्ट्राज के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करने पर 50 प्रतिशत उच्च आनुवांशिक गुणवत्तायुक्त गोवंशीय मादा संतति उत्पन्न होती हैं, जबकि सार्टेड सीमेन के प्रयोग से 90–95 प्रतिशत मादा संतति उत्पन्न होंगी जिससे सामान्य से 40 प्रतिशत अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकता बढ़ने से पशुपालकों की आय में बढ़ोत्तरी होगी।

1.3 भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को बढ़ावा (पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र)

भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी को बढ़ावा देते हुये स्वदेशी प्रजाति के उच्च उत्पादक गोवंशीय पशुओं की संख्या में त्वरित वृद्धि हेतु सांड़ो का उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद बरेली में स्थापित किये जा रहे पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र के माध्यम से उच्च प्रजनन क्षमता के स्वदेशी मादा पशुओं में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का प्रयोग करते हुए 1000 भ्रूण उत्पादन किया जाना है, जिससे वर्ष 2022 तक लगभग 400 संतति प्राप्त होगी, जिनकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता 4000 ली0 प्रति ब्यांत होगी। पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र पर स्वदेशी प्रजाति के 200 उच्च जनन क्षमता के सांड़ों का उत्पादन सम्भव होगा, जिनको अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र पर उपयोग करते हुए प्रत्येक सांड़ से प्रतिवर्ष औसतन 20 हजार वीर्य स्ट्राज का उत्पादन सम्भव होगा, जिसके प्रयोग से स्वदेशी प्रजाति के गोवंशीय संतति के पशुओं के दुग्ध उत्पादन में औसतन 1000 ली प्रति ब्यांत की अतिरिक्त वृद्धि अर्थात् रू0 25000.00 प्रति ब्यांत की आय पशुपालक को सीधे तौर पर मिलेगी।

1.4 देशी गोवंशीय पशु प्रजातियों के पालन, संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु पशुपालकों को सहायता

प्रदेश में देशी गोवंशीय प्रजातियों यथा साहीवाल, हरियाणा, थारपारकरएवं गंगातीरी गायों का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जाना अति आवश्यक है। ग्लोबल क्लाईमेट चेन्ज की स्थिति में भी देशी गोवंशीय प्रजातियों का उत्पादन बहुत प्रभावित नहीं होता है। देशी गोवंशीय प्रजातियों को सवंर्द्धित एवं संरक्षित करने तथा उत्पादकता में वृद्धि के दृष्टिगत पशुपालकों को इन प्रजातियों को पालने हेतु ''देशी गोवंश संरक्षण एवं संवर्द्धन पैकेज'' के रूप में सहायता दिये जाने के कार्यक्रम किये जायेंगें। देशी गायों की इन्हीं प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता सीमेन से शत–प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.पशुओं को कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराना

पशुओं को समय से कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराने से दुग्ध उत्पादकता में तात्कालिक रूप से लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि सम्भावित होती है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, नर एवं मादा संतति की मृत्यु दर में कमी तथा बकरियों में शरीर भार में त्वरित बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने हेतु कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट अति महत्वपूर्ण होता है। योजना अन्तर्गत कृमिनाशक की 2 खुराक एवं 3 कि0ग्रा0 मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराया जायेगा। वर्ष 2022 तक चरणबद्ध रूप से 25करोड़पशुओं को आच्छादित किया जायेगा।

3. चारा एवं चरागाह विकास

प्रदेश में वर्ष 2013–14 में गोचर/स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई की भूमि का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	जोनवार क्षेत्र	क्षेत्रफल (हे0 में)
1	पश्चिमी क्षेत्र	17985.00
2	केन्द्रीय क्षेत्र	24521.00
3	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	5105.00
4	पूर्वी क्षेत्र	17838.00
	योग	65449.00

पश्चिमी क्षेत्र(30 जनपद) एवं पूर्वी क्षेत्र (28 जनपद) में गोचर भूमि लगभग बराबर है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र (7 जनपद) में मात्र 5105 हेक्टूयर भूमि है। सबसे अधिक गोचर भूमि केन्द्रीय क्षेत्र (10 जनपद) में उपलब्ध है। प्रदेश के 75 जनपदों में कुल 65449 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गोचर भूमि अभिलेखों में अंकित है।

प्रदेश मेंएक वर्ष में कुल 774375.00 हे0 क्षेत्रफल में लगभग 359.46 लाख मी0 टन हरा चारा ही उत्पादित किया जाता है। प्रदेश में बोयी जा रही चारा फसलों के अतिरिकत अन्य स्रोतों जैसे गन्ने का अगोला, वन आच्छादित क्षेत्र, कृषि बेकार भूमि, स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई की भूमियों आदि से लगभग 538.24 लाख मी0 टन हरा चारा प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी स्रोतों से प्राप्त हरे चारे, सूखे चारे एवंदाने की आपूर्ति के बाद भी प्रदेश में पशुओं को खिलाने हेतु लगभग 740.37 लाख मी0 टन हरा चारा (46.64 प्रतिशत), 141 लाख मी0 टन सूखा चारा (17.26 प्रतिशत) एवं 348.82 लाख मी0टन दाने (82.78 प्रतिशत) की कमी रह जाती है। उक्त हरे एवं सूखे चारे की कमी को पूरा करने हेतु लगभग 13.76 लाख हे0 अतिरिक्त क्षेत्रफल बोये जाने की आवश्यकता होगी जिस हेतु लगभग 4.60 लाख कु0 चारा बीज की आवश्यकता होगी।

ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षित स्थायी चरागाह/गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाकर उक्त चरागाह हेतु आरक्षित भूमि पर ग्राम पंचायतों के सहयोग से चरागाह विकास का कार्यक्रम संचालित कराया जा सकता है जिससे सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध होगा।

3.1 चारा आच्छादन क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु पशुपालको को चारा उत्पादन पैकेज दिया जाना

चारा आच्छादन क्षेत्रफल बढ़ाने में प्रमुख समस्या कृषि योग्य भूमि पर खाद्यान्न उत्पादन एवं चारा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा का होना है। चारा उत्पादन बढ़ाने हेतु पशुपालकों को''चारा उत्पादन पैकेज'' अनुदान सहायता के रूप में दिये जाने की कार्य योजना ली जायेगी जिससे प्रत्येक वर्ष 8000 हे0 अतिरिक्त भूमि पर चारा आच्छादन बढ़ाया जायेगा।

3.2 पशुधन प्रक्षेत्रों पर चारा बीज उत्पादन को बढ़ाना

प्रदेश में10 पशुधन प्रक्षेत्रों पर एक वर्ष में कुल 2576.00 हे0 भूमि पर लगभग 227282.00 कु0 हरा चारा, 20944 कु0 सूखा चारा तथा 9046.00 कु0 चारा बीज का उत्पादन होता हे। पशुधन प्रक्षेत्रों में चारा बीज उत्पादन हेतु आच्छादित भूमि 1718 हे0 को अगले 5 वर्षो में बढ़ाकर 2056 हे0 करने का लक्ष्य है जिससे 23310 कु0 चारा बीज का उत्पादन सुनिश्चित हो सकेगा।

4.कामधेनु योजना को व्यापक बनाया जाना

प्रदेश में 100 दुधारू पशुओं की कामधेनु योजना तथा 50 दुधारू पशुओं की मिनी कामधेनु योजना क्रियान्वित की जा रही है। कामधेनु योजना में 300 इकाईयों का ऋण स्वीकृत कराकर 288

इकाईयांतथा मिनी कामधेनु योजना में 1500 इकाईयों का ऋण स्वीकृत कराकर 1460 इकाईयां क्रियाशील की जा चुकी हैं। 25 दुधारू पशुओं की माईक्रो कामधेनु योजना वर्ष 2015 से प्रारम्भ की गयी है। 2500 इकाईयां स्थापित करने के लक्ष्य के सापेक्ष फरवरी, 2017 तक 2241 इकाईयों का ऋण स्वीकृत कराकर 1761 इकाईया क्रियाशील की जा चुकी है।

यह योजना विशेष रूप से पश्चिमी उ0प्र0 में चलायी जायेगी। आगामी वर्षो में कामधेनु योजना को और विस्तारित करते हुए 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई की योजना चलाई जायेगी। इसमें गाय/भैंसों की मिश्रित इकाई रखी जायेगी। देशी गायों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा। पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड में विशेष रूप से यह योजना चलाई जायेगी।

5.कुक्कुट पालन को बढ़ावा देकर गरीब पशुपालकोंकी आजीविका में वृद्धि

उ0 प्र0 में अण्डा उत्पादन खपत की तुलना में बहुत कम है। प्रति वर्ष 108 करोड़ अण्डा उत्पादन के सापेक्ष खपत 473 करोड़ अण्डे की है। लगभग 365 करोड़ अण्ड़े प्रति वर्ष अन्य प्रदेशों से आयात होते है।वर्तमान में 1082 लाख ब्रायलर चूजे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पाले जा रहे है तथा 972 लाख ब्रायलर चूजों का अन्य प्रदेशों से आयात होने के कारण प्रदेश से अन्य प्रदेशों को भारी मुद्रा प्रवाह होता है।

कुक्कट उत्पादन के क्रिटिकल गैप को देखते हुए प्रदेश में कुक्कुट विकास के उद्देश्य से 123 लाख पक्षी क्षमता के कामर्शियल लेयर्स पक्षियों के 410 फार्म की स्थापना तथा प्रदेश को ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 6.00 लाख पक्षी क्षमता के ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना हेतु कुक्कुट उद्यमियों को वित्तीय संसाधनों में राहत एवं लाभकारी नीतिगत व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में 10,000 पक्षी की कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना माह जनवरी, 2016 में आरम्भकी गयी। कुक्कुट पालन योजनान्तर्गत प्रदेश में 30,000 कामर्शियल लेयर्स पक्षी की 200 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष 405 इकाइयों की एल0ओ0सी0 जारी की गयी है एवं वर्तमान में 178 इकाइयां स्थापित हो गयी है।योजनान्तर्गत मार्च, 2017 तक 315 ईकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष 119 ईकाइयां क्रियाशील हैं जिनसे 55.67 लाख अण्डा उत्पादन एवं 16800 व्यक्तियों के लिये रोजगार सृजन हुआ है।

प्रदेश में बैकयार्ड कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2022 तक भारत सरकार सहायतित रूरल बैकयार्ड योजनान्तर्गत 2500 मदर यूनिट स्थापित की जायेगी।

6. बकरी इकाईयों की स्थापना

उ0प्र0 में बकरी पालन पर विशेष ध्यान देते हुए गरीब पशुपालकों को 5 बकरी एवं 1 नर बकरा उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना आरम्भकी जायेगी जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

7. जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा के माध्यम से पशुपालकों/किसानोंको पशु बीमा कराने के फलस्वरूप पशु मुत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के विरूद्ध सुरक्षा प्राप्त होती है। पशु मृत्यु की दशा में बीमा कम्पनी से प्राप्त होने वाले भुगतान से पशुपालक/किसान पुनः पशु क्रय कर अपनी आजीविका चलाने में समर्थ बना रहता है। योजनान्तर्गत पशु के बीमा प्रीमियम का बड़ा अंश, औसतन 75 प्रतिशत तक केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि अवशेष हिस्सा पशुपालक द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार प्रीमियम अंशदान की छोटी सी राशि का भुगतान कर पशुपालक पशु मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के विरूद्ध सुरक्षित हो जाता है।

पशुधन बीमा आच्छादन अन्तर्गत वर्तमान में 1.50 लाख पशुओं के आच्छादन का लक्ष्य है। बीमा आच्छादन को 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाया जाएगा।

8. क्षेत्र विशेष हेतु कार्यक्रम–बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्ना प्रथा उन्मूलन की योजना

बुन्देलखण्ड में पशुपालकों द्वारा गोवंशीय पशुओं को छुट्टा छोड़ने कीप्रथा (अन्ना प्रथा) प्रचलित है, जो फसलों के लिए हानिकारक है। अन्ना प्रथा का मुख्य कारण क्षेत्र के गोवंशीय पशुओं का निम्न आनुवंशिक गुणवत्तायुक्त होना एवं कम दुग्ध उत्पादन है।पशुपालकों के द्वारा गोशालाओं में उपलब्ध निम्नकोटि के पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान तथा क्षेत्र में उपलब्ध कराये गये उन्नतिशील सांड़ों द्वारा नैसर्गिक अभिजन्न के माध्यम से नस्ल सुधार किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों यथा झांसी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर एवं जालौन में अन्ना प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भकिया गया है, जिसके अन्तर्गत निम्न कोटि के बछड़ों का बधियाकरण, उच्चगुणवत्तायुक्त सांड़ों की उपलब्धता व उच्चगुणवत्तायुक्त वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है।

मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता

उत्तर प्रदेश का कुल अर्न्तस्थलीय मत्स्य उत्पादन 4.94लाखमिट्रिक टन रहा है, जो आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बाद भारत में तीसरा स्थान है। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़ी कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि/तालाब/पोखरों/जलाशयों का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है तथा ग्रामीण अंचल में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का एक अच्छा अवसर सुलभ कराया जा सकता है। मत्स्य विकास कार्यों को कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 116.98 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया जिसके सापेक्ष रू0 102.89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की गयी।

प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में समस्त स्रोतों से आंकलित मत्स्य उत्पादन 4.50 लाख मी0 टन था जो 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल के तृतीय वर्ष 2015–16 में 5.05 लाख मी0 टन तथा वर्ष 2016–17 मे 6.18 लाख मी0 टन के स्तर तक पहुॅच गया। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की त्रैमासिक गणना की जाती है। वर्ष 2017–18 में वार्षिक लक्ष्य 6.50 लाख मी0 टन मत्स्य उत्पादन के सापेक्ष प्रथम त्रैमास में 2.52 लाख मी0टन मत्स्य उत्पादन हुआ।

वर्ष 2011–12 से 2016–17तक अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता की सूचना निम्नवत है–

तालिका–5.06

अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता

वर्ष	अनुमानित मत्स्य उत्पादन (लाख मी0टन0)	औसत मत्स्य उत्पादकता (किग्रा0/हे0/वर्ष)
	उपलब्धि	उपलब्धि
2011–12	4.30	3335
2012–13	4.50	3402
2013–14	4.64	3600
2014–15	4.94	4140
2015–16	5.04	4140
2016–17	6.18	4155

विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार दडेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर2013

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु सरकार द्वारा विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर 2013 का अवधारण करते हुए दस वर्षीय कार्यक्रमों को लागू कराने का संकल्प लिया गया है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करते हुए उसके प्राविधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश में उपलब्ध वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.34 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है–

तालिका–5.07

प्रदेश में जल संसाधनों की उपलब्धता

बंधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जलक्षेत्र(लाख हेक्टेयर)	मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
वृहद एवं मध्यमाकार जलाशय	2.28	2.26	99.12
प्राकृतिक झीलें	1.33	0.20	15.03
ग्रामीण अंचल के तालाब	1.73	1.20	69.36
योग	**5.34**	**3.66**	**68.53**

संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रम

1.तालाबों का पट्टा

उत्तर प्रदेश में उपलब्ध जलसंसाधनों में मुख्यतः ग्रामसभा के अन्तर्गत आने वाले तालाब एवं झीलें हैं। ग्रामसभा में निहित तालाबों का पट्टा मछुआ समुदाय एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को ही दिया जाता है, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु आवास/बीमा/ऋण आदि की सुविधायें भी सुलभ करायी जाती हैं।वर्ष 2016–17 में 8403 परिवारों को ग्राम सभा के तालाबों के 7398.61 हे0 जलक्षेत्र का पट्टा मत्स्य पालन हेतु दिया गया तथा वर्ष 2017–18 में माह सितम्बर, 2017 तक 3926.27 हे0 जलक्षेत्र के ग्राम सभा के तालाबों का पट्टा आवंटित करते हुए 4321 परिवारों द्वारा मत्स्य पालन का कार्य प्रारम्भ किया गया।

2.मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण

तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 37 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 226 हैचरियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में एक मिनी हैचरी की स्थापना हेतु रू0 12.00 लाख इकाई लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान अर्थात रू0 6,00,000/– अनुदान व बैंक ऋण की सुविधा अनुमन्य है तथा हैचरी निर्माण की तकनीक उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2016–17 में व्यवसायिक मत्स्य के 26272.46 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराते हुए मत्स्य पालन के माध्यम से

रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता दी गयी तथा वर्ष 2017–18 में 20645.30 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया गया।

विगत तीन वर्षो में मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण से सम्बन्धित उपलब्धियों का विवरण निम्नांकित है :–

तालिका–5.08

वर्ष	अंगुलिका/मत्स्यबीज वितरण संख्या (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज संचय संख्या (लाख में)	मत्स्य बीज उत्पादन संख्या (लाख में)
	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
2011–12	14136.42	627.57	14763.99
2012–13	15322.02	629.10	15951.12
2013–14	15652.87	724.76	16377.63
2014–15	15964.75	650.66	16615.41
2015–16	17653.23	646.03	18299.26
2016–17	26272.46	762.67	27035.13

मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण

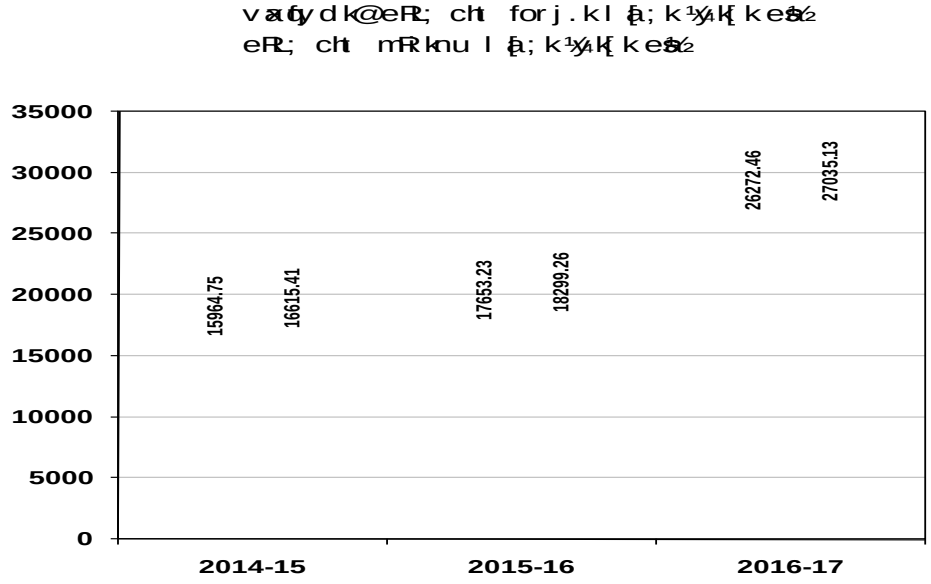

3.मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण, मछुआ दुर्घटना बीमा एवं आवास विहीन मछुआरों के लिए मछुआ आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में 1068 प्राथमिक समितियां, 22 जनपद स्तरीय संघ एवं एक प्रदेशीय संघ संचालित है। है। 275 मत्स्य कृषकों को क्षमता के विकास हेतु निशुल्क विभागीय प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2016–17 में राज्य पोषित मोबाईल फिश पार्लर योजना में 10 इकाईयों की स्थापना की गयी है तथा वर्ष 2017–18 में 10

मोबाईल फिश पार्लर इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य है। 11 राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्रों पर मत्स्य पालन हेतु जलापूर्ति के लिए 11 सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य है।

क– मछुआ दुर्घटना बीमा योजना

दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालको की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता होने की दशा में रू0 2,00,000 व स्थाई आंशिक अपंग होने की दशा में रू0 1,00,000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। बीमा धनराशि का प्रीमियम रू0 20.34 (रू0 10.17 भारत सरकार व रू0 10.17 राज्य सरकार) प्रति सदस्य की दर से राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, नई दिल्ली के माध्यम से बीमा कम्पनी को भुगतान किया जाता है। लाभार्थी को कोई भी धनराशि स्वयं वहन नहीं करनी पड़ती है। वर्ष 2016–17 में कुल 1,93,000 मत्स्य पालकों को आच्छादित किया जा चुका है।योजना के प्रारम्भ से अब तक 110 मृत सदस्यों के आश्रितों को रू0 51.67 लाख एवं 5 अपंग सदस्यों को रू0 67.5 हजार का भुगतान सुनिश्चित कराया गया है। वर्ष 2016–17 में मत्स्य व्यवसाय से जुड़े 1,93,000 मत्स्य पालकों को मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित करने के लिए आच्छादित किया गया तथा वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत 2,00,000 लाभार्थियों को आच्छादित करने का लक्ष्य है।

ख– मछुआ आवासों का निर्माण

मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को वर्ष 2017–18 से प्रति आवास रू0 1.20 लाख की वित्तीय सहायतादिये जाने का प्रावधान है जिसमें रू0 60 हजार केन्दांश तथा रू0 60 हजार राज्यांश के रूप में निहित है। भारत सरकार के सहयोग से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2014–15 तक कुल 23585 मछुआ आवास निर्मित कराये जा चुके हैं।वर्ष 2016–17 के 666 मछुआ आवासों को वर्ष 2017–18 में निर्मित कराये जाने का लक्ष्य है।वित्तीय वर्ष 2017–18 में 666 आवासों के लिए रू0 799.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी, जिसके सापेक्ष 33 जनपदों में मछुआ आवासों का निर्माण प्रारम्भ हो गया।

4. नई केन्द्र पुरोनिधानित''ब्लूरिवोलुशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' योजना

भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में केन्द्र पोषित एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं भिन्न–भिन्न वित्त पोषण पर वर्ष 2015–2016 तक संचालित थी। केन्द्र सरकार द्वारा नील क्रान्ति मिशन के माध्यम से मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने की सामर्थ्य होने के साथ–साथ जैव सुरक्षा तथा पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए धारणीय तरीके से संपूर्ण मात्स्यिकीय विकास के लिए मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता को बढाने हेतु पूर्व संचालित समस्त केन्द्र पोषित एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को एक अम्ब्रैला के अंतर्गत लाते हुए नई केन्द्र पुरोनिधानित ''ब्लू रिवोलुशनः इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' योजना को प्रदेश में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2016–17 में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मद जो लाभार्थी परक हैं में परियोजना लागत के आधार पर कुल का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अंश तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य सहायता अंश निर्धारित है। वर्ष 2017–18 में अनुदान धनराशि/फन्डिंग पैटर्न में संशोधन करते हुए सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान दिये जाने को निर्णय लिया गया है।

इस योजना में प्रशिक्षण, स्ट्रेंथनिंग आफ डाटा बेस एण्ड जियोग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम आफ द फिशरीज सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि मदों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषण अधिकतम वित्तीय सहायता निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष इस योजनान्तर्गत संचालित परियोजनाओं में 19.591 हे0 नये तालाबों का निर्माण, 4764 जल मृदा नमूनों का परीक्षण, 293.08 हे0 तालाबों का सुधार, 15.60 हे0 पर मत्स्य बीज रियरिंग इकाई की स्थापना, 03 आटोरिक्शा, 43 बाइसाइकिल एवं 36 मोटरसाइकिल आइस बाक्स के साथ उपलब्ध कराना, 8 मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना तथा 01 लघु फीड मिल एवं 01 सोलर पावर एक्वाकल्चर की स्थापना आदि कार्य कराये गये।

5.जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण की योजना

इस योजना के अन्तर्गत कृषि हेतु अनुपयुक्त जल प्लावित भूमि को तालाब के रूप में विकसित कर मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित किया जाता है। योजना की इकाई लागत रू0 1.25 लाख प्रति हे0 निर्धारित है, जिसमें सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 80 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। माह मार्च, 2016 तक 199.77 हैक्टेयर जल प्लावित भूमि को मत्स्य पालन योग्य बनाया गया है।वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत 199.77 हे0 निष्प्रयोज्य जलमग्न क्षेत्र को मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित किया गया तथा वर्ष 2017–18 में 200 हे0 निष्प्रयोज्य जलमग्न क्षेत्र को मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।

6. महाझींगा पालन :–

मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि तथा जन सामान्य को महाझींगा के रूप में उच्च प्रोटीनयुक्त खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत मत्स्य पालन विविधीकरण के अन्तर्गत प्रदेश के मीठे जल में महाझींगा पालन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 0.5 हे0 जलक्षेत्र की एक इकाई के लिए महाझींगा के आयातित बीज एवं यातायात व्यय तथा पूरक आहार की कुल लागत रू0 50000/– पर मत्स्य पालक को प्रोत्साहन स्वरूप 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2016–17 में 20 हे0 पर महाझींगा पालन कराया गया है।

7.तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकासः–

वर्ष 2016–17 में नवीन योजना के रूप में स्वीकृत तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास के अन्तर्गत 1.0 हे0 के तालाबों पर 0.1 हे0 की 10 नर्सरियों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश के समस्त जनपदों पर तालाबों में 75 हे0 पर 750 नर्सरियों के निर्माण के सापेक्ष 713, 0.1 हे0 की नर्सरियों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2017–18 में समस्त जनपदों में 75 हे0 तालाबों पर 750 नर्सरियों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष माह सितम्बर तक 20 नर्सरियों का निर्माण कराया जा चुका है।

दुग्ध विकास

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन एवं उसके विक्रय को संगठित करने के उद्देश्य से प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन(पी.सी.डी.एफ.) का गठन किया गया है।पी.सी.डी.एफ. द्वारा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नाकिंत योजनाएं संचालित की जा रही हैं–

1. प्रदेश के 10 जनपदों में नवीन पूर्णतया आटोमेटिक ग्रीन फील्ड डेरी प्लाण्ट की स्थापना एवं 04 डेरी प्लाण्ट्स का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाना–

प्रदेश के 10 जनपदों यथा कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद एवं मुरादाबाद में नवीन पूर्णतयाः आटोमेटिक ग्रीन फील्ड डेरी प्लाण्ट की

स्थापना तथा 04 डेरी प्लाण्टों यथा इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी एवं नोएडा का उच्चीकरण राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सब्सिडियरी कम्पनी आई0डी0एम0सी0 संस्था द्वारा किया जा रहा है।उक्त कार्य राज्य की ''अवस्थापना विकास निधि'' एवं नाबार्ड की ''ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि'' (आर0आई0डी0एफ0) की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है।परियोजनावार विवरण निम्नवत् हैः–

इस योजना के अन्तर्गत जनपद कानपुर में राज्य बजट से रू0 152.75 करोड़ की लागत से **नवीन डेरी एवं पाउडर प्लाण्ट** की स्थापना की जा रही है। परियोजना हेतु अब तक "अवस्थापना विकास निधि" से 152.75 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जनपद कन्नौज में अवस्थाना विकास विभाग की ''अवस्थापना विकास निधि'' की वित्तीय सहायता से रू0 148.52 करोड़ की लागत से **काऊ मिल्क प्लाण्ट** की स्थापना की जा रही है।

08 जनपदों लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, फिरोजाबाद, फैजाबादएवं मुरादाबाद में नवीन पूर्णतया **आटोमेटिक ग्रीन फील्ड डेरी प्लाण्ट** की स्थापना क्रमशः रू0 117.43 करोड, रू0 152.49 करोड़, रू0 172.56 करोड़, रू0 76.25 करोड़,रू0 60.09 करोड़, रू0 60.88 करोड़, रू0 65.04 करोड़ रू0 61.29 करोड़ की लागत सेकी जा रही है।

2.डेरी प्लान्टों का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण

प्रदेश की 04 डेरी प्लान्टों यथा इलाहाबाद, अलीगढ़, नोएडा एवं झांसी का उच्चीकरण तथा आधुनिकीकरण का कार्य नाबार्ड की ''ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि'' (आर0आई0डी0एफ0) की

वित्तीय सहायता से किया जा रहा है जिसमें आर0आई0डी0एफ0 द्वारा रू0 96.47 करोड़ धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके समक्ष रू0 21.10 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई।

10 डेरी प्लान्टों में 08 डेरी प्लांट **यथा लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, फैजाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद एवं गोरखपुर** एवं 04 सुदृढ़ीकरण के प्लान्टों हेतु वर्ष 2016–17 में वित्त पोषण आर0आई0डी0एफ0 एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फन्ड द्वारा किया गया है।

3.गुणवत्ता लैब सुदृढ़ीकरण परियोजना

गुणवत्ता लैब सुद्ढ़ीकरण से सम्बन्धित परियोजना (लागत रू0 31.24 करोड़) के क्रियान्वयन हेतु एनडीडीबी (राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद) आनन्द, गुजरात को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

4.ट्रांजिट हानि नियंत्रण एवं आनलाइन मानीटरिंग सिस्टम सहित दुग्ध जांच नेटवर्कपरियोजना

ट्रांजिट हानि नियंत्रण एवं आनलाइन मानीटरिंग सिस्टम सहित दुग्ध जांच नेटवर्क (लागत रू0 169.74 करोड़) जिसके समक्ष रू0 161.62 करोड़ धनराशि की स्वीकृति ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि द्वारा प्रदान की गई है। परियोजना का क्रियान्वयन पी0सी0डी0एफ0 के माध्यम से किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में डेरी विकास को प्रोत्साहित करने हेतु गोकुल पुरस्कार योजना, आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट एवं कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इन योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशःरू० 27.25 लाख, 330.0 लाख एवं 200. 0लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। दुग्ध संघों/समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतुवित्तीय वर्ष 2016–17 में रू० 6828.52 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।प्रदेश में दुग्धसंघों के विकास की स्थिति निम्नवत है–

तालिका–5.09
प्रदेश में दुग्ध विकास की स्थिति

भौतिक लक्ष्य एवं पूर्ति									
		2014–15		2015–2016		2016–17 (जुलाई तक)		2017–18 (सितम्बर तक)	
क्र0 सं0	विवरण	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	दुग्ध संघों की संख्या	59	58	59	59	18	18	18	18
2	जनपद	73	75	73	75	75	75	75	75
3	कार्यरत समितियों की संख्या	16703	10818	16703	7288	10211	6768	6836	6381
4	सदस्यता (000)	702.05	479.00	702.05	309.2	434.31	306.04	303.02	295.96
5	औसत दुग्ध उपार्जन(000कि0ग्रा0)	850.00	529.00	850.00	401.90	445.00	349.55	2.78	2.77
6	औसत तरल दुग्ध विक्रय (000ली0)	1300.00	263.00	1550.00	216.82	414.59	192.47	245.00	175.00

विभिन्न प्रदेशों के दुग्ध उपार्जन एवं विपणन की स्थिति निम्नवत है–

तालिका–5.10
प्रदेशवार दुग्ध उपार्जन एवं विपणन

प्रदेशवार दुग्ध उपाजेन (000कि0ग्रा0/दिन), विपणन (000ली0/दिन)				
विवरण	उपार्जन सितम्बर, 2016	उपार्जन सितम्बर, 2017	विपणन सितम्बर, 2016	विपणन सितम्बर, 2017
हरियाणा	463	482	320	356
हिमाचल प्रदेश	86	69	28	31
पंजाब	1134	1344	995	1042
राजस्थान	2289	2483	2252	2399
उत्तराखण्ड	173	172	148	162
उत्तर प्रदेश	398	341	836	915
असम	16	17	47	50
बिहार	1567	1284	937	1112
झारखण्ड	89	109	346	401
ओडिशा	475	472	404	396
सिक्किम	31	31	11	21
पश्चिम बंगाल	145	146	1236	1302
आन्ध्र प्रदेश	1207	1251	1220	1225
कनोटक	6922	7471	3233	3487
केरल	1023	1197	1422	1364
तेलंगाना	736	636	800	748
तमिलनाडु	3153	3281	2083	2145
छत्तीसगढ़	74	67	164	157
गोवा	71	66	78	73

प्रदेशवार दुग्ध उपार्जन (000कि0ग्रा0/दिन), विपणन (000ली0/दिन)				
विवरण	उपार्जन सितम्बर, 2016	उपार्जन सितम्बर, 2017	विपणन सितम्बर, 2016	विपणन सितम्बर, 2017
गुजरात	16407	18208	5178	5443
मध्य प्रदेश	996	1196	838	922
महाराष्ट्र	3161	3471	4791	4864

उत्तर प्रदेश के उपार्जन में ओ0एफ0 यूनिट सम्मिलित हैं। तरल दुग्ध विपणन में पी0सी0डी0एफ0 की इकाईयाँ एवं जी0सी0एम0एम0एफ0 लि0 हैं।

प्रदेश के सम्मुख पशुधन,मत्स्य एवं दुग्ध विकास सम्बंधी चुनौतियां

1. 240 लाख प्रजनन योग्य पशुधन संख्या है, जिसमें से केवल 70 से 80 लाख प्रजनन योग्य पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जाता है। अतः इस क्रिटीकल गैप को दूर करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाया जाना आवश्यक है।
2. प्रदेश में राजकीय पशुचिकित्सालयों की संख्या अपर्याप्त है, मानक के अनुसार 15000 पशु संख्या पर एक पशुचिकित्सालय होना चाहिए। कुल पशुधन संख्या को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 3400 पशुचिकित्सालयों की आवश्यकता होगी जबकि वर्तमान में 2202 पशुचिकित्सालय ही कार्यरत है। अतः 1200 पशुचिकित्सालयों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी जिसे स्थापित कराना नितान्त आवश्यक है।
3. प्रदेश में 38 प्रतिशत हरा चारा, 47 प्रतिशत पशु आहार तथा 0.66 प्रतिशत शुष्क चारा की कमी है जिसे बढ़ाया जाना चुनौती पूर्ण कार्य है।
4. प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।
5. अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। अतः अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन बढ़ाया जाना चुनौती पूर्ण कार्य है।
6. प्रदेश कोएच एस वैक्सीन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।
7. कृषकों की आय दोगुनी किया जाना।
8. कार्यशील पूँजी के अभाव में सहकारी क्षेत्र की डेरियों द्वारा समय से उत्पादकों को दुग्ध मूल्य भुगतान न करने के कारण दुग्ध उत्पादक निजी क्षेत्र की डेरियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
9. दुग्ध की माप–तौल एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु समिति स्तर पर ए०एम०सी०यू०/डी०पी०एम०सी०यू० की आवश्यकता है।
10. स्थापित दुग्धशालाओं/अवशीतन केन्द्रों की क्षमता का कम उपयोग हो पा रहा है।
11. आपरेशन लागत में वृद्धि व्यवसाय में संकुचन का एक प्रमुख कारण है।
12. अधिक सेल्फ लाईफ के दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण सुविधा का अभाव है।
13. लीन (ग्रीष्म) सीजन में ताजा दूध की अनुपलब्धता।

प्राथमिकतायें एवं सुधारात्मक कदम

1. पशु प्रजनन के क्षेत्र में एन0जी0ओ0/विभाग के माध्यम से अधिक से अधिक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये जायें।

2. प्राईवेट पशु प्रजनन कार्यकर्ता द्वारा अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों को स्थापित किये जायें एवं पशुधन प्रजनन प्रक्षेत्र पर गुणवत्ता युक्त पशुधन प्रजाति का उत्पादन सुनिश्चित किया जायें।
3. कृत्रिम गर्भाधान के आच्छादन को बढ़ाने तथा पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु विकास खण्ड स्तर पर सचल पशु चिकित्सा क्लीनिक की स्थापना की जाये।
4. गुणवत्ता युक्त ब्रीड/बीज भण्डार केन्द्रों विकसित किये जायें।
5. कृषकों की आय 2022 तक दोगुनी किया जाना।
6. वर्तमान में स्थापित चिकित्सालयों का सुदृढीकरण एवं अधिक से अधिक पशुचिकित्सालयों की स्थापना की जाये।
7. उत्तर प्रदेश बीडिंग एक्ट 2017 लागू करना।
8. उत्तर प्रदेश चारा सुरक्षा नीति बनाया जाना।
9. पशु एवं कुक्कुट बाजार असंगठित रूप से व्यवस्थित है, उनमें सुविधाओ की कमी को दूर किया जाये।
10. कुक्कुट उत्पादों का विपणन बिचौलियों के माध्यम से होने के कारण कुक्कुट पालकों को लाभ कम मिलता है। अतः बिचौलियो को दूर करने हेतु विपणन व्यवस्था को सुदृढ किया जाये।
11. ऊन विपणन की व्यवस्था मे भी सुधार अपेक्षित है।
12. 70 प्रतिशत दूध की बिक्री बिचौलियो के माध्यम से होती है जो दूध की गुणवत्ता को संरक्षित नही रख पाते है। अतः बिचौलियो को दूर करने हेतु विपणन व्यवस्था को ठीक किया जाये।
13. समस्त दुग्ध संघों की री–स्ट्रक्चरिंग करते हुए 59 दुग्ध संघों की क्लस्टर बनाते हुए मुख्य 19यूनियन बनाये गये हैं, जिसके फलस्वरूप प्रशासिनक व्ययों में कमी होने की सम्भावना है।

****

अध्याय–6
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

बागवानी फसलों का कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। औद्यानिक फसलों में फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं सगन्ध फसलें, मशरूम, पान एवं शहद उत्पादन में वृद्धि की अपार सम्भावनायें विद्यमान हैं। बागवानी का क्षेत्र कृषि के विविधीकरण के लिए आर्थिक एवं पोषणीय दृष्टि से एक सक्षम विकल्प के रूप में उभरा है। प्रदेश की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में उपयुक्त एवं अनुकूल फसल चक्र अपनाकर छोटी जोत के किसानों द्वारा अधिक आय, रोजगार एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादन से जुड़ा है जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषक हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन से लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि एवं तुड़ाई उपरान्त होने वाले क्रियाकलापों यथा–विपणन, प्रसंस्करण, भण्डारण आदि से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।

प्रमुख योजनाएँ :–

प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, औषधीय पौध मिशन, पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन), अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु औद्यानिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन, लोहिया पर्यावर्णीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना, बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास, लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों हेतु संकर शाकभाजी उत्पादन एवं प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम बागवानी विकास हेतु संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, ढाबा/फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण/हाईजीन प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण/विधायन आदि योजनाएँ लागू की गयीं हैं, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके और उपभोक्ता को गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री सुलभ हो सके।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (राज्य औद्यानिक मिशन) :

बागवानी विकास के दृष्टि से एकीकृत बागवानी विकास मिशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके सफल कार्यान्वयन से व्यवसायिक औद्यानिक विकास को नयी दिशा प्राप्त हुयी है, जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है। यह योजना प्रदेश के 45 जनपदों में संचालित की जा रही है, जिसके लाभार्थी कृषकों को अनुमन्य राज सहायता (अनुदान) देय है।

योजनान्तर्गत पेरीनियल एवं नॉन पेरीनियल फलों के नवीन उद्यान रोपण, शाकभाजी बीज उत्पादन, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, आई0पी0एम0 प्रोत्साहन, कृषकों को नवीन तकनीकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं रोजगार सृजन सम्बन्धी कार्यक्रम यथा मॉडल एवं लघु पौधशालाओं की स्थापना, सीड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, संरक्षित खेती के अन्तर्गत ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस की स्थापना, एच0डी0पी0ई0 वर्मी बेड, बागवानी में मशीनीकरण, समेकित मशरूम इकाई की स्थापना तथा पोस्ट हार्वेस्ट के अन्तर्गत पैक हाउस का निर्माण, प्री–कूलिंग यूनिट, मोबाइल प्री–कूलिंग यूनिट/रिफर वैन, कोल्ड स्टोरेज एवं राइपेनिंग चैम्बर की स्थापना, प्रसंस्करण इकाईयों एवं प्याज भण्डार गृह की

स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित है। वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में योजनान्तर्गत अर्जित प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नवत् हैः–

तालिका–6.01

विभिन्न औद्यानिक कार्यक्रमों की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2016–17		2017–18	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	अद्यतन प्रगति (सितम्बर 2017 तक)
1	नवीन उद्यान रोपण	हे0	1100	1042	2200	2065
2	मसाला क्षेत्र विस्तार	हे0	945	992	1400	रबी कार्यक्रम
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार	हे0	150	122	200	रबी कार्यक्रम
4	मौनपालन	सं0	2000	1800	9090	रबी कार्यक्रम
5	द्वितीय व तृतीय वर्ष के बागों का अनुरक्षण	हे0	3945	3311	2175	775
6	संरक्षित खेती	(हजार) वर्गमी0	634.50	191.596	345.64	154.85
7	पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट (पैक हाउस, कोल्ड रूम, शीतगृह, रिफर वैन, प्रोसेसिंग यूनिट, प्याज भण्डारगृह, राइपेनिंग चैम्बर)	सं0	87	75	95	11
8	राज्य/जिला स्तरीय किसान मेला/गोष्ठियाँ	सं0	55	53	60	46
9	मानव संसाधन विकास	सं0	2250	1833	1125	अक्टूबर माह से आरम्भ
10	बागवानी में मशीनीकरण	सं0	510	372	115	परियोजना आधारित

2.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना : भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ किया गया। योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए कृषि क्षेत्र में अपेक्षित वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को पृथक–पृथक परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

योजनान्तर्गत नर्सरी सीडलिंग रेजिंग इन लोटनल पॉलीनेट एण्ड प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू वेजीटेबल्स परियोजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 7217 हेक्टेयर के सापेक्ष 7268 हेक्टेयर की पूर्ति करायी गयी तथा परियोजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 हेतु 6250 हेक्टेयर के लक्ष्य एवं धनराशि रू0 1250.00 लाख प्रस्तावित है।

प्रदेश के 30–नॉन एन.एच.एम. जनपदों में उक्त योजनान्तर्गत नवीन उद्यान रोपण, पुष्प विकास, मसाला विकास, मौनपालन तथा 7200 कृषकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित हैं। वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में योजनान्तर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नवत् है :

तालिका–6.02

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2016–17		2017–18	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	अद्यतन प्रगति सितम्बर 2017 तक
1	नवीन उद्यान रोपण	हे0	1344	1339	1503	1146
2	मसाला क्षेत्र विस्तार	हे0	1780	1646	3950.40	रबी कार्यक्रम
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार	हे0	184	147	756	रबी कार्यक्रम
4	आई.पी.एम.	हे0	–	–	3599	रबी कार्यक्रम
5	मधुमक्खी पालन	सं0	50	50	100	रबी कार्यक्रम
6	प्रशिक्षण	सं0	7200	7200	6000	रबी कार्यक्रम

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन) :

प्रदेश में माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू है जिसके उपघटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माइक्रोइरीगेशन'' का कार्यान्वयन कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश को नोडल एजेन्सी नामित कर किया जा रहा है। कार्यक्रम के उपघटक में ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई एवं प्रशिक्षण सम्मिलित है। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का कार्य अधिक लागत जन्य होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टॉप–अप) की व्यवस्था करते हुए लघु सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

तालिका–6.03

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2016–17		2017–18	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	अद्यतन प्रगति सितम्बर 2017 तक
1	ड्रिप सिंचाई	हे0	4850	1354	9914	248
2	स्प्रिंकलर सिंचाई	हे0	14076	9958	30238	1710

4. आलू बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम :

भारत सरकार के केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला (हिमाचल प्रदेश) से ब्रीडर आलू बीज प्राप्त करके उसका संवर्धन करके उत्पादित आलू बीज का वितरण आलू उत्पादकों में जनपदीय उद्यान अधिकारियों के माध्यम से कराया जाता है। वर्ष 2016–17 में आलू बीज का वितरण सर्वाधिक आगरा जनपद में रहा। वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में आलू बीज उत्पादन एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्रगतिशील आलू उत्पादक कृषकों के मध्य वितरित आलू बीज का विवरण निम्नवत् है :

तालिका–6.04

आलू बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2016–17		2017–18	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	अद्यतन प्रगति सितम्बर 2017 तक
1	भारत सरकार द्वारा प्राप्त ब्रीडर आलू बीज	कुन्तल	7845	7845	–	–
2	उत्पादित आलू बीज	कुन्तल	38245	38245	–	–
3	आलू बीज उत्पादकों के मध्य वितरित आलू बीज	कुन्तल	35000	30539	38244	अक्टूबर माह से

5. नवीन योजनायें :

(अ) लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन, प्रबन्धन की योजना

प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक कृषक लघु एवं सीमान्त कोटि के हैं, इन कृषकों के लिए खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में शाकभाजी की फसल सघनता में वृद्धि कर, अधिक उत्पादन प्राप्त कर प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त करने में लाभकारी है। अतः लघु एवं सीमान्त कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु योजना प्रस्तावित की गई है। योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवीन मांग के माध्यम से धनराशि रू 25.0 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित है। योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों को न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर से अधिकतम 2.0 हेक्टेयर सीमा के अन्तर्गत अनुदान अनुमन्य है। मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ हार्टीकल्चर की ऑपरेशनल गाइड–लाइन में संकर शाकभाजी उत्पादन की इकाई लागत प्रति हेक्टेयर धनराशि रू 50000.00 निर्धारित है। इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू 20000.00 प्रति हेक्टेयर संकर टमाटर, संकर पातगोभी, संकर कुकरबिट्स, संकर भिन्डी, संकर फूल गोभी एवं संकर बैगन पर अनुमन्य है।

(ब) फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा दिये जाने की योजना :

प्रदेश में तीन फलों आम, अमरूद एवं आंवला के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा फल पट्टी विकसित की गयीं हैं। आम फल पट्टी के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद तथा बाराबंकी के 31 विकास खण्ड आच्छादित है। अमरूद फल पट्टी हेतु जनपद कौशाम्बी एवं बदायूं के 6 विकास खण्ड लिये गये है तथा आंवला फल पट्टी के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के दो

विकास खण्ड अंगीकृत किये गये है। फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार हेतु फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में नवीन मांग के माध्यम से टोकन प्राविधान किया गया है। कार्यक्रम कार्यान्वयन के माध्यम से क्षेत्र विस्तार, पुराने अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार, प्लास्टिक क्रेट्स, मैंगों हार्वेस्टर, आई.पी.एम./आई.एन.एम., कृषक प्रशिक्षण एवं गोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है।

(स) शीतगृह रहित विकास खण्डों में शीतगृहों की स्थापना किये जाने पर अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था

प्रदेश के 27 जनपदों में आलू एवं शाकभाजी का उत्पादन अधिक होता है जबकि शीतगृहों की भण्डारण क्षमता कम है। ऐसे चिन्हित जनपदों के 58 विकास खण्डों में प्रथम शीतगृह की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत पूर्व से अनुमन्य 5000 मी. टन क्षमता हेतु इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.4 करोड़ के अतिरिक्त 15 प्रतिशत अधिकतम रू. 60 लाख का अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार ऐसे विकास खण्डों में स्थापित होने वाले प्रथम शीतगृह को 5000 मी. टन क्षमता हेतु रू. 1.4 करोड. के स्थान पर अधिकतम रू. 2.0 करोड. का अनुदान अनुमन्य होगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित योजनायें–

(अ) राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ द्वारा निरन्तर शोध कार्य किया जा रहा है तथा नवीनतम स्थापित हो रहे उद्योगों तथा स्थापित उद्योगों हेतु तकनीकी रूप से दक्ष कर्मी उपलब्ध कराने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठयक्रम संचाालित है।

(ब)राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना :

प्रदेश के 10 मण्डलों में राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश में वर्ष भर कृषि एवं औद्यानिक उत्पाद की उपलब्धता एवं जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगीकरण तथा पर्यटन उद्योग के विकास की पृष्ठभूमि में जहाँ एक ओर बड़े–बड़े होटलों तथा कैटरिंग संस्थानों का विस्तार हो रहा है वहीं दूसरी ओर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित हो रहे है, कैटरिंग संस्थानों में एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को खाद्य विज्ञान सम्बन्धी विधाओं में प्रशिक्षण देकर वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इसके लिए प्रदेश के 10 बड़े नगरों (वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कानपुर, फैजाबाद, आगरा, बरेली तथा मुरादाबाद) में एक–एक राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है। इन केन्द्रों पर एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा खाद्य प्रसंस्करण, एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा बेकरी एवं कन्फैक्शनरी, एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा पाककला, एक मासीय अंशकालीन बेकरी एवं कन्फैक्शनरी, एक मासीय अंशकालीन पाककला, एक मासीय सम्मिलित पाठ्यक्रम कुकरी, बेकरी एवं कन्फैक्शनरी तथा खाद्य संरक्षण संचालित किये जाते हैं।

- **राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र :**

प्रदेश के 75 जनपदों में घरेलू क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाओं के लिए राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा विभिन्न जनपदों/ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

- **खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :**

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास की असीम सम्भावनाएँ हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से जन सामान्य को रोजगार उपलब्ध कराना, पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों को कम करना तथा किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाना, कृषि औद्यानिक उत्पादों को नष्ट होने से बचाना है। अतः इस कार्यक्रम में बेरोजगार नवयुवक–युवतियों को खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित करना है।

- **ढ़ाबा/फास्ट फूड/रेस्टोरेंट प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार सृजन की योजना :**

वर्तमान समय में जनसंख्या की बढ़ती आबादी की मांग के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खान–पान में कम समय में पौष्टिकतायुक्त अल्पाहार/भोजन की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में अल्पकालीन साप्ताहिक प्रशिक्षण देकर छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों एवं ढाबा, फास्टफूड आदि की स्थापना की जा सकती है। अतः पोषणयुक्त विभिन्न व्यंजनों की व्यवहारिक जानकारी युवाओं एवं महिलाओं को उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण नितान्त आवश्यक है।

- **गुणवत्ता नियंत्रण एवं हाईजीन सम्बन्धी जागरूकता प्रशिक्षण की योजना :**

इस योजना का उद्देश्य खाद्य पदार्थों के निर्माण में लगे व्यक्तियों जैसे ढाबा रेस्टोरेंट, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में कार्यरत कुशल, अकुशल श्रमिकों को गुड हैण्डलिंग प्रैक्टिसेज (जी0एच0पी0), गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी0एम0पी0) हेजर्ड एनालिसिस एण्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल प्वाइंट (एच0ए0सी0सी0पी0), पर्सनल हाईजीन, सेनीटेशन तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित प्रशिक्षण, चिकित्सकों एवं खाद्य प्रसंस्करण के विशेषज्ञों द्वारा दिलाकर उन्हें स्वच्छ एवं गुणवक्तायुक्त खाद्य पदार्थों को तैयार किये जाने हेतु प्रेरित किया जाता है।

तालिका–6.05
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित योजनाओं की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2016–17		2017–18	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	अद्यतन प्रगति सितम्बर 2017 तक
(अ)	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान	संख्या	30	0	40	36
(ब)	**राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना**					
1	एक वर्षीय खाद्य प्रसंस्करण ट्रेड कोर्स डिप्लोमा	संख्या	150	153	150	158

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2016–17		2017–18	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	अद्यतन प्रगति सितम्बर 2017 तक
2	एक वर्षीय बेकरी एवं कन्फेक्सनरी ट्रेड कोर्स डिप्लोमा	संख्या	135	139	150	150
3	एक वर्षीय कुकरी ट्रेड कोर्स डिप्लोमा	संख्या	150	152	150	153
4	अंश कालीन बेकरी एवं कन्फेक्सनरी	संख्या	225	200	310	215
5	अंश कालीन कुकरी (पाक कला)	संख्या	250	201	250	196
6	एक माह सम्मिलित प्रशिक्षण	संख्या	500	469	500	243
7	15 दिवसीय अंश कालीन खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण	संख्या	25450	25440	25450	10127
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	संख्या	48	48	48	28
9	ढाबा फास्ट फूड/ रेस्टोरेंट प्रशिक्षण	संख्या	50	50	50	22
10	गुणवत्ता नियंत्रण एवं हाईजीन सम्बन्धी जागरूकता प्रशिक्षण	संख्या	96	96	96	58

बजट व्यवस्था :प्रदेश के समन्वित बागवानी विकास हेतु संचालित औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–6.06
योजनाओं की बजट व्यवस्था

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	योजना का नाम	वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18 (सितम्बर, 2017 तक)	
		अवमुक्त धनराशि	व्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय
1.	औद्यानिक विकास कार्यक्रम (प्लॉन+नॉन प्लॉन)	**28412.03**	**24627.59**	**23682.75**	**8667.40**

क्रम सं0	योजना का नाम	वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18 (सितम्बर, 2017 तक)	
		अवमुक्त धनराशि	व्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय
2.	खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम (प्लॉन+नॉन प्लॉन)	3836.41	2855.87	**3974.06**	**1165.46**
	योग (उद्यान खाद्य प्रसंस्करण)	32248.44	28601.81	**27656.81**	**9832.86**
अन्य योजनाएँ :					
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उद्यान घटक	2446.92	2286.80	2991.37	128.89
2	बुन्देलखण्ड पैकेज	1271.00	1001.18	421.00	18.96
3	राष्ट्रीय आयुष मिशन	0.00	0.00	300.00	1.23

चुनौतियाँ एवं भावी रणनीति :

फल सब्जियाँ अति संवेदनशील उत्पाद हैं, जिनके तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन, उचित एवं त्वरित विपणन हेतु सुविधाओं का विकास एवं मार्केट फेसिलिटी आवश्यक पहलू है। प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 राज्य उत्पादन मण्डी परिषद एवं कृषि विपणन विभाग के माध्यम से बागवानों की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने तथा औद्यानिक फसलों के विपणन को संगठित कर बागवानों एवं कृषकों को उनका उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास करना अति आवश्यक है। इसके लिए कृषकों तथा बागवानों को क्षेत्र स्तर पर नवीनतम् विकसित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे औद्यानिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो तथा कृषकों को उनका उचित मूल्य मिल सके। औद्यानिक फसलों के विपणन हेतु प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों को भी क्रियाशील बनाना एक आवश्यक कदम है।

****

अध्याय–7

ग्राम्य विकास के कार्यक्रम

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का विचार था कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का मूलाधार ग्राम स्वराज है। ग्राम स्वराज ग्राम विकास तथा पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के बिना सम्भव नहीं। ग्राम स्वराज की दिशा में प्रदेश का ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग सतत प्रयत्नशील है।

सबके लिए रोजगार, आवास, सड़क एवं पेयजल वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता है। इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में अलग–अलग योजनायें यथा–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि संचालित की जा रहीं हैं।

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)

यह देश में लागू एक रोजगार गारन्टी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

योजना के मुख्य बिन्दु–

- यह एक माँग आधारित योजना है। परिवारों का पंजीकरण ग्राम पंचायत में किया जाता है। ग्राम पंचायतें/कार्यक्रम अधिकारी रोजगार आवंटित करने के लिए उत्तरदायी है।

- प्रदेश में प्रति मानव दिवस औसत मजदूरी 01–04–2017से रू0 175/– निर्धारित है।

- भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर शत प्रतिशत वित्त पोषण किया जाता है तथा सामग्री पर 75 प्रतिशत अंश भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में 50.16 लाख परिवारों को 15.77 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं रु0 4248.72 करोड़ धनराशि व्यय की गयी ।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में सितम्बर–2017 तक कुल 34.47 लाख परिवारों को 8.63 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं रु0 2208.38 करोड़ धनराशि व्यय की गयी ।

2-उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यू0पी0एस0आर0एल0एम0)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरन्तर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाते हुए गरीबी को अत्यन्त न्यून करना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य विशेषतायें निम्नवत् हैः–

- प्रत्येक ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवार को स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) के दायरे में लाना।

- आर्थिक क्रियाकलापों के प्रोत्साहन हेतु ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों को आसानी से कम ब्याज दरों पर बैंकों से विभिन्न चरणों में ऋण उपलब्ध कराना।
- क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन के लिये प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वतः रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की स्थापना की जा रही है।
- एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय सहायता भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन की जा रही है।
- वर्तमान वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 35 जनपदों के 200 विकास खण्डों में इन्टेन्सिव स्ट्रेटजी के तहत योजना क्रियान्वित है।

प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में 52690 समूह गठन लक्ष्य के सापेक्ष 48078 (91 प्रतिशत) समूह गठित किये गए, 38000 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 36475 (96 प्रतिशत) समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया तथा 28618 समूहों को ऋण उपलब्ध कराने के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 12273 (43 प्रतिशत) समूहों का बैंकों से लिंकेज कराया गया एवं कुल उपलब्ध धनराशि रु0 329.42 करोड़ के सापेक्ष रु0 206.66 करोड़ (63 प्रतिशत) धनराशि व्यय की गयी।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में सितम्बर, 2017 तक 61700 समूह गठन लक्ष्य के सापेक्ष 20379 समूह गठित किये गए, 50225 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 15103 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया तथा 22700 समूहों को ऋण उपलब्ध कराने के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 2615 समूहों का बैंकों से लिंकेज कराया गया एवं कुल उपलब्ध धनराशि रु0 414.40 करोड़ के सापेक्ष रु0 189.86 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

3. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वर्ष 2016–17 से इन्दिरा आवास योजना के स्थान पर प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है। प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य बेघर और जीर्णशीर्ण एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है।

योजनान्तर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से सामान्य क्षेत्रों के लिये रू0 1,20,000/– तथा नक्सल प्रभावित जनपदों के लिये रू0 1,30,000/– निर्धारित है। निर्मित आवास का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है जिसमें रसोई का क्षेत्रफल भी सम्मिलित है। योजना के अन्तर्गत फंडिग पैटर्न में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में वर्ष 2015–16 के इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 3.34 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। नवम्बर 2016 से नयी ग्रामीण आवास योजना– प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शुभारम्भ किया गया। नई योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु 5.75 लाख लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 31 मार्च 2017 तक 4.44 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण कराया गया तथा कुल रु0 1649.00 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 9.71 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2016–17 के 5.75 लाख और 2017–18 के 3.96 लाख आवास हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 के 0.29 लाख अपूर्ण आवास भी इसी वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण किये जाने है। सितम्बर, 2017 तक वित्तीय वर्ष 2015–16 के समस्त अवशेष 0.29 लाख अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराया गया। वर्ष 2017–18 के लिये लक्षित 9.71 लाख आवासों के सापेक्ष 8.78 लाख आवास स्वीकृत किये गए। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के माह सितम्बर, 2017 तक रु0 4809.07 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया।

4. प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

25 दिसम्बर, 2000 से शत् प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 या उससे अधिक आबादी वर्ग की अर्ह समस्त गैर जुड़ी बसावटों को योजना की गाईड लाईन्स के अनुसार एकल सम्पर्कता के आधार पर पक्के मार्गो से जोड़ना था।

प्रदेश के नक्सल समस्या से प्रभावित जनपदों (आई0ए0पी0 जनपद)–सोनभद्र, चन्दौली एवं मिर्जापुर में उक्त मानक को शिथिल करते हुये 250 या उससे अधिक आबादी वर्ग की बसावटों को पक्के मार्गो से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के मानकों के अनुसार 2001 की जनगणना के आधार पर प्रदेश की समस्त अर्ह बसावटों का आच्छादन कर लिया गया है।

प्रदेश की समस्त अर्ह बसावटों के आच्छादन का लक्ष्य पूर्ण कर वर्ष 2013–14 से पीएमजीएसवाई–2 का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत केवल पूर्व निर्मित मार्गों के उच्चीकरण/सुधार के कार्य ही अनुमन्य है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 60:40 कर दिया गया है।

योजना का क्रियान्वयन

- इस योजना के सुचारू रूप से संचालन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन राज्य स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यू0पी0आर0आर0डी0ए0) का एक पंजीकृत समिति के रूप में गठन किया गया है। योजना का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है।
- लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 42 जनपदों में तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा शेष 33 जनपदों में योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक जनपद में कार्य की मात्रा के आधार पर कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों का गठन किया गया है।

योजना की प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1037.85 करोड़ व्यय किये गये। इसी अवधि में 1959.44 किमी0 सड़क का निर्माण किया गया एवं 478 मार्गो को पूर्ण किया गया।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह सितम्बर, 2017 तक रू0 446.19 करोड़ व्यय कर इसी अवधि में 482.85 किमी0 सड़क का निर्माण किया गया एवं 87 मार्गो को पूर्ण किया गया। केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित रू0 177.83 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

अनुरक्षण व्यवस्था

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों का निर्माणोपरान्त 5 वर्ष तक सुनिश्चित रख–रखाव भी है। मार्ग के पूर्ण होने की तिथि से 6 माह पश्चात् उसके 5 वर्षीय अनुरक्षण की व्यवस्था प्रभावी हो जाती है निर्माणोपरान्त 5 वर्ष तक निर्मित मार्गो के अनुरक्षण का दायित्व उसी ठेकेदार का है जिसके द्वारा मार्ग का निर्माण किया गया है। अनुरक्षण के 5 वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् मार्गों को आगे नियमित अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाता है।
- प्रदेश सरकार द्वारा मार्गों के वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर नियमित अनुरक्षण हेतु प्रदेश के समस्त ग्रामों में सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' नवम्बर, 2013 में जारी की गयी थी। इससे योजनान्तर्गत निर्मित किये गये मार्गों तथा सृजित परिसम्पत्तियों का स्थायी तौर पर नियमित रख–रखाव सुनिश्चित हो सकेगा।

गुणवत्ता नियंत्रण

- सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली प्रभावी है।
- राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रक (नेशनल क्वालिटी मॉनीटर), राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (स्टेट क्वालिटी मॉनीटर) व सम्बन्धित विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर योजनान्तर्गत निर्मित व निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जाँच की जाती है।
- इसके अतिरिक्त अनुरक्षणाधीन मार्गो का भी स्टेट क्वालिटी मानीटर्स के माध्यम से नियमित निरीक्षण कराया जाता है ताकि अनुरक्षण कार्यो में भी अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जा सके।

5–प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना

वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ हुई यह योजना शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित है। इसका उद्देश्य 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति अथवा अधिक आबादी वाले चयनित ग्रामों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है जिससे आधारभूत भौतिक व सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु उपलब्ध हो सकें।

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 04 जनपदों के 210 ग्राम योजनान्तर्गत चयनित किये गये हैं, जिसमें जनपद पीलीभीत में 05 ग्राम, सुल्तानपुर में 05 ग्राम, लखनऊ में 60 ग्राम तथा सीतापुर में 140 ग्रामों का चयन किया गया है। भारत सरकार द्वारा अब तक इस कार्य हेतु रू0 44.10 करोड़ अवमुक्त किये गये हैं।

भारत सरकार व प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों यथा– ग्राम्य विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला एवं बाल कल्याण तथा पंचायतीराज विभाग आदि द्वारा चलायी जा रही विभिन्न चिन्हित योजनाओं से कन्वर्जेंस व गैप फिलिंग कम्पोनेंट द्वारा चयनित ग्रामों का तीन वर्षों की तय सीमा में निर्धारित मानकों पर विकास किया जाना है।

6–श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में आर्थिक, सामाजिक, भौतिक एवं आधारभूत ढॉचा विकसित करने के लिए''श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन'' योजना संचालित की जा रही है।

प्रगति–

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत प्रथम चरण के 08 क्लस्टर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिये गये हैं, जिनका विस्तृत परियोजना विवरण (DPR) जनपदों द्वारा बना लिया गया है। भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में 08 क्लस्टर्स अनुमोदित कर दिये गए हैं, जिनके इन्टिग्रेडेट क्लस्टर एक्शन प्लान (ICAP) का निर्माण स्टेट टेक्निकल सपोर्ट एजेन्सी, डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है। तृतीय चरण के 03 क्लस्टर्स का स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी (SLEC) से अनुमोदन हो गया है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना एक कोर केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना है, जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में रू0 213.60 करोड़ (रूपये दो अरब तेरह करोड़ साठ लाख मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है। वर्ष 2017–18 में रु0 94.50 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तावित है।
- भारत सरकार द्वारा तीनों चरणों हेतु प्रशासनिक मद में वर्ष 2015–16 में रू0 3.50 करोड़, वर्ष 2017–18 में रू0 2.10 करोड़ एवं रू0 1.05 करोड़ कुल रू0 6.65 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। प्रथम चरण के 08 क्लस्टर्स हेतु सी0जी0एफ0 के प्रथम किश्त की धनराशि केन्द्रांश के रूप में रू0 43.12 करोड़ एवं राज्यांश रू0 28.75 करोड़, कुल रू0 71.86 करोड़ प्राप्त हुआ है, जिसमें से रू0 66.91 करोड़ जनपदों को अन्तरित कर दिया गया है।

7–सामुदायिक विकास कार्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्त पोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिला मुख्यालय पर विकास भवन तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्डों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2016–17में रु0 20.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए रु0 30.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।

8–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) योजना

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का आरम्भ वर्ष 1999–2000 में किया गया। विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय अनुभूत स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुलित विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 में रू0 756.00 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष रु0 751.76 करोड़ धनराशि अवमुक्त की गयी। गत वर्षों की अवशेष धनराशि को सम्मिलित करते हुये रु0 871.76 करोड़ की धनराशि व्यय करके 14398 परियोजनायें पूर्ण करायी गयीं। वर्ष 2017–18 में रू0 762.00 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष रु0 752.05 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी। सितम्बर, 2017 तक गत वर्षों की अवशेष धनराशि को सम्मिलित करते हुये 134.29 करोड़ की धनराशि व्यय करके 482 परियोजनायें पूर्ण करायी गयीं।

पंचायती राज

प्रदेश में पंचायती राज का विकास

73वें संविधान संशोधन के पश्चात जनगणना वर्ष 1991 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पुनगर्ठन की कार्यवाही की गयी थी। लगभग 20 वर्ष बाद जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में व्यापक स्तर पर पंचायतों के पुनगर्ठन की कार्यवाही की गयी

जिसके फलस्वरूप 7,315 नई ग्राम पंचायतें गठित की गयी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को और अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक कदम उठाया गया, इसके फलस्वरूप पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणजन को अधिक सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 2015 में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये गये। 31 मार्च, 2017 को प्रदेश में 59019 ग्राम पंचायतें थी।

प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता विकास हेतु सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए लखनऊ में डा0 राममनोहर लोहिया राज्य स्तरीय पंचायत भवन का निर्माण कराया गया और इस भवन में ही पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है।

पंचायती राज द्वारा संचालित योजनाएं–

1.निर्मल भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदल कर वर्ष 2012 में निर्मल भारत अभियान कर दिया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना था।

- पुनः भारत सरकार द्वारा 02 अक्टूबर, 2014 से निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन करते हुए ''स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)'' प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रत्येक पात्र परिवार को शौचालय निर्माण पर रू0 10,000 के स्थान पर रू0 12000/– की सहायता धनराशि इस योजनान्तर्गत दी जा रही है, जिसमें केन्द्रांश रू0–7,200 (60 प्रतिशत) तथा राज्यांश रू0–4,800 (40 प्रतिशत) है। योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत के समस्त बी0पी0एल0 परिवार, गरीबी रेखा के ऊपर निम्न श्रेणी के परिवार, समस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार, समस्त लघु एवं सीमान्त कृषक परिवार, समस्त भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवार, विकलांग सदस्य वाला परिवार, महिला मुखिया वाला परिवार पात्र हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सामान्य कुल धनराशि रू0 2080.02 करोड़ का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश मद में कुल रू0 883.72 करोड़ तथा राज्याशं मद में कुल रू0 764.09 करोड़ अर्थात् 1647.81 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी। अवमुक्त धनराशि में से रू0 1647.80 करोड़ का व्यय कर कुल 1741169 शौचालयों का निर्माण कराया गया।

प्रदेश में बेसलाइन सर्वे के अनुसार चिन्हित 2,40,69,867 परिवारों को शौचालय सुविधा से संतृप्त किया जाना है, जिसमें 1,90,01,532 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण प्रोत्साहन राशि से तथा 50,68,335 शौचालयों का निर्माण स्वयं के संसाधन से किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में 1,34,873, वर्ष 2013–14 में 7,89,092, वर्ष 2014–15 में 5,15,440, वर्ष 2015–16में 6,94,474 एवं वर्ष 2016–17 में 1741169 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। प्राथमिकता की श्रेणी के अनुरूप ग्राम पंचायतों को धनराशि अवमुक्त कर शौचालयों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है।

वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत कुल धनराशि रू0–3255.00 करोड़ का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष अवमुक्त की गयी कुल रू0 2246.25 करोड़ की धनराशि में से रू0 1175.09 करोड़ व्यय कर कुल 2271645 शौचालयों का निर्माण कराया गया।

2.डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना

डा0 राम मनोहर लोहिया योजना वर्ष 2012–13 से प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 (पांच वर्ष) के लिए 10,000 ग्रामों की आन्तरिक गलियों को सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स से संतृप्त किये जाने की योजना है। इस योजना के प्रारम्भिक वर्ष 2012–13 में लगभग 1600 एवं अनुवर्ती वर्षों में लगभग 2100 ग्राम प्रतिवर्ष 4 वर्षों तक चयनित किये जाने की योजना है। इस योजना में ग्रामों की आबादी के अनुसार अधिकतम वित्तीय व्यय की सीमा निर्धारित की गयी है। योजनान्तर्गत 2000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को रू0 20.00 लाख, 2001 से 5000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायमों को रू0 30.00 लाख तथा 5001 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को रू0 40.00 लाख प्रति ग्राम पंचायत की दर से स्वीकृत प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में चयनित 2108 ग्रामों में बसावटों की आन्तरिक गलियों में सी0सी0रोड के साथ नाली या के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु कुल रू0 510.00 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी, जिसके सापेक्ष 1247.28 किमी0 सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन का निर्माण कराया गया है।

3.बहुउद्देशीय पंचायत भवन (जिला योजना)

ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त योजनान्तर्गत कुल 79 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु आय–व्ययक धनराशि रू0 14.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था। सरकार द्वारा प्रति पंचायत भवन रू0 17.46 लाख की दर से धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके द्वारा 79 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया है।

वर्ष 2017–18 में उक्त योजनान्तर्गत कुल 79 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु आय–व्ययक धनराशि रू0 14.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जिसमें से 75 पंचायत भवनों के लिए प्रति पंचायत भवन रू0 17.46 लाख की दर से रू0 13.10 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

4.ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थल (जिला योजना)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अंत्येष्टि स्थलों का विकास कराये जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त योजनान्तर्गत कुल 521 ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु आय–व्ययक धनराशि रू0 127.01 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसमें प्रति ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल हेतु रू0 24.36 लाख की दर से रू0 126.92 करोड. की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 521 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 192.34 करोड़ का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

5..राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

यह योजना पंचायती राज संस्थानों के सतत विकास लक्ष्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की समग्र वद्धि को गति देने में सहायता करने के लिए प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) एक परियोजना है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पंचायत स्तर पर सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यान्वित है। यह योजना केंद्र और राज्य

सरकार द्वारा प्रयोजित है। योजना का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में चुनी गए ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित करना और उनकी सहायता करना है ताकि वे बुनियादी स्तर पर कुशलतापूर्वक अपना काम कर सकें।

ग्रामीण विकास के लिए कई जिम्मेदारियां ग्राम पंचायत के नेताओं को दी जाती हैं जो राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाए रखने का काम करते हैं। ग्राम पंचायत को आरजीएसए योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद स्तर जैसे कई स्तरों पर ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण के लिए कई क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण केन्द्र बनाए जाएंगे। संस्थागत क्षमता वाले प्रशिक्षण केन्द्रों में न केवल नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे बल्कि पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम भी होंगे।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई) का उद्देश्य

1. पंचायतों और ग्राम सभाओं की क्षमता और प्रभाव को बढ़ाना।
2. पंचायतों को लोकतांत्रिक निर्णय लेने और जवाबदेही हेतु सक्षम बनाना और लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देना।
3. पंचायतों के ज्ञान सृजन और क्षमता निर्माण हेतु संस्थागत संरचना को मजबूत करना।
4. संविधान और पीईएसए अधिनियम की भावना के अनुसार पंचायतों की शक्तियों के हस्तांतरण और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना।
5. पंचायती व्यवस्था के अंदर लोगों की सहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल मंच के रूप में ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढ़ग से कार्य करने में सक्षम बनाना।
6. ऐसे क्षेत्रों में लोकतांत्रिक स्थानीय स्वशासन का निर्माण और सुद्धढीकरण जहां पंचायत मौजूद नहीं हैं।
7. संवैधानिक रूप से अनिवार्य रूपरेखा को मजबूत करना जिस पर पंचायतों की स्थापना की जाती है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की प्रगति

- पंचायतों के क्षमता संवर्द्वन हेतु पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), उ0प्र0 के सहयोग से राज्य प्रशिक्षण कैलेन्डर तैयार किया जा चुका है। पंचायतों द्वारा सहभागी रूप से योजना निर्माण के प्रचार–प्रसार हेतु राज्य एवं जनपद स्तरीय आई.ई.सी. कार्ययोजना भी तैयार की जा चुकी है। राज्य स्तर पर आई.ई.सी. टूल्स् यथा–जी.पी.डी.पी. एन्थम, जी.पी.डी.पी.पर मोबाइल एप, ब्राशर, लीफलेट, रेडियों जिंगल, टी.वी. स्पॉट, कर्टन रेजर विकसित किया जा चुका है।
- राज्य स्तर पर स्टेट रिसोर्स ग्रुप के 125 सदस्यों का पॉच दिवसीय प्रशिक्षण किया जा चुका है एवं 175 स्टेट रिसोर्स ग्रुप को और सम्मिलित करते हुए समस्त जनपदों में जनपद रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों के चयन एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। क्षमता संवर्द्वन हेतु 23 जनपदों में जिला पंचायत रिसोर्स सेंटरों का संचालन प्रारम्भ है।
- सोशल ऑडिट की प्रक्रिया हेतु जनपद रायबरेली एवं बाराबंकी में सोशल ऑडिट की पायलटिंग की जा चुकी है एवं राज्य स्तर पर 75 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु 641 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित् किया जा चुका है। 70 जनपदों में ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जनपद स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न किया जा चुका है।

****

अध्याय–8
औद्योगिक प्रगति

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी राज्यआय के वर्ष 2016–17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 4.1 प्रतिशत, 13.7 प्रतिशत, (–)10.0 प्रतिशत,11.1प्रतिशततथा 1.3 प्रतिशत रही है। वर्ष 2016–17 में संगठित एवं असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में क्रमशः 1.8 प्रतिशत तथा 0.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्ष 2016–17 में कुल विनिर्माण में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र का योगदान क्रमशः 69.8 प्रतिशत एवं 32.2 प्रतिशत आंकलित किया गया है। प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12, वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16एवं वर्ष 2016–17 में क्रमशः 12.9 प्रतिशत, 12.3 प्रतिशत, 12.8 प्रतिशत, 11.1 प्रतिशत, 11.1 प्रतिशततथा10.4प्रतिशतरहा है जबकि खनन क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2016–17 में योगदान क्रमशः 1.3 प्रतिशत तथा 10.9 प्रतिशत दृष्टिगोचर हुआ है। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में क्रमशः (–)0.6, 10.1, 28.2,30. 3,तथा 35.1 प्रतिशत रही है, वहीं निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में क्रमशः 1.0 प्रतिशत, 1.1 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत,3. 5प्रतिशततथा 5.9 प्रतिशत रही है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति का आंकलन करने के लिए तालिका 8.01 दी जा रही है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का व्यापक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2004–05=100) वर्ष 2015–16 में 132.73 था जो 1.7 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2016–17 में 130.43 हो गया। सबसे अधिक वृद्धि (5.5 प्रतिशत) खाद्य विनिर्माण वर्ग में हुई। गत वर्ष 2015–16 की अपेक्षा वर्ष 2016–17 में सूती कपड़ा, रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त),मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग, यातायात उपकरण एवं पुर्जे तथा अन्य वर्ग के उत्पादन सूचकांकों में कमी परिलक्षित हुई।

तालिका–8.01

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2004–05 = 100)

क्रमांक	उद्योग वर्ग	वर्ष		गत वर्षकी अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2015–16	2016–17	
1	2	3	4	5
1	खाद्य विनिर्माण	201.94	212.98	5.5
2	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	134.60	140.39	4.3
3	सूती कपड़ा	129.02	124.43	(–)3.6
4	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	122.09	111.34	(–)8.8
5	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	100.76	102.48	1.7
6	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	229.07	207.53	(–)9.4
7	अन्य	98.76	94.15	(–)4.7
	विनिर्माण सूचकांक	**132.73**	**130.43**	(–)1.7

mRrj izns'k esa vkS|ksfxd mRiknu ds lwpdkad
(2004-05=100)

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

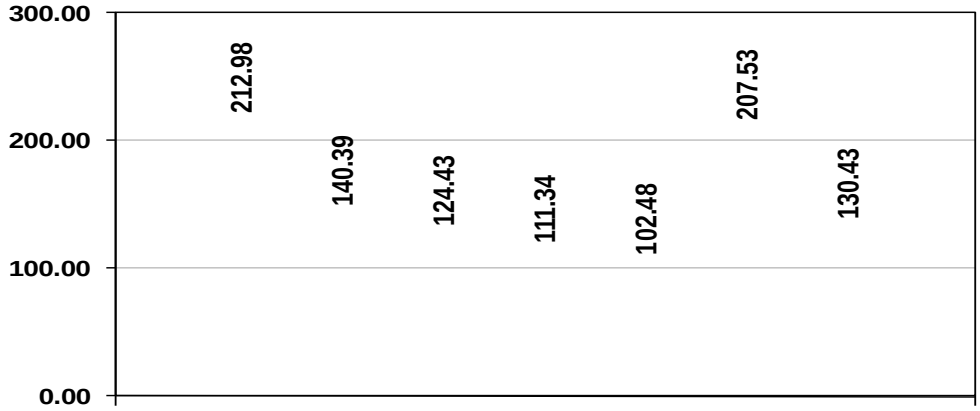

सीमेन्ट, चीनी, वनस्पति एवं वस्त्र उद्योगों आदि की गिनती प्रदेश के अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है। ये उद्योग लोगों को रोजगार तो सुलभ कराते ही हैं साथ ही इनके उत्पाद से दैनिक जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन उद्योगों का सुदृढ़ होना उस प्रदेश के आर्थिक स्तर को ऊंचा करता है। इन मदों से सम्बंधित आंकड़े तालिका–8. 02मेंदियेजारहेहैं–

तालिका–8.02

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

वर्ष	चीनी (हजार मी.टन)#	सीमेन्ट (हजार मी.टन)	वनस्पति तेल** (हजार मी.टन)	सूती कपड़ा (लाख वर्ग मी)	सूत (हजार मी. टन)
1	2	3	4	5	6
2004–05	5037	4228	301	263	83
2005–06	5784	4881	283	268	51
2006–07	8475	5141	258	252	51
2007–08	7320	5298	261	122	46
2008–09	4064	6033	302	43	38
2009–10	5179	5875	200	6	41
2010–11	5887	7052	145	—	—

वर्ष	चीनी (हजार मी.टन)#	सीमेन्ट (हजार मी.टन)	वनस्पति तेल** (हजार मी.टन)	सूती कपड़ा (लाख वर्ग मी)	सूत (हजार मी. टन)
1	2	3	4	5	6
2011–12	6974	7021	113	–	–
2012–13	7485	–	–	51	40
2013–14	6495	–	–	49	40
2014–15	7100	–	–	30	39
2015–16	8773	–	–	43	42

+केवल मिल क्षेत्र।

#अक्टूबर से सितम्बर तक।

**uoEcj ls vDVwcj rdA

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। चीनी के उत्पादन में वर्ष 2015–16 (8773 हजार मी० टन) में 2014–15 (7100 हजार मी० टन) की तुलना में वृद्धि हुई है।इसी प्रकार सीमेंट का उत्पादन वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक निरन्तर वृद्धि को प्रदर्शित करता है। सीमेन्ट के उत्पादन में वर्ष 2009–10(5875 हजार मी० टन) में 2008–09(6033 हजार मी० टन) की तुलना में तथा वर्ष 2011–12 (7021हजार मी० टन) मे वर्ष 2010–11 (7052 हजार मी० टन) की तुलना में कमी आयी है।वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 को छोड़कर वनस्पति तेल का उत्पादन विगत वर्षों की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है।प्रदेश में सूती कपड़े एवं सूत के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है।

औद्योगिक विकास सम्बन्धी उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के संकेतक

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में औद्योगिक विकास की प्रगति का बोध कराने के लिए वर्ष 2014–15 में प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत कारखानों की संख्या एवं उनमें कार्यरत दैनिक श्रमिकों की संख्या तथा प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य के आंकड़े तालिका–8.03 में दिये जा रहे हैं–

तालिका–8.03

औद्योगिक विकास सम्बन्धी उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के संकेतक

(वर्ष 2014–15)

राज्य	कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	शुद्ध आवर्धित मूल्य (लाखरु0)	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य (हजार रु0)
1	2	3	4	5	6	7
1–आन्ध्र प्रदेश	12905	528417	2808114	26	1047	531
2–असम	3462	195567	818613	10	591	419
3–बिहार	2940	146109	582379	3	131	399
4–झारखण्ड	2341	182085	2120095	7	512	1164
5–गुजरात	17884	1462206	16966808	28	2278	1160

राज्य	कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	शुद्ध आवर्धित मूल्य (लाखरु0)	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य (हजार रु0)
1	2	3	4	5	6	7
6–हरियाणा	6611	744026	4879568	24	2752	656
7–हिमांचल प्रदेश	2362	208781	3102355	33	2921	1486
8–कर्नाटक	10143	974022	5699577	16	1517	585
9–केरल	6440	384058	1197535	19	1125	312
10–मध्य प्रदेश	3664	344031	2147740	5	443	624
11–छत्तीसगढ	2534	179324	1815125	9	652	1012
12–महाराष्ट्र	22783	1883675	20883081	19	1588	1109
13–ओडिशा	2469	262817	1668493	6	598	635
14–पंजाब	10441	583316	2052371	35	1981	352
15–राजस्थान	8005	487520	3261992	11	666	669
16–तमिलनाडु	29081	2127703	8786379	39	2827	413
17–उत्तर प्रदेश	12327	883331	4374723	6	412	495
18–उत्तराखण्ड	2572	374861	4161647	24	3496	1110
19–प.बंगाल	7878	632470	1842630	8	675	291
20–गोवा	611	65610	1368214	41	4359	2085
भारत	**189468**	**13881386**	**97516172**	**149**	**10942**	**702**

स्रोत– उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण,2014–15 खण्ड–1, भारत सरकार।

प्रदेश में औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिये अनेक औद्योगिक संस्थायें कार्यरत् हैं जिनमें से पिकअप, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया तथा इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया जैसी अखिल भारतीय संस्थायें भी उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान कर रही हैं।

प्रदेश मेंऔद्योगिक प्रगति तथा **अवस्थापना विकास के दृष्टिगतउ0प्र0की ''अवस्थापना एवंऔद्योगिक निवेश नीति 2012''** प्राख्यापित की गयी है जिसका उद्देश्य 11.2प्रतिशत की औद्योगिक विकास दर प्राप्त करना है। इस नीति में रणनीतिक रूप से–

1–अवस्थापना सुविधाओं का विकास।

2–औद्योगिक वातावरण में सुधार।

3–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) को प्रोत्साहन।

4–पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट।

5–मानव–शक्ति को रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु दक्षता एवं क्षमता विकास।

6–प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु विशेष नीतियों का निर्धारण आदि पर विशेष बल दिया गया है।

वर्ष 2015–16 तक इस नीति के तहत 512 इण्डस्ट्रीयल इण्टरप्रिन्योर मेमोरेण्डम/लेटर ऑफ इण्टेन्ट प्राप्त हुए हैं जिसमें रू0 50793.79 करोड का निवेश संभावित है।

उ0प्र0 सरकार की दूरदर्शी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 को पूर्ण रूप से अंगीकृत करते हुये यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कई नई परियोजनाओं का शुभारम्भ भी किया है जिसमें ट्रांस गंगा परियोजना–उन्नाव, सरस्वती हाई–टेक सिटी–इलाहाबाद, प्लास्टिक सिटी–औरैया तथा मेगा लेदर क्लस्टर परियेाजना, रमईपुर–कानपुर के बाद परफयूम पार्क कन्नौज तथा थीम पार्क आगरा को प्रमुख रूप से विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर(ई0डी0एफ0सी0) पर अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इण्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना को विकसित किये जाने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो गई है।

उ0प्र0 द्वाराऔद्योगिक विकास से संबधितसंचालित योजनायें

प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं रोजगार के सृजन से संबधित अनेक महत्वपूर्ण योजनाएंसंचालित की जा रही है, जिनका प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो रहा है।

1–औद्योगिक आस्थान योजना

''औद्योगिक आस्थान योजना'' का शुभारम्भ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। औद्योगिक आस्थान योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के विकास हेतु प्राथमिक अवस्थापना आवश्यकता के रूप में भूमि की उपलब्धता हानि–लाभ रहित कीमत पर तथा दीर्घ कालिक आसान किश्तों पर सुनिश्चित कराने के लिए है। औद्योगिक आस्थान योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को भूखण्ड एवं शेडों के साथ–साथ उनमें आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को सुसज्जित कर उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश की औद्योगीकरण की आवश्यकता एवं महत्ता के परिप्रेक्ष्य में इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थानों का विकास ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किया गया है।

वृहद औद्योगिक आस्थान 1960 के दशक में 56 जिलों में 79 स्थानों पर स्थापित हुए हैं जिनमें 987 शेड और 3794 भूखण्ड विकसित हैं, तथा 922 शेड एवं 3598 भूखण्ड आवंटित हैं जिनमें 2675 इकाईयाँ स्थापित हैं। शेडों की कीमत को हायर परचेज़ अनुबन्ध के साथ तथा भूखण्डों को 99 वर्षीय लीज डीड के आधार पर उद्यमियों को दिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना विकास खण्ड तथा तहसील स्तर पर वर्ष 1985 से 1992 के मध्य की गयी। मिनी औद्योगिक आस्थानों का औसत क्षेत्रफल 2.50 एकड़ है तथा 50–200 वर्ग मी0 तक के छोटे–छोटे 7380 भूखण्ड विकसित हैं। वर्तमान में 1160 मिनी औद्योगिक आस्थानों में कुल 5916 भूखण्ड आवंटित हैं ।

उद्योग विभाग द्वारा नये औद्योगिक आस्थान विकसित न किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है जिसके कारण वर्तमान में उपलब्ध औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के अनुरक्षण तथा विकास की कार्यवाहीं सम्पन्न की जा रही है।

सरकार द्वारा नये औद्योगिक आस्थान विकसित न करउपलब्ध औद्योगिक आस्थानों में प्रारम्भ में विकसित की गयी अवस्थापना सुविधाओं (सड़क, सम्पर्क मार्ग, जल निकास, पुलिया,

विद्युत फीडर एवं विद्युत लाइन) की उपयुक्त विकास एवं रख–रखाव हेतु वर्ष 2007–08 में औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजना लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत वर्ष2013–14, 2014–15, 2015–16एवं 2016–17में क्रमशः 03, 06, 14 एवं 16 इकाईयां लाभान्वित की गयी।

भारत सरकार के ''मेक इन इण्डिया'' अभियान तथा मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में निवेश आकर्षित किये जाने के अभियान को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय उद्यमियों के समक्ष भविष्य की प्रतिस्पर्धा के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि औद्योगिक आस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं को उच्चीकृत करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाय।वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 700.00 लाख की धनराशि से 12 औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2–उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन) योजना

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिपेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना जनवरी, 2007 में प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को तकनीकी उन्नयन हेतु निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं :–

- तकनीक की खरीद और आयात में व्यय की गई धनराशि का 50प्रतिशत अधिकतम रू0 2.50 लाख।
- उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु मशीन/संयंत्रों के क्रय में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख।
- मशीनों के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज का 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (अधिकतम रू0 50,000.00)
- आई0एस0ओ0/आई0एस0आई0 पर व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख।
- परामर्श प्राप्त किये जाने पर व्यय की गई धनराशि का 90 प्रतिशत अधिकतम रू0 50,000.00।

योजनान्तर्गतवर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16एवं 2016–17 में क्रमशः103, 106, 105 एवं 103इकाईयां लाभान्वित की गयी।

(1) ब्रॉण्डिंगः–

इकाई द्वारा पात्रता को पूरी करने की स्थिति में तीसरे वर्ष के उत्पादन अथवा उसके पश्चात आवेदन करने की स्थिति में सम्बन्धित वर्ष के पूर्ण विपणन का एक प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 50,000.00 का अनुदान।

(2) बौद्धिक सम्पदा :–

यदि कोई उद्यम अपने उत्पाद एवं उत्पाद श्रंखला हेतु बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा का आवश्यक प्रमाणीकरण अथवा ट्रेडमार्क हेतु प्रमाणीकरण प्राप्त करता है तो प्रमाणीकरण हेतु भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख और यदि कन्सलटेन्सी ली गयी हो तो मूल योजना के प्राविधानानुसार कन्सलटेन्सी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

वर्ष 2017–18 में भी योजनान्तर्गत रू0 200.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है जिससे माह सितम्बर,2017 तक 16 औद्योगिक इकाईयों को रू0 32.49 लाख स्वीकृत करते हुए वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

3–उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार

प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना अगस्त, 2009 में प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में कुल 37 पुरस्कार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्यमियों को प्रदान किये जाते हैं। उत्पादन क्षेत्र की 14 श्रेणियों तथा सेवा की 12 श्रेणियों के अतिरिक्त 11 विशिष्ट चिन्हित श्रेणियों के लिए पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं, जिनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी को उ0प्र0 उद्यमी पुरस्कार के रूप में रू0 1.25 लाख तथा अन्य श्रेणियों में रू0 50,000, रू0 40,000 तथा रू0 15,000 प्रदान किया जाता है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 33, 30, एवं 37 इकाईयां लाभान्वित कीगयी।वित्तीय वर्ष 2017–18 में पुरस्कारों हेतु रू0 17.00 लाख के बजट का प्राविधान किया गया है।

4–हस्तकला विकास योजना

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की अपार सफलताएं एवं सम्भावनायें हैं और उत्तर प्रदेश अपनी परम्परागत शैली के कारण अपने हस्तशिल्प उद्योगों में विशिष्ट स्थान रखता है। मुख्यतः बनारसी शिल्प में ब्रोकेड, भदोही व मिर्जापुर में कालीन, लखनऊ में चिकन तथा आगरा का कलात्मक संगमरमर का सामान, मुरादाबाद तथा वाराणसी में पीतल के पात्र, फिरोजाबाद में कलात्मक काँच की वस्तुये एवं काँच की चूडियां तथा सहारनपुर में नक्काशीदार लकड़ी का सामान आदि की मांग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक है। देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की सहभागिता लगभग 45 प्रतिशत है।वर्तमान में प्रदेश में लगभग 30 लाख हस्तशिल्पी अनुमानित है। राज्य सरकार ऐसे हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये अनवरत रूप से प्रयत्नशील रही है तथा इसके समुचित विकास हेतु योजनाबद्ध रूप से निम्न योजनायें चलायी जा रही हैं।

4.1–विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना

वर्ष 1977–78 से प्रारम्भ इस योजना का नाम वर्तमान में डा0 राम मनोहर लोहिया विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों को उच्च–कोटि की कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना है। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों को गुण–दोष के आधार पर चयन कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में से प्रत्येक वर्ष 40 हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया गया

4.2–अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मनाया जाना

यह योजना वर्ष 1961–62 से प्रारम्भ की गई। प्रदेश के विभिन्न हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की लोकप्रियता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विकास आयुक्त (हस्त0), भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार देश एवं प्रदेश में एक साथ दिनांक 8 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री पर विशेष छूट प्रदान की जाती है तथा प्रदर्शनी/गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है तथा जनपद के ख्याति प्राप्त अनुभवी शिल्पकारों की कार्य शालाओं का आयोजन किया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17में क्रमशः 38, 38, 26एवं 30प्रदर्शनी/गोष्ठियों का आयोजन कियागया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में भी योजनान्तर्गत रू0 3.00 लाख बजट स्वीकृत हुआ है जिससे माह दिसम्बर, 2017 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जायेगा।

4.3–अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना अन्तर्गत सहायता योजनाः–

समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों के उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1984 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सामान्य सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) तथा प्रशिक्षण– कम–उत्पादन–कम–प्रसार केन्द्र (टी0पी0ई0सी0) की स्थापना हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा रू0 38.88 लाख के अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर योजना प्रारम्भ की गयी थी। यह योजना शिल्पियों के कार्यो को आधुनिक मशीनों/औजारों/उपकरणों के माध्यम से जनपद अलीगढ़ में गृह उद्योग के रूप में चल रहे ताला उद्योग के कारीगरों को ताला उद्योग के आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कार्य दशा में सुधार लाने तथा उनसे सम्बन्धित अन्य उद्योगों आदि को बढ़ाया देने में सहायक सिद्ध हुई है। योजना के अन्तर्गत अब तक प्रशिक्षण प्राप्त लाभाथियों में से लगभग 80 प्रतिशत लाभार्थी विभिन्न उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर चुके अथवा स्वयं का उद्योग प्रारम्भ कर चुके हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में से प्रत्येक वर्ष 58 प्रशिक्षार्थियों को पुरस्कृत किया गया।

वित्तीय वर्ष–2017–18 में भी योजनान्तर्गत रू0 7.00 लाख के बजट का प्राविधान कराया गया है। 58 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है।

4.4–हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

(अ)–हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना

यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गयी है।हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहें कार्य को धीरे धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं इस हेतु उनके कौशल विकास की दृष्टि से प्रशिक्षण कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं। यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य वाले जिलों में संचालित की जाती है जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते है किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की शिथिलता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत परम्परागत शिल्पकारों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें नवीनतम तकनीक एवं उन्नत किस्म के औजारों व उपकरणों के उपयोग भी सिखाये जाते हैं। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित किया जाता है।वित्तीय वर्ष2013–14में 650तथा 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17में प्रत्येक वर्ष700 प्रशिक्षार्थियोंकोप्रशिक्षणदियागया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 240 हस्तशिल्पियों को उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ब)निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गयी है। उत्तर प्रदेश से कुल निर्यात में हस्त शिल्प उद्योग क्षेत्र की सहभागिता 60 प्रतिशत से अधिक है परन्तु सभी उत्पाद परम्परागत डिजाइनों तक सीमित एवं उन पर आधारित है, जिन्हें निरन्तर विकसित हो रही माँग के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही प्रमुख निर्यात परख हस्तशिल्प ट्रेडों में डिजाइन वर्कशाप का आयोजन किया जाता है। यह योजना प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प बाहुल्य क्षेत्रों में जहाँ हस्तशिल्पियों द्वारा निर्यात योग्य उत्कृष्ट कला कृतियां बनाई जा

रही हैं, संचालित कराई जाती है।वर्तमान में प्रमुख हस्तशिल्प बाहुल्य क्षेत्र वाराणसी, गोरखपुर, भदोही, मिर्जापुर, लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, खुर्जा (बुलन्दशहर), गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मुरादाबाद, रामपुर, इत्यादि है।वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17में प्रत्येक वर्ष1040 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 240 हस्तशिल्पियों को मैपडाईटेक्स संस्था कानपुर एवं उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

4.5–विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना

शिल्पियों की बहुलता एवं उनके कला कौशल ने प्रदेश की शिल्प विधा एवं कलाकृतियों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, किन्तु अपनी कार्य–परिस्थितियों व अस्वास्थ्यकर परिवेश में कार्य करने के कारण दस्तकारों की शारीरिक क्षमता अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष समय से पहले ही कम हो जाती है। वे गिरते स्वास्थ्य एवं बढ़ती आयु के कारण शारीरिक रूप से शिथिल हो जाते हैं। फलतः उनकी आय जनन क्षमता भी घट जाती है। अतः उनके अनुत्पादक शेष जीवनकाल में राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना संचालित की जा रही है जिसके अर्न्तगत प्रतिमाह पेंशन स्वरुप रू0 2000 पात्र शिल्पकारों/दस्तकारों को दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17में क्रमशः 160, 176,186 एवं197 हस्तशिल्पियों को पेंशन दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 192 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को पेंशन धनराशि निफ्ट के माध्यम से सीधे हस्तशिल्पी के बैंक खाते में माह सितम्बर–2017 तक उपलब्ध करायी जा चुकी है।

4.6 हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख हस्तशिल्पी हैं। अधिकांश हस्तशिल्पी हुनरमन्द तो है परन्तु अत्यन्त गरीब है। इन हस्तशिल्पियों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिल्प मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक माल भाड़े पर आने वाले व्यय तथा स्टॉल किराये में सहायता देने के उद्देश्य सेयह योजना स्वीकृत की गयी है। इसके अन्तर्गत आच्छादित होने वाले शिल्पियों को मेले/प्रदर्शनी में कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक ले जाने वाले माल भाड़ेपर आने वाले परिवहन व्ययएवं स्टॉल के किराया की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू0 10,000/– राज्य सहायता प्रदान की जाती है। यह सुविधा वर्ष में एक शिल्पकार को दो बार प्राप्त होती है।वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16एवं2016–17 में क्रमशः 936, 2129, 2612एवं 3008हस्तशिल्पियों को आच्छादित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 2000 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराये जाने का प्रस्ताव है। माह सितम्बर–2017 तक 213 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराया जा चुका है।

5. जिला स्तर पर एकल मेज व्यवस्था योजना :–

प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने एवं अनुकूल वातावरण सृजन करने, उद्यमियों की जिज्ञासाओं व समस्याओं को विभिन्न सम्बन्धित विभागों से निराकरण कराने एवं स्वीकृतियॉ प्रदान कराने इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए एकल मेज व्यवस्था के कार्यान्वयन का गठन शासन द्वारा किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठकें उद्यमियों की समस्याओं को समाधान कराने तथा एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत समय से स्वीकृतियां जारी कराने के लिए प्रत्येक माह आयोजित की जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बैठकों के लिए सूचनायें, डाक व्यय, एजेण्डा नोट्स, कार्यवृत्त एवं सन्दर्भों आदि के लिये प्रत्येक माह व्यय हेतु धनराशि की आवश्यकता होती है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत रू0 150.00 लाख का बजट प्राविधान हुआ है। उद्यमियों से सितम्बर, 2017 तक प्राप्त 71496 आवेदन पत्रों में से 71351 आवेदन पत्रों का निस्तारण कराया गया है।

तालिका–8.04

एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत वर्षवार प्रगति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	मद		वर्ष			
			2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1	कुल प्राप्त आवेदन पत्र जो नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्ण पाये गये।		68152	85089	95323	358834
2	निस्तारित आवेदन पत्र		68149	84987	95218	358764
	(अ)	निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत	68149	84987	95218	358764
	(ब)	समय सीमा के उपरान्त	–	–	–	–
3	अनिस्तारित आवेदन पत्र					
	(अ)	जो निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत	3	102	105	70
	(ब)	समय सीमा के अधिक	3	102	105	00
4	योजनान्तर्गत प्राप्त बजट		54.00	54.00	54.00	54.00
5	प्राप्त बजट के व्यय की स्थिति		54.00	54.00	54.00	53.71

6– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना पर टिप्पणी

औद्योगिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश के समस्त 75 जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से पूरे प्रदेश में संचालित की जा रही हैं। योजना स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित है। योजनाके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार नवयुवकों को एकमाह का सैद्धान्तिक व तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण नोटीफाइड 17 ट्रेडों में स्थानीय आवश्यकतानुरूप अन्य किसी भी ट्रेड में दिया जाता है तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू0 500/– के संबंधित ट्रेडों की टूल किट उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना में 33प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी का प्राविधान है। प्रशिक्षार्थी की आयु 18–45 वर्ष होनी चाहिए। तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु 8वीं पास तथा गैर तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु लिखने–पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। समस्त प्रशिक्षार्थियों को शत–प्रतिशत रोजगार उपलब्ध की जिम्मेदारी प्रशिक्षणदायी संस्था व संबंधित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र की संयुक्त रूप से है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में प्रत्येक वर्ष5421 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2016–17 में 6717 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत रू0 487.50 लाख का बजट प्राविधान हुआ है।

7– उत्तर प्रदेश से निर्यात के प्रोत्साहन हेतु संचालित योजनाएं

राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ''**निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो**'' के माध्यम से त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है जिसके अधीन विभिन्न 5 उपयोजनायें है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

(1). त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना

1.1–(अ)अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता

इस योजना में निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में प्रतिभाग करने पर स्टाल मद में किराये का 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.00 लाख एवं इकोनामी क्लास हवाईभाड़े हेतु भाड़े का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 50000/– विदेशी क्रेता को नमूने भेजे जाने पर कोरियर व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 50000/– निर्यात उत्पाद के प्रचार–प्रसार हेतु कुल व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 60000/– तथा गुणवत्ता मानक प्राप्त करने पर कुल व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 75000/– की आर्थिक सहायता दी जा रही है।वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमशः 1690 इकाईयों, 1762 इकाईयों,575 एवं 650 इकाईयोंको विपणन सहायता दी गयी।

1.1–(ब) राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता

प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक इकाईयों के विपणन में वृद्धि हेतु यातायात परिवहन सहायता योजना क्रियान्वित की गई है जिसकेअन्तर्गत टाईनी सेक्टर, लघु उद्योग,हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग एवं हैण्डलूम क्षेत्र की इकाईयां जो नई एम.एस.ई.डी. एक्ट के अन्तर्गत आती है, को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17में क्रमशः 334, 324, 282एवं300 इकाईयों को विपणन सहायता प्रदान की गई।

1.2–गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान

योजनान्तर्गत वर्तमान में गेटवे पोर्ट तक आई.सी.डी./सी.एफ.एस. द्वारा निर्यात माल के परिवहन पर आने वाले माल भाड़े पर रू0 5000/– के स्थान पर रू0 6000/– प्रति टी.ई.यू. (20 फुट कन्टेनर) रू0 10000/– के स्थान पर रू0 12000/– प्रति टी.ई.यू. (40 फुट कन्टेनर) अधिकतम रू0 10.00 लाख के स्थान पर रू0 12.00 लाख प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।योजना में सूक्ष्म, लघु उद्यम के अतिरिक्त मध्यम क्षेत्र के उद्यमों को भी सम्मिलित कर लिया गया है।वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16एवं 2016–17 में क्रमशः266, 402,726एवं 768 इकाईयों को अनुदान प्रदान किया गया।

1.3 निर्यातकों की क्षमता का विकास

प्रदेश के निर्यातकों/भावी निर्यातकों तथा विभागीय अधिकारियों को निर्यात की विभिन्न प्रक्रियाओं, नीतियों, क्रियाप्रणाली आदि के सम्बन्ध में तकनीकी/शैक्षिक विषय विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इसके अन्तर्गत जनपद स्तर, मण्डल स्तर एवं प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/गोष्ठियों का आयोजन कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15,2015–16एवं 2016–17 में क्रमशः 10, 11,06एवं 15 कार्यक्रम/गोष्ठियां आयेजित की गयी।

1.4–निर्यात पुरस्कार

प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट निर्यातकों को विभिन्न 25 श्रेणी के निर्यात उत्पादों हेतु श्रेणीवार एक–एक प्रथम व द्वितीय पुरस्कार तथा सभी श्रेणियों के अन्तर्गत एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मा. जनेश्वर मिश्र राज्य निर्यात पुरस्कार योजनान्तर्गत प्रति वर्ष प्रदान किये जा

रहे है। वित्तीय वर्ष2013–14, 2014–15, 2015–16एवं2016–17 में क्रमशः 14, 23, 23एवं 27निर्यातकों को पुरस्कार प्रदान किया गया।

1.5– अध्ययन, सर्वे, ब्राण्ड प्रमोशन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना

योजना के माध्यम से अध्ययन आधारित कार्यों, डाटा संग्रहण कार्यों, ब्यूरो मैगजीन का प्रकाशन एवं जी. आई. पंजीकरण प्राप्त करने आदि कार्य करते है। इस हेतु वित्तीयवर्ष 2013–14में 5 लाखकी धनराशि उपलब्ध करायी गयी।वर्ष2014–15, 2015–16एवं 2016–17 मेंप्रत्येक वर्ष2लाखकीधनराशिउपलब्ध करायी गयी।

(2) वायुयान भाड़ा सहायता योजना

योजनान्तर्गत मैन्यूफैक्चर्रस एवं मर्चेन्ट निर्यातकों द्वारा वायुयान के माध्यम (उत्तर प्रदेश में स्थित एयर कार्गो अमौसी/बाबतपुर) से विदेशी क्रेता को निर्यात हेतु भेजे जाने वाले माल भाड़े पर रू0 50/–प्रति किग्रा. अथवा वायुयान किराये का 20 प्रतिशत जो भी कम हो दिये जाने का प्राविधान है जिसकी प्रति निर्यातक को प्रति वर्ष वित्तीय सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा रू0 2.00 लाख है।वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 16, 19 एवं 16 निर्यातकों को सहायता प्रदान की गयी।वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 में योजनान्तर्गत प्रति वर्ष रू0 15.00 लाख का बजट प्राविधान कियागयाहै।

(3) निर्यात सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं एवं अन्य क्रिया कलापों के विकास हेतु राज्य को सहायता (एसाइड) योजना

निर्यात से जुड़े अवस्थापना विकास/सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2002 से लागू है ताकि निर्यात की गुणवत्ता में सुधार के फलस्वरूप निर्यात में अभिवृद्धि हो सके। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16एवं2016–17 में क्रमशः 06, 13, 17 एवं 17 परियोजनाएं पूर्ण की गयी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 से एसाइड योजना को भारत सरकार द्वारा डी–लिंक्ड किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत निर्यात अवस्थापना सुविधाओं का विकास अब प्रदेश सरकार से प्राप्त राज्यांश बजट धनराशि द्वारा किया जा रहा है।

(4) निर्यात नीति 2015

उत्तर प्रदेश की निर्यात नीति 2015–20 सितम्बर, 2015 मेंघोषितकीगयी, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है–

1 निर्यात नीति का उद्देश्य निर्यात में तेजी और सतत विकास के लिए उच्च परिणामजनक बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना।

2. मौजूदा निर्यात परक उद्योंगो पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें निर्यात करने के लिए और बढ़ावा देने हेतु आवश्यक समर्थन प्रदान करना।

3. बेहतर निर्यात क्षमता वाले उत्पादों के उद्योंगो को प्रोत्साहित करना तथा नई निर्यात उन्मुख इकाइयों को उत्तर प्रदेश में अपना आधार स्थापित करने हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना।

4. हस्तशिल्प, कालीन और हथकरघा वस्त्र जैसे पारंपरिक निर्यात क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन और गुणात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिक, डिजाइन विकास और कौशल उन्नयन प्रदान करना।

5. गैर परंपरागत क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रानिक्स और सॉफटवेयर, सेवाओं, जैव प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में निर्यात की क्षमता बढ़ाना।

6. बागवानी उत्पाद, अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों और अनाज, कुक्कुट एवं अण्डा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के क्षेत्र की निर्यात क्षमता बढ़ायी जायेगी।
7. निर्यात में निरन्तर उन्नयन के लिए क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना।
8. मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
9. विशेष ट्रेडों में मानव संसाधन प्रतिभा के पूल के विकास के लिए संस्थागत ढ़ांचा प्रदान करना।
10. निर्यात में निर्बाध विकास के लिए एक सरल, पारदर्शी और उत्तरदायी विनियामक वातावरण विकसित करना।
11. भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति अन्तर्गत प्रदेश के निर्यात प्रधान नगरों को "टाउन ऑफ एक्सीलेन्स" योग्य बनाना।

    परियोजनाओं के क्रियान्वयन/पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के अर्न्तगत रु0 62.50 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई।

8–उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति–2014

प्रदेश के परम्परागत हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते हुये राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मांग के अनुरूप विकास के नये आयामों तक पहुँचाना तथा हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर में निरन्तर गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम बार हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु **"उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति–2014"** बनाई गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत मई, 2016 से प्रदेश के समस्त जिलों में 02 चरणों में हस्तशिल्पियों का सर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया जा रहा है। पहले चरण में हस्तशिल्प बाहुल्य 25 जनपदों में मई, 2016 से अगस्त, 2016 तक सर्वेक्षण कार्य कराया गया, जिनमें लगभग 3.73 लाख हस्तशिल्पियों को चिन्हित किया गया। द्वितीय चरण में अवशेष 50 जनपदों में अगस्त, 2016 से सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें अक्टूबर, 2016 तक कुल 58013 हस्तशिल्पियों को चिन्हित किया गया है।

9– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित तथा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संचालित है, जिसके अन्तर्गत रू0 25.00 लाख तक लागत की परियोजना की स्थापना कराकर युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है।

योजनान्तर्गत 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। योजना में विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा– अनु0जा0/ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक व महिलाओं इत्यादि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्यमों पर 35 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत तक के अनुदान की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 15 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16एवं 2016–17 में क्रमशः 3395, 3812,2701एवं 974 लाभार्थिर्यों को सहायता प्रदान की गयी।वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह सितम्बर, 2017 तक594 लाभार्थिर्यों को ऋण वितरित हुआ।

10–विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना–

वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों (बढ़ई,लोहार,टोकरी बुनकर, कुम्हार इत्यादि) एवं स्थानीय विशिष्ट उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु योजनान्तर्गत स्थानीय कारीगरों एवं उद्यमियों को प्रशिक्षण, उपकरण, तकनीक एवं बाजार आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान की सुविधा भी अनुमन्य होगी ।
वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना हेतु रू01000.00 लाख़ बजट धनराशि की व्यवस्था की गई है।

11–जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण योजना

वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रदेश के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आगामी 5 वर्षों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण किया जायेगा। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों में विभिन्न प्रकोष्ठों की स्थापना कर उन्हें कारपोरेट स्वरूप प्रदान किया जायेगा। केन्द्रों में आधुनिक कन्सल्टेंसी प्रकोष्ठ, सिंगल विन्डो क्लीयरेंस प्रकोष्ठ, आई टी प्रकोष्ठ एवं परियोजना सृजन प्रकोष्ठ स्थापित कर उन्हें आधुनिक रूप दिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना हेतु रू0 400.00 लाख़ बजट धनराशि की व्यवस्था की गई है, जिससे प्रदेश के 05 जनपदों कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर एवं वाराणसी के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के भवनों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण किया जायेगा।

12–मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2016 के अर्न्तगत सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने एवं प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से **''मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना''** संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र हेतु रू0 25.00लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10.00लाख तक का ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। उद्योग क्षेत्र के ऋणों के लिए 25प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 2.50लाख की सब्सिडी भी लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

उ0प्र0 के मूल निवासी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, हाईस्कूल उत्तीर्ण हो तथा किसी भी वित्तीय संस्थान से डिफाल्टर न हों, ऐसे व्यक्ति योजनान्तर्गत पात्र होगें।

चयन समिति के चयनोपरान्त 7 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जाते हैं। संबंधित बैंक एक माह के अन्दर ऋण स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के उपरान्त एक माह के अन्दर ऋण वितरण की कार्यवाही की जाती है। रिजर्व बैंक के नियमानुसार कोलेटरल गारंटी देनी होती है। क्लेम के 7दिनों के अन्दर अभ्यर्थी के खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की जाती है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 शासन स्तर से बजट धनराशि का आवंटन प्रतीक्षित है।

13–जनपद भदोही में कार्पेट बाजार की स्थापना

जनपद भदोही में कार्पेट बाजार की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया। परियोजना निर्माण लागत रू0 124.78 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 15.00 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया, जो कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करा दिया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 50.00 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया, जो कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उनकी मांग के अनुसार रू0 50.00 करोड़ उपलब्ध करा दिया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 9.00करोड़ का बजट प्राविधान हुआ है।

14– एम0एस0एम0ई0 पोर्टल

सूचना तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हुए प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र एमएसएमई पोर्टल के रूप में एक ऐसा व्यवसायिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है जहां उद्यमियों को उद्यम स्थापना के संबंध में एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के साथ ही वह अपने आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों का प्रदर्शन कर सकेंगे।एमएसएमई पोर्टल के विकास के लिए वर्ष 2015–16 में रू0 10.00 लाख की बजट स्वीकृति शासन द्वारा की गई।

एमएसएमई पोर्टल के विकास के लिए वर्ष 2015–16 में रू0 10.00 लाख की बजट स्वीकृति शासन द्वारा की गई। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 137.20 लाख एवं वर्ष 2017–18 में 54.15 लाखका बजट प्राविधान है।

15–एम.एस.एम.ई.नीति

फरवरी, 2016 में एम. एस. एम. ई. नीति–2016 का प्रख्यापन किया गया है। इस नीति में एम.एस.एम.ई. की वार्षिक दर 12 प्रतिशत ई–गवर्नेंस का समुचित उपयोग तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देना, एम.एस.एम.ई. क्षेत्रों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, प्रदेश में उपयुक्त औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उच्चीकरण करना तथा एम.एस.एम.ई. हेतु विभाग के फैसिलीटेटर की भूमिका के निर्वहन के साथ–साथ एम.एस.एम.ई. क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा विकलांगों की भागीदारी की प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा दिया जायेगा।

16–केन्द्रीय दर अनुबन्ध योजना

1–मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत सामग्री क्रय में प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को क्रय वरीयता प्रदान करने के आदेश निर्गत किए गये।

2–दर अनुबन्ध के अन्तर्गत सामग्री क्रय में प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को क्रय वरीयता प्रदान करने के आदेश निर्गत किए गये।

3–केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध की व्यवस्था उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन स्तर पर लागू की गई है तथा उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन को राज्य क्रय संगठन(एसपीओ) नामित किया गया है।

4–उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रक्योरमेंट आफ गुड्स) का प्राख्यापन किया गया है।

17–उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद का गठन

निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2015 के प्राविधानान्तर्गत प्रदेश में निर्यात एवं हस्तशिल्प क्षेत्र की इकाईयों को बढ़ावा देने, उन्हें संरक्षण प्रदान करने, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में उत्तर प्रदेश के ब्राण्ड प्रमोशन के उद्देश्य से नवम्बर, 2015 द्वारा प्रदेश स्तर पर ''उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल'' का गठन किया गया।

उक्त परिषद द्वारा नई निर्यातक इकाईयों के लिए हितकारी परिवेश, बेहतर विपणन सुविधायें, नये बाजारों से सम्बन्धित अवसरों की पहचान, गुणवत्ता एवं पैकिंग के अर्न्तराष्ट्रीय मानको का अंगीकरण आदि कार्यो हेतु आई.सी.डी.सी.एफ.एस. के उच्चीकरण एवं रेल/रोड़ नेटवर्क से कनेक्टीविटी, विदेशाी बाजारों मे वेयर हाउस एवं शो रूम्स की स्थापना, डिजाइन सेन्टर, डिजाइन लैब, डिजाइन बैंक, टूल रूम आदि की स्थापना, निर्यातकों के स्वयं सहायता समूहों का गठन, निर्यात हेतु नवाचार को प्रोत्साहन एवं रॉ–मैटेरियल बैंकों की स्थापना के महत्वपूर्ण कार्य किये जायेंगे।

18–एम0एस0एम0ई0 पालिसी घोषित किया जाना

उत्तर प्रदेश विशाल क्षेत्रफल एवं प्रचुर जनसंख्या तथा भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। ऐसे में विशाल युवा शक्ति की ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाते हुए व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र जहॉ एक ओर कम पूॅजी एवं कम स्थान में वृहद पैमाने पर रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराते हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय दृष्टि से भी अधिक अनुकूल होते हैं। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहॉ प्रदेश का समावेशी एवं बहुआयामी विकास होता है वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाऍ भी उत्पन्न होती हैं।

इस प्रकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका तथा उनके विकास के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र के त्वरित विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उत्प्रेरक के रूप में एम.एस.एम.ई.पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस क्षेत्र के विकास हेतु सभी आवश्यक प्रयासों को सूचीबद्ध करते हुए निर्धारित समय सीमा में उन्हें लागू करने का प्रयास किया जा सके। एमएसएमई ड्राफ्ट पालिसी तैयार कर ली गई है तथा शीघ्र ही इसे घोषित करते हुए लागू किया जायेगा।

खनिज अन्वेषण

आर्थिक विकास में खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में उपलब्ध खनिज सम्पदा के यथासम्भव अधिकतम एवं लाभप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गयी है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय भूगर्भ में छिपे खनिजों के अन्वेषण एवं मानचित्रण से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन कर खनन स्थलों का चयन एवं खनन कार्यो द्वारा अधिकतम खनिज राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व निभाता है। उत्तर प्रदेश में ज्ञात खनिजों का खनन, विपणन तथा खनिजों पर आधारित इकाइयों की संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

प्रदेश में अब तक किये गये खनिज अन्वेषण के अन्तर्गत प्रदेश में स्वर्ण, लौह अयस्क, ग्लूकोनाईट, पायरोफिलाइट, डायस्पोर व रॉक फास्फेट, पोटाश, सिलिका सैण्ड व चीनी मिट्टी के खनिज भण्डारो की पुष्टि हुयी है। जनपद सोनभद्र में चायना क्ले का 16.5 मिलियन टन, ललितपुर में क्वार्ट्ज का 12 मिलियन टन, महोबा में क्वार्ट्ज का 10 मिलियन टन, झांसी में क्वार्ट्ज का 45 मिलियन टन, ऐस्बेस्टस का 0.3 मिलियन टन, चित्रकूट में पोटाश का 50 मिलियन टन तथा सोनभद्र में स्वर्ण धातु 305 कि0ग्रा0 एवं ललितपुर में 1687 कि0ग्रा0 स्वर्ण के अनुमानित भण्डारों का आंकलन किया गया है। प्रदेश के उत्तर प्रदेश राज्य भूवैज्ञानिक कार्यकारी परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुमानित 05 परियोजनाएं विभिन्न जनपदों में ललितपुर, झांसी व सोनभद्र में चलायी जा रही है जिनमें मुख्यतः स्वर्ण धातु, प्लेटिनम समूह के तत्व, लौह अयस्क की खोज सम्बन्धी अन्वेषण कार्य तथा खनन का पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। खनिज राजस्व एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश के 12 जनपदों को खनिज बाहुल्य जनपदों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रदेश में मुख्य खनिजों की खोज में निजी कम्पनियों द्वारा भी रूचि ली जा रही है।

प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उपखनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहें हैं।

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थो के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर,मैग्नेसाइट, ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट, सिलिका सैण्ड, गन्धक,स्टीटाइटतथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उपखनिज पदार्थो के अन्तर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आंकड़े तालिका 8.05 में दिये जा रहे हैं:–

तालिका–8.05

उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र0सं0	खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु. में)		गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	परिमाण ('000) मी.टन.		गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि
		2015–16	2016–17*		2015–16	2016–17*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्टीटाइट	–	–	–	–	–	
2	गन्धक	–	–	–	47836	42013	(–)12.17
3	कोयला	136930	155405	13.50	12689	14401	13.49
4	चूने का पत्थर	3965	3776	(–)4.77	2596	2443	(–)5.89

*अनन्तिम

उप खनिज पदार्थों की भी अपनी महत्ता है। इन पदार्थों की उपलब्धता भी देश/प्रदेश के आर्थिक स्तर के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उप खनिज पदार्थो में साधारण बालू, इमारती पत्थर, मौरंग, बजरी तथा संगमरमर प्रमुख हैं। इनके उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े तालिका 8.06 में दिये जा रहें हैं–

तालिका–8.06

उत्तर प्रदेश में उप खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र0सं0	उप खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य(लाख रू. में)			परिमाण(लाख घनमीटर)		
		2015–16	2016–17*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	2015–16	2016–17	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साधारण बालू	36453.14	13061.70	(–)64.2	165.70	36.28	(–)78.1
2	स्लैब स्टोन	2295.85	3204.00	39.6	0.79	0.71	(–)10.1
3	गिट्टी	306408.83	578653.22	88.9	480.57	526.05	9.5
4	ग्रेनाइट	3911.17	4961.25	26.8	0.24	0.18	(–)25.0
5	ईट बनाने की मिट्टी	195375.0	395622.50	102.5	488.44	791.25	62.0
6	मौरंग	46835.48	23169.65	(–)50.5	62.45	23.17	(–)62.9
7	बजरी	1194.29	286.36	(–)76.0	3.14	0.38	(–)87.9

*अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 की अपेक्षा वर्ष 2016–17 में साधारण बालू, मौरंग तथा बजरी को छोड़कर शेष उप खनिज पदार्थो के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक वृद्धि (102.5 प्रतिशत) ईट बनाने की मिट्टी के मूल्य में हुई है। इसी प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2016–17 में साधारण बालू, स्लैब स्टोन,ग्रेनाइट,मौरंग एवं बजरी को छोड़कर शेष खनिज पदार्थो के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

****

अध्याय–9
सेवा क्षेत्र

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन संग्रहण तथा संचार, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, बैंक व्यापार तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाए खण्डसम्मिलित है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक क्रियाकलाप आते हैं जिनकी कई विशेषताएं तथा आयाम हैं। कुछ सेवाएं उच्च प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की हैं तो कुछ सामान्य सेवाएं यथा बाल कटिंग तथा वस्त्र धुलाई आदि भी हैं। इसी प्रकार से कुछ सेवाएं संगठित तथा कुछ असंगठित हैं। इस कारण इस क्षेत्र के योगदान को आंकने हेतु प्रदेश स्तर पर आंकड़ों की उपलब्धता मुख्य चुनौती है।

सेवा खण्ड का निष्पादन

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2016–17केत्वरित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के वर्गीकरण में तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, का प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में स्थायी भावों पर लगभग 50.1 प्रतिशत का अंशदान हैजबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 25.4प्रतिशत तथा 24.5प्रतिशत है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का महत्व स्वयं सिद्ध है।वर्ष 2015–16 व वर्ष 2016–17 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 8.1 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत रही है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2016–17 में 49.0 प्रतिशत हो गया है।

तालिका–9.01

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन मेंसेवा क्षेत्र की वृद्धिदर तथा प्रतिशत वितरण

(स्थायी भावों पर)

मद	वर्ष					
	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16*	2016–17#
1	2	3	4	5	6	7
वृद्धि दर	–	6.8	7.1	9.2	8.1	7.5
प्रतिशत वितरण	45.5	46.3	47.0	49.6	50.0	50.1

*अनन्तिम अनुमान #त्वरित अनुमान

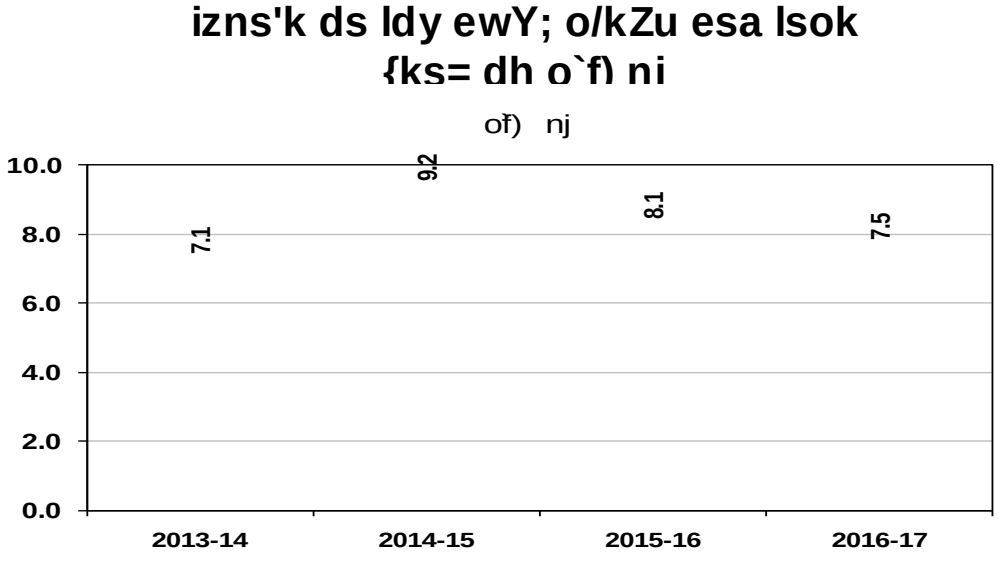

उप–खण्डवार सेवा क्षेत्र का विश्लेषण

(1)परिवहन संग्रहण तथा संचार

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के वर्गीकरण के अनुसार परिवहन संग्रहण तथा संचार के अन्तर्गत अधिसंरचनात्मक क्षेत्र यथा रेलवे, वायुयान परिवहन तथा वित्तीय सेवाएं आदि भण्डारण, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाएं रेलवे के अतिरिक्त अन्य परिवहन सेवाएं शामिल की जाती हैं। इस खण्ड में वर्ष 2016–17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थायी भावों परवर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धनरू०40475 करोड़ था जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर रू० 78925 करोड़ हो गया है। वर्ष 2015–16 व वर्ष 2016–17 में इस खण्ड में क्रमशः 12.7तथा 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धन में इस खण्ड का योगदान वर्ष 2011–12 में 5.9 प्रतिशत था जो बढ़कर 2016–17 में 8.1 प्रतिशत हो गया है।

भण्डारण का वर्ष 2016–17 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू०1317 करोड़, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाओं का मूल्य वर्धन रू० 23254 करोड़ था जो विगत वर्ष 2015–16 से क्रमशः 20.2 प्रतिशत तथा 18.5 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है। प्रदेश में यह क्षेत्र एक विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में सामने आया है।

तालिका–9.02

परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धिदरस्थायी भावों पर
2011–12	40474.68	40474.68	–
2012–13	49183.57	46397.68	14.6
2013–14	61010.10	52325.24	12.8
2014–15	72438.56	63878.80	22.1
2015–16	82412.68	72023.32	12.7
2016–17	91477.46	78925.00	9.6

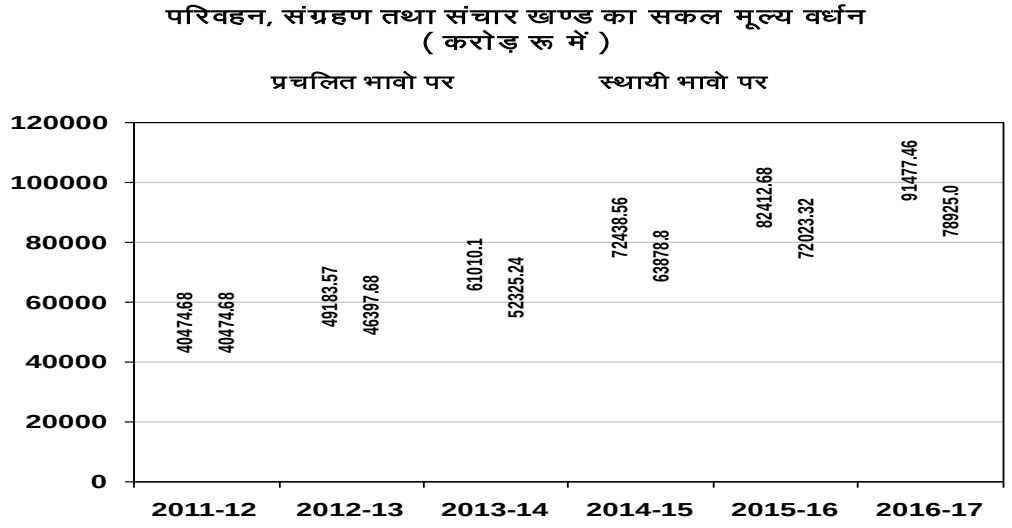

(2) व्यापार होटल एवं जलपान गृह

इस खण्ड में व्यापार, होटल एवं जलपान गृहके साथपर्यटन उद्योग भी शामिल है। वर्ष 2016–17के त्वरित अनुमानों के अनुसारइस खण्ड का सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 मे रू०69466 करोड़ था जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर रू० 95606 करोड़ हो गया है।वर्ष 2015–16 व वर्ष 2016–17 में इस खण्ड में क्रमशः 10.4 व 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 10.2 प्रतिशत था, जो घटकर वर्ष 2016–17 में 9.4 प्रतिशत रह गया है।

प्रदेश अपने पर्यटन क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर इस खण्ड की वृद्धि दर तथा योगदान को बढ़ा सकता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा दर्शाये गये आंकड़ों के आधार पर भारत वर्ष में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में उत्तर प्रदेश को तृतीय स्थान तथा भारतीय पर्यटकों में द्वितीय स्थान दर्शाया गया है। प्रदेश में वर्ष 2017 में कुल पर्यटक 2490.46 लाख में भारतीय पर्यटकों की संख्या 2455.75 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 34.71 लाख सम्मिलित हैं। पर्यटन उद्योग का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अग्रगामी तथा पश्चगामी प्रभाव होता है तथा यह क्षेत्र विकास के उत्प्रेरक के रुप में कार्य कर सकता है। प्रदेश में पर्यटन में विकास एवं रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन क्षेत्र की महत्ता के दृष्टिगत पर्यटन नीति 2016 का निर्माण किया गया है जिसमें प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध चुनौतियों को चिन्हित करते हुए पर्यटन नीति 1998 में चिन्हित प्रदेश के 7 पर्यटन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य नवीन क्षेत्रों की पहचान कर समस्त पर्यटन क्षेत्रों मे आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया गया है।

तालिका–9.03

व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी(2011–12) भावों पर	वृद्धिदरस्थायी भावों पर
2011–12	69466.00	69466.00	–
2012–13	74725.00	69760.21	0.4
2013–14	86690.15	76796.66	10.1
2014–15	93256.22	81625.72	6.3
2015–16	99086.84	90103.82	10.4
2016–17	106957.91	95605.95	6.1

(3) वित्तीय सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत समस्त वित्तीय सेवाएं सम्मिलित हैं। इस खण्ड में वर्ष 2016–17 के त्वरित अनुमानों के साथ सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू०25182 करोड़ था जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर रू०40068 करोड़ हो गया है। इस खण्ड में वर्ष 2015–16 व 2016–17 दोनो ही वर्षों में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 3.7 प्रतिशत रहाजो वर्ष 2016–17 में 3.8 प्रतिशत हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस खण्ड के अनुमान हेतु प्रदेश स्तर पर आंकड़ों की उपलब्धता नहीं है, ये आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त होते हैं जो रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

तालिका–9.04

वित्तीय सेवायें खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी(2011–12) भावों पर	वृद्धिदरस्थायी भावों पर
2011–12	25182.00	25182.00	–
2012–13	28120.02	27751.93	10.2
2013–14	31396.89	30274.42	9.1
2014–15	35209.22	33662.47	11.2
2015–16	39360.94	36725.83	9.1
2016–17	43375.76	40067.88	9.1

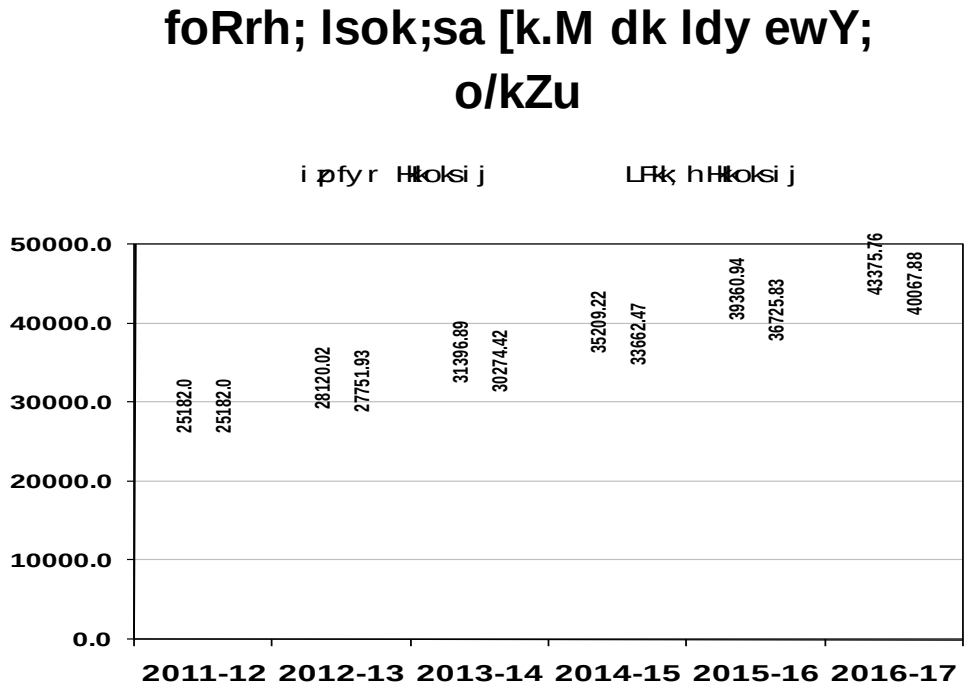

(4) स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं

इसखण्ड के अन्तर्गत स्थावर संपदा, कम्प्यूटर तथा सूचना सम्बन्धी सेवाएं, व्यवसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां,शोध एवं विकास गतिविधि सहित, प्रशासनिक तथा सहायक सेवाओं सम्बन्धी गतिविधियां,आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस खण्ड में वर्ष 2016–17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू०97454करोड़ था जो बढ़कर वर्ष 2016–17 में रू०129306 करोड़ हो गया है।इसखण्ड में वर्ष 2015–16 व वर्ष 2016–2017में क्रमशः 5.9प्रतिशत व5.2प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 14.3 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2016–17 में 15.4 प्रतिशत हो गया।सेवा खण्ड के अन्तर्गत इस उपखण्ड का योगदान सर्वाधिक है।

तालिका–9.05

स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी(2011–12)भावों पर	वृद्धिदरस्थायी भावों पर
2011–12	97454.00	97454.00	–
2012–13	115278.00	104556.86	7.3
2013–14	130185.00	109552.19	4.8
2014–15	145156.38	116096.88	6.0
2015–16	159403.72	122933.50	5.9
2016–17	174880.51	129306.21	5.2

(5) सार्वजनिक प्रशासन

सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के अन्तर्गत प्रदेश सरकार, प्रदेश की समस्त ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाएं तथा छावनी परिषद को सम्मिलित किया जाता है। इस खण्ड में वर्ष 2016–17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पररू०42348 करोड़ था जो कि वर्ष 2016–17 में बढ़कर रू०57172 करोड़ हो गया है। वर्ष 2015–16 व वर्ष 2016–17 में इस खण्ड में क्रमशः 3.1 प्रतिशत तथा 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में इस खण्ड का योगदान 6.3 प्रतिशत रहा है।

तालिका–9.06

सार्वजनिक प्रशासन खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी(2011–12) भावों पर	वृद्धिदरस्थायी भावों पर
2011–12	42348.00	42348.00	–
2012–13	50587.00	47261.00	11.6
2013–14	54835.00	48468.00	2.6
2014–15	59737.24	50806.04	4.8
2015–16	63081.22	52360.11	3.1
2016–17	71900.96	57171.79	9.2

(6) अन्य सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी सेवाओं के साथ ही मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, खेल–कूद गतिविधियां, संघों की सदस्यता सम्बन्धी गतिविधियां, व्यक्तिगत सेवाएं यथा वस्त्र उत्पाद की साफ–सफाई, बालों की कटिंग तथा अन्य ब्यूटी सैलून, दर्जी आदि की सेवाएं भी सम्मिलित है। इस प्रकार इस खण्ड मेंऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनकी कई विशेषताएं और आयाम हैं। इस खण्ड में वर्ष 2016–17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू०35401 करोड़ था जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर रू०49259.74 करोड़ हो गया है।वर्ष 2015–16 व वर्ष 2016–2017में इसखण्ड में क्रमशः 8.0प्रतिशत तथा10.3प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान 5.2प्रतिशत था जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गया है।

तालिका–9.07

अन्य सेवाएं खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी(2011–12) भावों पर	वृद्धिदरस्थायी भावों पर
2011–12	35401.00	35401.00	–
2012–13	38629.00	35684.38	0.8
2013–14	43180.00	37429.02	4.9
2014–15	50350.71	41349.88	10.5
2015–16	56851.07	44643.75	8.0
2016–17	66020.35	49259.74	10.3

सेवा क्षेत्र एवं रोज़गार

प्रदेश में सेवा क्षेत्र प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय द्वाराउपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार मार्च, 2016को सेवा क्षेत्र में 12.62 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं।

तालिका–9.08

प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिकवर्ग	औद्योगिक विवरण	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	233184
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	397
"जे"	सूचना एवं संचार	22892
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	102981
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	0
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	20244
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	476
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	540869
"पी"	शिक्षा	234648
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	101320
"आर"	कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	2151
"एस"	अन्य सेवा कार्य	3278

औद्योगिकवर्ग	औद्योगिक विवरण	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
योग		1262440

****